खण्ड-425, अंक-1
शुक्रवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1920
(3 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची	घ–झ
महामहिम राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	ञ–ढ
उपस्थित सदस्य	ण–त
नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–104
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	105
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सुजानपुर व हरकरनपुर में दिये गये कृषि एवं आवासीय पट्टों में कथित धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद बस्ती के कुआनो नदी पर कुछ घाटों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद इटावा के भरथना क्षेत्रान्तर्गत गत रबी की फसल पर हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद हरदोई के ग्राम मल्हपुर मतहपुर मजरा ममरेजपुर में मई माह में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद क्षत्रपति शाहूजी महाराज नगर के ग्राम अर्की में दिनांक 23-5-98 को अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे अनुसूचित जाति के छात्रावास पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद मुरादाबाद नगर के मध्य स्थित जिला जेल नगर को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107–108
जनपद मैनपुरी की तरफ से भोगांव के उत्तर की ओर काली नदी के राजघाट पर पक्का पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
मेरठ महानगर के सघन आबादी क्षेत्र में ट्री गार्ड सहित वृक्षारोपण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	109
प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था पर ब० स० पा० के महासचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	109–110
श्री इन्द्रजीत सरोज, स०वि०स० की गिरफ्तारी एवं आम बन्दियों के साथ रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	110
अतारांकित प्रश्नों के बारे में "सूचना एकत्र की जा रही है" उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 2 जुलाई, 1998 को मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में ग्राम तिलियानी एवं नगलाशिम्भू के मध्य बेवर फीडर व बेवर ब्रान्च पर फुट ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कोई निधि न बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	113–114
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	115–129
प्रदेश के किसानों को इनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु शासन द्वारा स्थाई नीति बनाने संबंधी संकल्प (अस्वीकृत)	130–138
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निर्बाध विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित की गई सिविल बेनाप तथा कैसर हिन्द भूमि विषयक संगत शासनादेश को तत्काल निरस्त करने संबंधी संकल्प (संकल्प का वापस लिया जाना) ...	138–147
प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के घनत्व एवं जनसंख्या के अनुपात में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आय-व्ययक में तदनुरूप समुचित धनराशि का प्राविधान किये जाने का संकल्प (संकल्प का वापस लिया जाना) ...	147–154
प्रदेश में राज्य मानवाधिकारी आयोग का गठन करने संबंधी संकल्प (अस्वीकृत) ...	154–166
प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री बरगढ़, जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को शीघ्र चलाने संबंधी संकल्प (संकल्प का प्रस्तुतीकरण तथा स्थगन)	166–167
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) ...	167–170
उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	170–175
वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 79—समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण); अनुदान संख्या 80—समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या 81—समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या 87—सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	176–203
वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक की मागों पर मतदान–अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	203–204
वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक की मागों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	204–214
नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, स०वि०स० द्वारा उ०प्र० विधान परिषद् में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व सही न होने तथा श्री अजय कुमार पोइया, स०वि०स० द्वारा मथुरा में गोबर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाली आवागमन असुविधा संबंधी चर्चाओं का स्थगन	214–215
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	215–216

विषय	पृष्ठ-संख्या
पेन्ट एवं पालिश के काम में प्रयुक्त होने वाली एन०सी० थिनर को आबकारी विभाग द्वारा जब्त व प्रतिबन्धित किये जाने से वाराणसी में तत्संबंधी उद्योगों की बन्दी के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	216–218
जिला बेसिक शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक दिनांक 13 मई, 1998 में लिये गये निर्णय के बावजूद असेवित क्षेत्रों में ही जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	219
जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इल्तिफातगंज एवं केदारनगर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना न कराये जाने से किसानों, बुनकरों तथा अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	219–220
नत्थियां	221–231

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के माननीय सदस्यों की सूची)

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
7–अजय राय, श्री — वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री — बलिया
12–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
13–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
15–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
16–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
17–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
18–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
19–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20–अमर मणि, श्री — महराजगंज
21–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
22–अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरी, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
39–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
40–आर०के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
41–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
43–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
44–इन्द्रदेव, श्री — बिजनौर
45–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
46–उदय राज यादव, श्री — उन्नाव
47–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
48–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
49–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
50–ओइमूवेश, स्वामी — बिजनौर
51–ओंकार सिंह, श्री — एटा
52–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
53–ओम प्रकाश, श्री — एटा
54–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
55–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
56–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
57–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
58–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
59–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
60–काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
61–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
62–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर

63–काशीनाथ, श्री सुल्तानपुर
64–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
65–कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
66–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री पिथौरागढ़
67–कृष्णपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
68–कृष्णा राज, श्रीमती खीरी
69–केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
70–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
71–केशो मेहरा, श्री आगरा
72–के० सी० सिंह "बाबा", श्री उधमसिंह नगर
73–कैलाश, श्री गाजीपुर
74–कैलाश सिंह राजपूत, श्री फर्रुखाबाद
75–कौकब हमीद, श्री मेरठ
76–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
77–कौशल किशोर, डा० खीरी
78–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
79–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
80–गंगा सिंह चौहान, श्री हरदोई
81–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री मेरठ
82–गणेश, श्री गाजीपुर
83–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
84–गोपाल कृष्ण, श्री पीलीभीत
85–गोमती यादव, श्री लखनऊ
86–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री भदोही
87–गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
88–गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री लखनऊ
89–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
90–चन्द्र नाथ सिंह, श्री प्रतापगढ़
91–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
92–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
93–चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
94–चेतराम, श्री शाहजहांपुर
95–छब्बू पटेल, श्री वाराणसी
96–छोटे लाल, श्री हरदोई
97–छोटे लाल गंगवार, मास्टर बरेली
98–छोटे लाल राजभर, श्री बलिया
99–छोटे लाल वर्मा, डा० महोबा
100–छोटे सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
101–जगत पाल सिंह, मेजर मुरादाबाद
102–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
103–जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री जौनपुर
104–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
105–जगपाल, श्री सहारनपुर
106–जटा शंकर, श्री बहराइच
107–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
108–जय नारायन तिवारी, श्री सुल्तानपुर
109–जयपाल सिंह, श्री मेरठ
110–जय प्रकाश, श्री गाजियाबाद
111–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
112–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
113–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
114–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री गोरखपुर
115–जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
116–ज्ञान चन्द, श्री उत्तरकाशी
117–ज्ञानवती, डा० अलीगढ़
118–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
119–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
120–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री गोरखपुर
121–तिलकराज बेहड़, श्री उधमसिंह नगर
122–तेजभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
123–तोताराम, श्री मुरादाबाद
124–तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
125–ददू प्रसाद, श्री बांदा
126–दयाशंकर, श्री जालौन
127–दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
128–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
129–दिलीप कुमार, श्री बहराइच
130–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
131–दीपक कुमार, श्री उन्नाव
132–दीप लाल भारती, श्री पडरौना
133–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
134–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री कानपुर देहात
135–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर एटा
136–धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर

137–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
138–धर्मज्ञ मिश्र,डा० — हरदोई
139–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
140–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
141–नन्दराम, श्री — बरेली
142–नरेन्द्र, श्री — आजमगढ़
143–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
144–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
145–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
146–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
147–नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
148–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
149–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
150–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
151–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
152–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
153–नेतराम सिंह, श्री — एटा
154–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री — खीरी
155–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
156–परवेज हलीम खां, श्री — मेरठ
157–पीटर फैन्थम — नाम-निर्देशित सदस्य
158–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
159–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
160–पूर्णमासी पंकज, श्री — भदोही
161–प्रदीप कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
162–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
163–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
164–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
165–प्रेमपाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
166–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
167–प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
168–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
169–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
170–फरीद महफूद किदवई, श्री — बाराबंकी
171–फागू, श्री — मऊ
172–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
173–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
174–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
175–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
176–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
177–बनारसी दास चन्दाना, श्री — मेरठ
178–बरखू राम वर्मा, श्री — जौनपुर
179–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
180–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
181–बाबू खां, श्री — हरदोई
182–बाबूराम, श्री — जालौन
183–बाबूराम यादव, श्री — मैनपुरी
184–बाबू लाल, चौधरी — आगरा
185–बाबू लाल कुरील, श्री — उन्नाव
186–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
187–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
188–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
189–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
190–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
191–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
192–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
193–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
194–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
195–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
196–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
197–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
198–भरत सिंह, श्री — बलिया
199–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
200–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
201–भीम प्रसाद सोनकर, श्री — अम्बेडकरनगर
202–भोनू, श्री — गाजीपुर
203–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
204–मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
205–मंजू, श्रीमती — बलिया
206–मंडलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
207–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
208–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
209–मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़
210–मस्तराम, श्री — उन्नाव
211–महाराज सिंह यादव, श्री — इटावा
212–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा

213–महेन्द्र कुमार, श्री बुलन्दशहर
214–महेन्द्र कुमार, श्री सीतापुर
215–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
216–महेन्द्र पाल निषाद, श्री बांदा
217–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
218–मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
219–मानिक चन्द यादव, श्री मैनपुरी
220–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
221–मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
222–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती एटा
223–मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
224–मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
225–मुन्ना लाल मौर्य, श्री फतेहपुर
226–मुरलीधर, श्री फतेहपुर
227–मुराद लारी, श्री देवरिया
228–मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
229–मुस्लिम, डा० रायबरेली
230–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री इटावा
231–मूल चन्द, श्री बिजनौर
232–मोती लाल, श्री खीरी
233–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री गढ़वाल
234–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थनगर
235–यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
236–यशवन्त, श्री आजमगढ़
237–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
238–योगेन्द्र सिंह, श्री देवरिया
239–रंगनाथ मिश्र, श्री भदोही
240–रंगबहादुर पटेल, श्री इलाहाबाद
241–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अल्मोड़ा
242–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर प्रतापगढ़
243–रघुवर दयाल वर्मा, श्री फिरोजाबाद
244–रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
245–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
246–रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
247–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० गढ़वाल
248–रमेश राही, श्री सीतापुर
249–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
250–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
251–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
252–राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
253–राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
254–राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
255–राजधारी, श्री बलिया
256–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
257–राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
258–राजराय सिंह, श्रीमती पीलीभीत
259–राजा गज़नफर अली खां, श्री बिजनौर
260–राजाराम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
261–राजाराम पाल, श्री कानपुर देहात
262–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
263–राजेन्द्र, श्री गाजीपुर
264–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
265–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
266–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
267–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
268–राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद
269–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
270–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
271–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
272–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
273–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
274–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
275–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
276–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
277–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
278–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
279–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
280–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
281–राम चन्दर यादव, श्री फैजाबाद
282–राम जग, श्री आजमगढ़
283–राम तेज यादव, एडवोकेट बहराइच
284–रामदेव वैश्य आचार्य. श्री बाराबंकी
285–राम नक्षत्र, श्री पडरौना

286–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
287–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
288–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
289–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
290–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
291–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
292–राम प्यारे, श्री आजमगढ़
293–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
294–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
295–राम बाबू हरित, श्री आगरा
296–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
297–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
298–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
299–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
300–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
301–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
302–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
303–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
304–राम सिंह, डा० अलीगढ़
305–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
307–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
308–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
309–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
310–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
311–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
312–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
313–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
314–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
315–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
316–रूप चौधरी, श्री मेरठ
317–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर इलाहाबाद
318–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
319–लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री मथुरा
320–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
321–लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
322–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
323–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
324–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
325–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
326–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
327–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
328–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
329–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
330–वहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
331–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
332–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
333–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
334–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
335–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
336–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
337–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
338–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
339–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
340–विनोद मणि, श्री महराजगंज
341–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
342–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
343–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
344–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
345–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
346–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
347–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
348–विश्वनाथ, श्री पडरौना
349–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
350–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
351–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
352–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० बिजनौर
353–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
354–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
355–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट रायबरेली
356–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
357–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
358–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी

359–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
360–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
361–शिव शंकर, श्री — बांदा
362–शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
363–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
364–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
365–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
366–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
367–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
368–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
369–श्याम् प्रकाश, श्री — हरदोई
370–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
371–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
372–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
373–श्रीनिवास मणि, श्री — देवरिया
374–श्रीराम, श्री — मऊ
375–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
376–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
377–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
378–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
379–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
380–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
381–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
382–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
383–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
384–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
385–सन्त, श्री — गोरखपुर
386–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
387–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
388–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
389–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
390–सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
391–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
392–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर, — मुरादाबाद
393–सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
394–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
395–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
396–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
397–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
398–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
399–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
400–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
401–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
402–सुरेन्द्र नाथ, श्री — बाराबंकी
403–सुरेन्द्र प्रताप सिंह श्री — बरेली
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
405–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
406–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री — उधमसिंह नगर
407–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
408–सुशील शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
409–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
410–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
411–सूर्य भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
412–सौलत अली, एडवोकेट — मुरादाबाद
413–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
414–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
417–हरिनारायण, श्री — बलिया
418–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
419–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
420–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
421–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
422–हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री — वाराणसी
423–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
424–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
425–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
426–रिक्त–

महामहिम राज्यपाल

श्री सूरजभान

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री कल्याण सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, प्रोटोकाल संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक उद्यम ।
2	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, पर्यटन
3	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास
5	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
6	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
7	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा ।
9	श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
10	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण ।
12	श्री रघुवर दयाल वर्मा	वन
13	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा ।
14	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15	श्री राम कुमार वर्मा	सहकारिता
16	श्रीमती प्रेमलता कटियार	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार ।
17	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम
18	श्री सरदार सिंह	वस्त्र उद्योग

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
19	श्री राधेश्याम गुप्ता	संस्थागत वित्त
20	श्री बाबू राम, एम०काम०	लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन ।
21	श्री हुकुम सिंह	पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य ।
22	श्री एज़ाज़ रिज़वी	खाद्य एवं रसद
23	श्री शिव प्रताप शुक्ल	कारागार
24	श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा ।
25	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
26	श्री हरिशंकर तिवारी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
27	श्री मण्डलेश्वर सिंह	क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास ।
28	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स ।
29	डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"	उत्तरांचल विकास
30	श्री चौधरी लक्ष्मीनारायण	उद्यान
31	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल ।
32	श्री शिवाकान्त ओझा	चिकित्सा शिक्षा
33	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा ।
34	श्री फागू चौहान	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
35	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
36	श्री राजा रघुराज प्रताप सिंह	कार्यक्रम कार्यान्वयन
37	श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री सुन्दर सिंह बघेल	दुग्ध विकास
2	श्री रवीन्द्र शुक्ल	बेसिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
3	श्री गोरख प्रसाद निषाद	पशुधन
4	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे	नियोजन
5	श्री धर्मपाल सिंह	पंचायतीराज
6	श्री जयपाल सिंह	बाढ़ नियंत्रण
7	श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण ।
8	श्री अशोक यादव	अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास ।
9	श्री राधेश्याम कोरी	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन ।
10	श्री राजा गज़नफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ।

राज्य मंत्री

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
1	श्री बालेश्वर त्यागी	वित्त
2	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
3	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
4	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
5	श्री लल्लू सिंह चौहान	पर्यटन
6	श्री सुरेश खन्ना	आवास
7	श्री सतीश महाना	नगर विकास
8	श्री धनराज यादव	सिंचाई
9	श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
10	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
11	श्री राम आसरे कुशवाहा	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
12	श्री रंगनाथ मिश्र	ऊर्जा
13	श्री भगवान सिंह शाक्य	कृषि
14	श्री वीरेन्द्र सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
15	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
16	श्री यशवन्त सिंह	प्राविधिक शिक्षा
17	श्री शिवेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास
18	श्री बंश नारायण सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
19	डा० अरविन्द कुमार जैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
20	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई
21	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
22	श्री विक्रमाजीत मौर्य	आबकारी
23	श्री रामचन्द्र बाल्मीकि	सहकारिता
24	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण
25	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	वस्त्रोद्योग
26	श्री बहोरन लाल मौर्य	संस्थागत वित्त
27	श्री बिहारी लाल आर्य	लघु उद्योग
28	श्री राकेश त्यागी	पंजीयन
29	श्री हरि नारायण राजभर	कारागार
30	श्री विवेक कुमार सिंह	पर्यावरण
31	श्री रामपाल राजवंशी	अतिरिक्त ऊर्जा
32	श्री शिव शंकर सिंह	राजस्व
33	श्री सतीश शर्मा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
34	श्री संग्राम सिंह	क्षेत्रीय विकास
35	श्री श्रीराम सोनकर	राष्ट्रीय एकीकरण
36	श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तरांचल विकास
37	श्री बंशीधर भगत	उत्तरांचल विकास
38	श्री नारायण रामदास	उत्तरांचल विकास
39	श्री दलवीर सिंह	खेलकूद
40	श्री अमर मणि त्रिपाठी	युवा कल्याण
41	श्री गंगा बख्श सिंह	चिकित्सा शिक्षा
42	श्री विनय पाण्डेय	होमगार्ड्स
43	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	संस्कृति
44	श्री रामलखन पासी	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
45	श्री मुन्ना लाल मौर्य	उद्यान
46	श्री वेद प्रकाश	श्रम
47	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्रामीण अभियंत्रण
48	श्री शिव गणेश लोधी	खाद्य एवं रसद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता-मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री प्रेमचन्द्र सक्सेना

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),
2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर),
3–श्री निर्भय पाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर),
4–श्री केदार सिंह फोनिया, सदस्य, विधान सभा (चमोली),
5–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),
6–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
7–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),
8–श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),
9–श्री कौकब हमीद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार 3 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफरोज अली खा, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरिमर्दन सिंह, श्री	महोबा
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कोसिम हसन, श्री	फतेहपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री	पिथौरागढ़
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
के० सी० सिंह "बाबा",	उधम सिंह नगर
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी
तिलकराज बेहड़, श्री	ऊधमसिंह नगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गाजियाबाद
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
नेतराम सिंह, श्री	एटा
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फतेह बहादुर, श्री	महाराजगंज
बाबू राम, श्री	जालौन
बिन्दु लाल, श्री	गोण्डा
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजधारी, श्री	बलिया
राजाराम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह, डा०	अलीगढ़
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह, श्री	बुलन्दशहर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद मणि, श्री	महराजगंज

विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशन सिंह चुफाल, श्री	पिथौरागढ़
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव शंकर, श्री	बांदा
शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	ऊधम सिंह नगर
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 03 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक विधान सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त ही महत्वपूर्ण घटना जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घटी, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वैसे तो मैं इस पर प्रश्नकाल के बाद कहता लेकिन जो घटना है वह अति महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान का आक्सफोर्ड कहे जाने वाले प्रयाग विश्वविद्यालय में एक शिक्षक ने 27 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आपकी सूचना नियम–311 में प्राप्त हुई थी चूंकि नियम–311 की सभी सूचनाएं नियम–56 में परिवर्तित कर दी गयी हैं और शलाका निकाल दी गयी हैं। यदि आपकी सूचना नियम–56 में शलाका में आ गयी तो ठीक है वरना इस सूचना को आप सोमवार को पुनः दे दीजियेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डालडा एवं सरसों के तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने की मांग

**1—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल एवं मई, 1998 में प्रदेश के बाजारों में डालडा एवं सरसों के तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है? क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि को रोकने के कोई उपाय किये हैं? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार उपभोक्ताओं के प्रयोग में आने वाली दैनिक वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रण के लिये, "दाम बांधो" नीति के अन्तर्गत मूल्य नियन्त्रित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एज़ाज रिज़वी)–

माह अप्रैल एवं मई, 1998 में डालडा एवं सरसों के तेल के दामों में वृद्धि हुयी है। मूल्य वृद्धि रोकने के लिये प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि खाद्य तेल एवं तिलहन पर पूर्व में लागू नियंत्रण आदेश (जिसे हटा लिया गया है) पुनः लागू किया जाय। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् हमारे वरिष्ठ और विद्वान मंत्री जी से मैंने क्या प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि भारत सरकार को अनुरोध पत्र लिख दिया गया है कि आदेश पुनः लागू कर दिया जाय। मान्यवर, आज की तारीख में पिछले दो माह में कड़ुआ तेल जो 34 रुपये किलो था वह 52 रुपये किलो हो गया, डालडा जो 42 रुपया किलो था और आज वह 57 रुपये किलो हो गया। तो इस तरह से 80 से लेकर 100 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार का आम उपभोक्ताओं के लिए खाद्य नियंत्रण के लिए क्या दायित्व है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रति दिन दाम बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी?

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही अपने उत्तर में यह कहा है कि मूल्य नियंत्रण का काम भारत सरकार का है और इस विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अभी 22 अप्रैल, 98 को प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि जो कन्ट्रोल आदेश बन्द हो गया था उसे पुनः लागू किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बहुत से उपाय है। आपने केन्द्र सरकार से तो अनुरोध कर लिया है मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए। लेकिन और भी प्रमुख उपाय होते हैं जैसे बाजार में ज्यादा माल उपलब्ध करा दिया जाय, उदाहरण के लिए उपभोक्ता सहकासी समितियों में ज्यादा माल उपलब्ध करा दिया जाय, आवश्यक वस्तु निगम में माल उपलब्ध करा दें। इस तरह से अगर माल उपलब्ध हो जायेगा तो मूल्य वृद्धि में रोक लग सकती है।

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, वर्तमान में तेल और डालडा प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है। हम आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवार, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी का मार्ग-दर्शन किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुएं बढ़े हुए दामों पर मिल रही हैं अगर यह इन समितियों में उपलब्ध न हों तो इन्हें उपलब्ध करायी जायं। मूल्य नियंत्रण करने के लिए खाद्य तथा रसद विभाग है उसका दायित्व बनता है कि दुकानों पर रेट लिस्ट लगायें। माननीय मंत्री जी इतने गम्भीर नहीं हैं, जितना गम्भीर प्रश्न किया गया है। मान्यवर, आप देखें कि प्रति दिन दाम बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि भारत सरकार मूल्य नियंत्रित करती है। डालडा और कड़ुआ तेल के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। पिछले सप्ताह से प्रतिदिन दो रुपये के हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं, क्या यह भारत सरकार के निर्देश पर दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि मूल्य नियंत्रण करने का दायित्व भारत सरकार का है। अगर भारत सरकार मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर पाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई उपाय करेगी ? क्या रेट लिस्ट लगाने की कार्यवाही करेगी? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दाम बांधो नीति के लिये क्या-क्या किया है? ऐसा तो नहीं है कि यह चीजें कहीं पर स्टोर हो रही हों और दाम बढ़ रहे हों?

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मूल्य नियंत्रण की बात कही है और यह कहा है कि ऐसा तो नहीं है कि इन चीजों का स्टोरेज हो रहा हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टोरेज के सम्बन्ध में एक कन्ट्रोल आर्डर था, जिसे भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है, जिससे दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले जाड़े में जो वर्षा हुई उसके कारण सरसों की खेती काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है, उसकी आपूर्ति कम हुई है। पाल जी ने कहा कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, तो सारे देश के आंकड़े हमारे पास है, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के दाम सभी प्रदेशों से कम हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं दूसरे प्रदेशों के भाव नहीं जानना चाहता हूं।

श्री एज़ाज रिज़वी–

सरसों का भाव इस समय 4,375 रुपये है जो बाजार में प्रति किलो 46.82 रुपये आता है। वनस्पति का भाव 49 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर 50 रुपये से कम हो तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं चुनौती देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, मेरे पास जो शासन द्वारा जिलेवार रिपोर्ट आती है अभी जो मैंने तेल के और डालडा के दाम बताये बाजार में थे।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बाजार में तेल और वनस्पति की उपलब्धता है। आपने मांग और सप्लाई के बारे में संकेत दिया था उन्होने स्वीकार किया कि उपलब्धता है। वितरण व्यवस्था समवर्ती सूची में है। केन्द्र सरकार ने कोई मूल्य तेल और वनस्पति के निर्धारित नहीं किये हैं। पिछले सप्ताह जो 45 रु० किलो था आज वह 51 और 52 रु० प्रति किलो हो गया है और उपलब्धता भी कम नहीं है। तो बाजार में नियंत्रण करने के लिए होर्डिंग करने वालों के विरुद्ध कोई छापा मारा गया और कोई व्यापारी उसके लिये पकड़े गये हैं, अगर छापे मारे गये तो कितने छापे मारे गये और कितने व्यापारियों को पकड़ा गया?

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, मैने पूर्व में ही बताया कि इसके दामों में नियन्त्रण करना भारत सरकार का काम है और भारत सरकार ने दाम निर्धारित नहीं किये हैं इन पर कोई कन्ट्रोल आर्डर लागू नहीं है। जो था वह समाप्त कर दिया है। पुनः लागू करने का भारत सरकार से आग्रह किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कोई छापे मारे गये और किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी?

श्री एज़ाज रिज़वी–

वर्तमान में इन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है इसलिए छापे मारने की कोई बात नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस तरह से जो बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि हो रही है न केवल डालडा और कड़ुवा तेल में ही बल्कि दैनिक उपभोग की सभी वस्तुओं में वृद्धि हो रही है। जो दामों में वृद्धि हो रही है उसका कारण अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है पूर्ति और मांग में असंतुलन रहना। आप ने स्वीकार किया है कि पूर्ति है लेकिन फिर भी दाम 50 रु० से ऊपर हैं तो इस बात से स्पष्ट है कि इस प्रकार बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाए। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास किया है?

श्री एज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि हमारे ओर से भारत संरकार से निवेदन किया गया है कि इन पर कन्ट्रोल लगाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि इस समय मूल्यों में कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपने जो कुछ दिशा निर्देश दिए थे और कुछ सुझाव दिये हैं, उसका जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे पाये । डालडा और कडुवा तेल के दाम बहुत बढ़ गये और इसके साथ ही अन्य चीजों के दाम बढ़ गये हैं।

(सदन में बिजली बाधित होने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

जब विधान सभा में बिजली नहीं है तो गांवों और शहरों का क्या हाल होगा? ऊर्जा मंत्री में नैतिकता हो, तो इस्तीफा दे दें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुकानदार जो ब्लैक करते हैं तो 3/7 ऐक्ट के अन्तर्गत कितने छापे मारे गये और लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष–

कितने छापे मारे गये इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो भारत सरकार को पत्र लिखा है क्या उसको सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, यह प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है मंत्री जी का बयान स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सरसों की फसल खराब हो गयी थी इसलिये कडुवा तेल महंगा है। मैं जानना चाहता हूं कि डालडा किस फसल के खराब होने के कारण महंगा हुआ है? मंत्री जी जवाब देने के लिये तैयार नहीं हैं इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह सदन से चले गये।)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, तेल और डालडा जैसी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में मंत्री जी का जवाब नहीं आया है। यह पूंजीपतियों की सरकार है। मंत्री जी अनाप-शनाप उत्तर दे रहे हैं। प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सरकार बाजार पर नियंत्रण रखने में विफल रही है इसलिये मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, सरकार मूल्यों पर नियंत्रण रखने में असफल रही है। इसलिये मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है।

(श्री राम स्वरूप सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

शस्त्र लाइसेन्स बनाने में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं जरूरतमन्दों को लाइसेन्स देने की मांग

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेंस बनाने में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने व जरूरतमन्दों को लाइसेंस सहजता व एक निश्चित समयावधि में प्राप्त कराये जाने हेतु कोई नियम बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों की स्वीकृति के संबंध में आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 जो केन्द्रीय विधान है, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उसमें निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाता है। अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों के लाइसेसिंग प्राधिकार उक्त नियमावली के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेटों में निहित हैं। शस्त्र नियामावली में कोई संशोधन करने के लिये राज्य सरकार सक्षम नहीं है।

तथापि शस्त्र लाइसेन्सों की स्वीकृति में शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से आवेदन पत्रों के निस्तारण से संबंधित समस्त कार्यवाही एक निश्चित समायावधि एवं व्यवस्थित प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न कराने की दृष्टि से गृह विभाग के शासनादेश दिनांक 03 जून, 1998 द्वारा कतिपय आवश्यक गोपनीय निर्देश प्रदेश के समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदन के जितने भी सदस्य हैं सब इससे अवगत होंगे कि आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होती है और यह भी देखने में आता है कि जो लाइसेंस प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं अपने प्रयास में असंफल होते हैं तो फिर माननीय सदस्यों को भी परेशान करते हैं। जब आवेदन देते हैं तो इसमें प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जो थाने से शुरू होती है एस०एस०पी० के यहां से पुलिस विभाग को जाती है उसके बाद जिलाधिकारी के यहां जाता है और इस प्रक्रिया में काफी भ्रष्टाचार भी रहता है। सुविधा शुल्क देने के बाद ही वहां तक पहुंच पाता है। इसमें जैसा बताया गया है कि जिलाधिकारी को अधिकार प्राप्त है लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि वे अपने स्वविवेक के

अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। वहां पर जो सुविधा शुल्क देता है उसको लाइसेंस दे दिया जाता है जो नहीं दे पाता है उनको लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि 6 महीने बीत गये हैं पुनः नीचे से इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ करिये। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बताया है कि कार्यवाही एक निश्चित समयावधि एवं व्यवस्थित प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न कराने की दृष्टि से गृह विभाग के शासनादेश दिनांक 03 जून, 1998 द्वारा कतिपय आवश्यक गोपनीय निर्देश प्रदेश के समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को दे दिये गये हैं। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह निश्चित समयावधि और व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है, जिससे इसमें सुविधा हो जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आज यह आदेशित किया गया हैं कि डी०एम० प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के बाद तीन महीने के अन्दर उसको निस्तारित कर दें। जैसे ही प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष के पास जायेगा इसके लिये 20 दिन की अवधि निर्धारित की गयी है वहां से सी० ओ०, ए०एस०पी० में से कोई एक स्तर से जायेगी यह ये लोग अपने आप तय करेंगे कि सी०ओ० करेगा या ए०एस०पी० उसके बाद वह संबंधित एस०डी०एम० को जायेगी और इसके लिये भी प्रतिबन्ध कर दिया गया है कि एक महीने के अन्दर ये रिपोर्ट दे देंगे। इस तरह से तीन महीने के अन्दर निस्तारित हो जायेगा। उत्तराधिकारी के रूप में लाइसेंस मिलने की बात है किसी का देहान्त हो जाने पर या किसी के बुजुर्ग हो जाने पर वह उत्तराधिकारी को देना चाहते हैं तो उसके लिये एक महीने की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

नत्थी–ख प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों ही पक्षों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के बारे में प्रश्न जो सरकार ने जारी किये हैं। उनका उल्लेख हो गया है। अब अल्पसूचित प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा करा लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, महत्वपूर्ण प्रश्न है नियम–49 में इस पर चर्चा करा लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

महत्वपूर्ण विषय है इस पर मैं आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं। शासन की नीति और आदेश के बारे में चर्चा हो जायेगी। नियम–49 में स्वीकार कर लेता हूं।

इसको अगले सप्ताह लगा लेते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश में घट रही विकास दर को बढ़ाये जाने की मांग

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय औसत से पीछे है? यदि हां, तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रदेश की विकास दर क्या है? क्या सरकार उत्तर प्रदेश के विकास दर को बढ़ाने के लिये कोई उपाय करेगी? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नियोजन राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी हां। त्वरित अनुमानों के आधार पर आठवीं योजनावधि में राष्ट्रीय औसत वार्षिक विकास दर 6.8 प्रतिशत के सापेक्ष प्रदेश की औसत वार्षिक दर 3.4 प्रतिशत है। राज्य की औसत वार्षिक विकास दर में वृद्धि हेतु नवीं योजना में विकास दर का लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप 7 प्रतिशत रखा गया है। 7 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने हेतु रु० 1,86,000 करोड़ के कुल विनियोग की परिकल्पना की गयी है, जिसमें रु० 46,340 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय सम्मिलित है। नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 7 प्रतिशत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले विभिन्न उपायों में, प्रमुख रूप से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग, शासकीय व्यय में मितव्ययिता, प्रभावी कर वसूली, निजी क्षेत्र से अधिकाधिक पूंजी निवेश आकृष्ट करने हेतु बेहतर विधि एवं व्यवस्था की स्थिति की निरन्तरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सिंचाई, ऊर्जा, यातायात तथा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण आदि सम्मिलित है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने उ० प्र० की विकास दर को जानना चाहा कि राष्ट्रीय विकास दर के सापेक्ष उ० प्र० की विकास दर कितने प्रतिशत है और नवीं पंचवर्षीय योजना में इनका क्या उपाय होगा? मंत्री जी का उत्तर परम्परागत उत्तर है। सरकार मितव्ययिता बरतेगी, संशाधनों का बेहतर प्रयोग करेगी। जिस क्षेत्र का इन्होंने उल्लेख किया सिंचाई, ऊर्जा, यातायात। इसी सदन में ऊर्जा मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि जो सात तापीय परियोजनाएं बन्द पड़ी हैं उसमें तीन परियोजनाओं के लिए धन आज भी उपलब्ध नहीं है। उनके लिए कोई संसाधन नही है। उन तापीय परियोजनाओं के लिए किसी वित्तीय संस्थाओं से सरकार गारन्टी लेने के लिए तैयार नही है। तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अपनी बन्द पड़ी तापीय या जलीय परियोजनाओं के लिए परिवहन विभाग की वित्तीय संस्थाओं की तरह सरकार गारन्टी लेगी? दूसरे आठवीं पंचवर्षीय योजना के 6.8 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की विकास दर 3.4 प्रतिशत है। यह बहुत सोचनीय स्थिति है। यह पूरे प्रदेश और सदन के लिए चिन्ता का विषय है।

इस पर सदन में एक दिन की चर्चा करायी जाय कि उत्तर प्रदेश की विकास दर कैसे बढ़े ? क्योंकि प्रश्न से केवल अनुपूरक प्रश्न हो जायेंगे । इसलिए मैं चाहूंगा कि एक दिन निश्चित तौर पर इस पर विचार कर लें । जो नवीं पंचवर्षीय योजना है उसका एक वर्ष व्यतीत हो गया है उसमें कितने प्रतिशत विकास दर आपने प्रगति की और आपने नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 7 प्रतिशत लक्ष्य रखा एक साल बीत गया । आज एक वर्ष में उत्तर प्रदेश की विकास दर कितनी है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, 1997-98 में हमारी विकास दर 6 प्रतिशत रही और इसके बाद उसकी शेष उपलब्धियों का पूरा आंकलन अभी उपस्थित नहीं किया जा सकता क्योंकि विकास दर के मानक निर्धारित होते हैं वह पूरे एक वर्ष के व्यतीत होने के बाद ही उपलब्धियों का आंकलन हो सकता है । दूसरा बिन्दु उन्होंने उठाया है कि जहां राष्ट्रीय औसत 6.8 प्रतिशत रहा वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी विकास दर 3.4 प्रतिशत रही । 7 प्रतिशत विकास दर का राष्ट्रीय लक्ष्य नवीं पंचवर्षीय योजना में कैसे लायेंगे विलम्ब से ला सकते हैं । किसी भी पंचवर्षीय योजना की विकास दर और उसके पूर्व की दर वर्ष भर बाद किया जाता है । वर्ष 1996-97 में उ० प्र० की वार्षिक विकास दर 7.4 प्रतिशत की है । वार्षिक विकास दर बढ़ाने के प्रति सरकार ने अपनी वचनबद्धता दोहराई है । हम शासकीय व्यवस्था में मितव्ययिता लायेंगे । बसूली प्रभावी तरह से करेंगे । संसाधन जुटायेंगे । हमारी सरकार ने मंत्री स्तर पर आर्थिक विकास समिति बनायी है । मई-जून के दो महीने में प्रभारी मंत्रियों को लक्ष्य दिये गये हैं । इस तरह से समीक्षा करके संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विकास दर प्राप्त करने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं । मान्यवर, ऐसे तमाम प्रयास हैं, निजीकरण को प्रोत्साहन, प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को मुख्य धारा में लाना, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का अनुपालन, स्थानीय निकायों, पंचायतीराज संस्थाओं को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए सुविधायें देना, ऊर्जा, यातायात में बेहतर प्रयत्न हुए हैं । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस प्रदेश में पंचम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास दर से बेहतर विकास दर पायी गयी थी । उसमें राष्ट्रीय विकास दर 5.3 थी और हमने 5.7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया, सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय औसत 5.8 प्रतिशत का था और इस प्रदेश ने 5.7 प्रतिशत का औसत प्राप्त किया । इस प्रकार हम सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं । स्वच्छ राजनैतिक इच्छा शक्ति के बल पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण में कहा है कि आर्थिक चक्र की गाड़ी जो पटरी से उतर गयी है उसको पटरी पर लायेंगे, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न स्पष्ट तौर से पूछा था कि क्या उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् और उ० प्र० सड़क परिवहन निगम जैसी संस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या उ० प्र० सरकार गारन्टी लेगी ? इसका उत्तर नहीं आया । दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि आज विकास दर निरन्तर घट रही है । वर्ष 1996-97 में विकास दर 7.4 प्रतिशत थी वह 1997-98 में अब 6.00 प्रतिशत पर पहुंच गयी, 1998-99 में विकास दर और घट रही है । इसलिए घट रही है कि जो उपाय बताये हैं शासकीय व्यय में मितव्ययिता, निजी क्षेत्र से अधिकाधिक पूंजी निवेश आकृष्ट करने

के लिए बेहतर विधि एवं व्यवस्था की स्थिति की निरन्तरता सुनिश्चित करेंगे, मुझे ऐसा कुछ दिखायी नहीं दे रहा है जिससे प्रदेश की ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति ठीक हो सके । कल इसी सदन में प्रदेश की ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है जब प्रदेश की ला-एण्ड-आर्डर ठीक नहीं है तो कोई भी इस प्रदेश में पूंजी निवेश करने वाला नहीं है । आपने कहा है कि हम 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई पूंजी निवेश का प्रस्ताव हो तो उसे आप बता दें ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, पूंजी निवेश के लिए हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के विनियोग का लक्ष्य निर्धारित किया है । पब्लिक सेक्टर में हमने 46,340 करोड़ रुपया निर्धारित किया है और प्राइवेट सेक्टर का 1,39,660 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । माननीय पाल साहब को बताना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर के एग्रीकल्चर एलाइन्स चीजों से 3 करोड़ 70 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें 3 लाख 39 हजार, 24 करोड़ इकोनामिक सर्विसेज का । प्राइवेट सेक्टर में भी हमने विनियोग का जो लक्ष्य निर्धारित किया है यह कुल 1,39,660 करोड़ का है । इसमें जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वह 19 हजार 660 करोड़ का है । इण्डस्ट्री क्षेत्र का 7 हजार करोड़, ट्रान्सपोर्ट से 10 हजार करोड़, इसी तरह से एजूकेशन में 10 हजार करोड़ का है । कुल मिलाकर 1,86,000 करोड़ विनियोग के लक्ष्य की परिकल्पना की गयी है जो अपने आप में राष्ट्रीय लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित होता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हमने लक्ष्य निर्धारित किया था 6 प्रतिशत प्राप्त करने का परन्तु उसके सापेक्ष 2.9 प्रतिशत ही हम प्राप्त कर पायें हैं । यह नवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 7 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है । यह 7 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में हमें कितना एचीव करना होगा, औद्योगिक क्षेत्र में कितना एचीव करना होगा और सेवा क्षेत्र में कितना प्राप्त करना होगा, पूंजी निवेश के क्षेत्र में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी करनी होगी तब हम 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर पायेंगे तो क्या निर्धारित किया है सेवा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में ? मान्यवर, उसके सापेक्ष में यह दूसरा वित्तीय वर्ष है इन दो वित्तीय वर्षों में जितना प्राप्त करना चाहिए था उसके सापेक्ष में कितना व्यय कर चुके हैं और कितना प्राप्त कर चुके हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, पाल जी के सवाल में मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं । मैं एक उदाहरण से इस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें अगर प्रबल इच्छा शक्ति से प्रयत्न किया जाय तो क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि 7 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने के लिए सेवा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी करनी होगी और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करनी होगी और कृषि के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करनी होगी, निवेश के क्षेत्र में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी करनी होगी और इसके कम्परीजन में इन दो वर्ष में हम कितना एचीव किये हैं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जैसा कि आपने अवगत कराया हमने नवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें हमने 527 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जो तीन क्षेत्र पूछे हैं इनमें कितनी बढ़ोत्तरी करने का लक्ष्य है, यह बता दें ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, वर्मा जी से अलग बात करके इनको बता देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

लगता है माननीय मंत्री जी के पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह देश के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास अगर जानकारी नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप स्थगित न करें बल्कि 23 तारीख के बाद एक दिन उपवेशन बढ़ाने की कृपा करें और उस दिन इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर प्रदेश की विकास दर 2.9 प्रतिशत थी, आज माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर विकास दर 3.4 प्रतिशत है । पहले तो माननीय मंत्री जी इस आदरणीय सदन में गलत बयानबाजी न करें । 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गयी है । यदि रातों-रात कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में कोई मिरेकिल हो जाय और 300 प्रतिशत की इसमें बढ़ोत्तरी हो जाय तब इस 7 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने सौ प्रतिशत की वृद्धि हेतु उन्होंने कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रयास किये हैं या इसके लिए सरकार ने कोई प्रारूप बनाया है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, पिछली सरकारों ने इस ओर कोई गम्भीरता से प्रयास नहीं किया । हम गम्भीरता से प्रयत्न कर रहे हैं । आप हम पर भरोसा रखें । 1991-92 के सापेक्ष वर्ष 1996-97 में हमारा उत्पादन बढ़ा । 1991-92 में 35 हजार 521 लाख मीट्रिक टन हमारा उत्पादन था, वहीं 1996-97 में यह लगभग 46 हजार मीट्रिक टन था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिया था, उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

मैं उस सुझाव पर विचार करूंगा ।

प्रदेश के पांच महानगरों में पशुओं से फैल रहे प्रदूषण को रोके जाने की मांग

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश क पांच महानगरों में पशुओं से फैल रहे प्रदूषण एवं परिवहन की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालकों को नगर के बाहर

बसाने की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

राज्य राजधानी लखनऊ के दुधारू पशुओं को नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गयी है । अन्य महानगरों के लिए अभी योजना नहीं बनी है ।

लखनऊ नगर में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण नगर निगम द्वारा कराया गया था जिसके अनुसार लखनऊ शहर में लगभग 2600 डेरियों में लगभग 25,650 पशु हैं । इनको सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने हेतु कैटिल कालोनी के निर्माण हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण को उत्तरदायित्व सौंपा गया है । योजना में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इन्दिरा नगर के निकट ग्राम तकरोही में 690 पशुओं हेतु 69 भूखण्डों का तथा राजाजीपुरम् के निकट देवपुर पारा क्षेत्र में 2740 मवेशियों के लिए 274 भूखण्डों का तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना में 550 भूखण्डों का विकास किया जाना सम्मिलित है ।

उपर्युक्तानुसार ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि महानगरों में प्रदूषण तथा परिवहन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है । मैंने पांच नगरों के बारे में पूछा, माननीय मंत्री जी ने लखनऊ के बारे में दुधारू पशुओं के बारे में बता दिया । प्रदूषण और परिवहन की समस्या एक प्रमुख समस्या है । गाय-भैंसों से ज्यादा सुअरों की संख्या इतनी ज्यादा हो गयी है जिससे प्रदूषण तो फैल ही रहा है, परिवहन की दृष्टि से भी देखा जाय तो यह खतरनाक होता जा रहा है । क्या मास्टर प्लान बनाते समय यह योजना नहीं बनायी गयी थी कि ऐसे पशुओं को नगर से बाहर बसाया जायेगा । दूसरा राधा ग्राम और नन्द ग्राम के नाम से जो योजनायें बनायी गयी थीं, उन योजनाओं का क्या हुआ और वह अब तक क्यों कार्यान्वित नहीं हुई ?

आवास राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, इसके लिए तो पहले से ही प्राविधान है । मुख्य रूप से यह कहा गया कि दुधारू पशुओं की वजह से यातायात बाधित होता है । 24 जून, 1998 को शासनादेश जारी करके समस्त महानगरों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था लागू करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, भूमि उपयोग का उल्लंघन करके जो आवासीय कालोनियां बनी हुई हैं उसमें दूसरे तरह के काम हो रहे हैं उसको सख्ती से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लैण्डयूज की बात मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति दे दी है, आप यह नहीं कह सकते कि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण भूमि उपयोग का दुरुपयोग करने के कारण ज्यादा हो रहा है। वहां कोई ज्यादा प्रभावशाली कार्यवाही सरकार करेगी वहां रिहायशी की अनुमति है और उसका वाणिज्य और औद्योगिक उपयोग हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह यह है कि भू-उपयोग के दुरुपयोग के कारण समस्यायें उत्पन्न हुई हैं तो जहां नियमों को भंग किया गया है वहां कोई कार्यवाही करनी प्रस्तावित है या नहीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जहां कहीं पर मान्यवर, इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि भू-उपयोग का दुरुपयोग किया गया है मिसाल के तौर पर किसी क्षेत्र में आवासीय क्षेत्रों में कामर्शियल के रूप में उपयोग किया तो कार्यवाही होती है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मंत्री जी ने 69 इन्दिरा नगर में 274, राजाजीपुरम् 550 में, हरदोई रोड योजना में दुरुपयोग का उल्लेख किया है तो जहां-जहां आपकी योजनायें हैं वहां पर्यावरण की दृष्टि से क्या प्राविधान किया है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शहरों में घनी आबादी में बढ़े प्रदूषण को रोकने के लिए हम शहर के सम्भावित क्षेत्रों में उन कालोनियों को डेवलप करके जानवरों को ले जाना चाहते हैं और उन क्षेत्रों को जो हमने शासनादेश जारी किया है उसके संग कुछ डायरेक्शन्स भी दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

उसमें पर्यावरण की भी चिन्ता की गयी है या नहीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

डायरेक्शन में जैसे गोवर एकत्र न हो गोबर गैस प्लान्ट से बिजली का उत्पादन, नालियां बनाने के लिए है, ताकि जानवरों का मूत्र आदि एकत्र न हो। मान्यवर, यह पहला प्रयोग है जब कोई चीज सामने आती है तो उपचार किया जाता है। मान्यवर, वहां पर आबादी नहीं होगी एक कमरा रहने के लिए होगा, मवेशियों की देखभाल कर सकें।

श्री भरत सिंह–

क्या आवास नगर मंत्री जी बतायेंगे कि महानगरों में पशुओं द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है, उसके अलावा प्लास्टिक की बनी थैलियों के कारण भी प्रदूषण हो रहा है और बीमारियां फैल रही हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? पशुपालकों को शहरों से बाहर बसाने के संबंध में सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, कुछ महानगरों में इस योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किया गया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के शेष छः महानगरों में कब से इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रयोग कर रहे हैं, मंत्री जी ने कहा है, इसलिए आगे उसकी सफलता पर निर्भर होगा ।

बाल श्रमिक समस्या के निदान हेतु सरकार की योजनाओं की जानकारी

*3–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल श्रमिक समस्या के निवारण हेतु कोई कारगर नीति शासन ने बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या इससे बाल श्रमिकों पर प्रभावशाली नियंत्रण हो सका है ? यदि नहीं, तो क्या शासन बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु कोई नई एवं कारगर नीति बनाने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी हां ।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत खतरनाक प्रक्रिया वाले नियोजनों में बाल श्रमिकों के नियोजन के निषेध एवं अन्य प्रक्रियाओं वाले नियोजनों में बाल श्रम को विनियमित किये जाने का प्राविधान है । उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही करके बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है । बाल श्रमिकों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं बल्कि बाल श्रम प्रथा पर नियंत्रण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल श्रम प्रथा को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन एवं इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 का अनुपालन सुनिश्चित करके समाप्त करने के लिए विभाग प्रयासरत है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बाल श्रम अधिनियम, 1986 में बना था, ता इसके लिए पहले जो समस्या थी और अधिनियम बनने के बाद अब कितने प्रतिशत बाल श्रम समस्या को समाप्त करने में सरकार कामयाब हो पायी है ? यदि सरकार कामयाब नहीं हुई है तो उसमें क्या सरकार संशोधन करने पर विचार करेगी ? वर्ष 1986 से तेरह साल हो गये हैं मैं जानना चाहता हूं इस समस्या पर कितना अचीवमेण्ट हुआ है ? यदि आप पूर्णरूपेण कामयाब नहीं हुए हैं तो उसमें क्या नई नीति बनाकर संशोधन करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि बाल श्रम अधिनियम, 1986 का अनुपालन समस्त राज्यों में हो रहा है । लेकिन इसमें कितने प्रतिशत नियंत्रण हुआ है इसका आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है मैं मा० सदस्यों को बाद में अवगत करा दूंगी । मैं बताना चाहती हूं कि हमारे अधिकारियों के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है उससे बाल श्रमिकों की समस्या में कमी आयी है ।

मान्यवर, इस वर्ष अंकुश लगाने के कारण वर्ष 1995 से मैं आंकड़े देकर बताना चाहती हूं कि वर्ष 1995 में 38,767 निरीक्षण किये गये, बाल श्रमिक नियम के अन्तर्गत और उन निरीक्षणों में 4,654

अभियोजन दायर किये गये हैं । वर्ष 1996 में 28,050 निरीक्षण किये गये जिसमें 1,701 अभियोजन दायर किये गये हैं । वर्ष 1997 में 16,712 निरीक्षण किये गये और उसमें 1,886 अभियोजन दायर किये गये हैं ।

इन तीन वर्षों के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिकों से संबंधित अभियोजनों की संख्या में कमी आयी है और इससे यह प्रमाणित होता है कि बाल श्रमिक प्रथा पर सरकार का अंकुश लगा है और इसमें निरन्तर कामयाबी मिल रही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, हम यह मानते हैं कि बाल श्रमिकों की समस्या के निराकरण के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। लेकिन भदोही का कारखाना है जहां पर कम्बल बनते हैं, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी का चूड़ी का कारखाना है तो इसमें साफ्ट उंगलियों की जरूरत पड़ती है। मान्यवर, जो भदोही के कारखाने में कारपेट बनते हैं उसमें हम काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो इसमें कोई क्षति न उठानी पड़े इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था माननीय मंत्री जी करने जा रही हैं?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, भदोही में बाल श्रमिकों के नियंत्रण के पश्चात् जो कारपेट एरिया है उसमें बाल श्रमिकों में कमी आयी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था यह सरकार करने जा रही है?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, भदोही में जो कारपेट बनते हैं वह विदेशों तक में जाते है और इससे हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तो उस पर विपरीत प्रभाव न पड़े इसके लिए सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और इसके ऊपर की आयु के बच्चों से काम लिया जा रहा है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, बाल श्रम की समस्या बहुत चिन्ता का विषय है और इसकी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी भर्त्सना हुई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी आंकड़े दिये 95, 96 और 97 के, तो जब से आपके पास यह विभाग आया है तब से बाल श्रमिक निवारण के लिए कितने छापे मारे गये?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, छापों की संख्या मैंने बता दी है। छापों की संख्या मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि छापे मारे जा रहे हैं, कितनी संख्या है, इसको मैं अवगत करा दूंगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सांसदों की भांति विधायकों को विधायक निधि उपलब्ध कराने का निर्णय

*1–श्री चन्द्र नाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संसद सदस्यों की भांति विधायक निधि देने के संबंध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वर्ष 1998-99 से विधान सभा तथा विधान परिषद् के प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु प्रतिवर्ष रु० 50 लाख विधायक निधि के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में निरन्तर हो रहे घाटे को रोके जाने के उपायों की जानकारी

*2–श्री राजधारी (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में निरन्तर घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए जनहित में कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य विद्युत परिषद् को आयातित विद्युत की निर्भरता से मुक्ति दिलाकर आत्म निर्भर बनाने की दिशा में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसे लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में पिछले तीन वर्षों में वाणिज्यिक घाटा की स्थिति निम्नवत् है :–

वर्ष	वाणिज्यिक घाटा (रु० करोड़ों में)
1994-95	577.46
1995-96	866.30
1996-97	762.31

घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :–

1–ग्रामीण विद्युतीकरण से होने वाली हानि।

2–उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की अधिकांश उत्पादन इकाइयों के 10–25 वर्ष पुरानी होने के कारण पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन न होना।

3–कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियत दर (फ्लैट रेट) पर बिना मीटर के रियायती दरों पर विद्युत विक्रय किया जाना।

4–उपभोक्ता परिसर पर औसतन विद्युत लागत से कम दामों पर विद्युत विक्रय।

5–विद्युत चोरी।

जी हां।

1–पुरानी तापीय इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण हेतु रु० 886 करोड़ की एक योजना बनायी गयी है जिसके क्रियान्वयन के उपरान्त पी०एल०एफ० 60 प्रतिशत होना लक्षित है। बिजली चोरी रोकने हेतु कठोर कार्यवाही की जा रही है।

2–बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाकर विद्युत खपत का सही मापन तथा चोरी रोकना।

3–विद्युत चोरी रोकने हेतु सघन अभियान।

4–इनर्जी आडिटिंग का कार्य प्रारम्भ करना जिससे उत्पादित तथा विक्रय की गयी विद्युत का सही लेखा-जोखा रखा जा सके ।

5–अवैध विद्युत कनेक्शनों का नियमितीकरण एवं लेजराइजेशन ।

6–पारेषण एवं वितरण उपकेन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् केन्द्रीय विद्युत गृहों से अपने अंश के रूप में आवश्यकतानुसार विद्युत आयात करता है ।

प्रदेश सरकार अपने ताप विद्युत गृहों की बन्द पड़ी मशीनों को चालू करके उनकी इफिशियेंशी बढ़ाकर विद्युत उपलब्धता बढ़ाकर जनता को अच्छी विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य लेकर चल रही है ।

परिषद् अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न उपाय कर रही है :—

अल्पकालीन

1–टाण्डा तापीय परियोजना की 110 मे० वा० की चौथी इकाई चालू/शीघ्र वाणिज्यिक भार पर आने की आशा ।

2–ताप विद्युत गृहों की बन्द पड़ी मशीनों को मरम्मत/आधुनिकीकरण करके योजनाबद्ध ढंग से चालू करना ।

3–नवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्रों की स्थापित होने वाली इकाइयों को सम्मिलित कर 6146.84 मे०वा० क्षमता की परियोजनायें स्थापित करना ।

उपरोक्त योजनाओं को लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

विकास हेतु चलायी जा रही महापुरुषों के नाम योजना के अन्तर्गत मौलाना अब्दुल कलाम, अशफाक उल्ला, वीर अब्दुल हमीद के नाम से योजनायें चलाये जाने की मांग

*3–श्री उबैदुर्रहमान (अनुपस्थित)–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद महापुरुषों के नाम पर विकास की तमाम योजनायें चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद सरदार भगत सिंह और राष्ट्र भक्त वीर अब्दुल हमीद के नाम पर योजनायें चलाये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इन महापुरुषों के नाम पर योजनायें चलायी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

वर्तमान में किसी महापुरुष के नाम पर नई योजना चलाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

मेरठ नगर निगम के वार्डों में सफाई हेतु नियमित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

*1–डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मेरठ नगर निगम में 70 वार्डों में से 27 वार्ड अभी ऐसे हैं जिनमें एक भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के

अनुसार निर्धारित संख्या में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके प्रत्येक वार्ड में अपेक्षित सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मेरठ नगर निगम में 70 वार्डो में से 15 ऐसे वार्ड हैं जिनमें कोई भी नियमित सफाई कर्मचारी नहीं है ।

5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें सफाई कर्मचारियों की संख्या 1 से 10 तक है ।

13 ऐसे वार्ड हैं जिनमें सफाई कर्मचारियों की संख्या 10 से 26 तक है ।

37 वार्डो में नियमित सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक मानक के अनुसार निर्धारित संख्या में सफाई कर्मचारी की भर्ती करके प्रत्येक वार्ड में अपेक्षित सफाई कर्मचारी रखना वित्तीय दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

उ० प्र० राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1997 से लागू कर दी गयी हैं और इन संस्तुतियों के अनुसार कुल कर राजस्व की शुद्ध आय का 7 प्रतिशत भाग शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमित किया जाता है । प्रत्येक स्थानीय निकाय का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया है । निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या का व्यय भार सम्भव नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि 17 वार्डों में कोई नियमित सफाई कर्मचारी नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है, उनके अधिकारियों ने गलत तथ्यों के आधार पर दिया है । मेरठ में 27 वार्ड ऐसे हैं जिनमें एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है, तो क्या सीमित साधनों के नाम पर मेरठ की 39 प्रतिशत जनता को अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में रहने के लिए छोड़ देंगे ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जिन क्षेत्रों में विषम समस्या है, वहां पर संविदा के आधार पर सफाई कर्मचारी रखे जायेंगे और सफाई करायी जायेगी ।

डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

सफाई कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है, इस तरह के सुझाव अवश्य दे दिये जायेंगे

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संविदा के आधार पर सफाई की व्यवस्था करायी जायेगी, तो क्या इस बात के स्पष्ट निर्देश देंगे ? अधिकारियों ने जो गलत सूचना मंत्री जी को दी है, तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अगर उत्तर गलत है, तो उसके लिए अलग से प्राविधान है । 165-166 में कार्यवाही करेंगे, तो मंत्री जी से उत्तर मांगा जायेगा ।

जनपद वाराणसी के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की दिनों दिन गम्भीर बनती जा रही समस्या के स्थायी निदान हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सरकार द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? योजना कब तक लागू की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर निगम, वाराणसी द्वारा अधोलिखित 5 योजनायें शासन को प्रेषित की गयी हैं :—

	(लाख रु० में)
1–मोतीझील में पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य–	235.00
2–महमूरगंज पुलिस चौकी से डी०एल०डब्लू० पेट्रोल पम्प तक मुख्य नाले का निर्माण का कार्य–	90.40
3–महुआडीह रेलवे क्रासिंग से लहरतारा घटीमील क्रासिंग तक नाले का निर्माण–	58.00
4–बड़ी गैंवी से कोल्हुआ विनयग तक नाला निर्माण–	05.00
5–सिपुरा में जल जमाव वाले क्षेत्र में जल निकासी हेतु पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य–	143.00
योग	531.40

योजनाओं का कार्यान्वयन आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है, लेकिन उत्तर में क्षेत्र विशेष के बारे में उत्तर दिया गया है । जल भराव की गम्भीर समस्या है, क्या वाराणसी के अन्य क्षेत्रों को जैसे गुदौलिया, मैदागीन चौराहा, गुरुद्वारा, कोटई चौकी में भी जल भराव की समस्या है, क्या सर्वेक्षण कराकर इन क्षेत्रों को भी योजना में शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

माननीय सदस्य इस तरह के क्षेत्र बता रहे हैं, कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं दिया है, हमारी 5 योजनायें हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैंने क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर जो दिया है, वह क्षेत्र विशेष के बारे में दिया है । मान्यवर, मैंने बनारस के नगर के कई इलाकों का जहां जल भराव होता

है उसके संबंध में जानकारी चाही थी कि क्या कोई सर्वे किया गया या ऐसे ही एक तरफा निर्णय ले लिया गया कि उस क्षेत्र विशेष में जल भराव है ।

श्री अध्यक्ष–

जिन क्षेत्रों के बारे में माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने जिक्र किया है क्या उसका सर्वे कराकर जल भराव की समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

जिन क्षेत्रों के बारे में माननीय विधायक जी ने पूछा है उसको लिखित रूप से दे देंगे तो निराकरण कर दिया जायेगा ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन लेसू के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग

*3–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन लेसू के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण की क्या प्रक्रिया व नीति है ? क्या उ० प्र० कोआपरेटिव विद्युत सप्लाई मोहनलालगंज, गोसाईगंज एवं लखनऊ के ब्लाक सरोजनीनगर के लेसू में समायोजित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी मीटर रीडरों जिनकी सेवायें 7 वर्ष की हो चुकी हैं, को इसके अनुसार विनियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० रा० वि० परिषद् (लिमिटेशन आफ फंक्शन) रेगुलेशन, 1978 (तथा संशोधित 1994) के विनियम 3 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत उन सभी पदों पर चयन जिन पर सीधे भर्ती की जाती है, विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है । तद्नुसार ही परिषद् की सेवा में विनियमितीकरण भी विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से ही अपेक्षित होती है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में परिषद् ने दिनांक 14-11-96 को यह निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी परिषदान्तर्गत 4-5-90 के पूर्व दैनिक व्यवस्था में नियुक्त किये जा चुके थे और अब भी यथावत् कार्यरत हैं उन्हें परिषद् में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर दिया जायेगा ।

उ० प्र० कोआपरेटिव विद्युत सप्लाई सोसाइटी का परिषद् द्वारा अभी तक विधिवत् अधिग्रहण नहीं किया गया है । विधिवत् अधिग्रहण के पश्चात् अधिग्रहण की शर्तों के अधीन ही मामले में आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोआपरेटिव विद्युत सप्लाई सोसाइटी का अभी तक विधिवत् अधिग्रहण नहीं किया गया है । लेकिन मेरी जानकारी है 3-4-97 को सहकारिता की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिस तरह से कर्मचारी वहां कार्यरत हैं उसी रूप में समायोजित किया जायेगा उस बैठक में जो निर्णय लिया गया तो क्या उस निर्णय के अनुसार कार्यवाही करेंगे ?

दूसरा कोआपरेटिव सोसाइटी का अधिग्रहण नहीं हुआ है वह अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जिस बैठक का उल्लेख किया गया है उसके संबंध में हमारे विभाग में कोई सूचना नहीं है। चूंकि इनका लाइसेंस राज्य सरकार ने रिन्यू नहीं किया जो शर्तें थीं उसके विरुद्ध यह उच्च न्यायालय में गये हैं वहां से जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जब आपने दूसरी सोसाइटियों को ले लिया है और उनके कर्मचारियों को समायोजित कर लिया है तो सेस के कर्मचारियों को समायोजित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जिले की जो शर्तें थीं उसके विरुद्ध यह उच्च न्यायालय में गये हैं वहां से जो निर्णय हो जायेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी और मामला विचाराधीन है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

उनके जो परमानेंट ऐसेस थे वह तो आपने ले लिये और लाइबिलिटीज को क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, परिसम्पत्तियों का जहां तक प्रश्न है सेस के ऊपर 71 करोड़ बाकी हैं और उनकी परिसम्पत्तियां 10 करोड़ की हैं तो इस तरह से जो भी उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिस विलय के बारे में पूछा गया है मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका विलय होना है और इस समय कितनी पोस्टें विभाग के पास हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि इस बैठक की जानकारी नहीं है। इस बैठक के उपरान्त जो यहां की विद्युत संचालन व्यवस्था थी उसको परिषद् ने ले लिया। जो सेस के 10–15 साल से कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी राज्य विद्युत परिषद् को लेना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि जो दैनिक वेतन पर तथा अन्य कार्यरत कर्मचारी थे उनको विद्युत परिषद् की सेवा में लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं पूर्व में उत्तर दे चुका हूं चूंकि सेस का लाइसेंस का रिन्यूवल राज्य सरकार ने नहीं किया और वह उच्च न्यायालय में गये हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त फाइनल डिसीजन लेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि जो कर्मचारी परिषद् के अन्तर्गत 4-5-90 के पूर्व दैनिक व्यवस्था में नियुक्त किये जा चुके थे उनको पद रिक्त होने पर परिषद् में विनियमितीकरण कर दिया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इनके विनियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करा देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उनका प्रश्न विचाराधीन ही नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी को बैठक की जानकारी नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 3-4-97 को कोआपरेटिव मिनिस्टर के यहां जो बैठक हुई थी उसमें राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारी आये थे । उस बैठक के मिनिट्स भी लिखे गये । तो अगर बैठक हुई थी तो उसके अनुसार इन कर्मचारियों का विनियमितीकरण की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बैठक हुई थी । आप कह रहे हैं कि बैठक की जानकारी नहीं है, आप बैठक की जानकारी प्राप्त कर लें, यदि बैठक में कोई निर्णय लिए गये हैं तो उनको कार्यान्वित करा दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हम जानकारी कर लेंगे और उसमें यदि निर्णय लिए गये होंगे तो उनका क्रियान्वयन किया जायेगा ।

प्रदेश के शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों को आपात विद्युत कटौती से मुक्त घोषित करने की जानकारी

*4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन शहरों/जनपदों को 21 सितम्बर, 1997 से अब तक विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई हेतु विद्युत कटौती मुक्त घोषित कर उन्हें कम से कम 20 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

1–माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद जनपदों को ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत अगले आदेशों तक विद्युत की आपात कटौती से मुक्त रखा गया है ।

2–माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार इलाहाबाद नगर को प्रथम चरण में दिनांक 5-9-98 तक विद्युत की आपात कटौती से मुक्त रखा गया है ।

3–लखनऊ महानगर में प्रदेश की राजधानी होने के कारण विद्युत की आपात कटौती नहीं करायी जाती है ।

4–कुछ नगरों/जनपदों को समय-समय पर विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु, विशेष आयोजनों पर, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर अस्थायी रूप से कुछ अवधि के लिए विद्युत की आपात कटौती से मुक्त किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है ।

विद्युत मांग एवं उपलब्धता की स्थिति देखते हुए यथा सम्भव सिंचाई हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति करने का प्रयास रहता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 221 पर)

(प्रश्न के उत्तर को पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा है लेकिन हमारा प्रश्न बहुत छोटा है । आपने उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया । मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । मैं दो बातें कहना चाहता हूं–एक शहरी

क्षेत्र के बारे में और दूसरी देहात क्षेत्र के बारे में । शहरी क्षेत्र को विद्युत कटौती से मुक्त क्यों रखा गया और किन-किन क्षेत्रों को मुक्त रखा गया है ? उत्तर से पता चलता है कि 144 नगरों और 38 जिलों को कटौती मे मुक्त रखा गया है ।-तो हमें इसमें कुछ नहीं कहना है । मेरी चिन्ता तो यह है कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की सिंचाई के लिए आपात विद्युत कटौती से मुक्त घोषित करेगी ? इन्होंने कहा था कि हम गांवों में 20 घण्टे विजली की आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विद्युत मांग एवं उपलब्धता की स्थिति देखते हुए यथा सम्भव सिंचाई हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति करने का प्रयास रहता है । मान्यवर, यह गोल-मोल जवाब है । आप कहते हैं कि 18 घण्टे देंगे, 15 घण्टे देंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांवों में 80 प्रतिशत किसान रहता है उसकी वहबूती के लिए सिंचाई के लिए कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति करायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, विजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का एक रेशियो बना है । ग्रामीण अंचल में 10 घण्टे, शहरी क्षेत्र के लिए अलग है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर के लिए अलग है और तहसील के लिए अलग है । अगर विद्युत उपलब्धता बढ़ेगी तो 10 घण्टे से ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर लेंगे ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायेंगे । कहीं-कहीं पर बहुत ज्यादा लोड है तो वहां पर यह होता है कि अगर चार फीडर हैं तो बारी-बारी से एक-एक फीडर में बिजली दी जाती है । दस घण्टे बिजली देंगे तो प्रति फीडर के हिसाब से ढाई घण्टे बिजली मिल पायेगी वह भी उस अवस्था में जब कहीं लाइन न टूटी हो या और कोई दिक्कत न हो । जहां यह बिजली घर ओवर लोडेड हैं । पूरी सप्लाई एक साथ नहीं दी जा सकती है ऐसी स्थिति में क्या उन्हें कटौती मुक्त करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अगर कोई जगह निश्चित बता दें तो दूर कर देंगे । यह निश्चित मत है कि हम 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायेंगे ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायबरेली जनपद को विजली कटौती से मुक्त करेंगे ? आपके राज्य मंत्री ने घोषणा की कि बाराबंकी में कटौती नहीं होगी लेकिन फिर भी कटौती हो रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, हम उपलब्धता के आधार पर विद्युत दे रहे हैं और हमारा मानना है कि शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली देंगे । राज्य मंत्री ने घोषणा की है गलत नहीं करेंगे ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, हमारे जिले रायबरेली को बिजली कटौती से मुक्त करेंगे । ऊंचाहार में थर्मल पावर लगाया गया है 92 में एन०टी०पी०सी० को बेच दिया । विद्युत उत्पादन के बावजूद भी रायबरेली विद्युत कटौती का जिला बना है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

रायबरेली आपात कटौती से मुक्त है ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां सम्भल क्षेत्र में कवाल टाउन की तरह विद्युत देने की व्यवस्था की गयी थी क्या आज भी बराबर उसी आधार पर दे रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह जिस श्रेणी में होगा उसके अनुसार उतनी विद्युत आपूर्ति करायी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि यह निर्भर करता है कि किस श्रेणी में सम्भल को रखा गया है ?

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 21 सितम्बर, 1997 से पहले ग्रमीण अंचलों में कितने घण्टे बिजली दी जाती थी और अब कितने घण्टे दी जा रही है ? कमी करने का क्या कारण है ? पहले और अब में क्या अन्तर है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जिस समय की यह बात कर रहे हैं उस समय चेयरमैन की नियुक्ति पैसा लेकर होती थी विद्युत की आपूर्ति क्या होती ?

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इनको मना कर दिया है । उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

(माननीय मंत्री जी के उत्तर से असन्तुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन का वहिष्कार करके चले गये ।)

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है ? जहां पर थर्मल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनके उत्पादन को देखते हुए उस एरिया में कम से कम 10 कि०मी० आस-पास विद्युत की कटौती नहीं की जायेगी यह घोषणा मंत्री जी करेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो पावर स्टेशन लगते हैं उसकी बिजली पहले नेशनल ग्रिड को जाती है । डिस्ट्रिक्ट को नहीं जाती ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का सवाल है । जब आपने कह दिया कि प्रश्नकाल समाप्त हुआ उसके बाद फिर प्रश्न पूछना और मंत्री जी द्वारा उत्तर देना क्या युक्तिसंगत है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्नकाल समाप्त कर दिया था । समाप्त करते समय शोरगुल होने के कारण एक-दो मिनट समय नष्ट हो गया इसलिए मैंने प्रश्न करने की अनुमति दे दी ।

अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया ।

नोट :–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

विद्युत बिल के समय पर भुगतान न होने की दशा में छूट की मांग

*5–श्री राजधारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत बिल समय पर जमा न करने से बिल के साथ अधिभार बढ़ता है ? यदि हां, तो क्या उसे कम कर उपभोक्ताओं (विशेष कर किसानों) की आर्थिक कठिनाई को दूर करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब से प्रभावी किया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

केवल निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31-5-98 तक बिल जमा करने की दशा में छूट अनुमन्य थी ।

इस योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31-5-98 तक भुगतान करने पर अधिभार की माफी थी ।

यू०पी० एस्बेस्टस फैक्ट्री लि० तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा क्षमता से अधिक विद्युत के उपयोग की शिकायत

*6–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० एस्बेस्टस सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लि० तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को कितनी विद्युत क्षमता का लोड स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि फैक्ट्री में एक प्लान्ट का लोड स्वीकृत है किन्तु दो प्लान्ट चलाकर स्वीकृत लोड से अधिक विद्युत का उपयोग कर, विद्युत चोरी की जा रही है ? फैक्ट्री पर वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कितना-कितना वर्षवार विद्युत बिल बकाया है ? क्या सरकार स्वीकृत लोड से अधिक विद्युत उपयोग कर विद्युत चोरी करने के जुर्म में फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए बकाया विद्युत बिल के भुगतान की वसूली करने के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैसर्स यू० पी० एस्बेस्ट्स फैक्ट्री लि० तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के दो संयोजन हैं ।

प्रथम सीमेन्ट डिवीजन स्वीकृत भार 950 के०वी०ए०

द्वितीय एस्बेस्टस डिवीजन स्वीकृत भार 900 के०वी०ए०

जी नहीं ।

रु० 11.30 लाख (विवादित)

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*7–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[4थे गुरुवार में ता० प्र० सं०–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*8–श्री समरपाल सिंह–

[5वें सोमवार में ता० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती एवं सन्त कबीर नगर में नियमित विद्युत कटौती की शिकायत

*9–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती एवं सन्त कबीर नगर में विद्युत आपूर्ति में सायंकाल 6.00 बजे से 9.00 बजे तक नियमित कटौती की जा रही है जिससे किसानों एवं छात्रों को अत्यधिक असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत कटौती को तत्काल समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । सायंकाल अधिकतम विद्युत की मांग के समय विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक रहती है । अतः प्रतिदिन की विद्युत मांग एवं उपलब्धता की स्थिति के अनुसार सायंकाल पीक समय में यथाआवश्यक आपात कटौती करानी पड़ती है । इस कटौती में बस्ती एवं सन्त कबीर नगर जनपद भी शामिल हैं ।

जी हां, सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास कर रही है किन्तु प्रतिवर्ष नये विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने से विद्युत कटौती की मांग भी बढ़ रही है अतः विद्युत कटौती को समाप्त किये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

उत्पादन बढ़ाने का सतत् प्रयास जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*10–श्री राम विशुन आजाद–

[दिनांक 30-6-98 को अ० सू० ता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में विद्युत आपूर्ति की अघोषित कटौती किये जाने के कारणों की जानकारी

*11–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में अघोषित कटौती हो रही है ? यदि हां, तो इस अघोषित कटौती में कौन-कौन जनपद रखे गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि किस-किस जनपद में पूर्ण रूप से विद्युत आपूर्ति हो रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद जनपदों में आपात कटौती नहीं करायी जाती है ।

कुछ जनपदों को भी अस्थायी रूप से पूर्णतया/आंशिक रूप से समय-समय पर विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु विशेष आयोजनों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर अस्थायी रूप से कुछ अवधि के लिए विद्युत की आपात कटौती से मुक्त रखा जाता है ।

जब कभी विद्युत की उपलब्धता मांग से अधिक हो जाती है तो प्रदेश के समस्त जनपदों में विद्युत की आपात कटौती नहीं करायी जाती है ।

प्रणाली द्वारा उपरोक्त विद्युत आपात कटौती से मुक्त जनपदों में यथा सम्भव सामान्य अवस्था में आपात कटौती नहीं करायी जाती है ।

कन्ट्रोलर, यू० पी० वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के कथित आरोप

*12–श्री लाखी राम जोशी–

क्या अल्प संख्यक कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये कन्ट्रोलर, यू० पी० वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित पत्र को सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को तत्काल कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–1/8099/टिहरी गढ़वाल/98, दिनांक 16-3-98 द्वारा निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (श्री राजा गजनफर अली खां)–

नियन्त्रक, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा श्री शमीम आलम, प्रशासक, 10 ए बी वक्फ देहरादून को पूर्ववत् अपने पद पर कार्यरत रहने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन न कर दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर मनमाने आदेश जिलाधिकारी को देने की शिकायत सहित मा० विधायक का प्रश्नगत पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही के आदेशों सहित प्राप्त हुआ है । प्रश्नगत मामले में कन्ट्रोलर, उ० प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से प्राप्त आख्या के अनुसार वक्फ ऐक्ट, 1995 की धारा–65 के अनुसार किसी भी वक्फ को पांच वर्ष से अधिक वक्फ बोर्ड के सीधे प्रशासन में नहीं रखा जा सकता जबकि श्री शमीम आलम को इस पद पर बने हुए पन्द्रह वर्ष से अधिक हो चुके थे ।

श्री शमीम आलम के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें थीं । शिकायतों की जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी जो सही पायी गयी । अतः जिलाधिकारी की जांच के आधार पर प्रशासक को नियन्त्रक द्वारा दिनांक 9-12-97 को कारण बताओ नोटिस एक सप्ताह का समय उत्तर हेतु देते हुए भेजा गया ।

प्रशासक का निर्धारित समय के बाद भी उत्तर प्राप्त न होने पर श्री शमीम आलम को कन्ट्रोलर, उ० प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 22-12-97 द्वारा प्रशासक के पद से हटा दिया गया ।

श्री शमीम आलम का उत्तर बाद में 30-12-97 को प्राप्त हुआ जो परीक्षण के बाद सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

प्रश्नगत वक्फ से प्रशासक को हटाकर नियन्त्रक द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार दिनांक 29-12-97 को 16 सदस्यीय प्रबन्ध समिति की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया । उक्त समिति के चार्ज लेने के पहले ही जिलाधिकारी द्वारा उक्त समिति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया । अतः प्रस्ताव की प्राप्ति एवं नई प्रबन्ध समिति के आदेश होने तक जिलाधिकारी की सलाह के अनुसार नियंत्रक ने मो० इमरान खां, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, देहरादून को प्रश्नगत वक्फ का प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिनांक 21-1-98 को पारित किया ।

परन्तु उक्त आदेश जारी होने के पूर्व ही श्री शमीम आलम द्वारा बोर्ड के 22-12-97 के आदेश के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करने की सूचना मिलने पर उक्तानुसार पंचायत राज्य अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी नहीं किया गया है । चूंकि श्री शमीम आलम ने वक्फ बोर्ड के आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है जिसे निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । अतः तौलियत के संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं पाया गया है ।

उक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में नियंत्रक के विरुद्ध पक्षपात के आरोप सत्य नहीं पाये गये एवं प्रकरण में नियंत्रक द्वारा समस्त कार्यवाही अपने अधिकार क्षेत्र में कानून की प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत सीवेज फार्मों की जानकारी तथा आवंटित किये जाने की मांग

*13–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत कुल कितने क्षेत्रफल में सीवेज फार्म्स हैं ? उक्त फार्म्स निगम द्वारा कब-कब तथा किस दर पर आवंटित किये गये ? उक्त फार्म्स की लीज की दरों को कब-कब पुनरीक्षित किया गया है ? क्या वर्तमान में प्रचलित दरें उक्त फार्म्स के रख-रखाव पर होने वाले व्यय के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर नगर के अन्तर्गत 1200 एकड़ भूमि सीवेज फार्म की हैं ।

उक्त फार्म्स को नगर निगम द्वारा निम्नानुसार आवंटित किया गया :–

वर्ष	दर (रु० प्रति एकड़)
1951	120
1958	160
1963	180
1968	200
1976	250
1993	1000

लीज की दरें वर्ष 1958, 1963, 1968, 1976 एवं 1993 में पुनरीक्षित की गयी हैं ।

जी हां ।

प्रदेश में स्थापित विद्युत क्षमता, विद्युत उत्पादन तथा तापीय व जल विद्युत इकाइयों के बन्द रहने के कारणों की जानकारी

*14–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है ? विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है ? जल विद्युत और तापीय विद्युत उत्पादन की कितनी इकाइयां विभिन्न दोषों के कारण बन्द हैं ? इन्हें पुनः चालू करने पर कितने धन की आवश्यकता है । विद्युत खरीदने पर कितना धन वर्ष 1997-98 में व्यय होने का अनुमान है ? बन्द इकाइयां चालू कर देने से वर्तमान स्तर पर विद्युत आपूर्ति रखते आयात की आवश्यकता होगी अथवा नहीं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 5776 मे०वा० है .इसमें तापीय उत्पादन क्षमता 4271 मे० वा० तथा जलीय उत्पादन क्षमता 1505 मे० वा० की है ।

वर्तमान में तापीय उत्पादन लगभग 2300-2400 मे० वा० तथा जलीय उत्पादन लगभग 1000 मे० वा० हो रहा है ।

जल विद्युत की दो तथा ताप विद्युत की सात इकाइयां विभिन्न दोषों के कारण बन्द हैं।

इन्हें चालू करने के लिए 12,549 लाख रुपये की आवश्यकता है।

वर्ष 1997-98 में विद्युत खरीदने (आयात) पर लगभग 1400 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

केन्द्रीय विद्युत गृहों से उ० प्र० रा० वि० परिषद् अपने अंश के रूप में विद्युत आयात करता है, अतः बन्द पड़ी इकाइयों के चालू होने के बाद भी आवश्यकतानुसार आयात किया जाता रहेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों के चयन में आरक्षण लागू करने की मांग

*15–श्री ददद् प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी व जन सहभोगी बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित दर की दुकानों के चयन में आरक्षण लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज रिज़वी–

शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित दर की दुकानों के चयन में आरक्षण अक्टूबर, 1995 से लागू है।

रुदौली नगर पालिका परिषद् जनपद फैजाबाद को अभी तक ग्रामीण क्षेत्र ही माने जाने के कारणों की जानकारी

*16–श्री राम देव आचार्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि रुदौली नगरपालिका परिषद् जनपद फैजाबाद का बड़ा नगर है किन्तु रुदौली नगर विद्युत अभिलेखों में ग्रामीण क्षेत्र दर्ज है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र दर्ज किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन रुदौली को नगरीय क्षेत्र घोषित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

रुदौली नगर को विद्युत की आपूर्ति हेतु तहसील स्तर प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ अलीगंज, कुर्सी रोड तथा शेखूपुरा कालोनी के बीच अवैध निर्माण को अतिक्रमण के अन्तर्गत हटाये जाने की मांग

*17–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर में चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अनेक अभियानों के बावजूद (अलीगंज) कुर्सी रोड तथा शेखूपुरा कालोनी के बीच स्थिति सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को अब तक क्यों नहीं हटाया गया है ? इन अवैध कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में नगर निगम अधिनियम की धारा 296 के अन्तर्गत केवल सड़क सीमा में अतिक्रमण हटाये जाते हैं अन्य सार्वजनिक भूमि से नहीं ।

सार्वजनिक भूमियों से अतिक्रमण कतिपय विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर, यह निर्धारित करने के उपरान्त ही हटाये जा सकते हैं कि ऐसी भूमियों पर स्वामित्व किसका है ?

उपरोक्तानुसार ।

*18–श्री कृष्ण चनद्र पुनेठा–

[13वें मंगलवार में ता० प्र० सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर निगम आगरा में कूड़ा-कचरा से लैण्ड फील्ड गैस द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु वाई फोर्ड लीजिंग कम्पनी के साथ समझौता तथा धुंआ व गैस से फैल रहे प्रदूषण के कारण प्रतिबन्धित उद्योग

*19–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, आगरा में कूड़ा-कचरा से लैण्ड फील्ड गैस द्वारा विद्युत उत्पादित किये जाने हेतु वाई फोर्ड लीजिंग कम्पनी के साथ समझौता किया गया है ? क्या उक्त कम्पनी को एक रुपये प्रति घनमीटर वार्षिक दर से 30 वर्ष के लिए 35 एकड़ जमीन लीज पर दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा ताज से 20 कि०मी० दूरी तक धुआं व गैस निकलने वाले उद्योग प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो उक्त कम्पनी को जमीन लीज पर दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

वाई फोर्ड लीजिंग कम्पनी से जिला प्रशासन तथा नगर निगम, आगरा द्वारा विचार विमर्श करके एक मेमोरेन्डम आफ अण्डरस्टैन्डिंग दिनांक 20-1-97 को हस्ताक्षरित किया गया था परन्तु अभी इस पर कम्पनी से अनुबन्ध की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर के अन्तर्गत मीरमऊ एवं कुकरी, सुमेरपुर मोड़, बिहार सगवर आदि गांवों में विद्युत लाइनों के खराब रहने के कारणों की जानकारी

1–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र भगवन्त नगर के अन्तर्गत मीरमऊ एवं कुकरी गांव की विद्युत लाइनें सन् 1992 से क्षतिग्रस्त है और उनको मरम्मत करके अब तक चालू नहीं कराया गया है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम भाटनखेड़ा, अकवारा, राजकीय नलकूप रायपुर, सुमेरपुर मोड़, बिहार सगवर, नथई खेड़ा, हरिश्चन्द्रपुर, तनकपुर, बेहटा, ऊवगांव अस्पताल के ट्रान्सफार्मर वर्षों से जले पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षतिग्रस्त लाइनें एवं खराब ट्रान्सफार्मर ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मीरमऊ एवं कुकरी गांव की लाइन वर्ष 1992 में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात् उसका तार चोरी हो गया था । इन दोनों ग्रामों में कोई विद्युत संयोजन न होने के कारण पुनः तार लगाकर लाइन को चालू नहीं किया गया ।

ग्राम तनकपुर के क्षतिग्रस्त परिवर्तक को छोड़कर अन्य सभी उल्लिखित क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलकर विद्युत आपूर्ति कर दी गयी है । ग्राम तनकपुर में सभी उपभोक्ता पर विद्युत उपभोग का बिल बकाया होने के कारण क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर नहीं बदला गया है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, अलीगढ़ के अधिशासी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक लेखाकार की मिलीभगत से चोरी व गबन

2–श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, अलीगढ़ के अधिशासी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक लेखाकार की मिलीभगत से अक्टूबर, 1997 में लाखों रुपये गबन करने के बाद चोरी की रपट लिखायी गयी ? यदि हां, तो उसकी जांच पूरी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, अलीगढ़ में अधिशासी अभियन्ता, उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक लेखाकार की मिलीभगत से अक्टूबर, 1997 में लाखों रुपये के गबन करने का प्रश्नगत कथन सत्य नहीं है । वास्तव में दिनांक 26/27-10-97 की रात्रि में खण्ड की कैश चेस्ट से उसमें रखे हुए धन, चेक एवं अभिलेखों आदि की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी, जिसकी एफ०आई०आर० दिनांक 27-10-97 को जी०डी० संख्या–318/97, सेक्शन 457/380, भा०द०सं० के अन्तर्गत थाना दिल्ली गेट, अलीगढ़ में दर्ज करायी गयी ।

पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा नगर निगम में कार्यरत सहायक कर अधीक्षक एवं नजूल अधीक्षक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही

3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 3-12-97 का पत्र जो कि आगरा नगर निगम में कार्यरत सहायक कर अधीक्षक एवं नजूल अधीक्षक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शिकायती-पत्र दिनांक 3-12-97 पर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, आगरा से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में चयनित अम्बेडकर गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में कौन-कौन से अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं ? क्या चयनित सभी अम्बेडकर ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि अम्बेडकर ग्राम देवगंज को अभी तक किसी भी तरफ से पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? क्या सरकार उक्त ग्राम को छन्नू खेड़ा मार्ग से देवगंज तक तथा देवगंज से आगे नगला सेमर तक पक्की सड़क से जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक कुल 17 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया था जिसमें 4 ग्राम (वेवर देहात, किन्हावर, पुसैना रकरी) पहले से ही लेपित सम्पर्क मार्ग से जुड़े थे । 5 अम्बेडकर ग्रामों (जरामई, सुन्नामई, मझौला, जोगा, बीलों) में लेपित सम्पर्क मार्ग निर्माण किया जा चुका है । चार अम्बेडकर ग्रामों (देवगंज, सरजनपुर, जोत, मेरापुर छदामी) की स्वीकृति प्राप्त है, जिनका कार्य प्रगति पर है । शेष 4 अम्बेडकर ग्रामों की आबादी 1000 से कम होने के कारण सम्पर्क मार्ग निर्माण नहीं होना है ।

ग्राम देवगंज हेतु लेपित सम्पर्क मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में स्वीकृत है तथा कार्य सोलिंग कोट स्तर तक पूर्ण है ।

छन्नू खेड़ा से देवगंज अम्बेडकर ग्राम का सम्पर्क मार्ग स्वीकृत है । इस मार्ग पर मिट्टी का कार्य एवं दो कोट पत्थर की गिट्टी का सोलिंग कार्य पूर्ण हो चुका है । देवगंज से नगला सेमर तक सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है ।

ग्राम सभा चौकी (राजस्व ग्राम) के धौन व सोज उपग्राम (तोक) तहसील चम्पावत जिला-पिथौरागढ़ को विद्युत सुविधा से वंचित रखने के कारणों की जानकारी

5 श्री राम औतार शाक्य–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा चौकी (राजस्व ग्राम) के धौन व सोज उपग्राम (तोक) तहसील चम्पावत (जिला पिथौरागढ़) तहसील मुख्यालय से मात्र चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं मूलभूत आवश्यकता (विद्युतीकरण) से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत सुविधा को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में सम्प्रति तोक का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

आगरा रोड, मैनपुरी के मुहल्ला जनयुग नगर में विद्युत वोल्टेज बढ़वाने हेतु पैकेज बनवाने के आदेश के बाद कार्यवाही न होने की शिकायत

6—श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12-3-97 को सदस्य विधान परिषद् ने मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) को प्रश्नकर्ता के मुहल्ला जनयुग नगर आगरा रोड, मैनपुरी में विद्युत वोल्टेज बढ़वाने हेतु पैकेज बनवाने के लिये आदेश किया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पैकेज स्वीकृत किया जा चुका है कार्य पूरा कराने हेतु आवश्यक निदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ग्रामों में विद्युतीकरण

7—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा के कितने ग्रामों का ऊर्जीकरण कर दिया गया है ? सरकार शेष ग्रामों का ऊर्जीकरण कब तक करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के 96 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के 8 (आठ) ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1998-99 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्षित है ।

परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित नीति एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि द्वारा करायी जाती है । अतः शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का ऊर्जीकरण कराये जाने की मांग

8—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के कितने ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम हैं जिनका ऊर्जीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? उन ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद गोण्डा में शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान परिभाषा के अनुसार 16 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम ऐसे हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

इन 16 ग्रामों को वर्ष 1998-99 में विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, बजीरगंज में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों के अभी तक राशन कार्ड न बनाये जाने की शिकायत

9—श्री राम विशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के समस्त विकास खण्डों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों का राशन कार्ड बना दिया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, बजीरगंज में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री एजाज़ रिजवी–

जी हां ।

जनपद गोण्डा के समस्त विकास खण्डों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1,82,165 चयनित परिवारों को 1,82,165 राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अधिकांश गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

10–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के ग्राम हरनाटायर, गडरही, हडहवा, दीननगर, कोपतपुर बाजार, बोगड़ा, परसापुर, महइवर, लिदेहनाग्रान्ट, गैलनग्रान्ट, दुर्जनपुर बाजार, धनेश्वरपुर, रसूलपुर, दौलतपुर, भलुआउल्ला, मदनपुरा, खोंटिहन, विछिया, तिलिया, रसूलपुर, बक्शरा, हडिया, चुबाड, सोनबरसा, देवगांव, धर्मदासपुर, गोपालपुर, सुमेरपुर, जमुन्हा, पटीट, विशुनपुर, जोगापुर, पिकौरा, इटरौर, सिसवा, भधुपुर, परसापुरथनवा, शभूनगर, बूटाहा, अमघटी, मघईपुर, उपाध्यायपुर, ग्रन्ट ग्रामों की इस वित्तीय वर्ष में ऊर्जीकरण कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा के केवल ग्राम गुड़ाहरी का विद्युतीकरण प्रस्तावित है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण वर्तमान में किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है ।

ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित नीति एवं उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कराया जाता है । अतः उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण (गुड़ाहरी के अतिरिक्त) शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत चयनित न होने के कारण विचाराधीन नहीं है ।

जनपद लखनऊ के खरिका वार्ड तेलीबाग में नेपालगंज, पुराना सुभानीखेड़ा मार्ग में खड़ण्जा बिछाने में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

11–श्री जोखूलाल यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, लखनऊ के अधीन सरोजनी नगर क्षेत्र के खरिका वार्ड के तेलीबाग, लखनऊ से लगे नेपालगंज, पुराना सुभानीखेड़ा में खड़ण्जा बिछाने का कार्य वर्ष 1991-92, 92-93 में कराया गया था ? यदि हां, तो किस ठेकेदार द्वारा ? क्या इसका भौतिक सत्यापन कराया गया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा ? क्या यह सही है कि

पुराना सुभानीखेड़ा मार्ग पर अव्वल खड़ण्जा बिछाने के स्थान पर टेड़ा खड़ण्जा बिछाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या यह कार्य मानक के अनुसार कराया गया ? यदि नहीं, तो इसका स्थल निरीक्षण कराकर मानक के अनुसार खड़ण्जा न बिछाने वाले ठेकेदार एवं भौतिक सत्यापन करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मानक के अनुसार खड़ण्जा बिछाने का कार्य पूरा कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

श्री उदयशंकर पाण्डे एवं श्री इरफान अली, ठेकेदार द्वारा।

जी हां।

सक्षम अधिकारी द्वारा।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में वर्ष 1992 से स्वीकृत अप्पूघर को बनाये जाने की मांग

12–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ में वर्ष 1992 में अप्पूघर के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी? यदि हां, तो उक्त अप्पूघर का निर्माण कब से आरम्भ होगा? यदि नही, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

पूर्व स्वीकृति के आधार पर अब निर्माण सम्भव नहीं है ।

परियोजना का प्रारम्भ 5 वर्ष तक नहीं हो सका जिसके कारण विधायी स्वीकृति स्वतः निरस्त हो गयी ।

13–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टाउन एरिया भगवन्तनगर जिला उन्नाव में वर्ष 1984 से खराब पड़ी पानी की टंकी को ठीक कराने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

14–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टाउन एरिया भगवन्तनगर जनपद उन्नाव की पानी की टंकी सन् 1984 से खराब पड़ी है ? क्या यह सही है कि उक्त टाउन एरिया का पानी क्रोडाइन्ड

युक्त है जिसके पीने से अब तक 72 व्यक्ति विकलांग हो चुके हैं ? यदि हां, तो शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु उक्त पानी की टंकी का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

सम्प्रति इस संबंध में कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं है ।

धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम सरैय्या वि० खं० सुमेरपुर, तहसील बीघापुर को अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के बाद मानक के आधार पर कार्य न कराने की शिकायत

15–श्री समर पाल सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के ग्राम सरैय्या वि० खं० सुमेरपुर, तहसील बीघापुर को 1994 में शासन द्वारा अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या मानक के अनुसार विकास कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विकास कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

जनपद उन्नाव के तहसील बीघापुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम सरैय्या को वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया था ।

कराये गये विकास कार्यों का विवरण निम्नवत् है :—

कार्यक्रम	लक्ष्य	पूर्ति
इन्दिरा आवास	07	07
आई०आर०डी०पी०	07	07
स्वच्छ शौचालय	21	21
निःशुल्क बोरिंग	05	05
हैण्ड पम्प	04	04
सम्पर्क मार्ग	संतृप्त	
प्राइमरी पाठशाला	संतृप्त	
विद्युतीकरण	संतृप्त	
नाली/खड़ंजा	500 मी०	500 मी०
किसान पेंशन	02	
विधवा पेंशन	02	—

जहां तक अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित प्रमुख सभी 11 कार्यक्रमों से संतृप्त कराने का प्रश्न है, अवशेष किसान पेंशन/विधवा पेंशन से संतृप्तीकरण धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के आदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति व सीमेन्ट आदि बेचने में पद के दुरुपयोग की शिकायत

16–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ के आदेश संख्या–62–अ०प्र०(2अ) रा०वि०प०/95–40 ई (2ए)/89, दिनांक 11 जुलाई, 1995 द्वारा अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति अधीक्षक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि परिषद् की सीमेन्ट बेच देने के आरोपी व परिषद् को वित्तीय हानि पहुंचाने हेतु दोष सिद्ध एक अधिशासी अभियन्ता की परिषदादेश संख्या 2093–के ए/एस०ई०बी०–05 सा 89–8 (466)–एम०–05सी/87, दिनांक 16 मार्च, 1990 द्वारा पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अवैधानिक एवं नियम विरुद्ध प्रोन्नति को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारी को शीघ्र पदावनत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परिषदादेश संख्या–2093–के०ए०/एस०ई०वी० दिनांक 16-3-90 द्वारा श्री वी० पी० राम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को "निन्दा प्रविष्टि" दी गयी थी न कि प्रोन्नति की गयी थी ।

श्री बी० पी० राम की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति, इस पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन हेतु गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर की गयी है जो कि नियमानुसार है ।

पदोन्नति नियमानुसार है, अतः पदावनत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति

17–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति अधीक्षण अभिन्ताओं के पदों पर शासनादेश संख्या–13/34/90(1)–का–1/94, दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 के अनुसार क्रमशः 21 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत के अनुसार की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् में सिविल श्रेणी के कुल कितने अधीक्षण अभियन्ता वर्तमान समय में कार्यरत हैं और उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधीक्षण अभियन्ताओं की संख्या कितनी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या–6862–आफ 1995, 13697 आफ 1994 सम्बद्ध 14178 आफ 1994 में दिनांक 5-5-95 को पारित आदेशों के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता के अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 18 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 02 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है । अधीक्षण अभियन्ता (जनपद) के पद पर कुल 21 अधिकारी कार्यरत हैं । उनमें से अनुसूचित जाति के 04 अधिकारी कार्यरत हैं तथा अनुसूचित जनजाति का कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् सेक्टर एच० कालोनी की नालियों की सफाई कराये जाने की मांग

18–श्री शिव पूजन राम–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् सेक्टर एच० कालोनी के समस्त मकानों के आगे की नालियां मिट्टी, ईंट, पत्थर और चबूतरों से ढकी हैं जिससे पानी

के निकास और बहाव का कोई यथोचित साधन नहीं है ? क्या यह सही है कि गन्दे पानी के जमाव के कारण क्षेत्र में कई बार कालरा जैसी संक्रामक बीमारी फैल चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालियों को खुलवाने तथा पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जानकीपुरम् सेक्टर एच० के समस्त भवनों के आगे नालियां निर्मित हैं । आवंटियों द्वारा भवन निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री तथा मलवा आदि नालियों में भरने से नालियों से पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाती है । नालियों की सफाई नियमित की जाती है ।

पूर्व में एक बार संक्रामक बीमारी फैल चुकी है । वर्तमान में क्षेत्र में गन्दे पानी का जमाव नहीं है ।

नालियों को खुलवाने का कार्य नियमित रूप से कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री शिवपूजन राम–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् सेक्टर एच० कालोनी के मकान नम्बर 2/304 से लेकर 2/326 तक, 2/235 से लेकर 2/252 तक एवं 2/444 से लेकर 2/502 तक में सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे बरसात का पानी व घरों का गन्दा पानी इक्ट्ठा हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां की सड़कों को बनवाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत भवनों के सामने सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है । जल भराव की समस्या अब नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राचीन शाही कुओं की मरम्मत व सफाई करके जीर्णोद्धार करने की योजना की जानकारी

20–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

विधान सभा प्रथम सत्र, 1992 के छठे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 121 के उत्तर संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शाही जमाने के कुओं की मरम्मत व सफाई करके जीर्णोद्धार किया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त कार्य कराया जायेगा?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां। तथापि जलापूर्ति की वर्तमान प्रणाली में कुओं की उपयोगिता लगभग समाप्त ही हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

यह नगर निगम के सीमित संसाधनों पर निर्भर करता है।

21–श्री विजय पाल सिंह–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

22–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[3सरे सोमवार में अता. प्र. सं०-79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

23–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की संख्या तथा खर्च किये गये धन की जानकारी

24–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर लखनऊ में कुल कितने अवर अभियन्ता है? इन अवर अभियन्ताओं से क्या कार्य लिया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन अवर अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 एवं 1997-98 में अलग-अलग कुल कितने लाख रुपये के किन-किन कार्यों हेतु पेपर आर्डर एवं वर्क आर्डर किये गये हैं? क्या मंत्री जी इनका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ में कुल आठ अवर अभियन्ता हैं तथा उनसे लिये जाने वाले कार्य का विवरण उनके नाम के सम्मुख अंकित है :–

1–श्री जी. सी. वर्मा–वाहन, अनावासीय भवनों की देखरेख।

2–श्री एच. यू. खान–सुरक्षा, होस्टल एवं मेस के मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।

3–श्री वाई. पी. भाटिया–सिविल सम्बन्धी कार्य।

4–श्री वी. के निगम–प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।

5–श्री पी. सी. जोशी–प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।

6–श्री बहादुर राम–प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।

7–श्री विजय बहादुर सिंह–प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।

8–श्रीमती माया देवी मिश्रा–पुस्तकालय की देख-रेख।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के नियमानुसार अवर अभियन्ताओं को पेपर/वर्कआर्डर करने के कोई भी वित्तीय अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। अतः उपरोक्त अवर अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में कोई भी पेपर/वर्क आर्डर नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

25–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 141 द्वारा उत्तरित)

उ० प्र० राज्य राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय आदेशों का उल्लंघन कर विद्युत विच्छेदन

26–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय आदेशों का उल्लंघन कर विद्युत विच्छेदन के समय जो भी मीटर एवं केबिल उतारा जाता है उसे टेस्ट लैब स्टोर में जमा न करके दूसरे उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है। यदि हां, तो मीटर एवं केबिल को मेजरमेन्ट बुक में न लेने के क्या कारण हैं :–

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कनेक्शन स्थाई रूप से समाप्त करने हेतु विद्युत विच्छेदन के समय उपभोक्ता के परिसर से मीटर एवं केबिल उतारा जाता है जो अवर अभियंता द्वारा मेजरमेंट बुक में लेकर स्टाक एकाउन्ट के

प्राप्ति खाते में ले लिया जाता है। तत्पश्चात् मीटर को टेस्ट लैब स्टोर में हस्तांतरित कर दिया जाता है। दूसरे उपभोक्ताओं को बेचने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना चिकित्सालय हेतु आवंटित धन तथा व्यय में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना चिकित्सालय के लिए वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 में कितना धन किस-किस मद में आवंटित किया गया तथा उसका व्यय विवरण क्या है? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक को पत्र दिनांक 12-12-97 एवं 20-3-98 मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई.? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ओबरा तापीय परियोजना चिकित्सालय के लिए परिषद् द्वारा दवाईयों के क्रय हेतु वर्ष 95-96, 96-97 एवं 97-98 में क्रमशः रु० 60 लाख रु० 79 लाख एवं रु० 98 लाख आवंटित किये गये हैं। परन्तु ओबरा के परियोजना बजट में उपरोक्त अवधि हेतु क्रमशः रु० 90 लाख, रु० 110 लाख एवं रु० 167 लाख का प्राविधान चिकित्सालय में दवाईयों एवं पट्टी, एक्सरे प्लेट तथा ड्रेसिंग आदि के लिये किया गया है क्योंकि इस आदिवासी इलाके में अन्य सरकारी चिकित्सालय स्थापित नहीं है।

परियोजना चिकित्सालय द्वारा दवाईयों के क्रय, एक्सरे प्लेट, पट्टी एवं ड्रेसिंग आदि के क्रय पर वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में क्रमशः रु० 102.36 लाख, रु० 94.97 लाख एवं रु० 89.61 लाख व्यय किये गये हैं।

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गई जो पूरे प्रकरण पर जांच कर रही है। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ में अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों का आवंटन एवं रख-रखाव आदि की व्यवस्था तथा पानी की टंकी न बनाये जाने आदि की जानकारी

28–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने आवास हैं तथा कितने किस टाईप के कब से खाली हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आवासों के अनुरक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में वर्षवार कुल कितना धन किस मद में मुख्य अभियन्ता (जनपद वितरण) को प्राप्त हुआ है? लखनऊ स्थित आवासों के रख-रखाव हेतु इन्हीं वर्षों में कुल कितना धन प्राप्त हुआ है? क्या परिषद् से प्राप्त धन को अन्य मदों में व्यय किया गया है? इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 6-3-97 जो मुख्य अभियन्ता (जनपद वितरण) लखनऊ को संबोधित था, पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं. तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ में अधिकारियों/कर्मचरियों के आवासों की कुल संख्या 350 तथा 787 है। विवरण संलग्न "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है।

मद	1994-95	1995-96	1996-97
	लाख	लाख	लाख
ओ. एण्ड एम	19.20	19.20	20.00
कालोनी के अन्य कार्यों हेतु	10.83	20.39	19.20
मस्टररोल के मद में	13.44	14.44	15.46
	43.47	54.03	54.66

लखनऊ स्थित आवासों के रख-रखाव हेतु तीन वर्षों में कुल 152.16 लाख धन प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के पत्र दिनांक 6-3-97 में यह शिकायत की गयी थी कि वर्ष 1996 के अन्त में रु० 8.00 लाख इन्दिरानगर कालोनी, लखनऊ के ट्यूबवेल के निर्माण हेतु आवंटित किया गया था किन्तु उसका उपयोग अनुरक्षण कार्यों हेतु किया जा रहा है। मांग की गयी कि अनुरक्षण कार्य समाप्त कर ट्यूबवेल लगवाया जाय।

इस संबंध में जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त कालोनी के ट्यूबवेल के निर्माण हेतु वर्ष 1996 में रु० 8.00 लाख की धनराशि परिषद् से मुख्य अभियन्ता (जनपद वितरण) को प्राप्त नहीं हुई थी।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 222–225 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में श्री रवि प्रकाश एवं श्री एम० सी० सिन्हा की लापरवाही से हुई परिषद् की क्षति तथा भरपाई की मांग

29–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे मंगलवार को निर्धारित अता० प्र० सं०–57 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रवि प्रकाश एवं श्री एस० सी० सिन्हा की लापरवाही से परिषद् को हुई क्षति रुपये 35218.50 की भरपाई कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भरपाई कब तक कर ली जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

30–श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

31–श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

अधिशासी अभियन्ता, तृतीय शाखा उ० प्र० जल निगम, तिलक नगर कानपुर में अवर अभियन्ताओं द्वारा किये गये घोटाले की जांच

32–श्री दीपक कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, तृतीय शाखा, उ० प्र० जल निगम, तिलक नगर, कानपुर में अवर अभियन्ताओं द्वारा किये गये 5.2 करोड़ रुपयों के घोटालों की जांच कराये जाने का समस्त कर्मचारी एवं अध्यक्ष, मजदूर यूनियन की ओर से सप्रमाण प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-12-97 को मा० राज्य मंत्री, नगर विकास को दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

तथ्यात्मक जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत, ग्राम तोक, तहसील तल्ली लमाई के विद्युतीकरण

33–श्री राम कृपाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय अंचल के ग्रामों में विद्युत विभाग द्वारा केवल राजस्व ग्रामों का ही विद्युतीकरण किया जाता है ? यदि हां, तो राजस्व ग्राम के तोक ग्रामों के विद्युतीकरण का उत्तरदायित्व किसका है ? तोक ग्राम तल्ली लमाई तहसील व जिला चम्पावत (पूर्व जनपद पिथौरागढ़) का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

राजस्व ग्रामों के तोकों के विद्युतीकरण का कार्य परिषद् द्वारा धन की उपलब्धता के अनुरूप कराये जाने की नीति है ।

तोक ग्राम तल्ली लमाई, तहसील व जिला चम्पावत का विद्युतीकरण कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका परिषद् जौनपुर में लगे इण्डिया मार्क–2 के खराब हैण्ड पम्प को ठीक कराने की मांग

34–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर की नगरपालिका परिषद् जौनपुर में कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगे हैं और उसमें से कितने ख़राब हैं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? उक्त हैण्ड पम्प कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद्, जौनपुर में 294 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं । इनमें से 18 हैण्ड पम्प स्थायी रूप से खराब थे, जिसमें से 9 हैण्ड पम्प रिबोर करा दिये गये हैं । शेष की रिबोरिंग प्रगति पर है । इस कार्य हेतु शासन से आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

नगरपालिका परिषद्, जनपद जौनपुर में लगे हैण्ड पम्पों की ठीक न कराये जाने के कारणों की जानकारी

35–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका परिषद् जौनपुर जनपद जौनपुर में कितने नलकूप वर्तमान में लगे हैं उसमें से कितने चल रहे हैं कितने खराब पड़े हुए हैं ? उनको ठीक न कराने का क्या कारण है ? नलकूप कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद्, जौनपुर में 16 नलकूप लगे हैं ।

13 नलकूप चल रहे हैं ।

2 स्थाई रूप से तथा एक अस्थाई रूप से खराब हैं ।

धन की उपलब्धता पर उक्त नलकूप शीघ्र ठीक करा दिये जायेंगे ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विदेशी कम्पनी से वित्त पोषित, अनपारा पावर ट्रान्समीशन प्रोजेक्ट एवं 400 के० वी०, 800 के० वी० सब-स्टेशन उन्नाव, बरेली, आगरा के निर्माण में किया गया घपला एवं कार्यवाही

३८. श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विदेशी कम्पनी से वित्त पोषित अनपरा पावर ट्रान्समीशन प्रोजेक्ट एवं 400 के० वी०, 800 के० वी० सब स्टेशन उन्नाव, बरेली, आगरा के निर्माण में 200 करोड़ रुपये से अधिक का घपला किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सी०बी०आई० जांच हेतु ट्रेड यूनियन, माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक ने अपने पत्र दिनांक 6-3-97, 1-5-98 एवं 10-3-97 जोकि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी बाजार में 33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन हेतु स्वीकृत धन को अवमुक्त किये जाने की मांग

37–श्री धर्मराज निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी बाजार में 33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, से [illegible] र्माण हेतु कितना धन अवमुक्त किया जा चुका है ? क्या उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिय [illegible] ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

अभी तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है ।

यह कार्य परिषद् के आन्तरिक संसाधनों से कराया जाना प्रस्तावित है । परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेटरों के नाम का परिवर्तन तथा वेतनमान सुधारने की मांग

38—श्री महराज सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेटरों का नाम परिवर्तित कर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता कर उनका वेतनमान परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो क्या स्थानीय निकायों में कार्यरत शैक्षिक योग्यता एवं समान कार्य होने के आधार पर वैक्सीनेटरों का भी

पदनाम परिवर्तित कर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता किया जायेगा और उन्हें जनवरी, 1986 से वेतनमान 800-1150 संशोधित कर 975-1600 दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु कार्यों की कोटि, उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें राज्य कर्मचारियों से भिन्न होने के कारण राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेटर को स्वीकृत पदनाम/वेतनमान स्थानीय निकायों के वैक्सीनेटर को अनुमन्य किये जाने का औचित्य नहीं है।

लखनऊ के सुन्दरीकरण में व्यय धनराशि तथा पेयजल समस्या को दूर करने की सरकार की योजना की जानकारी

39—श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सुन्दरीकरण के लिये कितने रुपये व्यय किये जाने की योजना है? क्या लखनऊ में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु भी कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ के सौन्दर्यीकरण के लिये रु० 66142.49 लाख व्यय किये जाने की योजना है।

जी हां।

विस्तृत योजना उ० प्र० जल निगम द्वारा तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर मार्गों को सम्पर्क मार्गों से लेपन स्तर तथा जोड़ना तथा जनपद बलरामपुर के सम्पर्क मार्गों को न जोड़े जाने के कारणों की जानकारी

40—श्री ऊवैदुर्रहमान

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21-3-97 से 21 सितम्बर, 1997 के बीच में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई निर्देश सचिव, अम्बेडकर प्रकोष्ठ को निर्गत किया था कि अम्बेडकर मार्गो का लेपन स्तर तक का कार्य पूरा करे लिया जाय और यह भी निर्देश दिया था कि 15 सितम्बर, 1997 तक प्रगति आख्या शासन को भेज दी जाय? यदि हां, तो जनपद-बलरामपुर में सभी कार्य पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर गलत सूचना देने वाले कार्यदायी विभागों को दण्डित करेगी। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी–

वर्ष 96-97 तक चयनित कुल 11524 अम्बेडकर ग्रामों में से 1-4-97 तक 5830 ग्राम सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु अवशेष थे। धनराशि की उपलब्धता तथा सड़क निर्माण के सीजन को देखते हुए अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु निम्न चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया था :–

माह मई तक ग्राम	लेपन स्तर तक सड़क निर्माण	1000
माह जून तक	लेपन स्तर तक सड़क निर्माण	500

माह जून व जुलाई तक ग्राम	मिट्टी-गिट्टी का कार्य	1000
माह सितम्बर व अक्टूबर तक ग्राम	मिट्टी-गिट्टी का कार्य	1500
माह अक्टूबर व नवम्बर तक ग्राम	लेपन स्तर तक सड़क निर्माण	1000
माह फरवरी व मार्च तक ग्राम	लेपन स्तर तक सड़क निर्माण	1500

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 97-98 में कुल 4000 ग्रामो में लेपन स्तर तक का सड़क निर्माण कार्य कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था। जून सितम्बर, 97 तक केवल 1500 ग्रामों में लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कराये जाने का लक्ष्य था। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी अम्बेडकर ग्रामों को लेपन स्तर तक के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य नहीं था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने द्वितीय चरण की मण्डलीय समीक्षा बैठकों में यह निर्दिष्ट किया था कि लक्ष्यों के सापेक्ष अवशेष सम्पर्क मार्गों का कार्य 5 सितम्बर, 97 तक पूर्ण कर लिया जाये. जहां तक जनपद बलरामपुर का प्रश्न है 1-4-97 से 30-6-97 तक केवल 5 ग्रामों को लेपन स्तर के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य था जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री की द्वितीय चरण की मण्डलीय बैठक में मण्डलायुक्त बस्ती द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण दर्शाया गया है।

शहरी क्षेत्रों में मानक के आधार पर लगाये गये हैण्ड पम्पों के अनुरूप हरिद्वार नगर क्षेत्र में चार हैण्ड पम्प लगाये जाने के कारणों की जानकारी

41—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शहरी क्षेत्रों में 20 हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना अन्तर्गत रुपये 16,000 प्रति हैण्ड पम्प के आधार पर रुपये 3,20,000 की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है परन्तु नगर क्षेत्र हरिद्वार में उक्त धनराशि में मात्र 4 हैण्डपम्प ही लग पायेंगे? यदि हां, तो क्या शेष 16 हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु आवश्यक धनराशि विभाग द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां। हरिद्वार नगर में बोल्डर स्टेटा होने के कारण हैण्डपम्प अधिष्ठापित रिंग मशीन से किया जा रहा है। अतः अधिष्ठापित किये जा रहे हैण्डपम्प की लागत प्रति हैण्डपम्प स्वीकृत धनराशि से अधिक आ रही है। इससे स्वीकृत धनराशि से 20 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जी नहीं।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

दशम् वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हरिद्वार धार्मिक स्थल पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

42—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दशम वित्त आयोग की सिफारिशें जिनके आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, में केवल स्थायी जनसंख्या को दृष्टिगत किया गया है परन्तु हरिद्वार में जहां प्रतिवर्ष करोड़ो यात्री आते हैं तथा अस्थायी जनसंख्या सदैव स्थायी जनसंख्या के बराबर रहती है को क्या उसी अनुपात में अधिक आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो उसका आधार क्या होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । हरिद्वार नगर में बोल्डर स्टेटा होने के कारण हैण्डपम्प अधिष्ठापित रिंग मशीन से किया जा रहा है । अतः अधिष्ठापित किये जा रहे हैण्डपम्प की लागत प्रति हैण्डपम्प स्वीकृत धनराशि से अधिक आ रही है । इससे स्वीकृत धनराशि से 20 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जी नहीं ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

दशम् वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हरिद्वार धार्मिक स्थल पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

42–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दशम् वित्त आयोग की सिफारिशें जिनके आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता दी जा रही है में केवल स्थायी जनसंख्या को दृष्टिगत किया गया है परन्तु हरिद्वार में जहां प्रतिवर्ष करोड़ों यात्री आते हैं तथा अस्थायी जनसंख्या सदैव स्थायी जनसंख्या के बराबर रहती है को क्या उसी अनुपात में अधिक आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका आधार क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर अस्थायी जनसंख्या एकत्रित होती रहती है किन्तु कहीं पर भी अस्थाई जनसंख्या को आर्थिक सहायता/अनुदान हेतु आधार नहीं बनाया जाता है ।

जनपद प्रतापगढ़ के पोस्ट साहबगंज के निकट स्थित ग्राम लीलापुर के विद्युतीकरण का मामला

43–श्री लाखीराम जोशी–

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि जिला प्रतापगढ़ पोस्ट साहबगंज के निकट स्थित ग्राम लीलापुर का विद्युतीकरण अभी नहीं किया गया है जबकि ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा इस विषय में पत्र दिनांक 4-5-98 द्वारा स्थानीय विद्युत अभियन्ता से लिखित अनुरोध भी किया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद प्रतापगढ़ के पोस्ट साहबगंज के निकट स्थित ग्राम लीलापुर का विद्युतीकरण पूर्व में किया जा चुका है ।

ग्राम लीलापुर के विद्युतीकरण के संबंध में ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये पत्र के सम्बोधन अधिकारी का पदनाम प्रश्न में इंगित न होने के कारण पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करना सम्भव नहीं है ।

ग्राम लीलापुर का विद्युतीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पंचायत कुरावली की कथित बैठक में हुई अनियमितता के संदर्भ में शिकायती-पत्र

44–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 29-11-97 की नगर पंचायत कुरावली की कथित बैठक में हुई अनियमितताओं के संबंध में शिकायती प्रार्थना-पत्र 1 दिसम्बर, 1997 को जिलाधिकारी मैनपुरी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर पंचायत कुरावली में दिनांक 29-11-97 को हुई बैठक में हुई अनियमितताओं के संबंध में आठ सदस्यों का शिकायती-पत्र दि क 1-12-97 जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ । उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्य बिन्दु यह था कि दिनांक 19-9-97 को हुई बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि अध्यक्ष, नगर पंचायत कुरावली द्वारा कराये ज हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर 8 सदस्यों द्वारा पुष्टि करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि दिनांक 19-9-97 को हुई बोर्ड की बैठक का इनके द्वारा बहिष्कार किया गया था । इस पर अध्यक्ष नगर पंचायत कुरावली रजिस्टर लेकर चली गयी और उनके द्वारा दिनांक 29-11-97 की बैठक में कुछ प्रस्ताव लिख लिये गये । जो प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में लिखे गये वह बोर्ड के बहुमत से पारित नहीं थे जिसे सदस्यों द्वारा नियम विरुद्ध माना गया ।

अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने व बोर्ड के विपरीत कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 20-2-98 को अध्यक्ष, नगर पंचायत, कुरावली के विरुद्ध श्री आर० पी० शर्मा सिविल जज की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया । अध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के फलस्वरूप अध्यक्ष के पद को रिक्त किये जाने हेतु दिनांक 27-5-98 को शासन द्वारा रिक्त अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।

45–श्री राम औतार शाक्य–

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।

जिला पिथौरागढ़, तहसील चम्पावत के पास पुल निर्माण कराने की मांग

46–श्री राम औतार शाक्य–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि चौकी राजस्व के तल्ली चौकी, धौन, सौंज, तल्ली लमोई एवं हरिजन बस्ती लोक तहसील चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ तहसील मुख्यालय से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ? क्या यह भी सही है कि नदी में पुल न होने की वजह से वर्षा ऋतु में यहां के निवासियों और मवेशियों की नदी पार करते समय अपनी जान गंवाने का खतरा बना रहता है या 4-5 कि०मी० पैदल चलकर दूसरे पुल का प्रयोग करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या यहां पर शीघ्र पुल निर्माण कराने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस स्थान से 2.50 कि० मी० दूर मोटर पुल है जिसका उपयोग किया जा सकता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् सेक्टर एच कालोनी की नालियों की सफाई की व्यवस्था करने की मांग

47–श्री राम विशुन आजाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् सेक्टर एच कालोनी के समस्त मकानों के आगे की नालियां मिट्टी, ईंट, पत्थर और चबूतरों से ढकी हैं व जाम हैं ? क्या इससे उक्त स्थानों पर पानी की निकास और बहाव का कोई यथोचित साधन नहीं है ? क्या यह सही है कि गन्दे पानी के जमाव के कारण इस क्षेत्र में कई बार कालरा जैसी संक्रामक बीमारी फैल चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन नालियों को खुलवाने तथा पानी की निकासी के लिये समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

भवन के अध्यावासियों द्वारा निर्माण सामग्री तथा मलवा आदि सड़क के किनारे एकत्र कर देने से नालियों से जल निकासी अवरुद्ध हो जाती है । नालियों की सफाई समय-समय पर कराई जाती है । वर्तमान में नालियां अवरुद्ध नहीं हैं ।

जानकीपुरम् सेक्टर एच के समस्त भवनों के आगे नालियां निर्मित हैं ।

पूर्व में एक बार संक्रामक बीमारी फैल चुकी है । वर्तमान में क्षेत्र में गन्दे पानी का जमाव नहीं है ।

नालियों को खुलवाने का कार्य नियमित रूप से कराया जाता है ।

नियमित रूप से कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48–श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी के गांव पंचायत बाला पैकोली में विद्युतीकरण

49–श्री धर्मराज निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के वि०ख० भीटी में गांव पंचायत बाला पैकोली में कई वर्षों से विद्युतीकरण हेतु बिजली के खम्भे खड़े हैं ? यदि हां, तो तार खींच कर विद्युत आपूर्ति क्यों नहीं की गई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी के ग्राम पंचायत लाला-पैकोली में 24 खम्भे लगे हैं और उन पर तार भी खींचा हुआ है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है । इस ग्राम में कोई ऐसा खम्भा नहीं है जिस पर तार न खींचा हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड माया बाजार के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम कोडिल्ला की दलित बस्ती का विद्युतीकरण

50–श्री धर्मराज निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के वि०ख० माया बाजार के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम कोडिल्ला में दलित बस्ती का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड माया बाजार के अन्तर्गत ग्राम कोडिल्ला का वर्ष 1975–76 में उस समय शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मुख्य ग्राम के साथ केवल अनुसूचित जाति बस्ती का एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड माया बाजार के ग्राम कोडिल्ला की स्वीकृत सड़क का लेपन स्तर तक पूर्ण किये जाने की मांग

51–श्री धर्मराज निषाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड माया बाजार के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम कोडिल्ला में स्वीकृत सड़क का लेपन कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड माया बाजार के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम कोडिल्ला में स्वीकृत सड़क मार्ग का लेपन कार्य पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐशबाग मोतीझील लखनऊ में स्थित कील घर (बधशाला) को हटाये जाने की मांग

52–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि 28-9-91 को नगर महापालिका अधिकारियों को क्षेत्रीय विधायक ने ऐशबाग मोतीझील पर स्थित कील घर को हटाने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? उक्त कील घर को कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

दिनांक 28-9-91 को ऐशबाग रामलीला मैदान में क्षेत्रीय जनता एवं नगर महापालिका के अधिकारियों की सम्मिलित रूप से आयोजित बैठक में लखनऊ मध्य क्षेत्र के तत्कालीन विधायक श्री बसन्त लाल गुप्त ने ऐशबाग वाटर वर्क्स के सम्मुख छोटे पशुओं एवं मोतीझील स्थित बड़े पशुओं की बधशालाओं को हटाने की अपेक्षा की थी ।

ऐशबाग वाटर वर्क्स के सम्मुख हरिजन बस्ती में स्थित बधशाला को वहां से दिनांक 30-11-92 को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

कुछ नये उपकेन्द्रों को भी शामिल किया गया है ? यदि हां, तो चयनित स्थल कहां-कहां पर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । शासन द्वारा रु० 39.09 करोड़ लागत की योजना स्वीकृत की गयी है ।

वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य दो वर्ष है ।

जी हां ।

रु० 39.09 करोड़ की योजना में :–

(1) निम्न स्थलों पर नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों के निर्माण का प्राविधान है :

क्र०सं०	जनपद	उपकेन्द्र का नाम
1	आगरा	घमौरा/चौकी
2	आगरा	पपड़ीनगर
3	आगरा	रूनकटां
4	आगरा	सैंया
5	आगरा	माजरा
6	आगरा	अकोला
7	महामायानगर	हाथरस नगर
8	महामायानगर	हाथरस जंक्शन
9	एटा	जलेसर
10	फिरोजाबाद	खेरागढ़
11	फिरोजाबाद	करकोली

(2) इसके अतिरिक्त इस योजना में 132 के०वी० उपकेन्द्र हजरतपुर के निर्माण का भी प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम आगरा में महात्मा गांधी मार्ग पर कार्यालय के सामने पानी भर जाने की समस्या

56–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, आगरा में महात्मा गांधी मार्ग पर नगर निगम कार्यालय के सामने व अन्य कई मुहल्लों में वरसात के समय सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों के आवागमन में वाधा तो पहुंचती ही है साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों को भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त समस्या का स्थाई रूप से निवारण हेतु राज्य स्तर पर कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कव तक उक्त समस्या से निजात दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । अत्यधिक वर्षा के कारण अस्थाई जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे तत्काल पम्प द्वारा निकाल दिया जाता है जिससे कठिनाई का तुरन्त समाधान हो जाता है ।

ताज ट्रिपोजियम के अन्तर्गत आगरा नगर की ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार हेतु रु० 565.38 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है जिसके विरुद्ध वर्ष 1997-98 में 100.00 लाख रु० एवं वर्ष 1998-99 में 33.00 लाख रु० स्वीकृत किया जा चुका है । योजना पूर्ण होने पर समस्या का स्वतः निदान हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57–श्री गोपाल कृष्ण–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मो० सरायथोक (पश्चिम) हरदोई के मकान नं० 342, 342/1, 342/2, तथा 342/3 में रह रहे व्यक्तियों के राशन कार्डों की यूनिटों की संख्या ठीक करने विषयक जानकारी

58–श्री चेतराम–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि मो० सरायथोक (पश्चिम) हरदोई के मकान सं० 342, 342/1, 342/2, तथा 342/3 में रह रहे मकान मालिक व किरायेदारों सहित कुल कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक अलग-अलग मकानों में कितने यूनिट के राशन कार्ड बने हैं ? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ये राशन कार्ड धारक उक्त भवनों में रह भी रहे हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो राशन कार्ड के अनियमित यूनिट रद्द करते हुए धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

मो० सरायथोक (पश्चिम) हरदोई के भवन सं० 342, 342/1, 342/2, तथा 342/3 में चार राशन कार्ड क्रमशः श्री रमेश चन्द्र मिश्रा 2 यूनिट, श्री गिरीश चन्द्र मिश्रा 8 यूनिट, श्री राम कृष्ण मिश्रा 9 यूनिट व श्री सतीश मिश्रा 4 यूनिट के अलग-अलग कार्ड बने हुए हैं ।

जी हां । कार्डधारक उक्त भवनों में रह रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर द्वारा प्लाट नं० 149 तक मार्ग निर्माण के संबंध में पत्र तथा कार्यवाही की मांग

59–श्रीमती गौरी देवी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर से संबंधित द्वितीय सत्र (1997) का द्वितीय मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 1997 ई० में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर ने अपनी पत्नी श्रीमती सिमरिता देवी के नाम आवास की भूमि तक प्लाट नं० 149 से नये मार्ग हेतु मुख्य नगर अधिकारी, गोरखपुर, मुख्य अभियन्ता नगर निगम, गोरखपुर, नगर विकास मंत्री, मुख्य मंत्री, उ० प्र० सरकार लखनऊ व सचिव जी० डी० ए० (गोरखपुर) को माह अगस्त, 1997 से अब तक कितने पत्र रजिस्टर्ड व साधारण डाक से अलग-अलग प्राप्त हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बराती लाल वर्मा नि० ई 2/93 सेक्टर सी अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्धारित भवन की किश्तों की अदायगी के बाद अन्य किसी के नाम रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत

60–श्री रमेश राही–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ द्वारा श्री बराती लाल वर्मा नि–ई–2/93, सेक्टर सी अलीगंज, लखनऊ को आवंटन पत्र संख्या 1105/सं० प्र०–3/एल० के० ओ० आर० एस० एम०/एल०आई०जी०/डी०–3099, आवेदन-पत्र संख्या 1981 दिनांक 18-10-78 को आवंटित किया गया था ? विभाग की निर्धारित समस्त किश्तें अदा कर दी गयी हैं, परन्तु उक्त भवन की रजिस्ट्री किसी अन्य के नाम पर कर दी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, प्रकरण की जांच श्री आर० सी० यादव, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धक, सहायक आयुक्त, स्टाम्प, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

उपर्युक्तानुसार ।

61–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं०–40 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 10 वर्षों से एक स्थान पर रहने वाले देवरिया, गाजियाबाद एवं बरेली क्षेत्र में कार्यरत अवर अभियन्ताओं/एस० डी० ओ० को स्थानान्तरित करने की मांग

62–श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत देवरिया, गाजियाबाद एवं बरेली क्षेत्र में ऐसे कितने अवर अभियन्ता/एस० डी० ओ० एवं अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि उच्च अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

गाजियाबाद जनपद में एक एस० डी० ओ० व बरेली क्षेत्र में दो अवर अभियन्ताओं को छोड़कर कोई भी अवर अभियन्ता/एस०डी०ओ० एवं अधिशासी अभियन्ता, देवरिया, गाजियाबाद एवं बरेली क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पर कार्यरत नहीं हैं ।

परिषद् द्वारा निर्गत स्थानान्तरण के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का यथा सम्भव अनुपालन किया जाता है किन्तु किन्हीं प्रकरणों में जनप्रतिनिधियों की अपेक्षायें, व्यक्तिगत समस्या एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार भी स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा हाई मास्ट सोडियम फिटिंग्स के लगाने में हुई अनियमितता के संबंध में पत्र तथा जांच आख्या की जानकारी

63–श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में माह 11/95 से 3/98 के मध्य कुल कितने हाई मास्ट सोडियम फिटिंग्स लगाये गये ? किस-किस कम्पनी से खरीदे गये ? क्या यह सत्य है कि सोडियम फिटिंग्स का परिवर्तित रूप दिखाकर लाखों रुपये के घपले किये गये ? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 30-1-97 जोकि नगर प्रमुख/मुख्य नगर अधिकारी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ नगर निगम में माह 11/95 से 3/98 के मध्य कुल 2 (दो) हाई मास्ट लगाये गये हैं ।

वजाज कम्पनी से खरीदे गये ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लालगंज नगर पंचायत जनपद आजमगढ़ के नगरीय क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कराये जाने की मांग

64–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालगंज, नगर पंचायत जनपद आजमगढ़ में नगरीय क्षेत्र के लिए पिछले वर्षों में पीने के पानी के लिए बोरिंग हुई थी, फिर भी उक्त बोरिंग का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया ? यदि हां, तो क्या सरकार नगरीय क्षेत्र में पानी की सुविधा नगरवासियों को प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । स्थानीय स्तर पर कतिपय भूमि-विवाद के कारण यह नलकूप चालू नहीं हो सका ।

भूमि-विवाद हल होने तथा धन की उपलब्धता होने पर नलकूप से पेयजल आपूर्ति प्रदान की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चम्बा पेयजल पम्पिंग योजना के निर्माण में हुई अनियमितता की शिकायत

65–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 22 मार्च, 1998 को उनके द्वारा चम्बा पेयजल पम्पिंग योजना के शिलान्यास के अवसर पर योजना निर्माण हेतु वांछित धनराशि की स्वीकृति की घोषणा के अनुपालन में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? क्या स्वीकृत धनराशि जल निगम शाखा चम्बा, टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण की अवधि क्या है ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"

प्रश्नगत योजना पर रु० 121.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है ।

आवंटित धनराशि के विरुद्ध सामग्री का प्रबन्ध मुख्य अभियन्ता (उत्तरांचल) उ० प्र० जल निगम कार्यालय द्वारा किया जा रहा है । आवंटित धनराशि में से, धनराशि प्रकल्प शाखा चम्पा को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जा रही है ।

योजना की प्रस्तावित निर्माण अवधि 2 वर्ष है ।

जनपद बहराइच की खराब बिजली व्यवस्था को सुधारने की मांग

66–डा० वकार अहमद शाह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में बिजली व्यवस्था खराब है ? शहर में लगातार 8–10 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहती है जिससे उपभोक्ताओं को अपार कष्ट होता है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ? क्या शासन जनपद में विद्युत आपूर्ति सुधारने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी नहीं । शहर में औसतन अट्ठारह से बीस घण्टे प्रतिदिन की विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में परिषद् द्वारा बहराइच जनपद की विद्युत प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :––

33/11 के० वी०, 1x3 एम०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र रंजीतपुर का निर्माण बहराइच शहर में डीजल पावर हाउस स्थित 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का कार्य 1x 5 एम०वी०ए० से बढ़ाकर 1x 5+3 एम०वी०ए० करना विद्युत परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत कार्यों की पारस्परिक वरीयता के आधार पर उपरोक्त कार्यों को कराया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री लाखी राम जोशी–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

68–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

व्यावसायिक भवनों/मल्टी स्टोरीज काम्पलेक्स/सरकारी भवनों में अलग-अलग मीटर लगाये जाने के कारणों की जानकारी

69–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत एक भवन में सिंगिल प्वाइन्ट सप्लाई दिये जाने का विचार चल रहा है ? सम्पूर्ण प्रदेश में व्यवसायिक भवनों/मल्टी स्टोरीज काम्पलेक्स/सरकारी भवनों के अलग-अलग कमरों में अलग-अलग कनेक्शन देने एवं अलग-अलग मीटर लगाने का क्या औचित्य है ? क्या इसके कारण विद्युत चोरी की घटना बढ़ी है ? क्या यह सत्य है कि क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ में 88 से अधिक दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें से 69

कनेक्शनों का पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कोई भुगतान नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो वसूली न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

व्यवसायिक भवनों/मल्टी स्टोरीज काम्पलेक्स में अलग-अलग स्वामित्व होने के कारण अलग-अलग मीटर लगाकर संयोजन दिया जाता है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ में कुल 59 संयोजन हैं ।

उक्त में से 51 कनेक्शनों से भुगतान प्राप्त हो रहे हैं एवं शेष 18 संयोजन दिनांक 22-3-98 को विच्छेदित थे ।

कोई दोषी नहीं है ।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के बड़े-बड़े ठेकों में अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गये घपले के सम्बन्ध में मा० सदस्य का शिकायती पत्र

70—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 26-5-94 जो अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के बड़े-बड़े ठेकों में अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा भारी घपला करने विषयक था और जो तत्कालीन मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। यदि नहीं तो क्यों तथा परिषद् को हुई क्षति की भरपाई कैसे की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 26-5-94 का नहीं अपितु दिनांक 16-5-94 का प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

उक्त प्रकरण में परिषद् स्तर पर जांच आदेशित है। जांच प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

71–72—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

नव सृजित जिला चम्पावत के लिए सेवायोजन कार्यालय खोले जाने की मांग

73—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला चम्पावत के लिये सेवायोजन कार्यालय खोला जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जिला सेवायोजन कार्यालय चम्पावत की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

लखनऊ में दूषित पेयजल को शुद्ध करके आपूर्ति किये जाने की मांग

74—श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पुराने लखनऊ एवं लखनऊ की मलिन बस्तियों में जल संस्थान द्वारा दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? क्या विभाग द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या है? दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

समूचे नगरीय क्षेत्र जिसमें मलिन बस्तियां भी सम्मिलित हैं, में पेयजल आपूर्ति की गुणता की जांच जल-संस्थान के अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य संस्थान एवं संचारी रोग शाखा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से की जाती है। लगभग सभी स्थानों पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप जलापूर्ति पाई गई है। क्लोरीन परीक्षण तथा जीवाणु परीक्षण रिर्पोट भी अधिकांश स्थलों पर संतोषप्रद/उत्तम पाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में मशीनों से निकालकर बिकने वाले गन्ने के रस से फैलने वाली बीमारी की समस्या

75—श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में गन्ने का रस निकाल कर बेचने वाली कितनी मशीनों को वर्ष 1998 में पंजीकृत किया गया है? क्या पंजीकृत मशीन धारकों की सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी कुछ निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन मशीनों से निकाला रस पीने से बीमारियां फैल रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

एक भी मशीन को पंजीकृत नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सांख्यिकी सहायक तथा अन्वेषक कम कम्प्यूटर सहायक के पदों में समरूपता के बाद वेतनमान में विसंगति

76—श्री राम प्यारे–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांख्यिकी सहायक का पद अन्वेषक कम कम्प्यूटर में उसी वेतनक्रम में परिवर्तित किया गया था? यदि हां, तो बाद में सांख्यिकी सहायक को 1400-2000 तथा अन्वेषक कम कम्प्यूटर को 1900-2300 का वेतनक्रम दिया गया तो समान वेतनक्रम पदों के वेतनक्रम में अन्तर क्यों किया गया? क्या सरकार उक्त दोनों पदों पर समान वेतनक्रम देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(1) दोनों पद अलग-अलग है।

(2) भर्ती का माध्यम अलग-अलग है।

(3) दोनों पदों के लिए अर्हतायें पृथक-पृथक हैं।

(1) अनुवेषक कम संगणक–

योग्यता–गणित या सांख्यकीय विषय के साथ स्नातक

(2) सांख्यकीय सहायक–

योग्यता–गणित सांख्यकीय या गणितीय सांख्यकीय में स्नातकोत्तर।

(4) उक्त निर्णय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर है। अतः समान वेतनक्रम देना संभव नहीं है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत केदार नाथ माइक्रो हाईडिल स्कीम एवं थराली माइक्रो हाईडिल स्कीम चमोली के निर्माण में करोड़ों रुपये की क्षति विषयक शिकायती पत्र

77—श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत केदारनाथ माइक्रो हाईडिल स्कीम एवं थराली माइक्रो हाईडिल स्कीम चमोली के निर्माण में करोड़ों रुपये की क्षति विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 20-8-97 जोकि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये विन्दु क्या है? क्या इसकी जांच कराई गई? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

मा० सांसद के पत्र में मुख्य रूप से श्री ब्रम्ह सिंह ढाका, अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता मेरठ क्षेत्र, मेरठ एवं उनके सहयोगियों द्वारा केदार नाथ माइक्रो हाइडिल स्कीम एवं थराली माइक्रो हाइडिल स्कीम चमोली के निर्माण में परिषद् का करोड़ों रुपये क्षति से सम्बन्धित विन्दु उठाया गया है।

विद्युत परिषद् को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम द्वारा बेची गयी जमीनों का लीज रेण्ट की वसूली न करने की शिकायत

78—श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम द्वारा बेची गई जमीनों का लीज रेण्ट प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि सम्पूर्ण लीज रेण्ट अधिकारियों द्वारा वसूल नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको रेनूकूट द्वारा करोड़ो रुपये की विद्युत चोरी की शिकायत सम्बन्धी पत्र

79—श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको रेनूकूट द्वारा करोड़ों रुपये के विद्युत चोरी सम्बन्धी श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक, श्री देवी सिंह, सांसद, राज्य सभा एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 10-1-97 जो कि मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

टिहरी बांध परियोजना के कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् हो रहे प्रभावों की जानकारी

80–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि टिहरी बांध परियोजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर बनने वाली झील के कारण टिहरी गढ़वाल जनपद का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र जिला मुख्यालय से अलग-थलग पड़ जावेगा, जिसके कारण विकास खण्ड प्रताप नगर, भिलंगना, जाखणीधार का क्षेत्र उच्च शिक्षा सहित अन्य सभी विभागीय सुविधाओं से पूर्णतः वंचित हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्या इन प्रभावित क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा सहित अन्य सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के नियोजन की कोई योजना एवं रूपरेखा तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में प्रभावित क्षेत्र के सही नियोजन की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

टिहरी बांध परियोजना के कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् टिहरी जनपद का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र जिला मुख्यालय से अलग-थलग नहीं पड़ेगा क्योंकि भिलंगना नदी तथा भागीरथी नदी पर पीपलडाली एवं स्यासूं नामक स्थानों पर पुल निर्माण प्रस्तावित हैं।

उच्च शिक्षा सहित टिहरी शहर की सभी विभागीय सुविधाओं का निर्माण नई टिहरी में कर लिया गया है।

वर्ष 1998 के कुम्भ मेला के दौरान स्थापित नलकूपों, श्रोत कूपों के संचालन हेतु पदों के सृजन

81–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेला 1998 के दौरान बने अन्तः स्रोत कूपों और ट्यूबवेलों में से कितने स्थायी रूप से स्थापित किये जा रहे हैं ? उनके संचालन हेतु पदों का सृजन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कुम्भ मेला 1998 के दौरान एक स्थाई नलकूप, 4 अस्थाई नलकूप व 14 अस्थाई अन्तः स्रोत कूप स्थापित किये गये हैं।

यह उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार नगर क्षेत्र में 33/11 के० वी०.ए० के विद्युत उपकेन्द्रों पर एस० एस० ओ० आदि पदों पर नियुक्ति

82–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार नगर क्षेत्र में 33/11 के० वी० ए० के वर्ष 1997-98 में कितने विद्युत उपकेन्द्र बनाये गये हैं ? इन केन्द्रों पर कार्य करने हेतु कितने एस० एस० ओ० की आवश्यकता है ? क्या इस हेतु नई नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि नगर हरिद्वार में कार्यरत जी० एम० टी० और मीटर रीडरों की नियुक्ति इस कार्य हेतु की गयी ? यदि हां, तो मीटर रीडिंग के कार्य हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

वर्ष 1997-98 में जनपद हरिद्वार में कुम्भ मेला 98 हेतु तीन 33/11 के० वी० उपकेन्द्रों का निर्माण कराया गया ।

बारह एस० एस० ओ० की आवश्यकता है ।

जी नहीं ।

नई भर्ती पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध होने के कारण, नई भर्तियां नहीं की गयीं ।

जी हां । कार्यरत एस० एस० ओ०/मीटर रीडर की नियुक्ति अस्थायी रूप से केवल कुम्भ मेले के कारण की गयी थी ।

कुम्भ मेला के उपरान्त अब सामान्य रूप से विद्युत वितरण खण्ड हरिद्वार में तैनात टेक्नीशियन ग्रेड–2 के कर्मचारियों से ही मीटर रीडिंग का कार्य कराया जा रहा है ।

83–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं०–83 द्वारा उत्तरित]

नगर पालिका परिषद् तिलहर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान

84–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका तिलहर, जनपद शाजहांपुर में सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन हेतु सब्सीडी जून, 1995 तक दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि नगर पालिका तिलहर में कर्मचारियों का वेतन माह अप्रैल, 1995 से अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कर्मचारियों के वेतन की सब्सीडी अन्य मदों में खर्च की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर नगर पालिका तिलहर के कर्मचारियों को बकाया वेतन कब तक दिलायेंगी तथा इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर पालिका परिषद्, तिलहर में सभी कर्मचारियों का वेतन मार्च, 1998 तक का दे दिया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के अधिकांश स्थानीय निकायों/नगर पंचायतों के कर्मचारियों के बकाये वेतन को दिये जाने का दायित्व

85–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की अधिकांश स्थानीय निकायों/नगर पंचायतों के कर्मचारियों को 8 माह से 25 माह तक के वेतन बकाया का भुगतान नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त स्थानीय निकाय कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान कराने का दायित्व अपने हाथ में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । परन्तु अधिकांश निकायों में वेतन दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप गठित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है के अनुसार वर्ष 1997-98 से निकायों को राज्य सरकार के कर राजस्व की शुद्ध आय के 7 प्रतिशत की धनराशि वित्त विभाग द्वारा सीधे संक्रमित की जा रही है । इसके अतिरिक्त उन्हें आयोजनेत्तर मद में कोई धनराशि देय नहीं है ।

उ० प्र० के समस्त जनपदों में चीनी के वितरण की व्यवस्था निर्धारित यूनिट के आधार पर करने की मांग

86–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के समस्त जनपदों में तथा नगरों में नगरीय क्षेत्र के निवासियों को पूर्ति विभाग द्वारा राशन की दुकानों पर यूनिट के हिसाब से पर किलो चीनी का वितरण हर माह होता है ? क्या ग्रामीण क्षेत्र की जनता को 300 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह, चीनी का वितरण होता है ? यदि हां, तो इस भेदभाव का कारण क्या है ? क्या सरकार नगर की जनता की तरह ग्रामीण जनता को प्रति यूनिट पर 1 किलो चीनी वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

चीनी का वितरण कार्ड धारकों को निर्धारित दरों पर किया जाता है ।

जी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र को 330 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से वितरण किया जाता है । वितरण की दर से ऐतिहासिक रूप से दशकों से लागू है । अतः इस वितरण दर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दस हजार या उससे अधिक शेष विविध प्रकीर्ण अग्रिम आदि की वसूली

87–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रुपये दस हजार या उससे अधिक शेष विविध प्रकीर्ण अग्रिम (लो०का० 0090) के तहत वसूली/समायोजन की कार्यवाही परिषदीय आदेश संख्या– 444, दिनांक 2-3-93 एवं पत्र संख्या–6255, दिनांक 7-5-97 के द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कितने

अधिकारियों/कर्मचारियों से कितनी धनराशि की वसूली प्रतिमाह प्रारम्भ कर दी गयी है तथा कितने शेष हैं तथा मार्च 1998 तक कुल कितनी धनराशि परिषद् खाते में जमा हुई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

8 अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरुद्ध रु० 11,21,891.12 विविध प्रकीर्ण अग्रिम डाला गया, में से 4 अधिकारियों/कर्मचारियों से पूर्ण एवं 4 अधिकारियों/कर्मचारियों से आंशिक वसूली/समायोजन 31-3-98 तक रुपया 928,777.54 किया जा चुका है और 4 अधिकारियों/कर्मचारियों से अवशेष की वसूली प्रगति पर है ।

अग्रेतर 32 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रु० 16,30,882.90 डाले गये विविध प्रकीर्ण की धनराशि वसूल की जानी शेष है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स जालाना ग्रुप एवं तत्कालीन सचिव उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अरबों रुपये के भ्रष्टाचार की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

88—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स जालाना ग्रुप एवं तत्कालीन सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अरबों रुपये की हानि एवं भ्रष्टाचार संबंधी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-7-97 एवं 1-4-98 जो मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? पावती के संबंध में एवं संयुक्त सचिव द्वारा किये गये दुर्व्यवहार संबंधी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 12-6-97, जो मुख्य सचिव को संबोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम गाजियाबाद द्वारा करोड़ों की वित्तीय हानि संबधी शिकायती पत्र तथा कार्यवाही की मांग

89—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम गाजियाबाद द्वारा करोड़ों रुपये की वित्तीय हानि संबंधी श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रदेश मंत्री, उ० प्र० रा० वि० प० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 1-2-94 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

पत्र में सन्निहित विभिन्न उपभोक्ताओं के प्रसंग में शिकायत के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता (पश्चिमांचल), मेरठ तथा मुख्य अभियन्ता (जांच समिति) की जांच के आधार पर तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खंड-प्रथम गाजियाबाद श्री कृपाल सिंह को दो उपभोक्ताओं के मामले

में अलग-अलग आदेश से एक में निन्दा प्रविष्टि तथा दूसरे में वेतनमान से एक वेतनवृद्धि कम किये जाने का दंड दिया गया है। दो अन्य उपभोक्ताओं के मामले में आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत परियोजनाओं पर फर्जी टी० ए० बिल के भरमार की शिकायत तथा कार्यवाही की मांग

90—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परियोजनाओं पर फर्जी टी० ए० बिल की भरमार है? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 24-6-97 जो कि मुख्य मंत्री, उ० प्र० सरकार को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन, लखनऊ में गाड़ियों में भराये जाने वाले पेट्रोल/डीजल में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र एवं कार्यवाही की मांग

91—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन, लखनऊ की कितनी गाड़ियां पेट्रोल/डीजल लेने मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ के पेट्रोल पम्प पर आती हैं? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 22-10-96 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन, लखनऊ की वर्ष 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, एवं 95-96 में लेसू पेट्रोल पम्प से क्रमशः 58, 52, 45, 46 एवं 53 वाहनों में पेट्रोल लिया गया है। लेसू (लखनऊ) पेट्रोल के पम्प पर डीजल वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः डीजल गाड़ियां लेसू मुख्यालय डीजल लेने नहीं आती हैं।

जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक के उक्त पत्र के साथ श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रदेश के सोपाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 22-10-96 भी प्राप्त हुआ था। श्री सिशौदिया ने अपने पत्र में श्री जायसवाल के पत्र पर प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की थी। श्री जायसवाल के उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच करायी गयी जिसकी बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है:–

1—लेसू पेट्रोल पम्प पर प्रतिमाह 12000 लीटर पेट्रोल की आपूर्ति प्राप्त की जा रही है।

2—लेसू पेट्रोल पम्प पर जिन गाड़ियों को पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है, उनका नियमानुसार लेखा-जोखा रखा जा रहा है। परिषदीय नियमानुसार निर्गत किये गये पेट्रोल की एटीडी सम्बन्धित खण्ड को भेजी जाती है तथा उसकी स्वीकृति एटीडी के रूप में प्राप्त की जाती है।

3—लेसू की समस्त गाड़ियों की लाग-बुक मेन्टेन की जाती है और उसी के आधार पर एटीडी स्वीकार की जाती है।

4—लेसू स्थित पेट्रोल पम्प के संचालन में 03 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के मद में प्रतिमाह 16,945 रु० व्यय किये जा रहे हैं। यद्यपि इस अवस्था में कुल 14 पैसे प्रति लीटर का फायदा है परन्तु पेट्रोल की गुणवत्ता सत्यापित रहती है।

5—वर्ष 1996-97 में प्रमुख सचिव, ऊर्जा के वाहन में औसतन 330 लीटर पेट्रोल की खपत हुई जिसमें 4/96 से 10/96 तक की अवधि में 324 लीटर प्रतिमाह की खपत हुई है एवं वर्ष 1997-98 में औसतन 350 लीटर प्रतिमाह पेट्रोल की खपत हुई है।

6—परिषद द्वारा जिन व्यक्तियों को ये वाहन आवंटित किये गये हैं उनके कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जिसका विवरण उनके द्वारा वाहन की लाग-बुक में अंकित किया जाता है।

वर्ष 1998 कुम्भ हरिद्वार में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना

92—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ 1998 हरिद्वार में जो विद्युत उपकेन्द्र बनाये जायेंगे तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी क्या वे सम्पूर्ण पूर्णतः अस्थायी होंगी? यदि हां, तो उनके डिस्मेन्टलिंग की लागत क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

कुम्भ मेला, 1998 में विद्युत आपूर्ति हेतु अधिकांश कार्य स्थाई प्रकृति के कराये गये हैं। केवल कुछ कार्य ही अस्थायी व्यवस्था के रूप में कराये थे।

अस्थायी प्रकृति के कार्यों के डिस्मेन्टलिंग पर लगभग रु० 20.60 लाख का व्यय अनुमानित है।

गोमती नगर लखनऊ में निर्माणाधीन अम्बेडकर उद्यान के कार्य प्रगति की जानकारी

93—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में बन रहे अम्बेडकर उद्यान के निर्माण के लिये प्रशासकीय, वित्तीय तकनीकी स्वीकृतियां कब-कब जारी हुई और निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ? लागत कुल कितनी प्रस्तावित थी और बढ़कर कितनी हो गयी है?

श्री लाल जी टण्डन–

गोमती नगर लखनऊ में निर्माणाधीन अम्बेडकर उद्यान के निर्माण के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण को सहायक अनुदान क्रमशः दिनांक 10-9-95, 30-3-97, 11-4-97, 20-4-97, 12-5-97, 18-7-97 एवं दिनांक 4-9-97 को स्वीकृत किया गया। वाऊन्ड्रीवाल का निर्माण 1995 में तथा अन्य निर्माण कार्य मार्च, 1997 में प्रारम्भ किया गया।

अम्बेडकर उद्यान, अम्बेडकर-स्थल, अतिथिगृह एवं जनसुविधा परिसर परियोजनाओं के लिये शासन द्वारा रु० 83.40 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

प्रदेश में विभिन्न नगर पालिका/परिषदों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

94—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न नगर पालिका परिषदों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कोई शासनादेश जारी किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक शासनादेश जारी कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कल्याणपुर, लखनऊ में पेयजल समस्या के निराकरण की मांग

95—श्री ददू प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याणपुर, लखनऊ में क्षेत्रीय जनता की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ट्यूबवेल एवं पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है? क्या उक्त ट्यूबवेल बनकर तैयार हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जनता के हित में उक्त टंकी के निर्मित हो जाने तक नवनिर्मित ट्यूबवेल से ही जलापूर्ति सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां। ट्यूबवेल का निर्माण हो चुका है और पानी की टंकी निर्माणाधीन

जी हां।

योजना में अब तक 10.50 कि० मी० वितरण प्रणाली बिछाई गई है, जिसमें से 6 कि० मी० पाइप लाइन में नवनिर्मित नलकूप से सीधी पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था कर दी गयी है। शेष पाइप लाइन को भी सीधी पम्पिंग द्वारा चालू करने का कार्य प्रगति पर है।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत भवन निर्माण/मरम्मत अग्रिम आदि के भुगतान में किये गये निर्णयों की जानकारी

96—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत भवन निर्माण/मरम्मत अग्रिम के फण्ड को सचिवालय कर्मियों/अधिकारियों/फील्ड कर्मियों को किस अनुपात में बांटा जाता है तथा उनकी अलग-अलग संख्या क्या है? वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 एवं 1997-98 में उसका अलग-अलग प्रतिशत क्या रहा? कुल कितनी धनराशि मुख्य अभियन्ता कार्यालयों से वापस हुई?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/मरम्मत अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु लेखा शाखा द्वारा आय-व्ययक में धनराशि आवंटन का प्राविधान किया जाता है। लेखा शाखा द्वारा आय-व्ययक में जितनी धनराशि आवंटन का प्राविधान किया जाता है, उसमें से विभिन्न इकाइयों से प्राप्त मांग के अनुसार विभाजन करके परिषद् मुख्यालय एवं अन्य इकाइयों को धनराशि का आवंटन किया जाता है। सचिवालय एवं लेखा कर्मियों/अधिकारियों/फील्ड कर्मियों की संख्या क्रमशः 1733, 4927 व 87.897 है।

वर्ष 1995-96 में सचिवालय कर्मियों, लेखा कर्मियों, अधिकारी वर्ग, जिनके भवन निर्माण/मरम्मत अग्रिम की स्वीकृति परिषद् मुख्यालय द्वारा जारी की जाती है एवं फील्ड कर्मियों, जिनके अग्रिम की स्वीकृति क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है, में आवंटन का प्रतिशत क्रमशः 62.8 प्रतिशत एवं 37.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 1996-97 में उक्त आवंटन का प्रतिशत क्रमशः 68 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 1997-98 में आवंटन का प्रतिशत 35.7 एवं 64.3 रहा।

अधिकारिक वर्ग का वेतनमान उच्च होता है, फलस्वरूप उन्हें नियमानुसार भवन निर्माण/भवन मरम्मत अग्रिम की धनराशि अधिक अनुमन्य हो जाती है।

जहां तक स्वीकृत अग्रिम की मुख्य अभियन्ता कार्यालयों से वापसी का सम्बन्ध है, ऐसी कोई सूचना आय-व्ययक अनुभाग स्तर पर नहीं रखी जाती है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित आवासीय भवनों एवं विद्युत उपकेन्द्रों के भवनों में सेवानिवृत्त एवं स्थानान्तरित कर्मचारियों के अवैध कब्जों को खाली कराने की मांग

97—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित आवासीय भवनों एवं विद्युत उपकेन्द्रों के भवनों पर ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवा समाप्त कर दी गयी है या अन्य लखनऊ के बाहर कार्यालय में कार्यरत हैं और अवैध रूप से भवनों पर कब्जा किये हुये हैं? क्या उनसे आवास खाली कराने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऐसे कुल चार कर्मचारी हैं जो अवैध रूप से भवनों पर कब्जा किये हुए हैं। उक्त चार में से दो कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं और अवशेष दो कर्मचारी ऐसे हैं जो सम्प्रति लखनऊ के बाहर स्थानान्तरण के पश्चात् भी कब्जा किये हुए हैं।

आवास खाली कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण खण्ड कार्यालयों में भुगतान/अनुरक्षण कार्यों में उपभोक्ताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए उपखण्डों में तैनाती

98—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड कार्यालयों के साथ उपखण्ड कार्यालयों की तैनाती जिला मुख्यालयों पर क्यों की जाती है? क्या यह सही है कि जिला मुख्यालयों पर उक्त कार्यालयों के स्थित होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को जिलों के भुगतान/अनुरक्षण कार्यों आदि के लिये काफी दूरी तय करनी पड़ती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालयों व अधिकारियों की तैनाती कार्य-स्थल पर करने हेतु कोई योजना बनायेंगे? यदि हां, तो कब तक? क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत 33/11 के० वी० उपविद्युत केन्द्र का उपखण्ड कार्यालय जो ठेकमा में स्वीकृत है उसे जिला मुख्यालय पर तैनात किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालय ठेकमा/बरदह में बनवा कर उस पर कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अनपरा ओबरा/हरदुआगंज/टाण्डा तापीय परियोजना के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिलीव के बाद भी सरकारी आवासों को खाली न करने के कारणों की जानकारी

99—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा ओबरा/हरदुआगंज/टाण्डा तापीय परियोजना के अधीन कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जो रिलीव के बाद भी परियोजना की कालोनी में रहते रहे? उनमें से कितनों के विरुद्ध दण्डात्मक किराया लगाया गया? क्या यह सत्य है कि उनकी वसूली रोक दी गई है? यदि हां, तो किसके आदेश से।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

चारों परियोजनाओं के 80 अधिकारी/कर्मचारी रिलीव होने के बाद भी परियोजना की कालोनी में रहते रहे। 80 में से 74 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक किराया लगाया गया।

जी नहीं।

अनपरा परियोजना में, सक्षम अधिकारी/समिति की संस्तुतियों पर, महाप्रबन्धक द्वारा तथा हरदुआगंज में माननीय स्थानीय न्यायालय के आदेशों के पालन में वसूली रोकी गयी। ओंवरा तथा टाण्डा परियोजना में वसूली नहीं रोकी गयी।

100—श्री हरदेव सिंह–

[5वे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव, उ० प्र० रा० वि० प० द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही

101—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव, उ० प्र० रा० वि० प० द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में श्री व्रज भूषण सिंह, कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 17-8-97 एवं 26-8-97 जोकि क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्य मंत्री, उ० प्र० सरकार को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत प्रशिक्षकों की नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता के दिनांक 23-3-98 के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

102—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रशिक्षकों की नियुक्ति किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-3-98 के पत्र के संदर्भ में आपके पत्रांक 2459/वी० आई पी०/1998 दिनांक 16-4-98 पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है। यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

राज्य विद्युत परिषद् में (भूमि विस्थापितों, आरक्षित वर्ग एवं मृतक आश्रित को छोड़कर) सामान्य भर्ती पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जायेगी और प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को आवेदन करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार वरीयता दी जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-01-95 के अनुपालन हेतु आवश्यक आदेश परिषद् द्वारा दिनांक 19-6-96 व 4-10-97 को निर्गत किये जा चुके हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशिक्षुओं को सीधे नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी कोई आदेश नहीं दिये गये हैं वरन नियुक्तियों हेतु किये जाने वाले चयनों में इन प्रशिक्षुओं को अन्य बातों के समान रहते हुए अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता प्रदान करने के आदेश हैं।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 व 1986-87 में गावों के विद्युतीकरण के बाद तारों के चोरी होने की शिकायत तथा पुनः विद्युतीकरण करने की मांग

103—श्री रामजग–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 व 1986-87 में विगत 11 वर्षों पूर्व ग्राम सभा समुआ, जलिहापुर, सेंधरौली, कंथरी, डकैली, नयागांव, भेजहटा, खुर्दा आदि गांवों का सर्वे के आधार पर विद्युतीकरण कराया गया था? क्या

विद्युतीकरण कराने के 6 माह पश्चात् ही बिजली के तार चोरों द्वारा काट लिये गये थे? लगभग 12 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा पुनः तार लगवाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी? क्या मंत्री जी उपरोक्त गांवों का पुनः विद्युतीक्रण कराते हुए विभाग द्वारा बरती गयी अनियमितता एवं शिथिलता की जांच करांकर दोषियों को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

इन ग्रामों में कोई वैध विद्युत कनेक्शन न होने के कारण चोरी गये तारों को बदलवाने की कार्यवाही नहीं की गई जिसके लिये कोई कर्मी दोषी नहीं है।

जलेसर, एटा में नगर पालिका के दो स्वर्गीय सदस्यों के नाम पर मार्गों का नामकरण करने के सम्बन्ध में जानकारी

104—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 6ठें शुक्रवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–16 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्गों का नामकरण अब तक स्व० वरिष्ठ सदस्यों के नाम से क्यों नहीं किया गया? कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ जल संस्थान वार्ड में आई० टी० कालोनी में बने शौचालय (क्रिया घर) के बड़ा किये जाने की मांग

105—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के जल संस्थान बोर्ड में आई० टी० कालोनी में "क्रिया घर" स्थित है, जहां पर सैकड़ों व्यक्ति क्रिया के लिये जाते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस क्रिया घर को विकसित करवायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

प्रस्ताव नगर निगम की कार्यकारिणी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। स्वीकृति के उपरान्त विकास कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में थर्मल पावर फैक्ट्री की स्थापना की मांग

106–श्री बाबू खां–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में थर्मल पावर फैक्ट्री स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? क्या इसमें ली गयी किसानों की भूमि का मुआवजा स्थानीय मूल्य के अनुसार दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

यह ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र में मेसर्स रोजा पावर सप्लाई कम्पनी लि० के द्वारा स्थापित किया जाना है । इसके लिए विकासकर्ता द्वारा फाईनेंशियल क्लोजर के 37 माह उपरान्त प्रथम इकाई स्थापित करना प्रस्तावित है । अभी फर्म का फाईनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ है । निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ।

रोजा ताप विद्युत गृह के लिए भूमि का अधिग्रहण उ० प्र० औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है इसका मुआवजा नियमानुसार दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पंचायत निचलौल, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज तथा जनपद सुल्तानपुर में नगरपालिका परिषदों नगर पंचायतों में निहित ग्राम समाज की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, आवंटन, निस्तारण आदि की प्रक्रिया का निर्देशन

107–श्री तेज भान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव नगर विकास द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को प्रेषित शासनादेश संख्या–796/1/9-8-95-48/1/94, दिनांक 15 नवम्बर, 1995 द्वारा नगरपालिका परिषदों, नगर पंचायतों में निहित ग्राम समाज की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, आवंटन, निस्तारण की कोई प्रक्रिया का निर्देशन किया गया है ? यदि हां, तो वह निर्देश क्या है ? क्या सरकार द्वारा नगर पंचायत निचलौल, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज तथा नगर पंचायत, जनपद सुल्तानपुर में उक्त निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 15 नवम्बर, 1995 की प्रति संलग्न है । †

जी हां । कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा एरियर भुगतान की मांग

108–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण रायबरेली में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण नये वेतनमान में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्धारित वेतन के एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिज़वी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप श्रमायुक्त, मिर्जापुर क्षेत्र द्वारा अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के जलापूर्ति में कार्यरत श्रमिकों को नियमित करने की कार्यवाही

109–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उप श्रमायुक्त, मिर्जापुर क्षेत्र द्वारा अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के जलापूर्ति में कार्यरत 30 संविदा श्रमिकों को नियमित करने हेतु स्थलीय परीक्षण कर 11-10-96 को माननीय श्रमायुक्त, कानपुर को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर 31-3-98 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां । उप श्रमायुक्त, पिपरी द्वारा अनपरा तापीय परियोजना में जलापूर्ति के कार्य में 30 ठेका श्रमिकों के संबंध में जांचोपरान्त वस्तुस्थिति के संबंध में श्रमायुक्त को आख्या/विवरण प्रेषित किया गया ।

उक्त आख्या प्राप्त होने पर श्रमिकों की यूनियन को उत्तर प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) नियमावली के नियम 25–2(5) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया । श्रमिक यूनियन द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है ।

मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर में स्वीकृत कोल्ड स्टोरेज की संख्या की जानकारी उनकी क्षमता से अधिक विद्युत बिल आने की शिकायत

110–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर में कुल कितने कोल्ड स्टोरेज हैं ? उनके नाम स्वीकृत भार एवं कोल्ड स्टोरेज की क्षमता क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जून, 1997 में अलग-अलग कोल्ड स्टोरेज द्वारा विद्युत मद में कितना-कितना भुगतान किया गया ? क्या यह सत्य है कि कम क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के बिल अधिक आ रहे हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर में 49 कोल्ड स्टोरेज हैं ।

सूची संलग्न है (संलग्नक–1)

सूची संलग्न है (संलग्नक–1)

जी हां ।

विद्युत उपभोग कोल्ड स्टोरेज की भरी हुई क्षमता तथा उसके ठण्डा करने की विधा पर निर्भर है । अतः संलग्न सूची के अनुसार कम क्षमता के शीतगृहों के बिल अधिक क्षमता के शीतगृहों से कम भी हैं तथा ज्यादा भी हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 225–226 पर) ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ में विगत दो वर्षों में अतिकाल भत्तों का भुगतान

111–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ के अधीन प्रतिवर्ष कितना ओवर टाइम दिया जा रहा है ? क्या इस संबंध में फर्जी ओवर टाइम के भुगतान संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक एवं माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 11-2-97 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मुख्य अभियन्ता (लेसू) के अधीन विगत दो वर्षों में निम्नवत् अतिकाल भत्ते का भुगतान किया गया :—

वर्ष 1995-96 : रु० 1,71,23,337.00

वर्ष 1996-97 : रु० 1,23,81,450.21

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की नगरपालिका परिषद् तिलहर में कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान

112–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की नगरपालिका परिषद् तिलहर में कर्मचारियों का वेतन माह सितम्बर, 1997 से मार्च, 1998 तक का वितरण अभी तक क्यों नहीं हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि वेतन वितरण न होने से नगरपालिका परिषद् तिलहर के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका परिषद् तिलहर के कर्मचारियों को अवशेष वेतन शीघ्र दिलवाने हेतु सरकार से अनुदान दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद्, तिलहर में सभी कर्मचारियों का माह मार्च, 1998 तक का वेतन वितरित किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

नगरपालिका परिषद्, तिलहर के कर्मचारियों के शेष दो माह (अप्रैल एवं मई, 1998) के वेतन भुगतान के लिए अनुदान अवमुक्त किया जा चुका है और वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव, नगरपालिका, बिलग्राम हरदोई लेखाकार के सेवानिवृत्त के बाद अवशेष के भुगतान की मांग

113–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव वर्ष 1990 में नगरपालिका, बिलग्राम हरदोई में लेखाकार पद से सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या अवशेष धनराशि का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में लोक शिकायत निदेशालय, अनुभाग–4 के पत्र सं०-वी०आई०पी०/–6/1996/1(31)96/लो० शि०–4, दिनांक 8-3-96 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० शासन, लखनऊ को बकाया भुगतान के संबंध में निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

समस्त अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी में स्थित मकानों/प्लाटों के अवैधानिक कब्जे को समाप्त करने की मांग

114–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी में स्थित मकानों/फ्लैटों में रहने वाले कितने आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने लखनऊ में ही अपना निजी मकान बनवा रखा है, उसके बावजूद लखनऊ नगर निगम की उक्त रिवर बैंक कालोनी के मकानों/फ्लैटों में रह रहे हैं ? क्या ऐसे आवंटियों का आवंटन निरस्त कर जरुरतमन्द व्यक्तियों को आवंटन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विभाग को ऐसे 5 आवंटियों की जानकारी प्राप्त हुई है ।

जी हां ।

नियमानुसार निरस्तीकरण होने पर ।

मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र के अधीन राजस्व संबंधी घोटाले व भ्रष्टाचार

115–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र के अधीन राजस्व संबंधी घोटाले एवं भ्रष्टाचार के कितने मामले फरवरी, 1998 तक लम्बित हैं ? कितनों में जांच पूर्ण कर दी गयी ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके नाम पदनाम एवं तैनाती स्थान क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिन्होंने नापीय परियोजना पर निर्धारित अवधि नहीं बितायी है ? क्या इनको नापगृह में भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

फरवरी, 1998 तक 37 मामले लम्बित थे ।

6 मामलों में प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर ली गयी है

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विज्ञप्ति दिनांक 18-9-91 तथा 12-7-95 द्वारा यथा संशोधित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली में ताप विद्युत गृहों पर तैनाती हेतु यथानिर्धारित अवधि में पूर्ण न करने वाले लेसु तथा लखनऊ जोन में तैनात सहायक अभियन्ताओं की संख्या सम्प्रति तीन है ।

असाधारण व्यक्तिगत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही उन्हें तापीय परियोजनाओं से विलग किया गया था । अतः उक्त परिस्थितियों के निदान के उपरान्त ताप गृह में भेजा जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 227–228 पर) ।

116–श्री हरदेव सिंह–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।

117–श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

सुरेश चन्द्र शर्मा, ग्राम सहार, जिला–मथुरा के राशन डीलर के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

118–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, ग्राम सहार, जिला मथुरा का गांव के राशन डीलर के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–सी०-एम०/वि० कां०/एम०–3/8714/मथुरा/98, दिनांक 6 मार्च, 1998 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

जी हां, ग्राम सहार के राशन डीलर श्री राम बाबू के विरुद्ध राशन सामग्री वितरित न करने की प्राप्त शिकायत की जांच करायी गयी । जांचोपरान्त वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उक्त विक्रेता का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित किया गया ।

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में कार्यरत कर्मचारियों को वरिष्ठ वाणिज्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने का मामला

119–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तुत निगम में अनियमित रूप से 36 कर्मचारियों की वरिष्ठ वाणिज्य निरीक्षक के पदों पर की गयी पदोन्नति के संबंध में खाद्य प्रकोष्ठ की जांच रिपोर्ट दिनांक 17 नवम्बर, 1997 क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त जांच रिपोर्ट में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज़ रिज़वी–

खाद्य प्रकोष्ठ की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि निगम के 36 कर्मचारियों की अनियमित रूप से पदोन्नति की गयी है ।

जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, श्री मदन मोहन सिंह, पी०सी०एस०, तत्कालीन मुख्य सामान्य प्रबन्धक, श्री के० आर० शिल्पकार और तत्कालीन प्रभारी अधिकारी (अधिष्ठान) श्री हबीब खान को दोषी बताया गया है ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

120–श्री अजय कुमार पोइया–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत सीवेज फार्मस की देख-रेख हेतु नगर निगम स्टाफ पर व्यय का वर्षवार विवरण

121–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत सीवेज फार्मस की देख-रेख हेतु नियुक्त निगम के स्टाफ पर विगत पांच वर्षों में कितना-कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त फार्मस से उक्त अवधि में निगम को कितनी-कितनी आय हुई है ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत सीवेज फार्मस की देख-रेख हेतु नगर निगम स्टाफ पर विगत पांच वर्षों में रु० 25,03,098.00 व्यय हुआ है ।

उक्त पांच वर्षों में नगर निगम को निम्नानुसार आय हुई है :–

वर्ष	आय
1993-94	रु० 6,19,579
1994-95	रु० 4,20,883
1995-96	रु० 5,33,336
1996-97	रु० 8,21,971
1997-98	रु० 11,89,237
कुल	रु० 35,85,006

किट प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर, हरदोई में तीन वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

122–श्री बाबू खां–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि किट प्लाई शुगर फैक्ट्री, रूपापुर, हरदोई में लगातार तीन वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं, प्रश्नगत मिल जनवरी, 1996 में स्थापित हुई है । अभी तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं । वैक्यूम पैन चीनी मिलों के लिए लागू स्थाई आदेश के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों को स्थाई/नियमित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुहल्ला जलालनगर, नगरिया शाहजहांपुर में जमा कूड़ा-करकट हटाये जाने की मांग

123–श्री बाबू खां–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुहल्ला जलालनगर, नगरिया शाहजहांपुर में गत एक वर्ष से मलमूत्र एवं कूड़ा इक्ट्ठा है ? यदि हां, तो कब तक वहां से मलवा हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कूड़ा हटाया जा चुका है तथा नियमित रूप से हटाये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

जिला–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के कतिपय गांव हड़हवा, हरनाटायर, बक्सरा आदि गांवों में विद्युतीकरण

124–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ग्राम हड़हवा, गड़रही, हरनाटायर, बक्सरा, भोपतपुर, दीन नगर, बौगड़ा, परसापुर केहड़ौर धनेसरपुर, लिटेहना, हरदवा दुर्जनपुर, बन्धवा ग्रामों का सर्वे करवाकर इस वित्तीय वर्ष में ऊर्जीकरण करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो ऊर्जीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के केवल ग्राम गड़रही का विद्युतीकरण प्रस्तावित है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण वर्तमान में किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है ।

ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य उ० प्र० शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कराया जाता है । अतः उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण (गड़रही के अतिरिक्त) शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत वर्णित न होने के कारण विचाराधीन नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं में परिषदीय आदेशों के विपरीत अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता देने से हुई क्षति के संबंध में प्रश्नगत पत्र पर कार्यवाही

125–श्री अजय कुमार पोद्दार तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं में परिषदीय आदेशों के विपरीत अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता देकर परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने विषयक श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 30-3-92 एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 17-8-97 जो कि क्रमशः ऊर्जा मंत्री एवं मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पूर्व विधायक श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल का पत्र प्राप्त हुआ, परन्तु श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

मा० पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 30-3-92 में परिषद् की पनकी एवं हरदुआगंज तापीय परियोजनाओं में तैनात अवर अभियन्ताओं को परिषदीय आदेशों के विपरीत वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने एवं इस अनियमितता के फलस्वरूप परिषद् को वित्तीय क्षति होने की शिकायत की गयी थी ।

प्रश्नगत प्रकरण में उक्त परियोजनाओं के महाप्रबन्धकों से आख्या मंगायी गयी थी । आख्यानुसार ऐसे अवर अभियन्ताओं, जो अनुरक्षण कार्यों पर या ऐसे कार्यों पर कार्यरत हैं जिन्हें अपने स्कूटर/मोटर साइकिल को परिपद् कार्य में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, को ही परिषदीय आदेश दिनांक 14-2-75 व 3-3-84 के अनुसार वाहन भत्ता अनुमन्य कराया गया है । जो अभियन्ता शिफ्ट ड्यूटी अनुरक्षण कार्यों पर या ऐसे कार्यों पर कार्यरत हैं जिन्हें परिषदीय कार्य में अपने स्कूटर मोटर साइकिल प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं किया है ।

126–श्री विशन सिंह चुफाल–

[अे मंगलवार में अता० प्र० सं०–162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

उत्तरांचल में गांव पंचायतों में विद्युतीकरण की मांग

127–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भी जिन ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण के लिए चयन हुआ है, उन ग्राम पंचायतों को मात्र 10 एल०-टी-पोल दिये जा रहे हैं जिनसे पूरी ग्राम पंचायत के परिवारों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या इन एल-टी-पोलों की संख्या बढ़ाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वित्तीय सीमा के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राम का विद्युतीकरण किये जाने के मानक हैं । खम्भे की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ सुरिगढ़ विद्युत परियोजना में लगे उपकरणों तथा उनकी कार्य क्षमता की जानकारी

128–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सुरिगढ़ विद्युत परियोजना जो कि 1985 में बनी थी पर कितने किलोवाट के उपकरण लगने थे तथा वर्तमान समय में उक्त योजना में कितने किलोवाट के उपकरण लगे हुए हैं ? इस योजना से कितना विद्युत उत्पादन का लक्ष्य था एवं वर्तमान में कितनी विद्युत उत्पादित हो रही है ? क्या योजना सुचारु रूप से चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

2x400 किलोवाट के उपकरण लगने थे ।

2x400 किलोवाट के उपकरण लगे हैं ।

योजना से विद्युत उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है । वर्ष 1997-98 में 531785 यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

129–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

गन्ने वाली गली अमीनाबाद लखनऊ के भवन स्वामियों के मृत्यु के बाद पुत्रों को स्वामित्व देने हेतु मुख्य नगर अधिकारी लखनऊ को प्रेषित पत्र

130–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण राज्य मंत्री का पत्र संख्या 638/वी०आई०पी०/98, दिनांक 17-4-98 जो कि गन्ने वाली गली अमीनाबाद लखनऊ के कुछ भवन स्वामियों की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के नाम नगर निगम के अभिलेखों में अंकित किये जाने के संबंध में मुख्य नगर अधिकारी लखनऊ को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

भवन संख्या–100/150, गन्ने वाली गली, अमीनाबाद लखनऊ की भवन स्वामिनी श्रीमती जग्गो देवी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों श्री जे० सी० शर्मा व श्री पी० सी० शर्मा के नाम नगर निगम के अभिलेखों में अंकित किये जाने हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा –213 के अन्तर्गत दिनांक 1-6-1998 को नोटिस जारी की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर की नगरपालिका परिषद् उतरौला में गृहकर नियमावली के प्राविधानों के आधार पर गृहकर की वसूली

131–श्री उवैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर की नगरपालिका परिषद् उतरौला में वर्तमान समय में गृहकर किस आधार पर वसूला जा रहा है ? क्या इस हेतु नगरपालिका परिषद् द्वारा कोई असेसमेंट कराया गया है ? यदि नहीं, तो गृहकर का निर्धारण किस प्रकार किया गया है ? क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा मनमाने ढंग से गृहकर की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

गृहकर नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत गृहकर की वसूली की जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर आगरा के मुहल्लों में गन्दगी को साफ कराये जाने की मांग

132–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आगरा में मुहल्लों में गन्दगी का ढेर सड़कों पर नाले व नालियों का गन्दा पानी होने के कारण आम जनता को आवागमन में असुविधा है ? प्रदूषण फैलने से लोगों को भी खतरा होना सम्भावित है ? क्या इस संबंध में शासन द्वारा उक्त नगर को प्रदूषण रहित व स्वच्छ रखे जाने हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रतिदिन नियमित रूप से मोहल्लों की सफाई कराने के साथ-साथ कूड़ा उठवाया जाता है। सड़कों पर नाले व नालियों का गन्दा पानी अत्यधिक वर्षा होने पर ही फैलता है। जल निकासी हो जाने के बाद सड़कों की सफाई करा दी जाती है, जिससे प्रदूषण फैलने का खतरा समाप्त हो जाता है।

जी हां। आगरा नगर की ड्रेनेज प्रणाली में सुधार हेतु तथा सालिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु ड्रेनेज योजना रु० 565.38 लाख की और सालिड वेस्ट डिस्पोजल योजना 749.00 लाख रु० स्वीकृत की गयी है। जिसके विरुद्ध ड्रेनेज योजना हेतु वर्ष 1997-98 के लिए 100.00 लाख एवं वर्ष 1998-99 में 33.00 लाख रु० और सालिड वेस्ट डिस्पोजल योजना के लिए वर्ष 1997-98 में 342.00 लाख रु० तथा वर्ष 1998-99 में 100.00 लाख रु० स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

रुदौली नगर पालिका परिषद् तथा रुदौली देहात क्षेत्र में विद्युत सप्लाई

133—श्री राम देव आचार्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुदौली नगर पालिका परिषद् तथा रुदौली देहात क्षेत्र को कितने घण्टे विद्युत सप्लाई दी जा रही है? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रुदौली नगर पालिका परिषद् के विद्युत उपभोक्ताओं तथा देहात क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत दर वसूलने का दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है? यदि रुदौली देहात की तरह रुदौली नगर को भी देहात श्रेणी में माना गया है तो क्या देहात की तरह यहां के विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर सरकार हटायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

रुदौली नगर परिषद् को औसतन 14.30 घंटे तथा रुदौली देहात को 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जाती है।

परिषद् के वर्तमान विद्युत टैरिफ के अनुसार ऐसे क्षेत्र जिनकी आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 15000 तक है और उन्हें ग्रामीण अधिसूची के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तो उन्हें अनमीटर्ड पद्धति (फ्लेट टैरिफ) पर विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्राविधान है अन्यथा की अवस्था में उन्हें मीटर्ड पद्धति पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, चूंकि रुदौली नगर पालिका परिषद् की आबादी 15000 से अधिक है अतः यहां पर मीटर लगाकर कनेक्शन दिये गये हैं। जबकि देहात क्षेत्र में फ्लैट टैरिफ में विद्युत आपूर्ति की जाती है।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर के ग्रामों का विद्युतीकरण

134—श्री ददृ प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–छत्रपति शाहूजी महराज नगर में कुल कितने ग्राम विद्युतीकृत हैं ? उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कुल 267 ग्राम विद्युतीकृत है।

†सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

कटघर लालगंज, नगर पंचायत जनपद आजमगढ़ में कन्या विद्यालय खोले जाने की मांग

135—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कटघर लालगंज, नगर पंचायत जनपद आजमगढ़ में कन्या विद्यालय के लिये आरक्षित पांच एकड़ भूमि खण्ड पर अतिक्रमण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

नगर पंचायत कटघर लालगंज में भूखण्ड संख्या 847 में 4.260 एकड़ व 869 रकवा में 0.288 एकड़ कन्या विद्यालय के नाम अंकित है जिसके आंशिक रकवा पर अतिक्रमण किया जा चुका है।

अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम शेखपुर बछौली ब्लाक लालगंज जिला आजमगढ़ में विद्युतीकरण

136—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम शेखपुर बछौली ब्लाक लालगंज जिला आजमगढ़ में लगभग 3 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण के लिए चौदह खम्भे गाड़े गये लेकिन तार नहीं खींचा गया तथा विद्युतीकरण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

लगभग 3 वर्ष पूर्व ग्राम शेखपुर बछौली के 38 उपभोक्ताओं ने विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन पत्र दिये थे जिसके लिये रु० 71,232.00 का प्राक्कलन बनाकर नियम एवं शर्तें निर्गत की गईं। इनमें से केवल 27 आवेदकों द्वारा ही धनराशि जमा की गई। शेष उपभोक्ताओं द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण निर्धारित 15 प्रतिशत की वांछित वापसी सम्भव नहीं थी। अतः यह कार्य बीच में ही रोक दिया गया।

इन उपभोक्तओं को कनेक्शन निर्गत करने के उद्देश्य से वर्तमान दरों पर रु० 1,33,640.00 का प्राक्कलन बनाया गया एवं इसके आधार पर उनको नियम एवं शर्तें निर्गत की जा चुकी हैं। आवेदकों द्वारा वांछित धनराशि जमा कराने के बाद ही कनेक्शन निर्गत करना सम्भव होगा। अतः विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित कराना सम्भव नहीं है।

उत्तरांचल चाय विकास परियोजना में व्यय धनराशि तथा परियोजना में रोजगार देने की मांग

137—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चम्पावत में "चाय बगान" परियोजना पर अभी तक कितना व्यय किया जा चुका है? इस परियोजना से क्षेत्र के कितने लोगों को

---

†सूची छापी नहीं गई।

रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं? क्या शासन इस परियोजना के विस्तारीकरण पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

उत्तरांचल चाय विकास परियोजना के अन्तर्गत चम्पावत में रुपया 42.20 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष 1993-94 से प्रारम्भ परियोजना से 1997-98 तक 93569 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

जी नहीं।

अभी योजना के विस्तारीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान में हुई अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान देने में भारी अनियमितता से परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति संबंधी श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 29-8-96 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को संबोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

परीक्षण किया गया। जांच की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

139–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[4थे मंगलवार के अना० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के संबंध में सचिव आवास को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री ददद् प्रसाद–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-6-97 पर मुख्य मंत्री के पृष्ठांकन आदेश एम–1/67–66/बांदा/97, सचिव आवास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-97 उक्त पृष्ठांकन आदेश के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र, जिसमें एक सहायक लेखाकार की लेखाकार के पद पर पदोन्नति का विषय निहित है, पर कार्यवाही सम्प्रति सम्भव नहीं है, क्योंकि सहायक लेखाकार (पोषक संवर्ग) की ज्येष्ठता अवधारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

अम्बेडकर गांवों तथा गांधी ग्रामों के विकास हेतु चयन आदि के मानकों की जानकारी

141–श्री समर पाल सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अम्बेडकर गांवों के चयन का आधार बदल दिया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में अम्बेडकर गांवों के चयन का मानक क्या है? क्या सरकार द्वारा अम्बेडकर गांवों के साथ-साथ गांधी ग्रामों के विकास की योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी–

वर्ष 1998-99 में अम्बेडकर गांवों के चयन के आधार में वर्ष 1997-98 की तुलना में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वर्ष 97-98 में सर्वप्रथम उन्हीं गांवों में से अम्बेडकर गांवों का चयन किया जाना जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी। 30 प्रतिशत का अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी वाले गांव न उपलब्ध हो पाने की दशा में विधान सभा क्षेत्र के अवशेष ग्रामों को अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी के अवरोही क्रम में रखकर चयन करने के निर्देश थे। किन्तु वर्ष 1998-99 में अनुसचित जाति/जनजाति की 30 प्रतिशत जनसंख्या की बाध्यता समाप्त करके विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों को अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीवद्ध करते हुए सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों के चयन के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में अम्बेडकर ग्रामों के चयन हेतु जिलाधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

1–प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के समान आच्छादन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के 10 राजस्व ग्रामों को वर्ष 1998-99 के लिए अम्बेडकर ग्राम चयनित किया जाय।

2–यदि विधान सभा क्षेत्र दो जनपदों में फैला हो तो विधान सभा क्षेत्र के कुल राजस्व ग्रामों में जनपदों के राजस्व ग्राम के अनुपात में इन 10 ग्रामों की संख्या विभाजित की जाय।

3–विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या को आरोही क्रम में सूचीवद्ध करते हुए सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों का चयन किया जाय एवं पूर्व में चयनित ग्रामों को छोड़ते हुए ग्रामों का चयन किया जाय। ग्रामों के चयन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के संबंध में न्यूनतम प्रतिशत की कोई बन्दिश नहीं रहेगी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 में उनकी 125वीं जयन्ती सम्पूर्ण प्रदेश में मनाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 8-8-95 को प्रदेश के 901 ग्रामों तथा अपवाद स्वरूप 2 अन्य ग्रामों में अर्थात् कुल 903 ग्रामों में गांधी ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड के एक ग्राम का चयन किया गया जहां पर गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या सर्वाधिक है। चयनित गांधी ग्राम अम्बेडकर विकास योजना से आच्छादित नहीं है।

जिला–गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र उतरौला में चयनित ग्राम पंचायत अम्बेडकर ग्राम योजना में स्वीकृत आगणन के आधार पर कार्य न कराने की शिकायत तथा अधूरे कार्य को पूरा कराने की मांग

142–श्री उवैदुर्रहमान–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें अम्बेडकर ग्राम योजना में स्वीकृत की गयी थीं ? कितने लागत का आगणन बनाया गया था ? स्वीकृत धनराशि किन-किन मार्गों पर किस-किस कार्य के लिए व्यय की गयी है और सम्पर्क मार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है ? कार्य कराये जाने का मानक क्या था ? क्या कार्य मानक के अनुसार नहीं

कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्ता की जांच करावेगी और अधूरे कार्य को पूर्ण करावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा महानगर में नामनेर चौराहा पर नगरमहापालिका द्वारा निर्मित दुकानों के टूट जाने के बाद नई दुकानें बनाकर आवंटित करने की मांग

143–डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा महानगर में 12-11-92 को नामनेर चौराहा पर नगर महापालिका द्वारा निर्माणित 8 दुकानों को अधिकारियों द्वारा तुड़वा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या विस्थापित लोगों को इनके स्थान पर नई दुकानें बनाकर नगर निगम द्वारा आवंटित की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नामनेर चौराहे के पास लारीज होटल की पश्चिमी दीवाल से लगे नगर निगम के 8 लकड़ी के खोके थे जो 8 व्यक्तियों को अस्थाई रूप से नगर निगम द्वारा आवंटित किये गये थे । इन लकड़ी के खोकों को दिनांक 12-11-92 को स्वतन्त्र आवागमन व यातायात में असुविधा होने पर जिला प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया था ।

जी नहीं ।

इसकी कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है ।

जनपद आगरा के जल संस्थान हेतु खरीदे गये केमिकल्स पर वर्ष 1996-97, 1997-98 में व्यय किये गये धन की जानकारी

144–डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के जल संस्थान में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में कितने धन के केमिकल्स शुद्धिकरण हेतु खरीदे गये ? क्या इन्हें निविदा अधिनियम के अन्तर्गत खरीदा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निविदा अधिनियम के अन्तर्गत खरीद न करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1996-97 में रु० 169.87 लाख तथा वर्ष 1997-98 में रु० 184.04 लाख के रसायन क्रय किये गये ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा महानगर में पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र की मलिन बस्तियों में किये गये विकास कार्य हेतु आवंटित धन के विवरण की जानकारी

145–डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 व 1997-98 में आगरा महानगर में पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र मलिन बस्तियों में कितने धन के विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या सूडा (सूडा) द्वारा उपरोक्त स्थानों हेतु आवंटित धन को विकास कार्यों में खर्च कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1996-97 में आगरा के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में कुल रु० 15.16.640.00 की धनराशि के तथा वर्ष 1997-98 में कुल रु० 1.19.15.898.00 के विकास कार्य कराये गये हैं ।

वर्ष 1996-97 को आवंटित धनराशि व्यय कर ली गयी है एवं 1997-98 हेतु आवंटित धनराशि का अधिकतम भाग व्यय हो चुका है तथा निर्माण कार्य चल रहे हैं ।

वर्ष 1997-98 में विकास कार्यों हेतु चूंकि धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में अवमुक्त की गयी और विकास कार्यों के नियमानुसार पूर्ण होने में समय लगता है अतः 1997-98 के प्रस्तावित विकास कार्य अब समाप्ति की ओर हैं ।

जनपद आगरा, फतेहाबाद विकास खण्ड के ग्राम रूपपुर में 33/11 के०वी०ए० के विद्युत उपकेन्द्र को चालू किये जाने की मांग

146–श्री विजयपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के अन्तर्गत फतेहाबाद विकास खण्ड के ग्राम रूपपुर में 33/11 के०वी०ए० का विद्युत उपकेन्द्र निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसे चालू होने में कितना समय लगेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

शीघ्र ऊर्जीकृत किया जायेगा ।

जनपद आगरा में नगर निगम में सफाई कार्य के उपकरण खरीदने में की गयी कथित धांधली

147–श्री विजयपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 व 1997-98 में आगरा नगर निगम में सफाई उपकरण खरीदे गये थे ? यदि हां, तो कितना धन खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त उपकरणों की खरीद में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? क्या उपकरण खरीद हेतु टेण्डर क्रिया अपनाई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लालजी टण्डन–

जी हां, नगर निगम आगरा द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 में सफाई उपकरण क्रय किये गये सफाई उपकरण आयुक्त से प्राप्त अनुदान से टिपर ट्रक 13, लोडर 5, सीवर क्लीनिंग वैक्यूम मशीन 2

डम्पर प्लेसर विन्स 16, जे०सी०वी० 1, व्हील वैराज 200 नग क्रय किये गये इन उपकरणों की खरीद पर 144.80 लाख रुपया व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका परिषद्, उतरौला जनपद बलरामपुर का परिसीमन कराने में आबादी क्षेत्र को सुनिश्चत करने तथा नगरपालिका की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

148–श्री उवैदुर्रमान–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद्, उतरौला, जनपद बलरामपुर का परिसीमन कराया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन क्षेत्र आबादी में सम्मिलित किया गया है ? क्या उन्हें नगरपालिका परिषद् की सभी सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगरपालिका परिषद्, उतरौला, जनपद बलरामपुर का सीमा-विस्तार विज्ञप्ति दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 द्वारा हुआ है ।

1–आंशिक छिपिया व मोहाल दिलाव जोत

2–वृन्दावन

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल मण्डल मुख्यालय नगरपालिका परिषद् पौड़ी के 'ए' श्रेणी नगर की मान्यता के आधार पर मकान किराया भत्ता के बढ़ाये जाने की मांग

149–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल मण्डल मुख्यालय नगरपालिका परिषद् पौड़ी को शासनादेश संख्या–66/वि०एम०नो०–9-97-3घोषणा/1997, दिनांक 16-7-97 द्वारा ''ए'' श्रेणी का बनाया गया है ? क्या ''ए'' श्रेणी के नगरों का मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराने हेतु शासन के पूर्व शासनादेश संख्या–जी–1–1432/दस–262/88, दिनांक 26-09-1998 के स्तम्भ तीन से परिवर्तित कर स्तम्भ दो में रखने का शासनादेश जारी करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जनसंख्या एवं ऊंचाई के आधार पर मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता की श्रेणी निर्धारित की जाती है । नगरपालिका परिषद्, पौड़ी की जनसंख्या एवं ऊंचाई के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

150–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० संख्या–174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में सिकन्दरा, बारहखम्भा, घोलू का नगला आदि गड्ढों के पानी के निकासी की योजना

151–डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में सिकन्दरा, बारहखम्भा, घोलू का नगला, हमीदनगर (प्रकाश नगर), ताल फिरोज खां आदि गड्ढों से गन्दे पानी की निकासी हेतु सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । ताज ट्रेपोजियम के अन्तर्गत आगरा नगर की ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार हेतु 565.38 लाख रु० की योजना स्वीकृत की गयी है जिसके विरुद्ध वर्ष 1997-98 में 100.00 लाख रु० एवं वर्ष 1998-99 में 33.00 लाख रु० स्वीकृत किया जा चुका है । ताल फिरोज खां क्षेत्र के लिए दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत 23.50 लाख रु० की लागत से नाला निर्माण प्रगति पर है । हमीदनगर, नगला घोलू एवं अन्य स्थल जहां जल भराव होता है अस्थाई पम्प लगाकर जल निकासी करा दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राहुल पुत्र राम स्वरूप निवासी बाग फर थाना सिविल लाइन हरी पर्वत आगरा की सीवर में डूबने से मरने के कारण राहत राशि प्रदान करने की मांग

152–डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 10 जून, 1996 में राहुल पुत्र राम स्वरूप निवासी बाग फर थाना सिविल लाइन हरी पर्वत, आगरा की मृत्यु सीवर में डूबने के कारण होने पर उसे सरकार द्वारा कितनी राहत राशि प्रदान की गयी थी ? 1-4-97 को बाल्मीकि समाज के सुनील पुत्र संजय मदिया कटरा लोहा मण्डी आगरा की सरकार गैर जिम्मेदारी के कारण नाले में डूबने से मौत होने पर राहत राशि प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जल संस्थान के दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी तथा संजय के पिता को राहत राशि प्रदान करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

रु० 20,000 (बीस हजार मात्र) की धनराशि दिनांक 10-6-97 को प्रदान की गयी थी ।

यह जल संस्थान का दायित्व नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

153–श्री ददद् प्रसाद–

[4थे बुधवार में अता० प्र० संख्या–174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधि० अभि० वि० वि० खण्ड रुड़की, जिला सहारनपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत तथा जांच आख्या की जानकारी

154–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधि० अभि० वि० वि० खण्ड, रुड़की, जिला सहारनपुर के विरुद्ध विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उ० प्र० के पत्रांक 12/वि०क०मो०स०/उ०प्र०/97, मोर्चा दिनांक 6-12-97 जो अध्यक्ष, रा०वि०प० को सम्बोधित है, जिसमें भ्रष्टाचार एवं परिषद् को हानि पहुंचाने के आरोपों की जांच की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी है ? जांच परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत परिवाद पर जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में आवास विकास कालोनी सिकन्दरा के विभिन्न सेक्टरों में मकानों के मूल्यों में भिन्नता के आधार पर अतिरिक्त ब्याज लेने की शिकायत तथा साइट, सीवर आदि की व्यवस्था ठीक कराने की मांग

155–डा० राम बाबू हरित–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में आवास विकास कालोनी सिकन्दरा के विभिन्न सेक्टरों में ई०डब्लू०एस० के मकानों के मूल्यों में भिन्नता है ? क्या आवंटियों के किश्तों पर दण्ड ब्याज वसूला जा रहा है ? क्या यह शासनादेश संख्या 2841/सं०व–3, दिनांक 25-3-95 के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यहां जन सुविधायें (पानी, निकासी, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था) वहां के निवासियों को मिल रही है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां, विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में आवंटियों से नियमानुसार दण्ड ब्याज वसूल किया जाता है ।

प्रश्न में सन्दर्भित शासनादेश आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश नहीं है ।

आवास एवं विकास परिषद् के कार्यालय आदेश सं०–3841/सं०प्र०–3, दिनांक 5-3-95 द्वारा दुर्बल आय वर्ग भवनों में आवंटियों से दण्ड ब्याज न लेने का निर्णय लिया गया था, परन्तु परिषद् की बैठक दिनांक 28-3-96 में संकल्प संख्या–द्वितीय (9)/96 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आवास सम्पत्तियों के संबंध में निर्धारित साधारण ब्याज के साथ विलम्ब अवधि में निर्धारित साधारण ब्याज के साथ विलम्ब अवधि के लिए 3.5 प्रतिशत ब्याज लिया जाय । तदनुसार प्रदेशन विनियमावली के

प्रस्तर–26 व 28(3) में संशोधन स्वीकार किया गया, जिसे परिषद् के आदेश सं०–1310/सं०प्र०–3, दिनांक 27-6-96 द्वारा प्रसारित किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में ग्राम गुइयाकला तथा कोलमजरा में सड़क निर्माण आदि में हुई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की मांग

156–श्री ददद्दू प्रसाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-97 सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जिलाधिकारी बांदा के पत्र दिनांक 4-9-97 अर्ध०शा० पत्र संख्या–759-60, के आधार पर ग्राम गुइयाकला तथा कोलमजरा में सड़क निर्माण की टी०ए०सी० जांच करवायी गयी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी अधिकारियों से धन वसूली भी करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराजनगर से आख्या मांगी गयी थी । जिलाधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराजनगर ने अपने अर्ध०शा०पत्र सं०–759–60/विकास, दिनांक 9-9-97 द्वारा शासन को आख्या उपलब्ध कराते हुए यह अनुरोध किया था कि प्रश्नगत मामले में टी०ए०सी० से जांच करा ली जाय । जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार मुख्य प्राविधिक परीक्षक (टी०ए०सी०) लोक निर्माण विभाग इन्दिरा भवन, लखनऊ को जांच हेतु 23-10-97 को लिखा गया था । मुख्य प्राविधिक परीक्षक (टी०ए०सी०) की जांच आख्या अपेक्षित है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो दोषीजनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य विद्युत परिषद् का पिछले वर्ष का बजट स्टाफ, मोटर गाड़ियों तथा विद्युत उत्पादन मद पर खर्च की जानकारी

157–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् का पिछले वर्ष का कुल बजट प्राविधान कितनी धनराशि का था ? उसमें से स्टाफ, मोटर गाड़ियों पर तथा विद्युत उत्पादन के मद में कुल कितना धन व्यय हुआ है ? क्या यह सही है कि विद्युत उत्पादन पर होने वाले व्यय में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और शेष मदों में विगत तीन वर्षों से बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का पिछले वर्ष 1996-97 का पुनरीक्षित बजट प्राविधान निम्नवत् था :–

राजस्व गत व्यय–	रु० 3670.34 करोड़
पूंजीगत व्यय –	रु० 1364.98 करोड़
	कुल रु० 5035.32 करोड़

स्टाफ, मोटर गाड़ियों तथा विद्युत उत्पादन पर व्यय वर्ष 96-97 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार निम्नवत् है :–

स्टाफ पर	रु० 938.49 करोड़
मोटर गाड़ियों पर	रु० 011.72 करोड़
विद्युत उत्पादन पर	रु० 1046.03 करोड़
योग	रु ०1996.24 करोड़

यह सही नहीं है । विद्युत उत्पादन पर होने वाले व्यय में बढ़ोत्तरी हुई है ।

हां इन मदों में भी बढ़ोत्तरी हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता । खर्चों में कमी के सभी प्रयास किये जा रहे हैं तथा अपरिहार्य खर्च जो परिषद् के सुचारु रूप से परिचालन के लिए आवश्यक हैं, किये गये हैं ।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आधी कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना की जानकारी

158–श्री विजयपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आधी कीमत पर खाद्यान्न वितरण हेतु राज्यों को उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कार्ड धारकों को खाद्य वितरण किया जाने लगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां । भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना लागू है । इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को प्रतिमाह 64,000 मी०टन गेहूं व 31,500 मी०टन चावल उपलब्ध हो रहा है । योजना के प्राविधान के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह कुल 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम चावल) लगभग आधे मूल्य पर वितरित किया जा रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट गिट्टी के पोलों को लगाने की योजनान्तर्गत बांसी विकास खण्ड जिला सिद्धार्थनगर के ग्राम भेसल में सीमेन्ट के खम्भे लगाने की मांग

159–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पोल को समतल या जल जमाओ वाले क्षेत्र में लगाने के लिए, सीमेन्ट और गिट्टी लगाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो डाक पोल पर कितना खर्च निर्धारित किया गया है ? क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि विकास

खण्ड बांसी में ग्राम भेसल के करीब बीसों पोल डेढ़ वर्ष पूर्व से गिरे पड़े हैं और बिना सीमेन्ट लगे, जल जमाओ क्षेत्र में लगाये गये उक्त पोल्स लगाने के संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो इस दिशा में कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्रामीण क्षेत्रों में केवल डबल-पोल, एंगिल-पोल तथा स्टे को ही सीमेन्ट गिट्टी से जाम किये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न अस्पष्ट होने के कारण उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

उस लाइन के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप किसी भी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बाधित न होने के कारण अब तक लाइन को पुनः चालू कराये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में बन्द लघु विद्युत परियोजनाओं को चालू करने तथा निजी क्षेत्रों में बेचे जाने की योजना की जानकारी

160–श्री भारत सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में कितनी लघु परियोजनायें ऐसी हैं जो विगत 10–15 वर्षों से बन्द पड़ी हैं ? इन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु शासन की क्या योजना है ? क्या यह सही है कि इन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में बेचे जाने की योजना है ? यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पन्द्रह परियोजनायें बन्द पड़ी हैं ।

परिषद् ने हाल ही में शासन के निर्देशानुसार यह सहमति दे दी है कि सभी लघु जल विद्युत परियोजनाओं को जल विद्युत निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाय ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161–श्री राम अचल राजभर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा के ताज ट्रेपोजियम योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में 132 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की मांग

162–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-5-1998 को जनपद आगरा के ताज ट्रेपोजियम योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में 132 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता ने पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त उप विद्युत केन्द्र की स्वीकृति दे दी गयी है ? कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ताज ट्रेपोजियम योजना के अन्तर्गत आगरा एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण एवं उनकी क्षमता वृद्धि की जा रही है । उक्त के फलस्वरूप इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में पर्याप्त सुधार होना अपेक्षित है । अतः वर्तमान में फतेहाबाद में 132 के०वी०ए० सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । सम्प्रति फतेहाबाद के निकट ही पिनहट में 132 के०वी० का उपकेन्द्र बन रहा है । इस उपकेन्द्र के बनने के बाद सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन पम्प कैनाल के अतिरिक्त फतेहाबाद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और सुदृढ़ हो जायेगी ।

163–श्री विजय पाल सिंह–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०–123 द्वारा उत्तरित]

नगर पंचायतों के लिए नगर विकास विभाग द्वारा अनुमन्य कार्य तथा जनपद प्रतापगढ़ टाऊन एरिया पट्टी सहित नगरपालिका में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में स्वीकृत विभिन्न मदों के धन की जानकारी

164–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टाउन एरिया कमेटियों के लिए नगर विकास विभाग, सूडा, पी०एम०वाई०एन०आर०वाई० सहित अन्य मदों में क्या-क्या कार्य अनुमन्य हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शासन की उक्त विषय में क्या नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रतापगढ़ जनपद का टाउन एरिया पट्टी सहित नगरपालिका प्रतापगढ़ में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में किन मदों में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायतों के लिए नगर विकास विभाग द्वारा अनुमन्य कार्य :–

1–सड़कों एवं उसके किनारे की नालियों के निर्माण मरम्मत हेतु अनुदान ।

2–मार्ग प्रकाश एवं सफाई उपकरण व्यवस्था ।

3–कर्मचारियों (नियमित) के वेतन अंशदान तथा बकाया वेतन ।

4–पथकर क्षतिपूर्ति ।

5–दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज, बायोगैस प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट एवं लोडर्स/डम्पर्स क्रय की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1997-98 से प्राथमिक कार्यों से सम्बद्ध योजनायें ही क्रियान्वित की जायेंगी ।

6–पेयजल योजना ।

उक्त क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित कार्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता समाप्त कर दी गयी है अब राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू कर दी गयी हैं।

सूडा द्वारा पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० योजना संचालित की जा रही थी, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जाते थे :–

1–मौलिक भौतिक सुविधाओं द्वारा पर्यावरण सुधार जिसमें पेयजल, सफाई, जल निकासी, मार्ग प्रकाश, कूड़ा एवं मल निष्पादन, सड़क निर्माण के कार्य कराये जाते थे ।

2–लघु उद्यमों की स्थापना एवं कौशल सुधार के द्वारा स्वरोजगार का सृजन ।

3–आश्रय सुधार ।

4–सामुदायिक संगठनों को अधिकार प्रदान करना ।

5–नगरीय स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण ।

6–गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी ।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जाते थे :-

1–स्वरोजगार सृजन ।

2–प्रशिक्षण ।

3–नगरीय मजदूरी योजना में शहरी निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक सम्पत्ति सृजित की जाती थी ।

उक्त दोनों योजनायें 30-11-97 को समाप्त कर दी गयीं, जिसके स्थान पर 1-12-97 से नवीन योजना स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है ।

स्थानीय निकायों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू कर दी गयी हैं ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप गरीबी की रेखा रु० 11,850 पारिवारिक वार्षिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले नगरीय निर्धनों को उक्त योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है ।

नगरपालिका परिषद, प्रतापगढ़ तथा नगरपालिका पट्टी को वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गयी है :–

नगरपालिका परिषद, प्रतापगढ़

(धनराशि लाख रु० में)

मद का नाम	96–97	97-98
1	2	3
1–सड़क अनुदान	25.00	10.00
2–मार्ग प्रकाश एवं सफाई उपकरण	15.00	1.00
3–वेतन अंशदान	21.10	22.71
4–पथकर क्षतिपूर्ति	6.036	6.036
5–चुंगी क्षतिपूर्ति	25.86	30.72

1	2	3
6-बकाया वेतन	2.4289	17.4666
7-दशम् वित्त आयोग	7.3391	7.3391
8-अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों हेतु	2.20	—
9-अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों हेतु	—	2.00
10-20 हैण्ड पम्पों के लिए (जल निगम को)	—	3.00

नगर पंचायत पट्टी

(धनराशि लाख रु० में)

मद का नाम	96-97	97-98
1-सड़क अनुदान	5.00	—
2-वेतन अंशदान	0.87	1.10
3-पथकर क्षतिपूर्ति	0.1872	0.1872
4-बकाया वेतन	0.3276	0.78
5-दशम् वित्त आयोग	0.4526	0.4526
6-राज्य वित्त आयोग	—	2.17167
7-बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत	1.00	—
8-10 हैण्ड पम्पों के लिए (जल निगम को)	—	1.50

नेहरू रोजगार योजना एवं पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ को 1996-97 तथा 1997-98 में वर्षवार/मदवार अवमुक्त धनराशि निम्नवत् है :-

क्र०सं०	योजना का नाम	(धनराशि लाख रु० में)	
		96-97	97-98
1	नेहरू रोजगार योजना	13.28	10.58
2	पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी०	26.55	36.76

जनपद जौनपुर के अम्बेडकर नगर ग्रामों में महिला दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी समिति खोलने विषयक विधायक का पत्र तथा कार्यवाही की जानकारी

165-श्री अफजाल अहमद-

क्या अम्बेदकर ग्राम विकास मंत्री बतायेंगे कि जौनपुर के अम्बेडकर ग्रामों में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोलने हेतु जनपद के किसी विधायक का पत्र जिलाधिकारी के शिकायती प्रकोष्ठ को 16-7-97 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों नहीं ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां।

जिलाधिकारी, जौनपुर के शिकायती प्रकोष्ठ को माननीय विधायक श्री बांके लाल सोनकर का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो उक्त प्रकोष्ठ से दुग्ध संघ इकाई, जौनपुर को 24-7-97 को भेजा गया है, जिसमें मुख्यतः उल्लिखित है कि विकास क्षेत्र शाहगंज एवं मुंहथाकला के अम्बेडकर ग्रामों में महिला दुग्ध समितियां गठित की जायें। उक्त के अनुपालन में इस इकाई स्तर से संबंधित स्टाफ को सर्वेक्षण हेतु तत्काल निर्देश जारी किये गये। उल्लेखनीय है कि महिला डेरी परियोजना का कार्यकाल इस जनपद में मार्च, 96 में समाप्त हो चुका था। सर्वेक्षण के पश्चात् यह जानकारी प्राप्त हुई कि संबंधित क्षेत्र के अम्बेडकर ग्राम क्षेत्र के चारों तरफ स्थित है, जिनमें गांव-गांव जाकर दुग्ध वाहन से दुग्ध परिवहन कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं था और यह आर्थिक रूप से अत्यधिक महंगा भी साबित होता तथा ससमय दुग्धशाला दुग्ध संघ जौनपुर पहुंच पाना भी सम्भव नहीं था, जिससे दूध के खराब होने की प्रबल सम्भावना भी बनी रहती, साथ ही क्षेत्र के अन्य ग्रामों में मार्केटेबुल सरप्लस मिल्क की मात्रा काफी कम होने के कारण नये दुग्ध मार्ग का सृजन भी सम्भव नहीं था। जब कि विकास क्षेत्र मुंहथाकला के जिन ग्रामों (कम्परपुर भैला, इंशापुर एवं अमावाखुर्द) में पूर्व से समितियां कार्यरत थीं, उस क्षेत्र में नियमित दुग्ध वाहन चलाया जाता है। दुग्ध पट्टी के क्षेत्र के बदलापुर एवं बक्शा आदि विकास क्षेत्रों के 13 अम्बेडकर ग्रामों में दुग्ध समितियां पूर्व से ही संचालित हैं।

नगर पंचायत सेंथल, जिला बरेली की बढ़ी हुई आबादी के क्षेत्र पट्टी व इस्लामनगर आबादी को नगर पंचायत सेंथल में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

166–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली को टाउन एरिया सेंथल की बढ़ी हुई आबादी के क्षेत्र के पट्टी व इस्लामनगर आबादी को नगर पंचायत सेंथल में सम्मिलित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत सेंथल की बढ़ी हुई आबादी के क्षेत्र के पट्टी व इस्लामनगर आबादी को नगर पंचायत सेंथल में सम्मिलित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज ब्लाक के ग्राम शेखूपुर बछौली में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

167–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज ब्लाक के अन्दर ग्राम शेखूपुर बछौली में विद्युतीकरण हेतु किसानों से पूरी धनराशि जमा कराकर 3 वर्ष पूर्व 14 खम्भे गाड़े गये लेकिन तार नहीं खींचा गया ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी तथा उक्त ग्राम शेखूपुर बछौली के अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

3 वर्ष पूर्व आजमगढ़ के लालगंज ब्लाक के अन्दर ग्राम शेखूपुर बछौली के विद्युतीकरण हेतु 38 उपभोक्ताओं में से केवल 27 उपभोक्ताओं ने ही धनराशि जमा की । इसी कारणवश तार नहीं खींचे गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत विद्युतीकरण का कार्य संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार रू० 1,33,640 की धनराशि जमा कराने पर ही कराया जाना सम्भव होगा ।

168–श्री नरेन्द्र सिंह–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद आजमगढ़ में अवर अभियन्ताओं की कमी को दूर करने की मांग

169–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी, गोरखपुर तथा आजमगढ़ में कितने अवर अभियन्ता सरप्लस (मानक से अधिक) हैं ? क्या सरकार अन्य जनपदों से अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करके आजमगढ़ जनपद में अवर अभियन्ताओं की कमी को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वाराणसी व गोरखपुर में क्रमशः 35 एवं 17 अवर अभियन्ता स्वीकृत पदों से अधिक हैं । आजमगढ़ में अवर अभियन्ता स्वीकृत पद के अनुसार ही हैं । सरप्लस की गणना स्वीकृत पदों के आधार पर की जाती है न कि किसी मानक के आधार पर ।

आजमगढ़ जनपद में स्वीकृत पदों के अनुपात में अवर अभियन्ताओं की कोई कमी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

170–श्री उबेदुर्रहमान–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

35/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र मौरावां जनपद उन्नाव में श्री हरीश चन्द्र पुत्र स्व० श्री महावीर सिंह की भूमि के अधिग्रहण के लाभ को देने की मांग

171–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के पत्र सं०-1146–कार्य:चौदह–ए/रा०वि०प०, दिनांक 6-4-98 द्वारा वर्ष 1966 में 35/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मौरावां जनपद उन्नाव के प्रतिकर पर देय ब्याज की धनराशि का भुगतान शासनादेश के अनुसार कराने के संबंध

में मांगी गयी आख्या पर मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ द्वारा मई, 1998 में उपरोक्त भूमि को भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत नहीं अधिग्रहण किया गया है अतः ब्याज की धनराशि देय नहीं है, का उल्लेख है ? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद् द्वारा शासनादेश संख्या 244/1–13/89–रा–13, दिनांक 7 मार्च, 1989 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में गाटा सं०–21/1 की भूमि को पक्की सड़क पर दिखाया गया है, का उल्लेख है ? यदि हां, तो क्या चकबन्दी अधिकारी, उन्नाव की रिपोर्ट मार्च, 1998 में उक्त अधिग्रहण भूमि का गाटा सं० 21/2, 22/2, 22/3 का उल्लेख है ? यदि हां, तो क्या सरकार परिषद् को गुमराह कर गलत सूचना उपलब्ध कराने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषद् के पत्र दिनांक 6-4-98 के उत्तर में मु० अ० लखनऊ क्षेत्र ने अपने पत्र सं०–1425–मु०अ०(ल०क्षे०)/नियम–51/मौरावां, दिनांक 23-5-98 द्वारा सूचित किया कि श्री हरीशचन्द्र पुत्र स्व० श्री महावीर सिंह की प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत न किया जाने के कारण उन्हें उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी लाभ देय नहीं हैं ।

जी नहीं ।

मौरावां उपकेन्द्र की श्री हरीशचन्द्र की प्रश्नगत भूमि के मुआवजे के भुगतान के संबंध में विद्युत परिषद् के विधिक अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत एवं भूमि की दर के बारे में शंका को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रकरण से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच आदेशित की गयी थी । जांच हेतु संदर्भित कतिपय विन्दुओं पर आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से स्पष्ट/पूर्ण जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है । पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ के पत्र दिनांक 23-5-98 द्वारा सूचित किया है कि गाटा सं० 21/1 पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की पक्की सड़क है जबकि चकबन्दी अधिकारी, उन्नाव अपनी आख्या दिनांक 20-3-98 में गाटा सं० 21/2, 22/2 तथा 22/3 का उल्लेख किया है परन्तु गाटा सं० 21/1 का कोई उल्लेख नहीं किया है । अतः मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ ने उस समय गाटा संख्या 21/1 के संबंध में परिषद् को गलत सूचना नहीं उपलब्ध करायी है ।

172–श्री राजधारी–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद उन्नाव के तहसील सफीपुर के ग्राम तकिया निगोही ग्राम को अम्बेडकर नगर में चयनित कर विकास करने की मांग

173–श्री राम कृपाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद उन्नाव तहसील सफीपुर का ग्राम तकिया निगोही अम्बेडकर ग्राम घोषित किया जा चुका है, परन्तु उक्त गांव में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त गांव को कब तक विकसित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

जनपद उन्नाव के तहसील सफीपुर के ग्राम तकिया निगोही को वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया है ।

उक्त गांव में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चिन्हित/सम्मिलित प्रमुख 11 कार्यक्रमों में कराये गये कार्यों की स्थिति निम्नवत् है :–

कार्यक्रम	लक्ष्य	पूर्ति
इन्दिरा आवास	31	31
आई०आर०डी०पी०	15	16
निःशुल्क बोरिंग	04	08
स्वच्छ शौचालय	20	20
नाली/खड़ण्जा	500 मी०	500 मी०
प्राइमरी पाठशाला भवन	01	01
हैण्ड पम्प	15	15
विद्युतीकरण	सन्तृप्त	सन्तृप्त
विधवा पेंशन	01	04
किसान पेंशन	20	08
सम्पर्क मार्ग	—	—

सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं किसान पेंशन में अवशेष लक्ष्यों की पूर्ति धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेटरों की भांति स्थानीय निकाय के वैक्सीनेटरों के स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदनाम एवं वेतनमान

174–श्री महराज सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेटरों की भांति स्थानीय निकाय के वैक्सीनेटरों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदनाम एवं वेतनमान 800–1152 से 975–1600 का मामला शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु, कार्यों की कोटि उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें राज्य कर्मचारियों से भिन्न होने के कारण राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेटर को स्वीकृत पदनाम/वेतनमान स्थानीय निकायों के वैक्सीनेटर को अनुमन्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के जानकीपुरम् सेक्टर एच कालोनी के मार्ग में गन्दे पानी के एकत्र होने से उत्पन्न समस्यायें

175–श्री राम विशुन आजाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् सेक्टर एच कालोनी के मकान नम्बर 2/304 से लेकर 2/326 तक, 2/235 से लेकर 2/252 तक एवं 2/244 से लेकर 2/502 तक में सड़कों में नये बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसमें बरसात व घरों का गन्दा पानी इक्ट्ठा हो जाने से वहां मच्छर/मक्खी बढ़ रहे हैं और स्थानीय निवासियों में कालरा व मलेरिया जैसे संक्रामक रोग फैलने का भय व्याप्त है ? क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए वहां की सड़कों को यथाशीघ्र बनवाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत भवनों के सामने सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है । जल भराव की समस्या अब नहीं है । अतः क्षेत्र में इस कारण संक्रामक रोग फैलने का भय निराधार है ।

सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

176–श्री हरदेव सिंह–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 165 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ स्थित मिल रोड ऐशबाग में आरपाइक प्राइवेट लि० दवा निर्माता फैक्ट्री के कर्मचारियों को पद के अनुसार वेतन दिये जाने का निर्देश

177–श्री सुशील शाक्य–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित मिल रोड, ऐशबाग में आरपाइक प्राइवेट लिमिटेड दवा निर्माता फैक्ट्री में वर्तमान समय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या वहां के कर्मचारियों को न्यूनतम वेजेज ऐक्ट के तहत वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार समस्त कर्मचारियों को पदनाम एवं कार्य के अनुसार वेतन दिये जाने हेतु फैक्ट्री को निर्देशित करेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा याचिका संख्या–5791(एम०बी०)3/1993 में दिनांक 22-12-93 को पारित आदेश के कारण न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं कराया जा रहा है ।

यू० पी० एसबेसट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लि० मोहनलालगंज, लखनऊ में कार्य करते समय मृत कर्मचारियों के अवशेषों के भुगतान की मांग

178–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० एस्बेसट्स सीमेंट शीट्स फैक्ट्री लि० मोहनलालगंज, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारी श्री गया प्रसाद खलासी, श्री तेजीलाल यादव, पायल मशीन ड्राइवर श्री दास शिफ्ट इंचार्ज एवं श्री देवई का आन ड्यूटी फैक्ट्री में कार्य करते समय एक्सीडेंट वर्ष 1996-97 में हुआ था ? यदि हां, तो क्या उन्हें उनके समस्त देयों का भुगतान कराया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का एवं किस तिथि को ? यदि नहीं, तो इनका पूर्ण भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मेसर्स यू० पी० एसबेसट्स लि० मोहनलालगंज, लखनऊ में वर्ष 1996-97 में श्री उज्जवल दास शिफ्ट इंचार्ज दिनांक 3-5-96 को श्री तेजी लाल यादव, पलपुल ड्राइवर दिनांक 9-5-96 को तथा गया प्रसाद हेल्पर दिनांक 7-4-97 को कारखाने में कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए थे । वर्ष 1996-97 में श्री देवई नामक किसी श्रमिक का उक्त कारखाने में एक्सीडेंट नहीं हुआ अपितु वह दिनांक 25-6-76 को दुर्घटनाग्रस्त हुए थे ।

जी हां, श्री तेजी लाल यादव, श्री गया प्रसाद को एवं श्री देवई लाल की पत्नी को उनके देयों का भुगतान कराया गया । श्री उज्ज्वल दास के भुगतान का मामला कर्मकार प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त के समक्ष वाद दायर होने के कारण विचाराधीन है । श्री तेजी लाल यादव को रु० 97,842.00 दिनांक 5-9-97 को, श्री गया प्रसाद को रु० 1,59,000.00 दिनांक 3-3-98 को एवं श्री देवई लाल की पत्नी को रु० 5,000=00 दिनांक 27-9-76 को भुगतान किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उज्जवल दास, शिफ्ट इंचार्ज द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जायेगी ।

179–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[दिनांक 26-6-98 को अना० प्र० सं० 72 द्वारा उत्तरित]

उत्तरांचलवासियों के समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय आरक्षण नीति लागू किये जाने की मांग

180–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तरांचलवासियों को समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का निर्णय उत्तराखण्ड जनमोर्चा बनाम स्टेट आफ यू० पी० के वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21 अगस्त, 1997 निर्णय के अलावा समस्त शिक्षण तकनीकी एवं चिकित्सा संस्थानों पर भी लागू होगा ? क्या उत्तरांचलवासियों को पिछड़े वर्ग की भांति शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण संबंधी सरकार के दिनांक 20 मई, 98 के निर्णय पर अधिसूचना जारी कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

यह आरक्षण कम्बाइण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट के आधार पर प्रवेश देने वाली चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित सभी चिकित्सा संस्थाओं तथा उत्तरांचल क्षेत्र में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण एवं तकनीकी संस्थाओं पर लागू है ।

शासनादेश जारी कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ सहित प्रदेश के सभी महानगरों में स्थित (विशेषकर लखनऊ) श्रमिक कालोनियों के आवासों को व्यवसायिक भवन बनाने की शिकायत

181–श्री विश्वनाथ तथा श्री महराज सिंह यादव–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ सहित प्रदेश के सभी महानगरों में स्थित (विशेषकर लखनऊ) श्रमिक कालोनियों के आवासों को व्यवसायिक भवन बनाने वाले अध्यासियों के आवासों के किराये को सामान्य आवास से बढ़ाकर अलग करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि शहर में आवासीय भवनों की किल्लत के बाद भी पाण्डेय तालाब लेबर कालोनी में कई ऐसे आवास हैं जो अध्यासियों द्वारा एक दशक से ज्यादा समय मात्र अधिकार स्वरूप बना करके छोड़ रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अध्यासियों से भवनों को अवमुक्त कराने की कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग नियमानुकूल नहीं है । श्रम विभाग की लखनऊ में "पाण्डेय तालाब लेबर कालोनी" के नाम से कोई लेबर कालोनी नहीं है ।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् गोपीगंज, सुल्तानपुर के अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध जांच की मांग

182–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–1 के उत्तर में उल्लिखित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध परिषद् द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आरोपित व्यक्तियों से वित्तीय रिकवरी भी की जानी है ? यदि हां, तो किन-किन से और कितनी-कितनी ? क्या सरकार इसकी जांच आख्या को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । आरोपित व्यक्तियों को निन्दा प्रविष्टि दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

† जांच आख्या सदन के पटल पर रख दी गयी हैं ।

183–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[5वे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) एवं सहायक अभियन्ता केसा कानपुर द्वारा की गयी चेकिंग के बाद कार्यवाही न करने के कारणों की जानकारी

184–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) एवं सहायक अभियन्ता, केसा कानपुर द्वारा जनवरी, 1985 से 31 मार्च, 1985 तक कुल कितने उपभोक्ताओं की चेकिंग की गयी ? क्या मंत्री जी उन उपभोक्ताओं के नाम बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने पेनाल्टी क्यों नहीं रेज किया ? क्या इस संबंध में कोई अनियमितता पायी गयी थी ? यदि हां, तो तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

185–श्री नरेन्द्र सिंह–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं० 161 द्वारा उत्तरित]

---

† आख्या छापी नहीं गयी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में कतिपय कर्मचरियों द्वारा 12वीं व 13वीं विधान सभा के लिए बिना अनुमति चुनाव लड़ने की शिकायत तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

186–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में कतिपय कर्मचरियों द्वारा 12वीं व 13वीं विधान सभा के लिए कितने कर्मचारी चुनाव लड़े ? क्या मंत्री जी उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पदनाम बतायेंगे ? क्या यह सत्य है कि विना सूचना दिये ही चुनाव लड़ा गया है ? यदि हां, तो उस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि उन्हें वेतन का भी नियमित्र भुगतान कर दिया गया है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

गोरखपुर वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर के अन्तर्गत कार्यरत मात्र एक कर्मचारी ने वर्ष 1996 के विधान सभा के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था ।

उक्त कर्मचारी का नाम श्री सुभाष चन्द्र मिश्र है जो दैनिक श्रेणी लिपिक, वर्तमान में कार्यालय सहायक तृतीय, के पद पर कार्यरत है ।

जी नहीं ।

श्री ए० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर श्री सुभाष चन्द्र को चुनाव में भाग लेने हेतु अनियमित रूप से स्वीकृत प्रदान की । चूंकि श्री सिंह पहले से ही एक अन्य मामले में निलम्बित हैं अतः उनके विरुद्ध इस अनियमितता हेतु भी अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । श्री सुभाष चन्द्र मिश्र दैनिक श्रेणी लिपिक को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा सम्पूर्ण प्रकरण अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जांच समिति को सौंप दिया गया है ।

जी नहीं ।

श्री लखी चन्द्र, सहायक अभियन्ता द्वारा विद्युत परिषद् कें अधीन टाण्डा तापीय परियोजना अम्बेडकर नगर में नियुक्ति में किये गये पद दुरुपयोग का मामला तथा कार्यवाही की मांग

187–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री लखी चन्द्र, सहायक अभियन्ता ने विद्युत परिषद् के अधीन टाण्डा तापीय परियोजना, अम्बेडकर नगर में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित चयन में पुनर्मूल्यांकन द्वारा अनुचित ढंग से किसी अभ्यर्थी के अंक बढ़ाये थे ? क्या इस मामले की जांच महाप्रबन्धक, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना अम्बेडकर नगर से करायी गयी थी ? क्या इस प्रकरण में श्री लखी चन्द्र को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद् द्वारा दोषी अधिकारी श्री लखी चन्द्र के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इस प्रकरण में एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

जी हां ।

जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया था ।

श्री लखी चन्द्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित करने हेतु प्रकरण परिषदीय जांच समिति को प्रेषित किया गया है तथा जांच समिति द्वारा आरोप-पत्र तामील कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच समिति की आख्या प्राप्त होने एवं जांच उसके परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गबन, आर्थिक अनियमितता संबंधी मामलों की प्रवृत्ति के रोकने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

188–श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गबन, आर्थिक अनियमितता संबंधी मामलों में थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? मुख्य अभियन्ता लेसू (लखनऊ) एवं लखनऊ क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में स्पेशल आडिट के दौरान कितने मामलों में सतर्कता जांच की संस्तुति की गयी ? प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज कराने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? क्या यह सत्य है कि आर्थिक अनियमितता गबन के दोषी अधिकारियों को लगातार प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या, ऐसा क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा विकास खण्ड कोट पौड़ी गढ़वाल द्वारा उठाये गये विकास हेतु बिन्दु तथा हुई कार्यवाही की जानकारी

189–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री को सम्बोधित एवं जिलाधिकारी गढ़वाल को पृष्ठांकित डा० हरक सिंह रावत, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के पत्रांक मेमो/अम्बेडकर ग्राम/खादी बोर्ड 1997-98 दिनांक 10-9-97 के साथ प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा विकास खण्ड कोट, पौड़ी गढ़वाल के प्रत्यावेदन पत्रांक बहेड़ा/9-योजना/97-98, दिनांक 27-5-97 की प्रति शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रत्यावेदन में उठाये गये बिन्दु क्या-क्या हैं तथा इन बिन्दुओं पर अब तक क्या-क्या निराकरणात्मक कार्यवाही की गयी है ? शेष बिन्दुओं पर कब तक निराकरणात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

डा० देवेश पाखण्डेय 'अन्तिक'-

ना का।

विदेश भ्रमण है

(शेष भाग 'ङ' आगे पृष्ठ 229 पर)।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा दोह में स्थापित सरकारी गल्ले की दुकान से बटने वाली सामग्री में धांधली की शिकायतें

1310-श्री राम कृपाल-

क्या खाद एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा दोह में स्थापित सरकारी गल्ले की दुकान से गरीबों/यतीमों को वितरण की जाने वाली सामग्री एवं विद्यालय के छात्रों को वितरण किये जाने वाले पुष्टाहार जैसे चावल आदि के वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है ? यदि हां तो क्या सरकार वर्ष 1996-97 व 1997-98 में किए गये वितरण की सर्वेक्षण उठान रजिस्टर वितरण रजिस्टर आदि को सीज कर किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत न्याय पंचायत, बन्दाडीह की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से खाद्य सामग्री तथा प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पुष्टाहार न देने की शिकायत

191-श्री राम कृपाल-

क्या खाद एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड, सीयर अन्तर्गत न्याय पंचायत, बन्दाडीह के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा ग्राम सभा बहुरा चक उपाध्याय ग्राम सभा बन्दाडीह आदि कई दुकानें अपने दुकान से बन्द कर लेने के कारण जनता को आवश्यक सामान नहीं मिल पा रहा है ? क्या यह सच है कि कई ग्राम सभाओं में स्थापित प्राइमरी पाठशालाओं के बच्चों को पुष्टाहार आदि वितरण भी इस दुकानदार द्वारा नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उस दुकानदार पर वितरण हेतु दी गई सामग्री एवं बच्चों को पुष्टाहार की उठान रजिस्टर वितरण रजिस्टर की संपुष्टि जांच करके अनियमित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी नहीं

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता

अलीगढ़ बस स्टैण्ड से अतरौली मार्ग तक अतिक्रमण हटाने का कार्य पूर्ण कराने की मांग

92-श्री बद्रीलाल पेरू शैलान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ बस स्टैण्ड से अतरौली मार्ग तक अतिक्रमण हटाने का कार्य कब से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब इस अतिक्रमण को कब से हटाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस मार्ग के दोनों ओर रहने

बिजली व टेलीफोन के खम्भों को हटाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो ये कब तक हटाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस राजमार्ग पर स्थित देवी अहिल्याबाई होल्कर चौराहे से राठी अस्पताल तक के सौन्दर्यीकरण व वन-वे ट्रैफिक योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

अतिक्रमण हटाने का कार्य वर्षा ऋतु के उपरान्त पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं है ।

जनपद देवरिया के अरबी फारसी मदरसों को प्रदत्त धनराशि, बुद्धूखान स्थित जामिया अरबिया मेराजुल उलूम को प्रदान की गयी धनराशि की जांच की मांग

193–श्री राम अचल राजभर–

क्या अल्संख्यक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में जनपद देवरिया के किन-किन अरबी फारसी मदरसों को कितनी-कितनी धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है ? क्या यह सही है कि उच्चाधिकारयों की मिलीभगत से वरीयता क्रम की अवहेलना करते हुए तहसील व जनपद देवरिया बुद्धूखान स्थित जामिया अरबिया मेराजुल उलूम को प्रदान की गयी धनराशि निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच कराकर अनुदान की धनराशि की बसूली के लिए आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा गजनफर अली खां–

वर्ष 1995-96 एवं वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में जनपद देवरिया के अरबी फारसी मदरसों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सूचना संलग्नक 'क' पर उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

मदरसा जामिया अरबिया मेराजुल ऊलूम, बुद्धूखां तहसील व जनपद देवरिया को उक्त वित्तीय वर्षों में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी अनुदान धनराशि, उक्त मदरसे द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण करने पर ही स्वीकृत की गयी है । उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से वरीयता क्रम की अवहेलना कर, उक्त मदरसे को अनुदान धनराशि उपलब्ध करायी जाने के संबंध में शासन के संज्ञान में कोई शिकायत नहीं आयी है ।

अतः उक्त मदरसे को दी गयी अनुदान की धनराशि की उच्च स्तरीय जांच कराकर अनुदान की धनराशि की वसूली के आदेश दिये जाने का प्रश्न नहीं उटता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 230–231 पर) ।

हाई स्कूल लियाखाल पौड़ी गढ़वाल में हाई स्कूल की विज्ञान मान्यता का प्रकरण

194–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाई स्कूल लियाखाल (पौड़ी गढ़वाल) में हाई स्कूल की विज्ञान मान्यता का प्रकरण शासन में लम्बित है ? क्या इस हाई स्कूल लियाखाल पौड़ी गढ़वाल में हाई स्कूल विज्ञान की मान्यता शासन देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

जनता हाई स्कूल, लियाखाल पौड़ी गढ़वाल को हाई स्कूल की विज्ञान वर्ग की मान्यता के प्रस्ताव में कतिपय कमियां हैं जिनके पूर्ण होने के पश्चात् ही मान्यता दिये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

भगतराम न्यू मार्डन स्कूल सत्यखाल पौड़ी गढ़वाल को शासन द्वारा स्थायी वित्तीय अनुदान देने की मांग

195–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगतराम न्यू मार्डन स्कूल सत्यखाल, पौड़ी गढ़वाल जो कि अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, को स्थायी वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने हेतु शासन के शिक्षा विभाग में प्रकरण विचाराधीन है ? क्या भगतराम न्यू मार्डन स्कूल सत्यखाल, पौड़ी गढ़वाल को शासन स्थायी वित्तीय अनुदान देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

भगतराम न्यू मार्डन उच्च प्राथमिक स्कूल सत्यखाल, पौड़ी गढ़वाल को अनुदान सूची में लिए जाने के प्रस्ताव में निर्धारित मानकों के अनुसार कमियां पूर्ण होने के पश्चात् ही उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में लिए जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

196–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[दिनांक 26-6-98 को अता० प्र० सं० 40 द्वारा उत्तरित]

विकास खण्ड लोहाघाट जनपद चम्पावत के पुल्ला नामक स्थान पर लिफ्ट पेयजल योजना बनाये जाने का प्रकरण

197–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड लोहाघाट जनपद चम्पावत के पुल्ला नामक स्थान पर लिफ्ट पेयजल योजना बनाये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना में कब से कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह—

श्री नवीन जिंदल—

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विकास निधि का प्रस्ताव

(98—श्री सुरेश कुमार—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 1997-98 संबंधी क्या प्रस्ताव, हमारे संसद के प्रश्न संख्या 3403/11.5.98 पूर्व के उत्तर संख्या 3403/11.5.98 दिनांक 24.3.98 तथा उसके अनुबंध संख्या 1-5 निर्दिष्ट विषय उत्तर प्रदेश के विचाराधीन है ? यदि उसके संबंध तक ही नहीं, तो क्यों ?

डा० सुरेश कुमार पाण्डेय—

श्री नवीन जिंदल—

आपकी संख्या-275(35)-S-98-97(109)-24, दिनांक 25.5.98 द्वारा रु० 67.98 करोड़ की परियोजनाएं भेजी गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर को पूर्वांचल विकास निधि योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

(99—श्री सुरेश—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर को पूर्वांचल विकास निधि योजना में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं तो क्या कारण है और कब तक इसे सम्मिलित किया जाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा० सुरेश कुमार पाण्डेय—

श्री [illegible]

श्री नवीन जिंदल—

विकास खण्ड मेजा, जनपद इलाहाबाद की सड़कों के निर्माण हेतु रु० 97.16 लाख की प्रशासकीय स्वीकृतियों की प्रक्रियाधीन होने के कारण फतेहपुर को नहीं है तथा प्रस्ताव इलाहाबाद, रेवा, सतना, छतरपुर, बिलासपुर, बिलासपुर, सोनभद्र हेतु क्रमशः 15.80 लाख, 15.05 लाख, 15.05 लाख, 15.00 लाख व 15.00 लाख के लिए सहित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपसभापति–

आज दिनांक 3 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से उपाध्यक्ष जी छोड़ते हुए निम्नलिखित 10 सूचनायें स्वीकार की गयी :–

श्री अवधेश प्रसाद पाल का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने के कारण उनकी सूचना अस्वीकार की गयी। शेष 9 माननीय सदस्यों श्री तेजभान सिंह, श्री राम ललित चौधरी, श्री हरदेव सिंह यादव, श्री राम पाल वर्मा, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री जय प्रकाश, श्री मेजर रणधीर सिंह, श्री राम औतार शास्त्री, डा० बाजपेयी की सूचनायें स्वीकार की हैं।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद मुजफ्फरपुर के ग्राम सुजानपुर व हसनपुर में दिये गये कृषि एवं आवासीय पट्टों में धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

माननीय जनपद मुजफ्फरपुर के उपरोक्त गांवों में कृषि एवं आवासीय पट्टे देने में शासन के निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया है। इनमें न तो कोई खुली बैठक की गयी और न ही कोई पात्रता सूची बनायी गयी और न ही पात्रता सूची की जांच की गयी है। तहसील कर्मी तथा प्रधानों द्वारा जनता का खुला शोषण किया गया है। यदि किसी के नाम भूमि है तो पुत्र को या पुत्रवधू को पट्टे दिये गये हैं। भूमिहीनों को कुछ नहीं दिया गया है।

ग्राम सुजानपुर मजरा में सार्वजनिक उपयोग हेतु खेल मैदान मेला स्थल का तथा सवा सौ वर्ष पुराने लगभग कुल आबादी को पट्टा देने में कई शिकायतों के बाद मेरे साथ तहसीलदार श्री अशोक कुमार सिंह ने जांच की। जांच किया परन्तु अपनी ओर कोई रिपोर्ट लगाये स्थानान्तरण हो गये। जिसमें सामिलों में प्रधानों ने अपने परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, सजातीयों जिनके पास पर्याप्त भूमि पट्टेदारों के परिवार के सदस्य हैं, को एक ही परिवार में कई लोगों को निर्विवाद भूमि दी है तथा अनेक अनुसूचित जाति के जो वास्तविक रूप से भूमिहीन हैं, को पट्टा नहीं दिया गया है। इसी तरह गाटा संख्या–84-83 पर 4 कुआं पैलानाद, रन लखन, राम कलारे आदि कांग्रेसतार व प्राचीन कुआं है, को समुदाय विशेष को पट्टा देकर अनर्गल उलझन पैदा किया गया है चूंकि समुदाय विशेष का गया में बाहुल्य है, इस लिए कानूनगो चुप है जिसमें कोई शिकायत भी नहीं कर सकता लेखपाल तथा कानूनगो इसी जातियों के साथ मिलकर पट्टे किये हैं, जिससे गांव में शान्ति को खतरा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा मत्व के इस प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर सभी ऐसे पट्टों की, जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा अपात्रों के पट्टों को तुरन्त खारिज करके, उपयुक्त लोगों को भी पट्टे दिये जाने की मांग करता हूं।)

अंक (I–9) 14 को लोक सभा में रखा गया

जनपद बस्ती के कुआनों नदी पर कुछ घाटों पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम ललित चौधरी

[मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और भाजपा गठबन्धन सरकार में तत्कालीन मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने जनपद बस्ती में कुआनों नदी पर वाराह क्षेत्र पुल भैसहवा घाट पुल, महादेवाघाट पुल के शीघ्र निर्माण की घोषणा किया था इसके अलावा विकास खण्ड सांउघाट में तरेता डुमरी मझारी मार्ग तथा विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर जिला बस्ती के सोनहा शिवाघाट मार्ग पर बंजरिया और जंगल मार्ग के निर्माण का इस्टीमेट वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन में था लेकिन खेद इस बात का है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी न तो पुलों का निर्माण आरम्भ हुआ और न ही उपरोक्त मार्ग का ।

इससे जिले की आम जनता में एक घोर असन्तोष व्याप्त है अतः इस लोक महत्व के अति अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान इसलिए आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधनों का कमी का बिना बहाना किए उपरोक्त पुलों तथा मार्गों के निर्माण को शीघ्र आरम्भ कराने का कष्ट करें ।]

जनपद इटावा के भरथना क्षेत्रान्तर्गत गत रबी की फसल पर हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महाराज सिंह यादव–

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र निर्वाचन भरथना जो दो जिलों औरैया और इटावा में फैला हुआ है गत रबी की फसल पर जो भारी ओलावृष्टि हुई थी, उसमें सारी फसलें नष्ट हो गयी थीं सरकार ने यह स्वीकार किया था कि शत-प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयी हैं इसके अन्तर्गत इटावा जनपद में किसानों के क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है । लेकिन खेद है औरैया जनपद में हमारे क्षेत्र का जो हिस्सा आता है उसमें अभी तक किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है लोग भुखमरी के कगार पर हैं खाने के लिए अन्न एवं जानवरों को चारा भी उपलब्ध नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें अति शीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद हरदोई के ग्राम मल्हपुर मजरा ममरेजपुर में मई माह में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामपाल वर्मा–

[मान्यवर, विनम्र निवेदन के साथ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस लोक महत्व की सूचना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । जनपद हरदोई के अन्तर्गत वि० खं० कोथावां के ग्राम मल्हपुर मजरा ममरेजपुर में गत मई माह में आग लग जाने से लाखों रुपयों की क्षति हो गयी । पैंतीस लोगों के घर जलकर राख हो गये जिला प्रशासन से नाममात्र की अहैतुक सहायता उपलब्ध करायी गयी है जो पर्याप्त नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से शीघ्र अतिरिक्त सहायता दिलवाये जाने की मांग करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें ।]

जनपद छत्रपति साहू जी महाराजनगर के ग्राम अर्की में दिनांक 23-5-98 को अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर० के० सिंह पटेल–

[मान्यवर, दिनांक 23-5-98 को ग्राम अर्की तहसील कर्वी जिला छत्रपति साहू जी महाराजनगर में दिन में अचानक आग लग गयी थी जिसमें सम्पूर्ण गांव जल कर राख हो गया । अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की जलकर मृत्यु हो गयी तथा लगभग 50 जानवर जलकर मर गये । लगभग 10 करोड़ की सम्पत्ति जल गयी थी । इस गांव की आबादी लगभग 5,000 है । सरकार ने राहत कार्यों तथा क्षतिपूर्ति हेतु कोई ठोस योजना नहीं बनायी है आज भी ग्रामवासी पेड़ों के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं । इस आगजनी की घटना से राहत न दिये जाने पर जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे अनुसूचित जाति के छात्रावास पर रोक लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद गाजियाबाद में समाज कल्याण द्वारा निर्मित किये जा रहे अनुसूचित जाति के छात्रावास निर्माण की तरफ ले जाना चाहता हूं सरकार द्वारा इस छात्रावास के निर्माण पर जहां तक मुझे जानकारी है, रोक लगा दी गयी है । जबकि इसमें निर्धन, असहाय, दलित वर्ग के बच्चे अध्ययन करते हैं ।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर व्यवस्था की मांग करता हूं कि सरकार छात्रावास के लिए निर्माण अविलम्ब करावें ताकि निर्धन असहाय बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें तथा सम्पूर्ण प्रदेश में फैला दलित रोष रुक सके ।]

जनपद मुरादाबाद नगर के मध्य स्थित जिला जेल नगर को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में जिला जेल नगर के मध्य में स्थित है । जिसकी कैपेसिटी 431 कैदी है । लगभग 1,500 से 2,000 तक हर समय रहते हैं । अभी 1,600 कैदी जेल में हैं । जेल 18 एकड़ में है । जिसमें इनर कम्पाउण्ड 10 एकड़ है तथा 7 एकड़ में फार्म है । एक एकड में अधिकारी निवास है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जेल के चारों ओर सम्भ्रान्त मध्यम वर्ग के लोगों की कालोनी है। सिविल लाइन व वरिष्ठ अधिकारियों के निवास कन्याओं के विद्यालय तथा कान्वेन्ट विद्यालय, जैन मन्दिर, शिव मन्दिर, कैम्पिनर कार्यालय हैं।

जेल में मिलाई करने वालों की प्रतिदिन संख्या में लगभग 1,000 से अधिक रहती है प्रतिदिन जेल से बड़े वाहनों में लगभग 500 कैदी कोर्ट कचहरी आते जाते हैं। लगभग प्रतिदिन 300 कैदी फार्म पर खेती करने जाते हैं। कैदी फरार होने की भी घटना है और क्षेत्र में वारदातें भी बढ़ रही हैं।

जेल मार्ग जो सिविल लाइन से गंज गरुड़ी मुख्य बाजार को जाता है भारी आवागमन का भार न उठाने के कारण मार्ग अवरुद्ध रहता है जिला जेल को हटाने का सरकार के पास प्रस्ताव भी लम्बित है कांठ मार्ग पर जमीन का चयन भी कर लिया गया है। प्रस्ताव अधिकारियों के ठण्डे बस्ते में पड़ा है।

उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन में आग्रह करना चाहिए कि धार्मिक स्थलों, कन्या विद्यालय व नगर मध्य में जिला जेल व कैदियों के जनता में आवागमन से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। आये दिन अश्लील घटनायें घट रही हैं जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त जेल को नगर के मध्य से शीघ्र ही हटवाने के लिए सरकार व प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर कैदीय जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें।

जनपद मैनपुरी की तरफ से भोगांव के उत्तर की ओर काली नदी के राजघाट पर पक्का पुल निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ओतार शाक्य–

[मान्यवर संकिसा स्थित जनपद फर्रुखाबाद में एक प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल है जहां पर हजारों की संख्या में देश एवं विदेश के पर्यटक आते हैं परन्तु संकिसा के दक्षिण तरफ जनपद मैनपुरी एवं फर्रुखाबाद को विभाजित करती हुई काली नदी है जिसके कारण मैनपुरी जनपद की तरफ से भोगांव के उत्तर तरफ काली नदी के राजघाट पर पुल न होने के कारण हजारों पर्यटक भटकते रहते हैं और पचासों कि०मी० का चक्कर काटना पड़ता है, उक्त काली नदी पर पक्के पुल निर्माण की मांग बराबर की जाती रही है परन्तु सरकार का इस तरफ उपेक्षित भाव रहा है उक्त प्रस्तावित काली नदी का भाग जनपद फर्रुखाबाद में पड़ता है। मेरा आरोप है कि संकिसा की बौद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है जबकि संकिसा भारत वर्ष की एकता, अखण्डता, भाईचारे, साम्प्रदायिक सद्भाव अहिंसा सामाजिक समरसता, वैज्ञानिक धार्मिक सोच एवं शान्ति स्थापित करने का सन्देश देता है। उक्त स्थल पर पुल निर्माण से पर्यटन विभाग को भी भारी आर्थिक लाभ होगा यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर संकिसा जाने के लिए काली नदी के राजघाट पर एक पक्के पुल का प्राथमिकता से निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरठ महानगर के सघन आबादी क्षेत्र में टी गार्ड सहित वृक्षारोपण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरठ महानगर के पुराने सघन आबादी वाले क्षेत्र में प्रदूषण एक समस्या का रूप लेता जा रहा है वृक्ष धीरे-धीरे समाप्त हो गये खुले मैदान व पार्क भी समाप्त होते जा रहे हैं।

सघन क्षेत्र के निवासियों को प्रदूषण मुक्त कर जीने हेतु उचित पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर वर्षा ऋतु में वृक्षों का रोपण करना नितान्त आवश्यक है। वृक्ष संरक्षित रह सकें इसके लिए टी गार्ड लगाना अत्यन्त आवश्यक है।

15 लाख लोगों के जन-जीवन से जुड़े इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करते हुए समुचित कार्यवाही का निवेदन करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3-7-1998 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई। श्री लालजी वर्मा, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री बी० आर० वर्मा, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम औतार शाक्य, श्री समरपाल सिंह, श्री परवेज हनीफ, श्री कौकब हमीद, श्री राजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री धनराज राम चन्दन, श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदय राज यादव, डा० बकार अहमद शाह एवं श्री बदल प्रसाद की।

पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा की है लेकिन वर्मा जी यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है, मैं इसे शासन के संज्ञान में ले आता हूं।

प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था पर ब०स०पा० के महासचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सुन लें। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन की कार्यवाही में भाग लेता हूं और यहां पर अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। दिनांक 19 जून, एवं 26 जून, 98 को आदरणीय सदन में अम्बेडकर नगर की पुलिस की भ्रष्टाचार के बारे में कुछ तथ्य रखा था।। जुलाई, 98 को वहीं पर एक घटना हुई उसमें एफ०आई०आर० नहीं लिखी जा रही थी, मैंने टेलीफोन करके बात की उसके बाद एफ०आई०आर० तो लिख ली गयी लेकिन इसकी पैरवी करने वाले व्यक्ति को फर्जी एफ०आई०आर० लिखकर फंसा दिया कि आपके विधायक सदन में बहुत आवाज उठाते हैं और विधायक जी को और मौका देता हूं वह सदन में हमारे खिलाफ बोलें। यह निश्चित रूप से एक धमकी है जिससे मैं सदन में किसी के खिलाफ न बोल सकूं।

नोट :– [ ] चिह्न अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है । हम सदन में नियमों के अनुसार और आपकी अनुमति से भाग लेते हैं । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें क्योंकि वहां की पुलिस ने सदन की अवमानना की है । इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पर आप निश्चित रूप से व्यवस्था दें ताकि दोबारा कोई अधिकारी इस तरह की धमकी न दे सके ।

श्री अध्यक्ष–

श्री लाल जी वर्मा को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं, लेकिन जिस घटना का उल्लेख वर्मा जी ने किया है, उसके ऊपर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत सरोज स०वि०स० की गिरफ्तारी एवं आम बन्दियों के साथ रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण करने का अधिकार है । मैं कहना चाहता हूं कि 20 मई को मैं इलाहाबाद जनपद से लखनऊ आ रहा था, सायं 7.00 बजे बछरावां के पास महराजगंज के सी०ओ० व बछरावां के एस०ओ० ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और थाना बछरावां में 12 बजे रात तक बन्द रखा । 12.00 बजे रात में एस०डी०एम० और सी० ओ० महराजगंज आते हैं । वह कहते हैं कि डी०एम० और एस०पी० रायबरेली का फोन आया कि उनका तुरन्त वारण्ट बनाकर जेल भेज दिया जाये । मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कुणाल रस्तोगी का अपहरण हो, चाहे महानगर या सुल्तानपुर बैंक डकैती हो, किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं बना रही है । जबकि हम जैसे निर्दोष विधायक को 12.30 बजे रात को जेल खुलवाकर जेल में डाल दिया जाता है । जबकि 6.00 बजे के बाद कोई कैदी जेल में नहीं जाता है । मुझे 57 कैदियों के साथ जेल में रखा गया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री सरोज जी यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, हमारी बात सुन लें, यह विधायक का व्यक्तिगत मामला है । मान्यवर, जिस बैरिक में डाला गया उसमें लैट्रिन एवं पेशाब की बदबू आ रही थी । रात भर बैठकर सबेरा किया । दूसरे दिन जब भोजन दिया गया तो मैंने वहां पर भूख हड़ताल की । उसके बाद हमें उससे अधिक संख्या वाले बैरिक में डाल दिया गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है मैं आपसे मांग करता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न पर आप व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है मैं इसे निरस्त करता हूं लेकिन शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

शेष सूचनायें भी नियम 300 में नहीं आती हैं । इसको मैंने पढ़ लिया है ।

(श्री राम औतार शाक्य एवं श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें हैं इसलिए आप कृपा कर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

अतारांकित प्रश्नों के बारे में ''सूचना एकत्र की जा रही हैं'' उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में औचित्य के इस प्रश्न के माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना शासन का काम है, यह उनका दायित्व है लेकिन किसी भी प्रश्न को बिना उचित आधार के स्थगित करना यह बहुत ही आपत्तिजनक है जो उत्तर प्रदेश सरकार का अनुत्तरदायित्व पूर्ण रवैया बढ़ता जा रहा है । मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि 1 जूलाई, 1998 की कार्यसूची में अनेकों प्रश्नों को विभिन्न आधारों पर स्थानान्तरित किया गया और निरस्त किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर व्यवस्था आ चुकी है अगर आप व्यवस्था पढ़ लिए होते तो यहां पर यह प्रश्न नही पूछते ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि 1 जुलाई, 1998 की कार्यसूची में अनेक प्रश्नों को विभिन्न आधारों पर स्थानान्तरित किया गया या निरस्त किया गया और अतारांकित प्रश्न संख्या 4, 14, 24, 83, 116, 121, 161 और 164 के ऊपर सूचना एकत्र की जा रही है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया था । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया संबंधी निदेश सं० 31 के अन्तर्गत यद्यपि उक्त प्रश्न दो सप्ताह बाद फिर कार्य सूची बढ़ा कर दिया जायेगा । यह दो सप्ताह के बाद जो निर्धारित दिवस है यदि उस दिन इस सदन की बैठक नहीं होती है तो उक्त प्रश्नों को अगले सत्र के लिए लम्बित कर दिया जायेगा । तो मान्यवर, यहां के माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के तात्कालिक प्रश्न इस सदन में लाते हैं और जब यह सूचना दी जाती है उनके उत्तर में कि सूचना एकत्र की जा रही है इससे शासन की नीयत साफ हो जाती है । शासन के इस प्रकार के रवैये से उक्त प्रश्नों के महत्व तथा प्रासंगिकता भी समाप्त हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें आपकी बात आ गयी है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव को सुनने के बाद मैं यह पाता हूं कि यह सूचना ग्राह्य करने योग्य नहीं है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाता है ।

दिनांक 2 जुलाई, 1998 को मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, आपने जो सूचना दी है, मैं अनुरोध करूंगा कि अगर इस पर बल न दें तो अच्छा है। कभी-कभी हम लोग घोषित नियमावली के कुछ नियमों को अघोषित रूप से शिथिल कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत न हो और सदन का काम सुचारु रूप से चलता रहे। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर बल न दें तो अच्छा है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपका निर्देश हुआ है, तो ठीक है। लेकिन कल जो आपका निर्देश हुआ था अभी तक उसका पालन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था कि अगर गम्भीरतापूर्वक कह रहे हैं तो नाम दे देंगे। अब उन्होंने नहीं दिया है।

माननीय बाजपेयी जी को सुनने के बाद नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाता है।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, अब इस पर आपने निर्णय दे दिया अब इसका पटाक्षेप करने की कृपा करें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्य को बुलाकर कह दें कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह निर्देश दे दें कि इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, वह भाग कल की कार्यवाही का आप निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अभी मैं विचार कर लूंगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह होती है। मान्यवर, यह मैं पीठ की गरिमा की बात कर रहा हूं पीठ की गरिमा को बढ़ाना हम सब विधायकों का काम है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें पीठ का निर्देश नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है।

जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र भोगांव में ग्राम तिलियानी एवं नगला शिम्भू के मध्य बेवर फीडर ब्रांच पर फुट ब्रिज बनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, 26-3-98 को नियम–51 में सूचना थी उसमें स्पष्ट निर्देश थे सरकार को कि कृत कार्यवाही से सदस्यों को बतायें और कार्यालय को बतायें। मान्यवर, 1992 से यह सवाल उठा रहा हूं, 1997 में सवाल उठाया है। 26-3-98 को आपकी पीठ से निर्देश हुए हैं। मान्यवर, 1992 में निर्देश नहीं दिये गये लेकिन सरकार को पुल निर्माण के निर्देश दिये गये जिसमें एक बना एक नहीं बना। 1997 में गलत जवाब दे दिया गया। वह तो नियम 166 के अन्तर्गत आ जायेगा। मान्यवर, जो मार्च, 98 में

निर्देश दिये उसका पालन नहीं हुआ है । मान्यवर, इस कार्य पालिका की इतनी निरंकुशता पर इतना तो कन्ट्रोल करें ताकि आपके प्रति जवाबदेह हो ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं नियम 300 में इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह जी,की है यह नियम 300 में कहां आती,है ?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई निधि न बनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें ।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 15 में यह लिखा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, वंश, जन्म-स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा । मान्यवर, बहुत ही अफसोस की बात है कि यह सरकार स्वयं नागरिकों के साथ भेदभाव कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आयेगा ? आप अनुदान मांगों पर बोल लीजिएगा ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है पूर्वांचल के लिए निधि, बुन्देलखण्ड के लिए निधि उत्तरांचल के लिए निधि का प्राविधान किया गया है लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए सामान्य नागरिकों ने क्या अपराध किया कि उनके लिए कोई प्राविधान नहीं है । मान्यवर, कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश सम्पन्न है वहां के लोग मेहनती हैं पर कैपिटा इनकम बढ़िया है तो इसका यह मतलब,नहीं कि वहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है । यदि कोई सम्पन्न है तो अपने पैसे से सड़क, अस्पताल तो नहीं बनायेगा और राज्य का कर्तव्य भी है कि वह हर नागरिक को मौलिक सुविधायें उपलब्ध करायें । बिजली के तार 40-40 साल से टूटे पड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको अग्राह्य करता हूं ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कह दें कि इसकी आवश्यकता नहीं है । वे कुछ कह दें कृपया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां के लोग सम्पन्न हैं तो जब हम सभी मान रहे हैं कि काश्तकार अधिक सम्पन्न हैं, तो जो निधि बनायी गयी है चाहे पूर्वांचल की हो या बुन्देलखण्ड की हो यह सही है कि वे अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं, यह भी सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकसित है। उसका विकास तो पहले हो चुका था नहीं तो वहां यमुना नहर न रही होती, गंगा नहर न रही होती, मिल न लगी होती।

श्री समर पाल सिंह–

क्या वहां सड़कों की, बिजली की जरूरत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है मैं अग्राह्य कर रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य)

(इसी बीच श्री समर पाल सिंह आदि सदन के वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

इसका अर्थ यह होगा कि मुझे गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि नियम 300 की सभी सूचनाओं पर पक्ष में निर्णय लूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, अगर निधि नहीं बना रहे हैं तो घोषणा करें कि अलग प्रदेश बना देंगे।

(श्री समर पाल सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री हुकुम सिंह–

मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना अग्राह्य है। माननीय मंत्री जी आप बैठ जायं।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदय राज व श्री बकार अहमद शाह की है। श्री अवधेश प्रसाद जी लखनऊ में होर्डिंग्स की बात यह नियम 300 में कहां आती है। यह अग्राह्य की जाती है। इसी तरह से श्री ददू प्रसाद जी की सूचना कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में है यह सदन की कार्यवाही से कहां संबंधित है। आपकी सूचना अग्राह्य की जाती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मद संख्या 3, 4, 5 और 6 में कुछ नहीं है । मैं अब मद संख्या–7 को ले रहा हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

मैं अब मद संख्या 7 ले रहा हूं ।

आज दिनांक 3-7-98 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना सर्वश्री रेवती रमण सिंह, अम्बरीष कुमार, मुन्ना चौहान की प्रदेश की कताई मिलों में अधिकांश मिलों के बन्द हो जाने से श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में है । इसी प्रकार (की सूचना सर्वश्री जगदम्बिका पाल, सुरेन्द्र कुमार, अखिलेश कुमार सिंह और प्रमोद कुमार की है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो यह सूचना दी है, वस्तु निगम की इकाई मेजा कताई मिल है । इस सदन में तीन दिन पहले एक प्राइवेट सेक्टर की त्रिवेणी इंजीनियरिंग के बारे में इसी तरह का मामला आया था । एक परम्परा सी बन गयी है कि जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी मिलें हैं यह सरकार तालाबन्दी का काम उनमें कर रही है । मेजा कताई मिल को 30 मई को अवैधानिक ढंग से बन्द कर दिया गया । जब से यह सरकार सत्ता में आयी है चाहे प्राइवेट सेक्टर की मिलें हों या पब्लिक सेक्टर की मिलें हों उनमें किसी भी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही श्रमिक कानूनों का । 30-5-98 को इस कताई मिल को बन्द कर दिया गया क्योंकि 1989 से श्रमिकों के वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ था । यह सरकार रोज घोषणा कर रही है कि वह कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर रही है और (इस समय 12 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।) स्थानीय निकाय कर्मचारियों के वेतन भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की घोषणा भी कर रही है, कर भी दिया गया है । इन मिल मजदूरों ने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया और यह कहा कि हम इतने वर्षों से इस उपक्रम में काम कर रहे हैं और उनके वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ है । मान्यवर, इस इकाई पर 400 करोड़ रुपया लगा हुआ है । बिना नोटिस के केवल मांग-पत्र के आधार पर अवैधानिक ढंग से इस मिल को मैनेजिंग डाइरेक्टर ने बन्द कर दिया । आज मगहर, बहादुरगंज और रसड़ा की मिलें बन्द हैं । इस तरह की प्रवृत्ति के कारण मजदूर भुखमरी के कगार पर है । यदि इसको नहीं रोका गया तो लेवर अशान्ति फैल जायेगी और फिर सरकार उसे रोक नहीं पायेगी । इसलिए इसके प्रबन्ध निदेशक और चयरमैन हैं उनको सदन में बुलाया जाय और मिल को तत्काल खुलवाया जाय । यदि इस पर रोक न लगायी गयी तो गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी । इसलिए मांग करता हूं कि सरकार इसमें तत्काल हस्तक्षेप करे और मिल को खुलवाये और उनके कर्मचारियों के वेतन को पुनरीक्षित करवाकर उन्हें दिलवाये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है, जिस पर श्री रेवती रमण सिंह जी ने विचार रखे हैं, मैं भी इस संबंध में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, सबसे

पहली बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की इकाई है और इसकी एक इकाई जौनपुर में भी कार्य कर रही है । मान्यवर, राज्य वस्त्र निगम के कर्मचारियों को जो वेतनमान मिलता है वह वेतनमान इलाहाबाद की इकाई में नहीं मिल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाये । अफसोस की बात है कि यदि कोई निजी मिल मालिक भेदभावपूर्ण बर्ताव करे तो समझ में आता है । लेकिन यह इकाई सरकारी इकाई है और उत्तर प्रदेश सरकार का यह उपक्रम है । इसलिए जब सरकार पर कानून का राज्य चलाने की जिम्मेदारी हो और उसी सरकार के उपक्रम में इस प्रकार का भेदभाव किया जाये तो यह कहां तक उचित होगा ?

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बी०आई०एफ०आर० के समक्ष इकाई के प्रबन्धक कहते हैं कि 1993 में फैसला हुआ था, मजदूरों ने बात रखी थी कि हम लोग मिल प्रबन्धकों के सामने कोई ऐसी मांग नहीं रखेंगे जिससे वित्तीय भार बढ़ता हो । लेकिन 1993 में यह फैसला हुआ था तो, मैं जानना चाहता हूं कि वह फैसला कितने वर्ष का हुआ था ? यदि मिल का मुनाफा न बढ़ता हो और वस्तुओं के दाम न बढ़ते हों वेतन न बढ़ायें तब तो समझ में आता है किन्तु दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है । मान्यवर, दिनांक 22-1-1998 को सहायक श्रम आयुक्त ने प्रबन्धकों को पत्र लिखा था, उनका कहना है महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है प्रति अंक 1.65 रुपया के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाया जायेगा किन्तु उसका जवाब प्रबन्धकों ने नहीं दिया । उसके बाद भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है । जनवरी में लिखे गये पत्र पर प्रबन्धक कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । जिससे अप्रैल-मई में स्थिति बिगड़ जाती है और 21 मई को प्रबन्धक एक नोटिस चिपका देते हैं जिसमें मिल के मजदूरों की दुर्व्यवस्था का जिक्र किया जाता है । नोटिस में कहा जाता है कि मजदूर मिल में शान्ति बनाये रखेंगे । इसके बाद मिल के मजदूर विधान सभा के सामने धरना देते हैं किन्तु सरकार तब भी नहीं चेतती है । मजदूरों पर आरोप लगाये जाते हैं कि उनकी दुर्व्यवस्था के कारण फैक्ट्री नहीं चल सकती है । मजदूरों को नोटिस दे दी जाती है । एक महीना हो गया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हम उपक्रम नहीं चला सकते हैं । मान्यवर, आर्गनाइज फोर्स लाखों की तादाद में है और सारा प्रशासन सरकार के पास है तो फिर यह मिल को क्यों नहीं चला सकते हैं ? प्रबन्धक कहते हैं कि मजदूर लोग सामूहिक रूप से आश्वासन दें । हम इसे चलाने में सहयोग करेंगे तो यह खोली जा सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बरीष कुमार जी ८.८ आप ग्राह्यता की सीमा से बाहर जा रहे हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

तो यह विरोधाभास है । एक ओर तो मिल मालिक यह कहते हैं कि इस मिल की हालत बहुत जर्जर हो गयी है और वहीं दूसरी ओर यह कहते हैं कि अगर आप सहमति देंगे और शान्ति बनाये रखेंगे तो हम मिल को चालू कर सकते हैं । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सहायक श्रम आयुक्त हैं जो उन्होंने कहा है कि मिल खुलवायें और मजदूरों को वापस लें, इसका निपटारा करायें अन्यथा श्रमिक अशान्ति होगी और एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जायेगा । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको स्वीकार करें और इस पर चर्चा करायें ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम–56 में सूचनाओं के लिए नियमावली में प्राविधान है कि एक उपवेशन में एक ही माननीय सदस्यों की सूचना ली जाएगी और एक ही सूचना पर माननीय सदस्य को सुना जायेगा । लेकिन नियम–56 में एक ही माननीय सदस्य की दो-दो सूचनायें हैं । यह ठीक है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाया जा सकता है अब माननीय सदस्य यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि दो सूचनाओं में कौन सी अविलम्बनीय है, तो क्या होगा ? आप इस पर निर्देश दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं । जब किसी माननीय सदस्य की दो सूचना आती है तो केवल एक ही सूचना पर उन्हें सुना जाता है । यह व्यवस्था है ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेई–

मान्यवर, जब सूची तैयार की जाती है तो उस पर एक ही माननीय सदस्य का नाम होना चाहिए । सूची में तो दोनों पर नाम लगायेंगे और सुनेंगे एक ही सूचना पर । तो मेरा यह अनुरोध है कि सूचना पर एक ही व्यक्ति का नाम लिखा जाय । दूसरी सूचना पर उसका नाम न लिखा जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपके सुझाव पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय कुंवर रेवंती रमण सिंह जी और श्री अम्बरीष कुमार जी ने मेजा कताई मिल, इलाहाबाद का प्रकरण यहां पर उठाया । इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस मिल को चलाये जाने का मामला है, श्रमिकों और प्रबन्धकों में समय-समय पर जो अनुबन्ध हुए हैं उस पर एक सिलसिलेवार माननीय अम्बरीष कुमार जी ने बताया । हमारा यह कहना है कि श्रमिकों की बहुत कानून सम्मत मांग थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाय । मान्यवर, यू० पी० टेक्सटाइल मिल की अलग-अलग इकाइयां हैं यह उसी की एक इकाई थी । जो मूल वेतन उनको दिया जाता था उसी की मांग मेजा कताई मिल वाले कर रहे थे और जो समय-समय पर डी०एल०आर०सी० ने समझौता कराया था जिसमें यह कहा गया था कि महंगाई की दर 1.65 रुपया प्रति प्वाइंट के हिसाब से बढ़ी है और उसी की मांग कर्मचारी कर रहे थे । लेकिन प्रबन्धतन्त्र ने उनकी तमाम बातों को न मानकर जिस तरह से उन्हें बेरोजगार बनाने का काम किया, मान्यवर, मैं एक बुनियादी पहलू की तरफ इशारा करना चाहता हूं ।

हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, तो उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ने माना कि हम मिली जुली इकोनामी का कन्सेप्ट लेकर चलें, लेकिन आज जिस तरह से यहां पर बात होती है, इससे ऐसा लगता है कि सदन में कोई दिन ऐसा न जाता हो, जब तमाम पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स की चर्चा न की जाती हो, जिनको बन्द किया जा रहा है और श्रमिकों को बेकार किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है । सरकार बुनियादी ढांचे को बदलना चाहती है । आज जिस तरह से श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, वह किसी से

छिपा नहीं है, श्रमिकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और अगर वह समान वेतन की मांग करते हैं और आन्दोलन करते हैं, तो उनको टरमिनेट कर दिया जाता है। उनको इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि उनको फैक्ट्री में घुसने न दिया जाये। यह प्रदेश सरकार का दायित्व है कि सार्वजनिक इकाई को शुरू करें। यदि बी०आई०एफ०आर० में मुकदमा गया है, तो इसका मतलब है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो सिक इकाईयां हैं, उनको कोई न कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर चालू करायें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 23 स्पिनिंग मिलों के 50 हजार श्रमिकों के हितों से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। मान्यवर, यह परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हो गयीं कि इन इकाईयों में सरकार का 400 करोड़ रुपया पूंजी के रूप में लगा हुआ है और यह रुपया इसलिए लगाया गया था कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बुनकर लोग जो हथकरघा से कपड़ा तैयार करते हैं, उन्हें सस्ते मूल्य पर सूत उपलब्ध कराया जा सके और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, इस मंशा से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश में 23 स्पिनिंग मिलों की स्थापना की थी। किसी एक क्षेत्र विशेष में स्थापना नहीं की गयी थी, विभिन्न क्षेत्रों में इनकी स्थापना की गयी थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सन्त कबीर नगर में स्थापित की गयी, जिससे उसके आसपास के बुनकरों को उससे फायदा मिल सके। अगर मऊ में इस तरह की कताई मिल की स्थापना की गयी तो उसका उद्देश्य यह था कि मऊ के आसपास गाजीपुर, बनारस में जो मिलें हैं उनको सूत उपलब्ध करायें जिससे उनके द्वारा उत्पादित किये हुए माल बड़ी मिलों से उत्पादित किये हुए माल से सस्ता हो सके और उनसे यह कंपीट कर सकें। इसी तरह से बिजनौर, नगीना, इलाहाबाद, मेजा, अकबरपुर आदि में मिलों की स्थापना की गयी और कुल 23 मिलें प्रदेश में स्थापित हुईं आज उनमें से 17 मिलें बन्द पड़ी हैं। सरकार का दायित्व था उनको चलाने की व्यवस्था करे। इन 17 मिलों के बन्द पड़े होने से 50 हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं। जो भुखमरी के कगार में हैं।

जब मजदूर को पहली तारीख को पैसा नहीं मिलता है, उसे दुकानदार से महीने का सामान लेना होता है दुकानदार उसे तभी सामान देता है जब वह पिछले महीने के बकाये का भुगतान कर दे। सन्त कबीर कताई मिल पिछले 15 महीनों से अपने श्रमिकों को वेतन नहीं दे पायी है। वहां के श्रमिक 15 महीने से बिना वेतन के हैं। 1 करोड़ 20 लाख की मिल पर श्रम विभाग के डि० लेबर कमिश्नर ने आर०सी० जारी कर रखी है लेकिन जिलाधिकारी द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए कार्यवाही नहीं होती है क्योंकि वह सरकारी है अगर प्राइवेट होती तो कभी आर०सी० जारी होने के बाद वसूली की कार्यवाही हो जाती। अगर कीटनाशक दवाओं, खाद व बीज आदि के लिए किसान ने ऋण लिया होता, उसका बकाया होने पर कभी आर०सी० जारी हो जाती। उ० प्र० सरकार ने साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया सन्त कबीर मिल के आधुनिकीकरण के लिए लेकिन वहां के एम०डी० और जी०एम० उसे खा गये। करोड़ों-करोड़ रुपया प्रबन्धतन्त्र खा रहा है।

मगहर कताई मिल के श्रमिकों के साथ एक समझौता किया गया। छटनी करने पर उनके बकाया जैसे वेतन, पी०एफ०आदि का भुगतान कर दिया जायेगा। श्रमिकों की छटनी कर दी गयी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तमाम श्रमिकों ने समझौता मान लिया इस आशा से कि हमारा बकाया आदि का भुगतान हो जायेगा और शेष जो श्रमिक रह जायेंगे उनको रेगुलर वेतन मिलने लग जायेगा लेकिन इसके बावजूद उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वहां के जी०एम० ने अपने बंगले का एक शीशा स्वयं पत्थर मारकर तोड़ दिया और उसकी एफ०आई०आर० लिखा दी कि श्रमिकों ने तोड़ दिया इस आरोप में 400 लोगों की सेवा टरमिनेट कर दी गयी। तो 400 परिवार असहाय हैं और भुखमरी के कगार पर हैं। वहां का प्रबन्धतन्त्र तानाशाही में लगा हुआ है और वहां खुली लूट चल रही है। प्रदेश के 50 हजार श्रमिकों का जीवन-यापन का सवाल है। कदाचित इस तरह की श्रमिकों की स्थिति का सवाल सदन में पहले कभी नहीं आया, छोटे-छोटे सवाल उठते रहे होंगे, किसानों की समस्या का, पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी का या बिजली का मामला यहां आया है लेकिन इतना बड़ा मामला श्रमिकों का कभी नहीं आया। अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह मामला नहीं उठाया।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, एक अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करके हम चाहते हैं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करायें। देश की आजादी के बाद एक सुन्दर सपना देखा गया आत्म निर्भर बनने के लिए और उसी कड़ी में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और प्रदेश के कोने-कोने में 23 सहकारी कताई मिलों की स्थापना की गयी। इनकी स्थापना का उद्देश्य सीधा और साफ था कि एक तरफ 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा वहां प्रदेश का परम्परागत और सदियों से चला आ रहा बुनकर उद्योग भी आत्म निर्भर होगा। लेकिन मुझे दुःख हो रहा है कि मौजूदा सरकार ने सिलसिलेवार इसकी उपेक्षा की। नई मिलें लग नहीं पायीं और अपनी अकर्मण्यता के कारण लगी हुई मिलों को बन्द करने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं दो बिन्दु रखना चाहता हूं। जबसे कल्याण सिंह सरकार आयी स्थानान्तरण का सिलसिला शुरू हुआ।

इसमें तमाम मजदूरों का स्थानान्तरण किया गया और करोड़ों रुपये स्थानान्तरण के नाम पर कताई मिलों के चले गये और इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। इसी प्रकार से मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि यदि इसकी तह में जाया जाय तो पता नहीं कितने चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। कताई मिलें काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया से रुई खरीदती हैं यह भारत सरकार का उपक्रम है। भारत सरकार से अच्छी रुई मिलती है और कम दामों पर मिलती है। लेकिन काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया से कमीशन नहीं मिल सकता इसलिए महाराष्ट्र फेडरेशन से रुई खरीदी जा रही है। इसलिए खरीदी जा रही है कि व्यापारियों की संस्था है। इसके लिए टेण्डर भी नहीं इन्वाइट किये गये और एक बड़ी राशि कमीशन के तौर पर लेने के कारण यह कताई मिलें असफल हो रही हैं। इस सरकार को कल्याण सिंह की सरकार नहीं बल्कि कमीशन सिंह की सरकार का नाम दिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह बतायें कि क्यों नहीं काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया से रुई खरीदी जा रही है और महाराष्ट्र फेडरेशन से खरीदी जा रही है। यह सरकार बात तो करती भयमुक्त समाज की, पारदर्शी होने की लेकिन जब मजदूर अपना हक मांगता है, बकाया तनख्वाह और उसकी अन्य धनराशि नहीं दी जाती है, जिससे उसके बच्चों की फीस भरी जा सके और उसको दो जून

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की रोटी मिल सके । मजदूर द्वारा तनख्वाह मांगने पर उसके ऊपर गोलियां चलायी जाती हैं । यह 50 हजार मजदूरों और करोड़ों बुनकरों से जुड़ा हुआ अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । मैं इस पर सदन का कार्य रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कुछ कहना है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

उनको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अगर उनके पास उत्तर नहीं है तो आपके पास सिवाय चर्चा के स्वीकार करने के अलावा और दिक्कत नहीं है । इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपये सरकार में शामिल लोग ले रहे हैं और महाराष्ट्र फेडरेशन से लड़ें खरीदी जा रही है । यह अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा ले रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी को इस सूचना की ग्राह्यता पर सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य पाते हुए निर्देश करता हूं कि क्योंकि यह प्रदेश के मजदूरों से जुड़ी समस्या है और पूरे प्रदेश में फैली हुई एक समस्या है, मैं इसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव जी की है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और माननीय मंत्री जी इसका कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

जब निर्देश मिल रहे हैं तो उनको नोटिस लेने का कोई मतलब नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इन्हीं का उपक्रम है ।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देने से इन्कार कर रहे हैं । श्रीमन्, आप स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में एक समस्या है । 23 में से 17 मिलें बन्द कर दी हैं और माननीय मंत्री जी सरकार का कोई पक्ष रखने को तैयार नहीं हैं । श्रीमन्, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्न के महत्व का ही आंकलन करके मैंने शासन को निर्देश दिये हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

आपके निर्देशों के बावजूद भी सरकार की तरफ से यह पक्ष भी नहीं आयेगा कि सरकार क्या कार्यवाही करेगी, कुछ करेगी भी कि नहीं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, सरकार से आश्वासन तो दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

जब पीठ से निर्देश दिये जाते हैं तो इसकी गम्भीरता शासन समझेगा, ऐसा समझा जाता है ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय, मजदूरों की समस्या है । आज मिलें बन्द कर दी गयी हैं । सदन में यहां आश्वस्त तो कर दें मंत्री जी कि मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह का निर्देश देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं । आपने जो सूचना दी है उस पर अपने विचार रखें । मैंने उस सूचना पर बोलने के लिए आपको बुलाया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, आपने व्यवस्था दे दी है, आपकी व्यवस्था के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है । आपने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । आप समयबद्ध कर दें कि एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही कर दें । करोड़ों रुपया कमीशन के रूप में लिया है, उसकी सूचना हमको न दें लेकिन आपको अवगत करा दें । मगर निश्चित आरोप है कमीशन लिया गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय, मैं इस आरोप का पूरी तरह से खण्डन करता हूं । माननीय सदस्य को आदत पड़ गयी है आरोप लगाने की । कल भी आरोप लगाये गये । आरोप लगाने से पहले किसी भी सदस्य को प्रमाण दे देना चाहिए । केवल आदत के अनुसार खड़े होकर अनर्गल आरोप लगा देना सही नहीं है । जो आरोप लगाया गया वह गलत है । सत्य से परे है, आधारहीन है । यह प्रकरण अविलम्बनीय लोक महत्व का है यह हमें देखना है । बजट पर चर्चा चल रही है । श्रम पर चर्चा हुई, उद्योग पर भी चर्चा होनी है । यह सामान्य विषय है । अगर आपको इतनी ही चिन्ता थी तो जब श्रम विभाग का बजट आया था उस समय इस प्रकरण को उठाया होता । इसलिए मेरा आग्रह है कि जो पीठ का निर्णय है वह शिरोधार्य है ।

श्री प्रमोद कुमार–

25 हजार बेरोजगारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं क्या यह आरोप गलत है ? काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया से जो सस्ती रुई देता है उससे रुई न खरीद कर महाराष्ट्र काटन फेडरेशन से खरीदी जा रही है इसमें ऊपर से नीचे तक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन त्यागकर चले गये ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, अभी सदन का उपवेशन 23 तारीख तक रहेगा तब तक सरकार इस संबंध में सम्पूर्ण स्थिति से सदन को अवगत करा दे । क्या कार्यवाही यह कर रहे हैं ? इसमें कौन सी बात है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है । मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

यह जिस समस्या के बारे में ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं । उसको इतना बढ़ा-चढ़ा कर भयावह रूप देने का प्रयास कर रहे हैं । अगर आपको वास्तव में इतनी वेदना होती तो श्रम विभाग का जब बजट प्रस्तुत किया गया था उस पर चर्चा के दौरान एक भी माननीय सदस्य ने इस प्रकरण का उल्लेख नहीं किया । यह उल्लेख किया जाता तो सारा का सारा मामला आपके सामने आ जाता । हर प्रश्न को कार्य-स्थगन के रूप में उठाने की परम्परा बनती जा रही है । यह उचित नहीं है । उद्योग विभाग का बजट आने वाला है उस पर आप अपनी बात रखें । तो विस्तार से जवाब देंगे ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, नियम 56 में मेरी भी सूचना थी ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर नियमों की परिधि में वह आयेगी तो जरूर सुना जायेगा । अब आप बैठ जायें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं आप हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं । तो हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

अगर इस प्रकार की परम्परा एक बार पड़ गयी तो विधान सभा का चलना कठिन हो जायेगा । मेरा निवेदन सुन लें । नियम-56 में सारी सूचनायें आती हैं, उन सूचनाओं में से पहली 5 सूचनाएं शलाका

के आधार पर ली जाती हैं और उनको ग्राह्यता हेतु सुना जाता है, शेष स्वीकृत सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कुछ सूचनायें अस्वीकार की श्रेणी में आती हैं वह अस्वीकार हो जाती हैं। नियमों के आधार पर चलेंगे तो सारी समस्यायें सामने आ जायेंगी और उस पर आपको सुना भी जायेगा लेकिन अगर कोई बात नियमों में नहीं आती है तो हमारे लिये कठिनाई है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना हूं कि अगर नियमों में आयेगी तो आपको बोलने का अवसर दूंगा। अगर अस्वीकार हुई है तो ऐसी स्थिती में आपको नियम-56 में उठाने की अनुमति नहीं दे पाऊंगा।

श्री रामवीर उपाध्याय–

[X X X]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय–

[X X X]

श्री अधिष्ठाता–

इनके कोई विचार अंकित नहीं किये जायेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप संगत नियमों में उठाने की कृपा करें। नियम 56 का उपयोग जिन संदर्भों में हो सकता है, वह अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का होता है, उस परिधि में आता तो सुन लेते। नियमों के अन्तर्गत अपनी कठिनाई को उठायेंगे तो सदन में अवश्य सुना जायेगा। अब कृपा करके जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार हैं, उनको सुनने दें।

मेजर जगतपाल सिंह–

[X X X]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठें। नियम सबके लिए एक जैसा है, अगर किसी माननीय सदस्य के खिलाफ आक्षेप लगाते हैं तो यह उचित नहीं है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री रामवीर उपाध्याय–

[X X X]

(घोर व्यवधान)

नोट :—[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री. अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें ।

यह आरोप-प्रत्यारोप कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा ।

मेजर जगत पाल सिंह–

[X X X]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें ।

माननीय सदस्यगण, यह इस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है इससे आप किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते । इसीलिए मैंने निर्देश दे दिया है कि कोई भी आरोप-प्रत्यारोप चाहे इधर से लगा हो चाहे उधर से लगा हो, कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा । मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि उपाध्याय जी नियमों का अध्ययन करके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत अपनी समस्या को सदन में लायेंगे तो उनको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा । कृपया नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनायें हैं उनको सुनने का निर्णय लिया गया है आप इस तरह से खड़े हो करके अन्य सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं आपकी सूचना स्वीकृत नहीं है, आप बैठें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जब कभी सदन में माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है तो इस प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, कभी उनकी सुरक्षा का खतरा दिखायी पड़ता है तो उनको सुना जाना चाहिए । मान्यवर, कभी ऐसे भी प्रसंग आये कि नियमों को शिथिल करके उनको सुना गया है और निर्देश भी दिये गये हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुरक्षा का सवाल उठाया गया है यह नियम में आता हो या न आता हो, माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए कि इनकी सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाय । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने प्रारम्भ में कहा है अगर इस प्रकार की परम्परायें डाली गयीं और नियम शिथिल किये गये तो माननीय सदस्यगण जिन्हें अपनी बात कहने का अवसर पड़नी चाहिए फिर उसमें कठिनाई आयेगी । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ऐसी कोई समस्या है तो उस समस्या का हल जो कार्यवाही चल रही है उसमें व्यवधान डालना नहीं है उस समस्या का हल है कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वह बात सामने आये । इसलिए आपने जो बात कही है उससे आंशिक रूप से मैं सहमत हूं लेकिन नियमों के शिथिलीकरण की प्रक्रिया को कहां तक ले जायेंगे उसकी कोई सीमा होगी ।

नोट :– [x x X] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय यादव जी ने बात कही है जहां तक उनकी भावना का प्रश्न है उससे सहमति होने का सवाल नहीं है। जो सूचना दी गयी है आप सूचना देख लें। जो सूचना दी गयी वह इस उद्देश्य से दी गयी है यह आरोप लगाने का अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से दी गयी है, क्या सदन के फ्लोर को आरोप-प्रत्यारोप में तब्दील कर देंगे, बहाना होगी सुरक्षा का। अगर निश्छल मन से सूचना रखें तो इससे अच्छा स्थान कोई और मिलेगा नहीं। हम सोच लें कि क्या कहना चाहते हैं।

(श्री रामवीर उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

पहले जिनको ग्राह्यता पर सुनने की अनुमति है उनको पहले सुन लूंगा उसके बाद देखूंगा अगर आपकी बात सुनने योग्य होगी तो सुनूंगा।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, । जुलाई से शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो गया है लड़कों के प्रवेश भी प्रारम्भ हो चुके हैं। यह लाखों छात्रों का सवाल है पाठ्य-पुस्तकों का जहां तक प्रश्न है, बाजार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं उसका कारण क्या है ? सरकार ने पाठ्यक्रम में बहुत संशोधन किये हैं। संशोधित पाठ्य-पुस्तकें कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। जिस कारण छात्र-अभिभावक परेशान हैं। एक तरफ तो सरकार शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहती है छात्रों का भविष्य बनाना चाहती है और स्वयं द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम संबंधी प्रस्ताव नहीं उपलब्ध करा रही है यह सरकार की विफलता है। जब सत्र प्रारम्भ होने में उपलब्ध नहीं है तो कितने महीने लग जायेंगे। पढ़ाई ठीक से नहीं हो पायेगी। उसमें कुछ कारण पता लगे कि प्रकाशकों ने क्यों नहीं छपाई किया है ? उसमें कमीशन की शायद कोई बात थी वह तय नहीं हो पायी। मान्यवर, लोक महत्व का गम्भीर प्रश्न है इसमें मेरा अनुरोध है कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये इससे ज्यादा लोक महत्व का महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री पूरन सिंह बुन्देला जी की है। वे नहीं हैं श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की सूचना है।

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं 19 जून, 1998 को माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का स्मरण कराते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय नेता सदन ने अपने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हाई स्कूल तक सामान्य पाठ्य [illegible] शैक्षिक पचांग प्रदेश में लागू

कर दिया गया है। इसके भाग के पृष्ठ 48 में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुरूप हाई स्कूल के लिए परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षा का प्रदेश और देश की भावी पीढ़ी से उसका संबंध है और मा० मुख्य मंत्री जी घोषणा भी करते हैं परन्तु इस सरकार में उसे अपने आचरण में उतारने की इच्छा शक्ति नहीं है।

प्रदेश में कहीं भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। 1 जुलाई, 1998 से शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो गया है, सरकार निरन्तर घोषणा करती है परन्तु कहीं भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। यह एक गम्भीर मामला है और यह सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। परीक्षा प्रणाली के सरलीकरण की बात कही गयी है, ढिंढोरा पीट कर सरकार यश कमाना चाहती है परन्तु उसे अपने आचरण में उतारना नहीं चाहती। भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र और शिक्षाशास्त्र जैसे विषय समाप्त कर समाज विज्ञान जैसे नये विषय को नये शिक्षा प्रणाली में लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत नई परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गयी है परन्तु नये पाठ्यक्रम की पुस्तकें यह सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। यदि लेशमात्र भी यह सरकार अपनी जवाबदेही कबुल करती है तो इसे नैतिकता के आधार पर सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। वर्तमान में पूरा प्रदेश इस सामयिक और ज्वलन्त समस्या से ग्रसित है। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए निवेदन है कि आप इस पर चर्चा तत्काल करायें।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मानयवर, मेरा अनुरोध है कि एक सूचना पर माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक के आधार पर मुझे समय दिया। लेकिन नियम–56 में मेरी एक सूचना शलाका में चयनित हो गयी।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना शलाका के आधार पर आयी है उनके संबंध में मैं सुन रहा हूं। माननीय सदस्य विद्वान हैं। नियम–56 में एक से अधिक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तो एक को ही सुना जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–311 की सूचनाएं नियम–56 में परिवर्तित कर दी जाती हैं। मेरी एक सूचना पर माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक से ले लिया और दूसरी सूचना नियम–56 में शलाका में चयनित कर लिया तो दोनों बार समय दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें। मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सूचना को माननीय अध्यक्ष चयनित करते हैं और उसके बाद शलाका में एक सूचना चयनित हो जाती है। तो एक ही दिन में दो सूचनाओं पर आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं इसके पूर्व भी सदन में यह विषय आया था और इस पर प्रश्न भी हुए थे। मैं पुनः

माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि आपको स्मरण होगा इस वर्ष विषयों का पुनर्निर्धारण किया गया है, इसके पहले कक्षा–9 और 10 के लिए एक ही पाठ्यक्रम होता था किन्तु इस बार कक्षा–10 के लिए अलग और कक्षा–9 तक अलग रखा गया है। जितने भी 25 राष्ट्रीय पुस्तकें थीं उन्हें कम करके 18 कर दिया गया है। मुझे स्मरण है, माननीय मंत्री जी यहां कह रहे थे कि बच्चों के ऊपर पुस्तकों का बोझ लादा जाता था, उसको कम करने के लिए विषयों, पाठ्यक्रम पुस्तकों में परिवर्तित किया गया है। यह 4 अप्रैल, 1998 को गजट नोटीफिकेशन प्रकाशित करते हुए पाठ्यक्रम के निर्धारण की सूचना प्रकाशित कर दी गयी थी। उसके बाद पुस्तकों का प्रश्न आया तो पूर्व में 25 पुस्तकें होती थी जिन्हें कम करके 18 कर दिया गया है। स्वयं मंत्री जी ने 14 पुस्तकों का विमोचन भी कर दिया है और शेष भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

मेरी जानकारी में यह आया है कि कुछ लोग पुरानी पाठ्य पुस्तकों को बेच रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष पाठ्य पुस्तकों में कमी आयी है और चूंकि यह नया कदम उठाया गया है इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन अब बाजार में पुस्तकें उपलब्ध हैं और कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और विस्तार से हुई है इसीलिए अब इसमें किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आ[redacted] है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज बाजार में पाठ्य पुस्तकें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं और माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह गलत बयानी कर रहे हैं। हम सरकार के इस रवैये के खिलाफ हैं। इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिष्कार करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

[XXX]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी जो बोल रहे हैं मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[XXX]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

इन्होंने जो सदन का बहिष्कार करने की बात कही है वह भी अंकित नहीं की जायेगी।

तीसरी सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल की जनपद फतेहपुर के थाना–ललौली के अन्तर्गत हरे वृक्षों की अवैध कटान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री अयोध्या प्रसाद पाल जी सदन में उपस्थित नहीं हैं अतः इनकी सूचना निरस्त की जाती है।

चौथी सूचना श्री विजय पाल सिंह की जनपद आगरा में किसानों को मिलने वाली सिंचाई सुविधाओं के अभाव से किसानों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में है। श्री विजय पाल सिंह सदन में उपस्थित नहीं हैं अतः इनकी भी सूचना निरस्त की जाती है।

पांचवीं सूचना श्री मुराद लारी की प्रदेश के निबन्धन विभाग द्वारा फोटो स्टेट मशीनों की खरीददारी में कथित रूप से की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। श्री मुराद लारी सदन में उपस्थित नहीं है अतः उनकी भी सूचना निरस्त की जाती है।

छठीं सूचना श्री महाराज सिंह यादव व श्रीमती सुखदेवी वर्मा की जनपद–इटावा के थाना-भर्थना अन्तर्गत ग्राम समसपुर विवौली निवासी सुभाष चन्द्र गुप्ता के हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इनकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री राम तेज यादव एडवोकेट की आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय से सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को मुख्यालय से हटाकर उनके विरुद्ध चल रही जांचों की निष्पक्षता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के "बायो-केमिस्ट्री" के विभागाध्यक्ष द्वारा शराब पीकर छात्राओं के साथ अश्लील और आपत्तिजनक आचरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस सूचना को निरस्त किया जाता है।

नौवीं सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री परवेज हनीम, श्री राजपाल सिंह, श्री कौकब हमीद व श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की प्रदेश के बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा उत्तराखंड विकास निधि की भांति कोई विशेष प्राविधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दसवीं सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदयराज यादव व डा० वकार अहमद शाह की प्रदेश में पेयजल के अभाव से उत्पन्न गंभीर संकट के सम्बन्ध में है। इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, आज वाटर लेविल काफी नीचे पहुंच गया है.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गौरी शंकर जी जब नगर विकास का बजट आयेगा तब आप अपने विचार रख लीजियेगा।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें निरस्त की गयीं। पहली श्री रामवीर उपाध्याय की, दूसरी सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की और तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, श्री दद्दू प्रसाद, श्री रामशंकर पाल, श्री श्याम सुन्दर, श्रीराम ललित चौधरी, श्री लालजी वर्मा व श्री अयोध्या प्रसाद पाल की, चौथी सूचना श्री स्वामी ओइमवेश की है और पांचवीं सूचना श्री श्रीरामपाल, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री शिव चरन प्रजापति, श्री सतीश अतारिया और श्री दद्दू प्रसाद की है, इनको अस्वीकार की गयी है।

श्री रामवीर उपाध्याय की सूचना अस्वीकार है, लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में कार्यवाही की जाये।

श्री रामवीर उपाध्याय–

एक मिनट सुन लें, मेरी सुरक्षा का सवाल है।

(सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य इस पर आपत्ति करके बोलने लगे, जिस पर श्री रामवीर उपाध्याय उत्तेजित हो गये और इस पर सत्ता पक्ष के दूसरे विधायक भी उत्तेजित हो गये और आपस में नोक-झोंक होने लगी)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को संगत नियमों के अन्तर्गत चलाना चाहता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय–

हाईकोर्ट का आर्डर है और नहीं माना जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुसंगत नियमों के आधार पर आवें, कृपया बैठ जायें। मैंने आपकी सुरक्षा के लिये शासन को निर्देश दे दिया है। अगर इस तरह मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, तो कठिनाई होगी।

श्री रामवीर उपाध्याय–

सत्ता पक्ष की ओर से मुझे गालियां दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि कुछ अंकित नहीं होगा। अगर उत्तेजित होंगे तो स्वाभाविक है कि उधर से भी कुछ कहा जायेगा सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चलनी रहे, यह मेरी कोशिश है। इस तरह का व्यवहार जो है, उसकी निन्दा मैं करता हूं। मैंने कह दिया है कि कोई आरोप या प्रत्यारोप अंकित नहीं किये जायेंगे। आप अपने को संयत रखें।

"धीरज धर्म मित्र अरु नारी।

आपत काल परखिये चारी।। "

प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु शासन द्वारा स्थायी नीति बनाने सम्बन्धी संकल्प

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के किसानों को, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु शासन द्वारा स्थायी नीति बनायी जाये"।

मान्यवर, मैंने आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण-विषय पर है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है उत्तर प्रदेश की चौहत्तर प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है या तो वह किसान है या कृषि मजदूर है उनकी स्थिति बहुत ही दुखदायी है। हमारे देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गये हैं। अनेकों सरकारें आयीं और चली गयीं लेकिन किसी ने भी उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का काम नहीं किया आजादी की आज हम 50वीं वर्षगांठ भी मना चुके हैं। लेकिन 74 प्रतिशत जनता जो खेती का काम करते हैं या खेतिहर मजदूर हैं वे गरीबी की रेखा के नीचे चल रहे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

इसी उद्देश्य से यह संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है। इस प्रदेश का किसान भयंकर तंगी के दौर से गुजर रहा है। 6. 6 महीने और साल-साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद, खून पसीना बहाने के बाद उसकी फसल तैयार होती है और जब वह तैयार होती है तो उसका लाभकारी मूल्य तो दूर रहा उपज की लागत तक नहीं मिलती है। उसकी फसल की लूट होती है, व्यापारी करे तो करे उसे सरकार द्वारा भी न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो किसान के दैनिक उपयोग की चीजें हैं या जो कृषि उपकरण हैं, बीज हैं उनके दाम दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं।

किसान को बच्चों को पढ़ाना भी होता है उसकी फीस में वृद्धि होती जा रही है, जो कपड़े उसको पहनने के लिये चाहिये उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। जो उसकी मौलिक आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि वह मंहगे होते जा रहे हैं। केवल किसान की उपज मंहगी नहीं है। सरकार ने जो समर्थन मूल्य घोषित किया है चाहे वह गेहूं का हो या धान का वह भी कम है। अभी सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 510 रु० निर्धारित किया सरकार ने स्वयं स्वीकारा है कि उत्पादन मूल्य 596 रु० आ रहा है। तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि वह किसानों को लाभ पहुंचाये। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं यह अपने को किसानों का हितैषी कहते हैं लेकिन जब से उधर चले गये हैं वह व्यापारियों के हितैषी हो गये हैं।

हमारे यहां उ० प्र० के अंदर बहुत सारे कृषि फार्म हैं जहां पर गेहूं, धान, गन्ना आदि का बीज तैयार किया जाता है। तो उनसे मालूम हो जायेगा कि कितनी लागत आती है। वे सब कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। यहां पर कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर और कानपुर में है। वहां पर कृषि वैज्ञानिक हैं उनको बैठा कर इस बात का निर्णय करा लें कि उपज की क्या लागत आ रही है ? हमारी मांग है कि इस कार्य के लिये कोई आयोग बनाया जाय। आपने एक कमेटी बनाई है "लाल बत्ती" आप इस विषय पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय सीमा न रखें यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता का मामला है। इससे उनके साथ अन्याय होगा अगर आप समय सीमा रख देंगे तो हमारी मांग है कि कृषि मूल्य निर्धारित करने के लिये एक आयोग बनायें। कमेटी में जो अधिकारी रखे हैं उन्हें खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। उन्हें नहीं मालूम कि कितनी मेहनत किसान करता है और कितनी लागत उसमें आती है।

मान्यवर, हमारी मांग है कि जो कृषि मूल्य निर्धारित करने के लिए कमेटी बनी है उसके अन्दर किसान के प्रतिनिधि हों। जब किसान के प्रतिनिधि होंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार कितनी लागत आती है और कितनी मेहनत लगती है और कितना मूल्य उत्पादन का मिलना चाहिए। जैसाकि मैंने बताया 74 प्रतिशत प्रदेश की जनता कृषि पर आधारित है और उनको सही मूल्य नहीं मिलता इससे साबित होता है कि 74 प्रतिशत जनता घाटे का धंधा कर रही है। हमारे प्रदेश का विकास कभी नहीं हो सकता जब तक किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम न दिया जाय। इस सरकार की दोहरी नीति है।

एक तरफ व्यापारियों को अनाप-शनाप मुनाफा कमाने की छूट है और दूसरी तरफ किसान को उसकी लागत भी नहीं मिलती है। सरकार को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कोई धन्धा कर रहा है तो उसको लाभ उचित मात्रा में मिले। किसान को 6 महीने में एक पैसा नहीं मिलता और व्यापारी थोड़ा पैसा लगाकर दो गुना कर रहे हैं। हमारा गेहूं 500 रुपये पर व्यापारी के घर गया और वह 8-9 सौ रुपये कुन्तल बिक रहा है। सरकार विदेशों से खाद्य पदार्थ आयात करती है और अच्छा मूल्य देती है लेकिन किसान जो खून-पसीना बहाकर उपज बढ़ा रहा है उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा है।

इस सरकार की दोहरी आर्थिक नीति के कारण किसान की कमर टूट रही है और वह गरीब होता जा रहा है। मान्यवर, कोई भी वर्ग हो चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, व्यापारी हो सरकार उनके दवाव में काम कर रही है। कर्मचारियों ने कहा कि हमारा वेतन केन्द्र के समान होना चाहिए, सरकार ने नहीं माना तो कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सरकार ने कर्मचारियों के दवाव में आकर मांग मान ली इसी प्रकार से व्यापारियों की मांगे मानी जाती हैं। किसान की मांग इसलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि वह हड़ताल नहीं कर सकता है। किसान क्या हड़ताल करेगा. क्या वह अपने चारे को नहीं लायेगा, पशुओं को भूखा मार देगा, क्या उसकी फसल पकी खड़ी है तो उसको काटेगा नहीं। किसान हड़ताल नहीं कर सकता इसलिए उसके साथ हकतलफी हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। आपको पुनः अवसर चर्चा करने का मिलेगा।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं केवल 5-7 मिनट लूंगा। मान्यवर, किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर अत्याचार करने वाले किसान के बेटे रहे हैं। यहां जितने जन-प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से किसानों के घर से आते हैं। 50 साल हो गये हैं लेकिन अफसोस की बात है कि किसान का शोषण हो रहा है। किसान भुखमरी के कगार पर है, वह हाथ फैला रहा है। गन्ना मूल्य मांगता है तो जैसे मुगलों के शासन काल में शहंशाह होते थे वैसे ही सरकार कहती है कि 5 रुपये बढ़ाया जाता है। किसान भिखारी की तरह हाथ फैलाये खड़ा है, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता। मेरी मांग है कि प्रतिवर्ष जितनी महंगाई बढ़े उसके हिसाब से उसके उत्पादन का मूल्य बढ़ना चाहिए। मान्यवर, फैक्ट्री में अगर उत्पादन ज्यादा हो जाय तो बोनस दिया जाता है।

आज जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। किसान ने मेहनत करके अपने उत्पादन को दोगुना कर दिया है। किसान मेहनत करता है और बढ़ी हुई जनसंख्या के पेट को भरने का काम कर रहा है तो उसको बोनस मिलना चाहिए और सरकार उसको दाम भी नहीं दे पा रही है। उसके बच्चों की मजदूरी भी नहीं दे रही है। एक तरफ किसान को दाम नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ उसकी जोत कम होती जा रही है। अगर किसी के पास आज 100 बीघा है और उसके दो बच्चे हैं तो अगली पीढ़ी के पास 50 बीघा ही रह जायेगा। आज किसान लघु और सीमान्त किसान रह गया है। हमारे प्रदेश में 74-75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास एक हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। उनकी मजबूरी देखिये कि वह ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, ट्यूबवेल नहीं लगवा सकता यहां तक कि 2 बैल खेत जोतने के लिए नहीं रख सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है।

क्या सरकार को उन किसानों के लिए नहीं सोचना चाहिए ? आज आप तमाम लोगों को सब्सीडी दे रहे हैं। उन किसानों को सब्सीडी दीजिये ताकि वे अच्छे उपकरण खरीद सकें, अच्छे बीज खरीद सकें। आज किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए वो प्रदेश की जनता का पेट भरने का काम करते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि यह कल्याणकारी सरकार दैवी आपदा के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ? जब कहीं कोई दैवी आपदा आती है तो माननीय मंत्री जी अपने राहत कोष से या अन्य कहीं और से उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम करते हैं। जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान या फैक्ट्रियां हैं उनका बीमा हुआ पड़ा है अगर कहीं आग लगती है तो उन्हें पूरा पैसा मिल जाता है। किसानों की हालत यह है कि अगर कहीं दैवी आपदा आ जाय, पूरी पकी फसल नष्ट हो जाती है उसको एक पैसा नहीं मिलता है चाहे आग लग जाय, बाढ़ आ जाय।

आज 50-60 साल पुरानी बिजली लाइन है, जगह-जगह तार टूट कर गिरते रहते हैं जिससे आग लग जाती है। माननीय मंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहा कि हमने 500 रुपये से बढ़ाकर इस राशि को 1,000 रुपये कर दिया है। मान्यवर, 1,000 रुपये में क्या क्षति पूर्ति होगी ? यह तो गुमराह करने की बात है। 1,000 रुपये तो किसान और उसके बच्चों की मजदूरी है दस दिन की। अगर आप किसानों को कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे नेता हैं, किसानों के नेता हैं। आप भूल जाइये कि आप राजा हैं। किसानों के साथ हमदर्दी है, उनकी सहायता वास्तव में करना चाहते हैं तो पहले आप फसल बीमा योजना लागू करिये। किसी दैवी आपदा या किसी दूसरे कारणों से उसकी फसल नष्ट हो जाय तो उसे उसका पैसा मिल जाय और वह अपने बच्चों का पेट भर सके।

आज जो दैवी आपदा के कारण क्षति पूर्ति के लिए पैसा मिलता है उससे वह क्या कर सकता है ? वह ऐसे हालात में भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। मान्यवर, किसानों की समस्या इस देश के अन्दर बहुत गम्भीर है। आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। एक मिनट और लूंगा। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे देश की जनता से जुड़ा है। इस देश के महान किसान नेता हुए हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। इस सदन का कोई भी व्यक्ति इस बात से अलग नहीं होगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए और गांव में रहने वाले लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उनकी नीति को एक वाक्य में कह रहा हूं जो वह कहते थे कि देश के विकास का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। देश का विकास तब होगा जब गांव का विकास होगा।

गांव के विकास के लिए किसान का विकास करना पड़ेगा इसके पीछे एक ध्येय है कि किसान के पास अगर पैसा होगा तो वह उसको खर्च करेगा। पैसा उसके पास होगा तो वह अपना पक्का मकान

बनवायेगा जिससे भट्ठा, सीमेन्ट, सरिया के लिए पैसा जायेगा, बच्चों के लिए कपड़ा बनवायेगा तो कपड़ा उद्योग को फायदा होगा । पूरे देश का विकास होगा । किसानों के भले के लिए इस संकल्प को प्रस्तुत किया है । हमारा यह निश्चित मत है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनको उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देना होगा । इसके लिए एक स्थायी नीति बनायी जाय । हर साल उसे भिखारी की तरह हाथ न फैलाना पड़े । जैसे दूसरी चीजों के दाम बढ़े हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है, उसी तरह से महंगाई बढ़ने के कारण किसान की उपज के दाम भी बढ़ते जाने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अन्य कोई दो माननीय सदस्य इस संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपनी बात रखना चाहें तो उनको अनुमति है ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस संकल्प के पक्ष में बोल रहा हूं । यह जो कृषि नीति की बात मा० समरपाल सिंह जी ने कही है यह प्रदेश में लागू होनी चाहिए । क्योंकि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां 80 फीसदी जनता कृषि पर आधारित है । प्रदेश के किसानों की समस्या के लिए उनकी फसलों को लाभकारी मूल्य नहीं दिलाया जायेगा तब तक इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है । पिछले दिनों गेहूं की खरीद हुई जिसमें इस प्रदेश सरकार ने गेहूं के खरीद में यहां के व्यापरियों द्वारा पांच करोड़ रुपये से ज्यादा गेहूं खरीदा और उनको कमीशन दिया । जबकि जो कमीशन किसानों को दिया जाता तो शायद हमारे किसान और ज्यादा उत्पादन करने का काम करते । किसान की फसलों का दाम की बात जब आती है तो सरकार ध्यान नहीं देती ।

पता नहीं किस मूल्य निर्धारण के तहत सरकार मूल्य निर्धारण कर रही है । फसल का जब मूल्य निर्धारण किया जाता है तब किसान की जो हालत है उसको नहीं जोड़ा जाता, किसान की मजदूरी को नहीं जोड़ा जाता । यह किसी फार्म हाउस के आधार पर समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं । मूल्य निर्धारण फार्म हाउस की तर्ज पर किया जाता है । पिछले दिनों केन्द्रीय सरकार ने यूरिया के दाम को बढ़ाया लेकिन किसान के लिए कोई भी फसलों के दाम बढ़ाने का कार्य नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

अभी मुख्य मंत्री जी ने फिल्म उद्योग नीति का निर्धारण किया क्यों न मुख्य मंत्री जी सदन में आकर कृषि नीति की घोषणा करें जिसकी प्रदेश को जरूरत है । जिससे हर साल किसान सरकार के आगे हाथ न फैलाये ।

उद्यान मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–)–

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हू कि मुझे यह गर्व है कि आज उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, नये माननीय सदस्य जो दो माननीय सदस्य बोले वह भी हम सभी प्रारम्भ में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पाठशाला में एक साथ पढ़े हैं । एक साथ रहे हैं ।

मा० समरपाल सिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये लेकिन शायद उनका चश्मा बदल गया है । उनको भरोसा होना चाहिए कृषि मंत्री जी स्वयं एक बहुत उन्नतशील किसान हैं पहली बात हमारे माननीय सदस्य छपरौली कह रहे थे कि खाद के दाम बढ़े फसलों के दाम नहीं बढ़े, उनको ज्ञात होना चाहिए कि यूरिया के जो दाम बढ़े थे वह वापस ले लिए गये और फसलों के दाम बढ़े हैं । आज तक किसी सरकार ने 55 रुपया एक साथ गेहूं का भाव नहीं बढ़ाया । जो बात गेहूं के बिक्री के संबंध में कही गयी है मैं इतना कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उ० प्र० में गेहूं की खरीद नहीं हो पाती थी इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया था कि अबकी बार गेहूं की खरीद हरियाणा और पंजाब की तरह आढ़तियों द्वारा करायी जाय । इससे करोड़ों रुपये की इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, मण्डी टैक्स का लाभ हुआ लेकिन जब शिकायत की सम्भावना हुई तो वहीं पर खरीद को पुनः पहले जैसे कर दिया गया । मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि अब किसानों के उत्पाद निर्यात किये जाते हैं । जो भी किसानों द्वारा फसल पैदा किया जाता है उसका हम निर्यात करेंगे आयात नहीं किया जायेगा ।

माननीय कृषि मंत्री जी और हम लोग कई बार बैठक कर चुके हैं कि किसानों की फसलों को निर्यात करें । हम इतना कह सकते हैं कि पहले जो कुछ हो रहा हो लेकिन इस बार तय किया गया है कि इस बार एक तोला नकली खाद की बिक्री नहीं करने दी जायेगी इसके लिए छापे डाले जायेंगे और उसका टेस्ट कराया जायेगा । माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उनको भरोसा होना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जी के एक सजग प्रहरी की तरह उ० प्र० के कृषि मंत्री दिवाकर विक्रम सिंह के नेतृत्व में किसानों का भला होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय समरपाल सिंह जी ने एक संकल्प रखा है और चौधरी चरण सिंह जी का एक उद्धरण देते हुए कहा कि इस देश की खुशिहाली गांव और खलिहान से जुड़ी हुई है, यह बिल्कुल सही है और मैं भी सौ फीसदी मानता हूं । मैं आपके माध्यम से भाई समरपाल सिंह और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार की भी यही नीति है और इसी नाते इस वर्ष का बजट उठाकर देख लें सबसे अधिक इजाफा खेती से संबंधित विषयों पर किया गया है चाहे बिजली हो या सिंचाई हो जहां भी इजाफा हुआ है खेती के संबंध में हुआ है । ग्राम्य विकास का बजट देख लें इसमें भी यही स्थिति है । जो माननीय चौधरी चरण सिंह जी की नीति है उसको हम लोगों ने अपनाया है । समरपाल सिंह जी ने दो-तीन बातें कही हैं । उन्होंने कहा कि कोई स्थायी नीति नहीं है, स्थायी नीति बनायी जानी चाहिए, यही उनका संकल्प भी है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्थायी नीति है और मूल्यों का निर्धारण स्थायी नीति के रूप में ही किया जाता है । कमेटी की बात बतायी, कमेटी इसमें विचार करती है, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री, खाद्य एवं रसद मंत्री होते हैं । मुझे मान्यवर, मूल्य निर्धारण में उपभोक्ता का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसानों के उत्पादन का । उत्तर प्रदेश से चयनित दो माननीय सांसद जो राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मूल्य निर्धारण की नीति आपने कही है कृपया उसका विश्लेषण कीजिये कि क्या नीति है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं दोनों बातों को कह दे रहा हूं। मान्यवर, मा० समरपाल सिंह जी ने कहा है कि इसमें कोई किसान का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मान्यवर, प्रयास यह होता है कि जो माननीय सांसद इसमें नामित किये जाते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के ही सांसद हों। श्रीमन्, इसमें कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं, कृषि सचिव होते हैं, सचिव, सहकारिता होते हैं, सचिव, खाद्य एवं रसद होते हैं, निदेशक, कृषि होते हैं, निबन्धक, सहकारी समितियां, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा तथा तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं।

मान्यवर, माननीय सदस्य नीति के बारे में बातें करते हैं लेकिन यह उनकी समझ से बाहर है फिर भी मैं बताये दे रहा हूं।

श्रीमन्, जिस वर्ष के लिए मूल्य निर्धारण करना होता है उसके पिछले वर्ष का मूल्य लिया जाता है उस पर महंगाई की वृद्धि दर जोड़ी जाती है और वह 5 वर्ष के आधार पर महंगाई को कर लिया जाता है। उसमें 10 प्रतिशत धनराशि जोड़ी जाती है जो प्रबन्धकीय व्यय के नाम से है। इस राशि में 10 रुपया प्रति कुन्तल विपणन के लिए होने वाला व्यय जोड़ा जाता है और इस सारे पर 25 प्रतिशत लाभांश जोड़कर तब कृषि मूल्य तय किया जाता है।

श्रीमन्, माननीय समरपाल सिंह जी ने कहा है कि कभी लागत मूल्य बढ़ा नहीं वर्ष 91-92 से 97-98 तक तो मैं बता रहा हूं लागत मूल्य जो संबंधित फसलों का था और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार द्वारा घोषित हुए। 1991-92 में लागत मूल्य 233.25 और न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपये, 1992-93 में 290.95 और न्यूनतम समर्थन मूल्य 330 रुपये 305 रुपयें और 25 रुपये बोनस, वर्ष 1993-94 में लागत मूल्य 309.82 और न्यूनतम समर्थन मूल्य 350 रुपये, वर्ष 1994-95 में 324.93 लागत मूल्य और समर्थन मूल्य 360 रुपये, वर्ष 1995-96 में लागत मूल्य 369.97 और समर्थन मूल्य 350 रुपये, वर्ष 1996-97 में लागत मूल्य 391.25 और समर्थन मूल्य 475 415 प्लस 60 रुपये बोनस, वर्ष 1997-98 में लागत मूल्य 407 रुपये और समर्थन मूल्य 510 455 रुपये प्लस 55 रुपया बोनस। इस तरह से लागत मूल्य और समर्थन मूल्य जोड़ा जाता है और उस पर जो नीति है वह मैंने बता दी माननीय सदस्य ने यह भी उठाया था कि भाव दुगुने हो गये और बोनस नहीं मिला। श्रीमन्, दो बातें कही गयी हैं लागत मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य समर्थन का नहीं मिल रहा है। जहां प्रोडक्शन की बात आती है एक यूनिट प्रोडक्शन का ले लें और उसमें एक यूनिट व्यय कर लें अगर आप उत्पादन दोगुना कर देंगे तो कास्ट आफ प्रोडक्शन उत्पादन मूल्य का आधा हो जाता है। फिर भी समर्थन मूल्य बढ़ा भी दिया है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो भी किसान हैं उनमें अधिकांश 74 प्रतिशत एक हेक्टेयर से नीचे के हैं।

मान्यवर, जो सीमान्त कृषक कहलाते हैं ढाई एकड़ से नीचे हैं कहा गया कि कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है जो छोटे किसान हैं ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं बैल चालित उपकरण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। छोटे ट्रैक्टरों पर 30 प्रतिशत अधिक से अधिक 30 हजार रुपये सब्सिडी दी जा रही है। अगर सिंचाई के लिए स्प्रिंकल सेट लगाना चाहते हैं उस पर 50 से 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कुछ ऐसे ट्रैक्टर चालित यन्त्र हैं उस पर भी 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। मान्यवर, हम लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य तय कर रहे हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया उसके लिए स्थाई नीति बनी हुई है स्थायी समिति बनी हुई है वह प्रदेश समिति भारत सरकार को संस्तुति करती है।

भारत सरकार में भी एक समिति बनी हुई है । उसे पहले कृषि मूल्य आयोग कहा जाता था उसका नाम परिवर्तित करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है । वह लागत देकर मूल्य तय करती है और लागत पर भी नियन्त्रण रखा जाता है । मान्यवर, जो उसके सदस्य हैं, भारत सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष जो सम्भवतः प्रख्यात अर्थशास्त्री होते हैं और इस समय वर्तमान में प्रो० अभिजीत सेन जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अर्थशास्त्र है इसके अध्यक्ष हैं । कृषकों के दो प्रतिनिधि, दो विशेषज्ञ और आयोग के सचिव यह 6 सदस्य हैं । जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग गठित है जो प्रत्येक प्रान्तों से संस्तुति होती है उस पर विचार करके वह न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है । मान्यवर, नीति उपलब्ध हैं समर्थन मूल्य तय करते समय किसानों की आवश्यकता पैदावार में जो समान उपयोग होता है उसका मूल्य किसानों के उपभोग में आने वाले सामानों का मूल्य साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य तय किया जाता है यह न्यूनतम मूल्य है । सरकार कहीं प्रतिबन्ध ऊपर के दाम पर नहीं लगाती है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए यह जरूर देखती है अगर नीचे गया तो किसानों को हानि होगी । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी बताया कि गेहूं के दाम बढ़ाये गये, हम भी इससे सहमत हैं । दूसरी चीजों के अनुपात में कितने बढ़ाये गये यह देखने की बात है । 1969 के इन्डैक्स को देख लें और उससे तुलना करें तो आज एक हजार रुपये प्रति कुन्तल गेहूं का दाम होना चाहिए और आपने किया है 510 रुपये । खरीद की बात कही गयी, मान्यवर, कागजों पर खरीद हो रही है । क्रय केन्द्र जो खोले गये हैं वहां पर बोरे नहीं हैं । यह क्रय केन्द्र किसान और सरकार के बीच में दलाल बन गये हैं । किसान से कह देते हैं कि यह गेहूं भीगा है, खराब है आदि हम इसे नहीं लेंगे ।

अब किसान कहां जाये ? वहीं पर व्यापारी बैठा होता है वह कहता है 400 रुपया प्रति बोरा देना हो तो हमें दे दो । किसान लाचार होकर अपने उत्पाद को औने-पौने दामों पर दे देता है बाद में यही गेहूं 510 रुपये के हिसाब से क्रय केन्द्रों पर बेच दिया जाता है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी एक स्थाई नीति है, एक कमेटी है । हम भी मानते हैं कि कमेटी है परन्तु इस कमेटी में जिन लोगों को आपने रखा है उन्हें किसान के मेहनत की वास्तविकता मालूम नहीं है । आपने इसमें कृषि सचिव, ए०पी०सी०, कृषि निदेशक रखे हैं और उसमें दो सांसदों को शामिल कर आपने कह दिया कि किसानों का प्रतिनिधित्व हो गया है तो फिर किसान गरीब क्यों होता चला जा रहा है ?

कुलपति आपने इसमें रख दिया, आप वहां के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें आप बनाते । यह कमेटी बिल्कुल फर्जी है । जिन लोगों को इस कमेटी में रखा गया है वह एयरकण्डीशण्ड कमरों में बैठकर यह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि फसल को पैदा करने में किसान अपना कितना पसीना बहाता है । माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है वह गुमराह करने वाला है । माननीय मंत्री जी आपके जो कृषि फार्म हैं वहां पर सारी सहूलियतें हैं फिर भी वह घाटे में चल रहे हैं । वह किसान जिसके पास धन का अभाव है और खेती के लिए आवश्यक सामग्री है उसे कैसे फायदा होगा ? माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये और कहा कि इतने दाम हमने बढ़ाये । मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी चीजों के अनुपात में आपने इतना बढ़ाया । आपने गेहूं का दाम 500 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया और गन्ने का दाम 76 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया क्योंकि ये चीजें किसान के खेत में पैदा होती हैं यदि यही चीजें व्यापारी की फैक्ट्री में पैदा

होती तो आप 2,000 रुपया प्रति कुन्तल कर देते । तो इस तरह से किसानों को पीड़ित किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है । बच्चों की किताब पहले डेढ़ रुपये में आती थी अब 10 रुपये की हो गयी । दिल्ली का किराया पहले 150 रुपया था अब 800 रुपया हो गया । तो यह देखने की आवश्यकता है । मान्यवर, इन्होंने यह कहा कि हमने ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी । मैं यह कहना चाहता हूं कि एक जिले के अन्दर आठ-दस लाख किसान हैं और आप ट्रैक्टर देते हैं पांच किसानों को । तो उसमें भी आप यह कहते हैं कि जो सब्सिडी का पैसा होता है वह आप रख लेते हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने फसल बीमा योजना, दैवी आपदा हो या अन्य किसी कारण से हो, उसकी भरपाई नहीं मिल पा रही है । यह चाहे किसी भी सरकार के निकम्मेपन से हो ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह सिर्फ सदन को गुमराह करने वाले हैं, सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनको लाभकारी मूल्य देने के लिए कोई नीति नहीं बना रही है इसलिए मैं अपने इस संकल्प पर जोर देता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ी वाकपटुता से गुमराह करने का प्रयास किया है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जो किसानों के नेता हैं । यह आज इधर अगर बैठे होते तो ये भी वही कहते जो हम कह रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, आज इनकी नाराजगी का पता चल गया है । मान्यवर, इन्होंने कहा कि स्थायी नीति बनायी जाय । तो स्थायी नीति बनी है । दूसरा जो मूल्य तय किया जाता है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है । ऊपर के मूल्य पर कोई कन्ट्रोल नहीं है । दाम बढ़ भी सकते हैं और उन्हें ऊंचे दाम भी मिल सकते हैं । समर्थन मूल्य वह है जिसमें किसानों का घाटा न हो । एक चीज की ओर और माननीय सदस्य ने इशारा किया वह है फसल बीमा । मैं बताना भूल गया था । यह केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ।

इसमें केन्द्र सरकार और सामान्य बीमा निगम दोनों की भागीदारी होगी और जो भी नीति का निर्धारण होगा, जो नियम बनेंगे उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में या अन्य जगह सरकारें विचार करेंगी । इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इसे शीघ्र लागू किया जाय । जो अब तक की सरकारों ने नहीं किया उसे हमारी सरकार निश्चित रूप से करने जा रही है इसमें कोई दो राय नहीं है । मान्यवर, सैम्पुल की बात कही गयी, अभी एक माननीय सदस्य ने ए०सी० फार्म के बारे में कहा पता नहीं ए०सी० फार्म उन्होंने कहां देख लिया ? तो जो समर्थन मूल्य दिया जाता है यह पूरे प्रदेश की औसत पैदावार का लिया जाता है । पूरे प्रदेश में 3 हजार 230 सैम्पुल लिए जाते हैं । यह सैम्पुल्स किसानों के खेतों से लिए जाते हैं । यह सैम्पुल्स मध्यम, सीमान्त और बड़े किसानों के खेतों से लिए जाते हैं । राजस्व विभाग, कृषि और सांख्यिकी विभागों के कर्मचारी मिलकर तय करते हैं कि प्रति एकड़ उत्पादन कितना हुआ है । वे आंकड़े

लेकर तय करते हैं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन कितनी आयी है ? मान्यवर, यह स्थायी नीति बनी हुई है।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया उससे मुझे लगता है कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपके जितने फार्म्स हैं जहां सारी सुविधायें हैं वह घाटे में क्यों चल रहे हैं ? मैं तो कहूंगा कि आपकी कोई नीति नहीं है जिसके कारण आज किसान दुखी बना हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के किसानों को, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु शासन द्वारा स्थाई नीति बनायी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निर्बाध विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित की गयी सिविल बेनाप तथा कैसर हिन्द भूमि विषयक संगत शासनादेश को तत्काल निरस्त करने के संबंध में संकल्प

* श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निर्बाध विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित की गयी सिविल बेनाप तथा कैसर हिन्द भूमि विषयक संगत शासनादेश को तत्काल निरस्त कर दिया जाय।"

मान्यवर, इस शासन ने एक ऐसा कठोर नियम बनाया है जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ दिन पहले 1995 में सारी भूमि वन क्षेत्र भूमि घोषित की गयी थी। मान्यवर, 1893 में अंग्रेजों के समय की बात है, एक नियम 1893 में इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट बना। मान्यवर, 1893 का प्रश्न क्यों आया, 1893 में इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट बना। इस ऐक्ट के बनने के पहले जंगल की सारी की सारी भूमि गांवों की होती थी। अंग्रेजों ने हमारी सम्पदा को देखा और एक कानून बना दिया और सारी की सारी जमीन ले ली। इस पर वहां के निवासियों ने आन्दोलन किया और 1922 में संशोधन किया गया और नाप भूमि और वन भूमि के बीच में बेनाप भूमि घोषित की गयी। जो अधिकार वहां के लोगों के थे, उनको इस भूमि में समावेश किया गया और इसी भूमि पर सारे विकास के कार्य होते थे। जितने भी आवास बने हैं, पत्थर, लकड़ी सब इसी से लेते थे।

इस भूमि पर सार्वजनिक कार्यों को करने का अधिकार दिया गया। इस कानून के द्वारा वहां की जनता को 1893 की स्थिति में ले आया गया। 105 साल के बाद फिर यह कानून बनाया गया कि हम रेत नहीं ले सकते हैं, लकड़ी नहीं ले सकते हैं, पत्थर नहीं ले सकते हैं और मिट्टी नहीं ले सकते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1893 की स्थिति बहाल की जाती है । लेकिन इस कानून के द्वारा पनघट, गऊघाट और शमशान घाट उसमें चले जायेंगे, वन भूमि में चले जायेंगे और उनका उपयोग जनता नहीं कर पायेगी । 1922, 1993 और 1960 में बन्दोबस्त हुए, जिसमें हमारे अधिकार सुरक्षित किये गये और इस कानून के कारण सारे अधिकार छीने जा रहे हैं और शासन चुप बैठा हुआ है । सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है, लेकिन शासन कुछ कर नहीं रहा है ।

1922 से लेकर जितने भी बन्दोबस्त हुए हैं, उनके द्वारा सारी की सारी भूमि राजस्व विभाग की घोषित कर दी गयी है । कानून को अगर लागू रहने दिया गया तो हमारा वहां पर रहना दूभर हो जायेगा । कोई अपना मकान वहां पर नहीं बना पायेगा, पत्थर नहीं ले पायेगा, रेत नहीं ले पायेगा, तो इससे वहां की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है और कोई विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है । लेकिन अब कोई कार्य नहीं कर पायेगा न कोई पेयजल की योजनायें बन पायेंगी और सड़कें ठीक बन पायेंगी । पेड़ जिनको वर्षों से हमने पाला है उसका लाभ हमको नहीं मिल पायेगा । हमारे यहां पशुपालन होता है उसके लिए जंगलों से घास जो मिलती थी वह भी अब नहीं मिल पायेगी । यह एक काला कानून हमारे ऊपर लाद दिया गया है ।

मैदानी क्षेत्रों में जो व्यवस्था है पहाड़ों में उससे भिन्न है वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वनों का लाभ हमें मिलना चाहिए । जो सुविधायें अंग्रेजों के जमाने में थीं वह आज से ज्यादा थी । आज हम अपनी ही भूमि पर भूमिहीन हो गये हैं । जब मैं पहली बार यहां आया था उस जमाने से जो सड़कें स्वीकृत हुई थीं वह आज तक इस भूमि संरक्षण अधिनियम के कारण पूरी नहीं हुई हैं । वहां पर विकास के कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं, न सड़कें बन रही हैं और न बिजली की लाइन हमें मिल पा रही है । जब से यह अधिनियम बना है तब से हमारे जंगल के हक हकूक मिले हुए थे, लकड़ी जो जलाने के लिए या मकान बनाने के लिए मिलती थी वह नहीं मिल रही है । हमारे यहां जो पार्क बन गये हैं जैसे जिमकारबेट पार्क, दूसरे जो पार्क हैं उनमें हमारे अधिकार सीमित हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भारत सिंह रावत–

हमारा रहना पहाड़ों पर दूभर हो जायेगा । हमारे लोग शान्त प्रिय हैं लेकिन जब इस तरह से उनको दबाया जायेगा, उनकी पीड़ा को नहीं समझा जायेगा तो फिर वहां जो रोष व्याप्त होगा उसको आप नहीं रोक पायेंगे । क्योंकि हमारे ऊपर यह काला कानून लाद दिया गया है । हमारे यहां 60 प्रतिशत जंगल हैं लेकिन जलाने के लिए हमें लकड़ी नहीं मिल रही है । हमारे यहां वन जनता के संरक्षण में बनते हैं लेकिन हमें इसकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट से जो सुविधायें हमें बहाल की जाती हैं, वह सुविधायें जो हमें पहले मिलती थीं, वह मिलनी चाहिए ।

* श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय भारत सिंह रावत जी ने जो संकल्प रखा है, वास्तव में यह पहाड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी यह उत्तर वेदना है । और वही वेदना इन्होंने अपने संकल्प के समर्थन में व्यक्त की है । हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जितने विधायक हैं वे सब इस संकल्प का समर्थन करते हैं । आज हमारी स्थिति यह हो गयी है कि हम जो योजनायें यहां से स्वीकार करा कर ले जाते हैं उनके कार्यान्वयन के लिए एक इंच भी भूमि नहीं मिल पाती है । 1893 में जब अंग्रेजों ने "इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट" बनाया था उस समय पर्वतीय क्षेत्र जंगलों से हरे-भरे थे उससे चिढ़कर उन्होंने इसे वन भूमि घोषित कर दिया ताकि वह वहां आराम कर सकें । लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, आन्दोलन छेड़ा, तब 1922 में संशोधन हुआ और वन भूमि, बेनामी भूमि दोनों का विभाजन किया गया । वन भूमि सीधे-सीधे फारेस्ट विभाग के अन्तर्गत आयी और बेनामी भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आयी । इसमें हमारे चरागाह, पाइप लाइन जाती थी, हमारे स्कूल भवन बनते थे, चिकित्सालय भवन बनते थे लेकिन आज पता नहीं क्या ऐसा समझा गया कि सरकार ने अभी हाल में 17 मार्च, 1997 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया । जिससे पुनः भूमि 1893 की स्थिति में आ गयी । इससे पहाड़ों में त्राहि-त्राहि मच गयी है, पूरे विकास कार्य ठप्प पड़े हैं मेरे विकास क्षेत्र रानीखेत में हास्पिटल बिल्डिंग का बनना रुका है डिग्री कालेजों का निर्माण नहीं हो पा रहा है और पाइप लाइनें नहीं निकल पा रही है । पैसा स्वीकार है लेकिन पानी की लाइन न पड़ पाने के कारण गांव में पानी नहीं जा रहा है । हम जमीन की खुदाई नहीं कर पा रहे हैं ? मान्यवर, पर्वतीय जिलों में जो मकान बनते हैं उसमें पत्थर, पाथर की जरूरत होती है, बजरी, रेत की जरूरत होती है । जिसको हम नहीं निकाल सकते हैं । तो फिर वहां का विकास कैसे होगा ? जन-जीवन कैसे चलेगा ? निश्चित ही वहां के लोगों में इस जी० ओ० के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है उनमें गुस्सा है इसलिए हम लोगों को आज यहां बोलना पड़ रहा है । मैं इस माननीय सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 17 मार्च, 1997 का जी०ओ० है उसका तत्काल निलम्बन किया जाय या सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह से प्लीड किया जाय नहीं तो लोग सड़कों पर होंगे और स्थिति बड़ी खराब होगी । मान्यवर, हम लोगों की अन्तर्वेदना समझी जाय और वहां के विकास कार्यों को गति देने के लिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि 17 मार्च, 1997 के जी०ओ० को निरस्त किया जाय । धन्यवाद ।

(श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा के नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, दो उधर के सदस्य बोल चुके हैं मुझे भी समय दें ।

श्री अधिष्ठाता–

संकल्प पर ऐसी कोई परम्परा नहीं है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, पहाड़ों की ठण्डक बहुत आ रही है कुछ गर्मी पैदा कीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पुनेठा जी, इतनी गर्मजोशी के साथ अपनी बात बतायें कि माननीय सदस्य को जो ठण्डक लग रही है उससे उनको कुछ रिलीफ मिले ।

* श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय साथी भारत सिंह रावत जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 17 मार्च, 1997 का शासनादेश तत्कालीन सचिव द्वारा जारी किया गया है उससे 1893 की स्थिति पैदा हो गयी है । 104 वर्ष पूर्व जो व्यवस्था अंग्रेजों ने उठायी थी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का दोहन करने के लिए और जिससे 1927 में वहां आन्दोलन हुआ और उसके बाद उसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद वन भूमि, ग्राम समाज की भूमि अलग-अलग कर दी गयी । ग्राम समाज की भूमि पर पंचायत फारेस्ट का निर्माण हुआ और साथ ही साथ रिजर्व फारेस्ट बने । उस समय व्यवस्था थी कि जो ग्राम सभाओं से रिजर्व फारेस्ट लगे होते थे उनका हक-हकूक वहां के लोगों को दिया जाता था । वह इमारती लकड़ी, जलौनी लकड़ी, चारा आदि वहां के लोग उन जंगलों से ले सकते थे ।

ऐसी पहले व्यवस्था थी लेकिन उसके बाद व्यवस्था बदली और अन्तिम बन्दोबस्त 1956 में हुआ और उस पर पूरी जमीन फारेस्ट और सिविल फारेस्ट के रूप में अलग-अलग की गयी । सिविल फारेस्ट ग्राम सभा की जमीन होती थी उसमें जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी जो भूमिहीन होते थे उनको जमीन दी जाती थी । ऐसी जमीनों में गोचर, पनघट, प्राइमरी स्कूल आदि का निर्माण किया जाता था । उसके बाद जब 17 मार्च, 1997 का आदेश जारी हुआ उससे जनता काफी त्रस्त हुई और पहाड़ पर विकास कार्य रुक गये । पानी की योजनायें, सिंचाई की योजनायें रुक गयीं । सिंचाई की गूलें रुक गयीं । नहरों का निर्माण रुक गया । यह जो 17 मार्च, 1997 का काला कानून पास हुआ उससे दिक्कत यह हुई कि वहां के लोग अपने मकान बनाने के लिए पत्थर तक नहीं निकाल सकते हैं । अपनी माप लैण्ड में कोई इमारती लकड़ी है तो वह उसको मकान बनाने के लिए काट नहीं सकता है । विकास कार्य तो रुके हैं । हमारी जो भूमि थी उसमें प्राइमरी विद्यालय नहीं खोल सकता है । यहां तक कि जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई बन्धु हैं उनको गवर्नमेंट प्लान में जमीन दी जाती थी वह नहीं दे पा रहे हैं । मेरा तो मान्यवर से अनुरोध है कि पहाड़ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वहां के विकास को सुचारु रूप से चलाने के लिए जो वहां के निर्धन और गरीब परिवार हैं जिनको ग्राम समाज की जमीन दे पाते थे उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह जो शासनादेश हुआ था इसको रद्द कर दें ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय् श्री भारत सिंह रावत जी का कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक संकल्प प्रस्तुत किया । वास्तव में आज जब हम यह मान कर चल रहे हैं कि विशेष रूप से जो उत्तरांचल क्षेत्र है । उत्तर प्रदेश का पर्वतीय अंचल है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां पर विकास कार्यों की स्वतः कमी है । आज जब वहां पर विकास की मुख्य धारा में ले जाने की बात हम करते हैं और इस बात को महसूस किया जा रहा है कि वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के जन जीवन में एक चेंज लायेंगे, गुणात्मक सुधार लायेंगे, वहां के नागरिक सुविधाओं में इजाफा हो, उनके विकास के लिए जो बेसिक इनफ्रास्ट्क्चर है वह प्रदान किये जायं तो हम लोगों के सामने एक विकट परिस्थिति हो गयी ।

विकट परिस्थिति इस बात को लेकर हुई कि वन संरक्षणं अधिनियम, 1980 पारित हुआ और उसके तहत सभी प्रकार की वन भूमि में विकास कार्यों को बिना भारत सरकार की अनुमति के रोक लगा दी गयी । उस हद तक देश के पर्यावरण और देश की वन सम्पदा के संरक्षण के लिए उसे हम लोगों ने स्वीकार किया और पूरे देश के अन्दर जिस तरह से वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन भूमि में किसी तरह से विकास कार्यक्रम जो वास्तविक थे उसको हम प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के नोडल आफिसर और नोडल एजेन्सी की अनुमति प्राप्त करते रहे लेकिन एक अजीब सा वज्रपात हुआ कि वे तमाम सारी जमीन भूमि जो हमारे मकान के बगल में थी, हमारे खेत के बगल में थी जिसे अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नाम से पुकारते हैं ।

हमारे क्षेत्र में उसे खतसम्लात कहते हैं । रावत जी के यहां खत को पट्टी कहते हैं, कहीं पर उसे बेनाम भूमि कहते हैं कहीं पर कैसर हिन्द भूमि कहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस भूमि के ऊपर आज भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक स्वामित्व हमारा है । ओनरशिप सरकार की नहीं है उसे खतसम्लात भूमि कहा गया है । उस भूमि का मालिक आज भी ग्राम समूह है अर्थात् खत है न कि सरकार है । मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे मायने में हमें अपनी भूमि पर अपना काम करने से रोका जा रहा है । यह बिडम्बना है मैं कहना चाहता हूं कि हमने समय-समय पर इसके लिए प्रयास किये हम पर्वतीय क्षेत्र के जो विधायकगण हैं हम कहना चाहते हैं कि यह हमारे लिए कानूनी मुद्दा नहीं है राजनैतिक मुद्दा नहीं है । हमने तो बजट पर चर्चा के दौरान मुख्य मंत्री जी से कहा था कि मुख्य मंत्री जी आपने 1994 में सदन के अन्दर कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर जो विकास गतिविधियां हैं, वह अवरुद्ध हो गयी हैं इस अधिनियम की जटिलताओं की वजह से इसको सरलीकरण का काम किया जाए । उन सब जगहों पर विकास कार्यों के लिए पहले कोई प्रतिबन्ध नहीं थे लेकिन आज अचानक मार्च, 1997 में आदेश जारी किये गये जिसके तहत प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । अभी जब माननीय वन मंत्री जी जवाब देंगे तो उनका जवाब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरीफाई किया है । जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि कहा है उन जमीनों पर भारत सरकार की परमीशन अनिवार्य है । हम लोग कहते हैं कि आज भी कानून अन्धा है । मैं आज भी कहना चाहता हूं कि यदि अधिनियम में परीक्षण नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार जो हमारे हक-हकूक हैं वह खत्म हो जायेंगे । इसी तरह से एक फैसला हुआ था कि जिससे हमारे तमाम अधिकार बन्द कर दिये गये थे लेकिन उस फैसले के विरुद्ध हम लोगों ने मुस्तैदी के साथ विरोध किया उसका काउन्टर एफीडेविट अदालत में फाइल किया उसकी अनुमति हमको मिल गयी । लेकिन वन भूमि सिविल बेनाम तथा कैसर हिन्द भूमि के संबंध में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उसमें पहाड़ की स्थिति का सही तरह से वर्णन नहीं किया जा सका । मैदान के वन भूमि से तुलना कर दी गयी । मैं कहना चाहता हूं जो तीन तरह की भूमि वन भूमि, सिविल बेनाप तथा कैसर हिन्द भूमि है इसमें इन दो तरह की भूमि पर हमारी सारी योजनायें हैं । पेयजल की योजना है, शिक्षा की

योजना है, चिकित्सा की योजनायें हैं। इसी भूमि पर हमारे रीचुअल राइट्स के कार्य होते हैं।

इस सदन के अन्दर हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 इस बात को कहता है कि जहां तक देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण का संबंर्धन करे। वहीं हम पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। पर्वतीय क्षेत्र में वायोस्फीयर ज्यादा समृद्ध है, उसके संरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन विकास कार्यों से हमको वंचित कर दिया जाए तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं वैलेंश बनाये रखने की जरूरत है। मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं यदि आप कहेंगे आपको सड़क नहीं देंगे, आपको स्कूल नहीं देंगे. बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे हम वन सम्पदा का संरक्षण करेंगे तो मेरा निश्चित मत है कि इससे वन सम्पदा का संरक्षण सही हो पायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक वन विभाग के जितने भी कानून वन संरक्षण के लिए बने हैं वह वन के विनाश का कारण बने। पर्वतीय सम्पदा का संरक्षण यदि किसी ने किया है तो यहां की आबादी ने किया है किसी सरकारी एजेन्सी ने नहीं।

पर्वतीय क्षेत्रों में यदि आज जंगल हैं तो उसका संरक्षण हमने किया है। नेशनल पार्क हैं तो उसका संरक्षण हमने किया है। वहां के वायोस्फीयर का संरक्षण हम करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका संरक्षण हम करते हैं। ज्वाइंट फारेस्ट मैनजमेंट के अन्दर भारत सरकार ने भी इस बात को माना है। यदि वास्तव में हम वनों के अस्तित्व को बनाये रखना चाहते हैं तो जो स्थानीय आबादी है, उनकी सहभागिता जरूरी है, उनको कान्फीडेंस में लेकर चलना जरूरी है, सुविधायें देना जरूरी है, उनके हक-हकूक को पुनर्स्थापित करना जरूरी है। माननीय वन मंत्री जी मेरा आपसे आग्रह है कि जो मैंने तमाम बातें कही हैं उसका न केवल आप जवाब देंगे बल्कि इसके लिए आप पैरवी करेंगे, अदालत व भारत सरकार के स्तर पर पैरवी करेंगे और हमें रियायत दिलाने की कृपा करेंगे। चूंकि सत्तापक्ष के माननीय विधायक श्री भारत सिंह रावत जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है माननीय अधिष्ठाता जी, आप "हां" और "न" की परवाह किये बिना, जहां आप पृथक प्रदेश बनाने जा रहे हैं, यदि आपके मन में है कि पृथक उत्तरांचल राज्य का गठन कर दिया जाये। इसमें आपका समर्थन प्राप्त हो और आपका मत भी इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए होना चाहिए। धन्यवाद।

(श्री रघुनाथ सिंह चौहान के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अभी 5 संकल्प हैं और विभागीय बजट पर भी चर्चा होनी है इसलिए कृपा करके अपने विचारों को संक्षेप में रखें।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्मानित सदस्य भारत सिंह रावत जी द्वारा पेश किये गये संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, 17 मार्च, 1997 को तत्कालीन सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था कि वन अधिनियम, 1980 के तहत जो बेनाप भूमि थी उसको पारिभाषित किया गया। हमारे पर्वतीय क्षेत्र की नाप, बेनाप तथा सिविल भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया गया जिसके कारण हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सारे विकास कार्य ठप्प हो गये। श्रीमन्, आप पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से भली-भांति भिज्ञ होंगे वहां के निवासियों का जीवन वनों के बिना दूभर है हमारे जो निवास होते हैं उसके समीप ही वन लगे होते हैं वहां भी एक-आध पेड़ होते हैं, इस अधिनियम से हम लोगों को काफी कठिनाई होती है। (इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर

एडवोकेट पीठासीन हुए ।) हमारे सारे विकास कार्य ठप्प हो गये हैं । वर्तमान सरकार द्वारा जो वहां के लिए योजनायें स्वीकृत की गयी थीं, चाहे सड़क का निर्माण हो या पुलों का कार्य हों, जो भी कार्य थे, वह सब नहीं हो पा रहे हैं । बिजली के पोल भी नहीं लग पा रहे हैं । हमारी पेयजल योजनायें बाधित हो रही हैं । स्थिति यह है कि हम अपनी नाप भूमि से पत्थर भी अपना मकान बनाने के लिए नहीं निकाल सकते हैं., इमारती लकड़ी का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ।

वहां पर सीढ़ीदार नाप खेतों के बीच की जो जगह है जिसे भीड़ा कहते हैं हम न तो उसके पत्थर को निकाल सकते हैं न घास इस्तेमाल कर सकते हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं हमारी जो प्राइमरी पाठशाला, सामुदायिक विकास केन्द्र व अस्पताल व अन्य कई योजनायें स्वीकृत हैं जिनके भवनों का निर्माण होना है लेकिन इस नियम के तहत कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह काला कानून लादा गया है, उस काले कानून से वहां का विकास प्रभावित हो रहा है इसलिए इस काले कानून को आप समाप्त करें । 17 मार्च, 1997 का जो कानून है उसको निरस्त करके पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का हक-हकूक दिया जाये । यही मेरा निवेदन है ।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने उत्तरांचल की ज्वलन्त समस्या पर विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया है । मान्यवर, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जब बना तभी से उत्तरांचल के समस्त विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं और उसके लिए बराबर उत्तरांचल में कार्य ठप्प पड़े हैं जनता संघर्ष कर रही है । हम लोगों ने उस समय भी अपने संघर्ष के दौरान कहा था और बराबर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहे हैं और केन्द्र सरकार पर बराबर दबाव बनाये हुए हैं कि यह उत्तर प्रदेश का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 यह पहाड़ों के लिए अभिशाप बन गया है । जब कि कैसर हिन्द भूमि और बेनापी भूमि चरागाह थी उन पर हम लोगों का हक-हकूक उन पर विकास का कार्य करने में कठिनाई नहीं थी लेकिन इस काले कानून के द्वारा हमारे विकास कार्य अवरुद्ध कर दिये ।

अन्य बिजली योजनायें सड़क भवन और यहां तक कि विद्युत की लाइन जाती है तो वह भी रोक दी जाती है । इस प्रकार से काले कानून का कहर हम पर ढाया जा रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था बेनापी भूमि को वन भूमि घोषित कर दी । सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की बात चल रही थी तब हिमांचल प्रदेश की सरकार ने अपना पक्ष रखा था और उनको छूट दी गयी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय अपना पक्ष नहीं रखा जिसके कारण से हमें सुप्रीम कोर्ट की भी मार सहनी पड़ रही है । मान्यवर, अनेक सदस्यों ने अपनी पीड़ा को कहा है मैं एक ही बात को कहना चाहता हूं कि हमें इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार पर भी दबाव बनाना चहिए कि वह 1980 का वन संरक्षण अधिनियम संशोधन करायें और दूसरी बात यह है कि हमको सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखनी चाहिए कि जो बेनापी भूमि आज वन भूमि घोषित कर दी गयी है उसको समाप्त करने के लिए जिस प्रकार हिमांचल प्रदेश को छूट दी है वह हमको भी मिलनी चाहिए । इस प्रकार से यहां से एक प्रस्ताव जाना चाहिए तभी हमें हिमांचल प्रदेश की भांति सुविधा मिल सकती है । जहां तक मार्च, 1997 के पत्र की बात है वह पत्र कोई नया पत्र नहीं है उस बात की तो उन्होंने बानगी दी है जो 1980 के वन के प्राविधनों में था, जो

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में था उसको उन्होंने और बल दिया है यह कहर ढाया है। जो पत्र प्रमुख सचिव, वन ने निकाला है उस पत्र को अलग कर दें लेकिन हमें राहत तभी मिलेगी जब वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में शिथिलता लायी जायेगी।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, माननीय रावत जी, अजय भट्ट जी, पुनेठा जी और श्री रघुनाथ जी, मुन्ना सिंह जी, श्री मोहन सिंह जी, श्री रावत जी के संकल्प पर जो आपने भाव व्यक्त किये हैं इस संबंध में विधिक प्रक्रिया और कानून का स्वरूप क्या है वह बताना चहता हूं। मान्यवर, नाप और बेनाप भूमि का जो कानून था, जो बाद में बन्दोवस्त में 1956, 1960 और 1966 वाला वन भूमि जो घोषित की गयी वह श्रीमान् दो प्रकार की थी। रिजर्व फारेस्ट और उसके बाद जो जमींदारी विनाश पहाड़ वाला था, उसके बाद नाप ली गयीं। उस नाप भूमि का मालिक जो था उनके नाम हो गयी। लेकिन श्रीमन्, नोइयत किसी के नाम रही वे आरक्षित भूमि की श्रेणी में आ गयी।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से हो या मालिक कोई भी हो सरकार की नोइयत में हो या किसी की नोइयन में हो देखना यह है कि प्रोटेक्टेड फारेस्ट में आती है। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार वन भूमि घोषित है या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। श्री मुन्ना सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रदेश में दो और मुख्य मंत्री रहे 1980 में जब फारेस्ट ऐक्ट पास हुआ था और 1983 वाला पास हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को आपके सामने रखना चाहता हूं। टी० एन० गोदावर्मन थिरूममल्कपाड़ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में यह 12-12-96 का निर्णय है इसमें उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 विधिक रूप से मान्य सभी प्रकार वनों में लागू होंगे चाहे उनका स्वामित्व किसी का क्यों न हो।

मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के सन्दर्भ में अधिसूचना दिनांक 17-10-1893 में अधिसूचित बेनाप भूमि की विधिक स्थिति रक्षित वन होने के संबंध में शासनादेश संख्या–1566/14-2-97-800(II)/97, दिनांक 17-3-1997 में उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गयी है, जो कि विधिक संगत है।

मान्यवर, इसकी वेदना अपनी जगह सही है। ऐसी वन भूमि पर किसी भी विकास कार्य को करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना विधिक बाध्यता है। पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि, शमशान घाट तथा अन्य गैर वानिकी प्रयोगार्थ आवश्यक वन भूमि का विवरण तैयार कर प्रख्यापित नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव भारत सरकार को भेजते हुए उसने अनुमति प्राप्त होने पर गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि प्रयोग में लायी जा सकती है। ऐसा करना विधिक संगत होगा। मान्यवर, यह है कानून की स्थिति। श्रीमान् 1-7-1986 से कुमायूं जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जो पारित हुआ, लागू हुआ। इसके फलस्वरूप सभी बेनाप भूमि को नाप कर प्रत्येक गांव की खतौनी तैयार कर भूमि को श्रेणीबद्ध किया गया। जो लोगों के नाम हो गयी, उसे भी प्रोटेक्टेड फारेस्ट माना गया। अब देखना यह है कि नाप बेनाप की जो स्थिति है, 1893 में नाप हुई, उसके बाद भूमि व्यवस्था अधिनियम

जब यह जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था लागू किया है, तब एक नाप हुई जब 1956 वाला लागू हुआ, नाप हुई, भूमि काश्तकारों के नाम आ गयी, हमें तो उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार ऐक्ट की जो परिभाषा है हमको देखना है कि फारेस्ट क्या है ?

श्रीमन्, उस हिसाब से बगैर भारत सरकार की अनुमति के सार्वजनिक भूमि पर कुछ नहीं किया जा सकता । जो विधिक व्यवस्था है वही रहेगी । आप लोगों की व्यथा को देखते हुए, मुन्ना चौहान जी से मैं जरूर कहूंगा कि जब उनकी सरकार थी तो तब भी यह प्रश्न उठा परन्तु आपके नेता ने ध्यान नहीं दिया इसीलिए आप आज बुरी तरह से पीड़ित हैं । आप एक योग्य व्यक्ति हैं और सत्ता पक्ष के लोगों की वेदना को आपने बल दिया । श्री कल्याण सिंह आपकी वेदना को अच्छी तरह समझते हैं । उत्तरांचल राज्य हेतु गठित समिति में मैं भी सदस्य था जब मैं वहां के एम०पी० और एम०एल०ए० लोगों से मिला तो मैंने उनकी पीड़ा को समझा और मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया । आपकी जानकारी के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो आठ तारीख को निर्णय करेगी । मैं अनुरोध करूंगा, जो विधिक प्रक्रिया है, जो परिस्थितियां हैं उसमें आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का निजी तौर पर भी बहुत सानिध्य मिलता है । मैं विधिक पक्ष बतला रहा हूं । श्रीमन्, मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि मार्च, 97 में मैं यह मानकर चलता हूं कि आपकी जैसी ही सरकार थी । मैं अपने नेता माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि जो यह जटिलता है यह 1997 के शासनादेश के बाद पैदा हुई । 1980 के अधिनियम में भी बेनाप खतसम्लात तथा कैसर हिन्द भूमि में इस प्रकार का रिस्ट्रक्शन नहीं था । कानून अन्धा है यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि सही तरीके से हमारे पक्ष को अदालत में नहीं रखा गया । मान्यवर, जब सुप्रीम कोर्ट हिमांचल प्रदेश को रिलेक्शेशन दे सकता है तो उत्तराखण्ड को क्यों नहीं ? सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जब यह मुकदमा चल रहा था तो सही तरह से हमारे हक-हकूक की सही पैरवी नहीं की गयी इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय से यह ओवरलुक हो गया । बेनाप भूमि, खतसम्लात तथा कैसर हिन्द भूमि के बारे में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी की जाये तो हमें रिलेक्शेशन मिल सकता है यह मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि 17-3-97 की सूचना है वैध-अवैध है, यह आपका कहना है । मान्यवर, उनके कहने से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे विधिक संगत माना है । श्री मुन्ना जी को मैं बताना चाहता हूं कि हक-हकूक को भी दिलवाने में सरकार का सहयोग है । लेकिन विधि के अनुसार यह संकल्प विचार योग्य नहीं है । मान्यवर, मैं इनकी भावना का आदर करता हूं और उसी भावना को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, अभी मंत्री जी की बात को मैंने सुना । उन्होंने मेरी अन्तरात्मा को पहचाना । पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की जो व्यथा है इसका उन्होंने आदर किया इसलिए मुझे

सन्देह नहीं है कि जिस शासन ने हमारी भावना को समझा है और आदर किया है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उस स्थिति को जो पहले थी, लायेगी । इसलिए मंत्री जी के आश्वासन से उनकी जो हमारे प्रति सहानुभूति है उसको देखते हुए मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावना का सरकार पूरी तरह से आदर करेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निर्बाध विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित की गयी सिविल बेनाप तथा कैसर हिन्द भूमि विषयक शासनादेश को तत्काल निरस्त कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के घनत्व एवं जनसंख्या के अनुपात में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आय-व्ययक में तद्नुरूप समुचित धनराशि का प्राविधान किये जाने का संकल्प

* डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के घनत्व एवं जनसंख्या के अनुपात में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आय-व्ययक में तद्नुरूप समुचित धनराशि का प्राविधान किया जाय ।"

मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण, शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों की पेयजल समस्या की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं इस संकल्प के पक्ष में आबादी के घनत्व, जनसंख्या का अनुपात और क्षेत्रफल के आधार पर बजट में पेयजल समस्या के निवारण के लिए अनुरोध कर रहा हूं । मान्यवर, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए वर्तमान में जो प्राविधान हैं नगरीय, ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वह समस्या को देखते बहुत कम हैं । मान्यवर, 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की आबादी लगभग 14 करोड़ थी जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ से अधिक और नगरीय क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक लोग निवास करते थे किन्तु वृद्धि की दर देखें तो 25.48 की दर है और उसके हिसाब से देखा जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में ढाई करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 75 लाख की आबादी का विस्तार हो चुका है । मान्यवर, इस प्रदेश की वर्तमान में लगभग 16 करोड़ की आबादी है लेकिन पेयजल में बावजूद इसके कि 150 व्यक्ति प्रति एक हैण्ड पम्प का औसत राष्ट्रीय औसत दर तय है किन्तु पेयजल के लिए कोई वृद्धि नहीं की जा रही है । जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति किलोमीटर व्यक्ति 385 तथा शहरी क्षेत्रों में 5,053 का है । इसमें वह संख्या शामिल नहीं है जो दिन में यहां पर मजदूरी के लिए आते हैं । यदि इनको शामिल किया जाय तो 25 प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी हो जायेगी । नगरीय क्षेत्र की इकाइयां 753 हैं । गांवों में पेयजल की आवश्यकता प्राकृतिक स्रोत हैं, वहां पर आबादी का घनत्व कम है, खेती के लिए नहर, नदी हैं, रहट हैं, ट्यूबवेल के साधन हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां पर उपयोगिता की आवश्यकता अधिक है, आबादी का घनत्व अधिक है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और टेम्पोरेरी लोगों का दबाव 25 प्रतिशत है वहां पर आपूर्ति के साधन जो स्थानीय निकाय के ट्यूववेल्स हैं या हैण्ड पम्प हैं उनसे की जाती है । शहरी क्षेत्रों में पेयजल के मद में जो पेयजल योजनायें चल रही हैं जिसके कारण जल स्तर गिर रहा है ।

सरकार ने पेयजल के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना 100 करोड़ की बनायी थी । उस योजना के तहत 85 करोड़ 35 हजार लीटर पानी उत्पादन करने का लक्ष्य था लेकिन इतना खर्च करने के बाद परिणाम यह रहा कि मात्र 35 हजार लीटर पानी का उत्पादन हम कर पाये हैं । विभागीय लोगों का यह कहना है कि इस योजना के फैल्योर के पीछे विभागीय स्तर पर लापरवाही है, जिसके कारण लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध हो रहा है । यह बिना जांच किये हुए योजना में पैसा लगा दिया गया । आज शहरों में नलकूप खराब पड़े हुए हैं । क्लोरीनयुक्त पानी हम पी रहे हैं, जो शुद्ध पेयजल का लक्ष्य है । वह हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं । शुद्ध पेयजल जल संस्थान हमको उपलब्ध नहीं करा पा रहा है । उसका कारण यह है कि यह ऋणग्रस्त हो गया है और यह व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं । इस संकल्प के माध्यम से जो जल संस्थान में घाटा है जो एक हजार नलकूप खराब पड़े हैं इस प्रदेश में एक हजार से ऊपर ट्यूववेल खराब पड़े हैं । वाराणसी में 16,रामनगर में 1, चकिया में 1, मिर्जापुर में 14, रविदास नगर में 12, रामपुर में 3, सहारनपुर में 4, हरिद्वार में 1, मुजफ्फरनगर में 6, गाजियाबाद में 11 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । पूरे प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां पर ट्यूबवेल खराब न पड़े हों और इस तरफ शासन का ध्यान बार-बार आकृष्ट किया जा रहा है लेकिन यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है । मान्यवर, आज भू-जल का स्तर गिरता चला जा रहा है । शासन इस बात पर विचार नहीं कर रही है । इसका क्या परिणाम होगा, इस पर शासन विचार नहीं कर रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की आधी आबादी पेयजल के संकट से जूझ रही है । एक हजार से ऊपर गांव ऐसे हैं, जो दूषित जल पीने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । पेयजल की बहुत सी योजनायें बनायी गयीं हैं, लेकिन जनता को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पायी है । इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा ।

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन नहीं हैं, वहां पर पेयजल की एक मात्र व्यवस्था हैण्ड पम्प हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सवा लाख से अधिक हैण्ड पम्प खराब हैं । मेरे पास जनपदवार सूची है । सहारनपुर में 7764 हैण्ड पम्प खराब हैं, हरिद्वार में 3622 हैण्ड पम्प खराब हैं । अगर बजट में इनको ठीक करने का प्राविधान नहीं किया जायेगा तो इनको कौन ठीक करेगा और किस प्रकार से ठीक किया जायेगा और जनता को स्वस्थ जल कैसे मिलेगा ? अगर लोग दूषित पेयजल पियेंगे, तो उनका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

जवाहर रोजगार योजना के हैं या जल निगम के हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

दोनों मिले जुले हैं । पर्वतीय अंचल में पीने के पानी की बड़ी समस्या है । वहां के लोगों को हैण्ड पम्प की जो व्यवस्था दी गयी है, वह रोगग्रस्त है । ऐसी स्थिति में वहां का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । मान्यवर, वर्तमान में जो बजट में व्यवस्था की गयी है, यदि हम सोचें तो उस व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति नहीं करा पायेंगे, यह हमारे लिए कोरा

सपना होगा । मैं शासन से मांग करता हूं कि क्षेत्रफल आबादी और आबादी के घनत्व को देखते हुए बजट में पेयजल की आपूर्ति के लिए समुचित प्राविधान किया जाना चाहिए । पेयजल के संकट के कारण जनता सड़क पर निकल कर आ रही है, जनता न्यायालय जा रही है और न्यायालय से निर्देश दिये जा रहे हैं कि पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाये ।

मान्यवर, शासन केवल स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा दिये गये पैसे पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना चाहता है, लेकिन यह सम्भव नहीं है, जनता के साथ न्याय नहीं होगा । स्थानीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन विधेयक से जो सुविधा दी गयी है, उस पर मैं कुछ आपत्ति नहीं करता हूं, लेकिन अगर शासन आंख मूंदकर बैठा रहेगा, तो बड़ी विषम स्थिति का सामना करना पड़ सकता है । अगर यही रवैया रहा तो जनता के साथ न्याय नहीं होगा । हम आम जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं कर पायेंगे । नगरी सेवा केन्द्रों के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक करने का प्राविधान किया गया है । लेकिन मान्यवर, प्रत्येक नगरी सेवा केन्द्र के प्रतिदिन की या सप्ताह की बैठकों की प्रोसीडिंग दिखवा ली जायं तो उसमें सर्वाधिक समस्यायें लेकर जो लोग आते हैं, वह शुद्ध पेयजल की समस्या की ही होती है । चाहे वह लगे हुए हैण्ड पम्पों की चौकी का मामला हो या हैण्ड पम्पों से पानी न मिलने की समस्या हो या ट्यूबवेल से मिलने वाले गन्दे पानी की समस्या हो उनका निराकरण स्थानीय निकाय नहीं कर पा रहे हैं । उनकी जर्जर दशा के कारण लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है और शासन अपने दायित्व से पीछे हट रहा है ।

मैं इस संकल्प के माध्यम से चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो सर्वत्र पेयजल की भीषण समस्या है और सरकार को उसके दायित्व के निर्वहन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । दो हजार करोड़ का प्राविधान शहरी क्षेत्र के लिए और नौ सौ करोड़ का ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया गया है । मात्र इतने से पेयजल देने के दायित्व को पूरा नहीं कर पायेंगे । मैं मांग करता हूं कि शहरी, ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र के पेयजल के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर, विशेष कार्य परीक्षण कराकर शासन पूरा करे । स्थानीय निकायों के भरोसे यह कार्य न छोड़ा जाय, उन पर अंकुश रखा जाय । वर्तमान में जो दशम् वित्त आयोग से मांग की गयी है । उससे पेयजल की जो आपूर्ति नहीं हो सकेगी । इसके लिए विशेष प्राविधान करें । आज जो भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है, उसके बारे में भी कोई योजना बनायें और प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो जल का गलत दोहन हो रहा है, उससे हमें निजात मिल सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो संकल्प रखा है । उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इस संकल्प की परिणित जो है, यह भी मुझे ज्ञात है । फिर भी मैं कहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश की समस्या जो पेयजल की है उसे माननीय बाजपेयी जी ने सदन में रखा है, मैं अपना दायित्व समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण संकल्प का समर्थन करूं । वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर समस्या है । उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र तीनों की समस्याओं पर विस्तार से अपने विचार रखे । मान्यवर, यह अत्यन्त कष्ट और दुःख का विषय है कि जिन पहाड़ों से नदियां निकल कर आती हैं और सम्पूर्ण प्रदेश को जल देती हैं और वन सम्पदा देती हैं उस पहाड़ी क्षेत्र के लोग आज प्यासे हैं । इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय और कोई हो नहीं सकता । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की तो बात मैं आधिकारिक रूप से नहीं कर सकता लेकिन शासन को बताना चाहता हूं कि पेयजल के प्रति

सरकार की उदासीनता इस स्तर पर पहुंच गयी है कि लोगों को शुद्ध जल पीने को नहीं मिल रहा है । अभी हरिद्वार में कुम्भ हुआ था । उसमें 20 नलकूप और अन्तः स्रोत क्रय भी बनाये गये थे ।

शासन का इरादा है कि 5 ट्यूववेल स्थायी रूप से दे दिये जायेंगे । कुल मिलाकर 31 ट्यूववेल नगरपालिका, हरिद्वार में कार्य कर रहे हैं और 2 लाख की आबादी है । बाकी यात्री रोज आते रहते हैं । लेकिन जो उनका रख-रखाव है, स्थानीय निकाय नहीं कर पा रहा है । 31 ट्यूबवेलों के चलने के ब भी 2 लाख लोगों को पेयजल देने की जलकल विभाग की क्षमता नहीं है । आये दिन आन्दोलन होते ह धरना और प्रदर्शन होते हैं । यह समस्या विकराल रूप से देखने को मिलती है । मैं एक बात कह चाहता हूं कि जहां पर हैण्ड पम्प खराब होते हैं, वहां कुप्रबन्ध भी एक बहुत बड़ी समस्या है । स्थानी निकाय के भरोसे जिला परिषद् के भरोसे अगर जल की व्यवस्था छोड़ी जाती है, तो इसमें कोई सन्दे नहीं कि यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और शासन को निर्णय लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेग तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन इस समस्या पर ध्यान दे । आज जितने नगर हैं आप एक मानक निर्धारित कर दें कि इतना पानी प्रयोग के लिए चाहिए और उसकी गणना करके उसके अनुपात में पानी दे पा रहे हैं या नहीं इसका पता लगायें ?

आज स्थिति यह है कि बस स्टैण्ड, रेलवे स्टैण्ड पर जब आदमी जाता है, तो वहां का पानी नहीं पीता है । मिनरल वाटर 10–12 रुपये का पानी वह इस्तेमाल करता है । यह हालत आज प्रदेश में है । नागरिकों के पीने के लिए दूषित जल मिल रहा है स्वच्छ जल की कोई व्यवस्था नहीं है । इसके कारण बीमारी फैल सकती है, रोग फैल सकता है । अभी 2 साल पहले बरसात में पानी से इतनी बीमारियां फैली थीं जिसके कारण शासन को तत्काल व्यवस्था करनी पड़ी थी । यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है । मैं बाजपेयी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनहित का मामला उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर उठाया और आलोचना की तथा समालोचना की उसके लिए उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि शासन पक्ष में भी कुछ निर्भीक सदस्य हैं जो अपनी बात साहस से कहते हैं । जो उनकी पार्टी के अन्य लोग हैं कम से कम उनकी आलोचना को सुनकर वह अपने को सुधारने की कोशिश करें । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो पेयजल समस्या के बारे में जनता को सप्लाई होने वाले दूषित जल से प्रदेश को बचाने के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, जल की बड़ी महत्ता है । मानव शरीर 5 तत्वों से बना है । वायु, जल, आकाश, अग्नि, मिट्टी नत्वों से यह शरीर बना है । जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है । आदमी जल के बिना जिन्दा नहीं रह सकता है, लेकिन हमारे लिए बड़ी बिडम्बना है कि हिन्दुस्तान की आजादी के 50 साल हो गये हैं और आजादी की हम स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल के लिए अभी तक व्यवस्था नहीं की जा सकी है । जब तक इसके लिए दीर्घकालीन योजनायें नहीं बनायेंगे तब तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में पेयजल उपलब्ध नहीं हो सकेगा और बहुत ज्यादा हाहाकार इस समाज में उत्पन्न हो जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की डिमान्ड है और अरबन क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के लिए 200 लीटर पर कैपिटा पर डे की डिमान्ड है जो कम्युनिटी सप्लाई प्लान है वो 125

लीटर पर कैपिटा की प्रतिदिन की डिमान्ड है । ग्रामीण क्षेत्र में 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उसे जनसंख्या के घनत्व में किस तरह से पूरा करने के लिए सोचा है । यह बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सामने है । ऐसे में जब इस प्रदेश के मौजूदा 681 नगर स्थानीय निकाय हैं उनमें से कुछ में किया गया है और कुछ बाकी हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजरे चिन्हित किये हैं 2,54,496 । मात्र 1,94,593 को ही सरकार वायदा निभा सकी । यानि कि उस सबके बावजूद आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध हो रहा है । वह शुद्ध है कि नहीं इस बात के लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं की है । मात्र फिजिकल वैरिफिकेशन करके कि पानी गन्दा, बदबूदार, मटमैला नहीं है से नहीं हो जाता । इसमें देखना चाहिए कि उसकी कैमिकल वैल्यू क्या है ? इसका रासायनिक परीक्षण कराने का कोई प्राविधान आपके जल निगम, जल संस्थान के पास नहीं है । जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं और उससे जो स्थिति आज प्रदेश में बनी है, वह बहुत गम्भीर है । आज बीमारियों से ग्रसित गांव 1972 में 35,506 थे और आज 78,050 पहुंच गये हैं जो कि कुल 69 प्रतिशत है ।

आज जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में गहन विचार करना चाहिए । सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है । सरकार इस बात का दावा करती है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में जनहित में शुद्ध पेयजल के लिए प्रदेश में अरबन एरिया में वाटर सप्लाई के लिए 3,317 करोड़ रुपये का प्राविधान 97-98 में किया है और उसका कुल 100.04 करोड़ रुपये ही मिल पाया जो कि केन्द्र और प्रदेश सरकार दोनों का मिला जुला अंशदान है । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल से संतप्त करने के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना में 1.723 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें से कुल 287 करोड़ रुपये मिला है । नलकूप खराब रहते हैं उनके अनुरक्षण के लिए पैसा मिलता है परन्तु वह उस पर भी खर्च नहीं होता है । अभी मा० अम्बरीष जी ने भी इस विषय में बताया था । एक हैण्ड पम्प पर सालाना 400-500 रुपया अनुरक्षण का आता है परन्तु इस सरकार द्वारा इस कार्य हेतु 150 रुपये प्रति ही मिलता है जो कि उस पर भी खर्च नहीं होता है । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि वाटर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पेयजल वितरण की व्यवस्था की जाय जो सामाजिक संस्थायें हैं उनमें स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाना आवश्यक है.। पिछले वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं यह जन सहभागिता वाटर मैनेजमेंट (जल प्रबन्धन) में लायी जा सके किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सके । किस तरह से घटते हुए जल स्रोतों का संरक्षण करते हुए समुचित प्रयोग हो । प्रदेश में प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउन्डेशन (पी०एस०यू० फाउन्डेशन) के द्वारा ग्रामीण पेयजल एवं सैनिटेशन के बेहतर प्रबन्धन हेतु इण्डो उच्च विकास कार्यक्रमों के तहत जन सहभागिता को कई जिलों में व्यवहारिक रुपया देने का अनूठा कार्य किया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है । इस तरह के प्रयोग 09 जिलों में इस संस्था पी०एस०यू० फाउन्डेशन द्वारा किया गया है । पी०एस०यू० फाउन्डेशन के इस अनूठे कार्यों के कारण वर्ष 1997 में इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ (यू०एन०ओ०) की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् में विशेष परामर्शदाता की हैसियत से सम्मानित किया गया है । इस गौरव को हासिल करने वाली यह देश की एक मात्र संस्था है । ऐसी संस्थाओं को साथ लेकर पूरे प्रदेश में वाटर मैनेजमेंट कमेटी (जल प्रबन्धन समिति) बनायी जाए । प्रदेश के सभी स्वैच्छिक संयन्त्रों को सूचीबद्ध किया जाय । उनकी सहभागिता से प्रशिक्षण कराकर जल प्रबन्धन समितियों का ग्राम स्तर पर गठन किया जाये । जल समिति का गठन ग्राम प्रधान की उपस्थिति में किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया जाय । ज्यादातर महिलायें ही पानी का उपयोग करती हैं

इसलिए इनकी भूमिका जल समिति में महत्वपूर्ण है, अतः अधिक महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाये । यह जल समितियां हैण्ड पम्प के रख-रखाव का कार्य भी देखेंगी । जनता की आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी । पी०एस०यू० फाउन्डेशन प्रदेश के विभिन्न नौ जनपदों के ग्रामीण इलाकों में जल समितियों का गठन करके जनता की आर्थिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है तथा जल समितियों द्वारा पंचायतों में संयुक्त खाता ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा ग्राम निधि के खाता नं० 03 के अन्तर्गत खोला गया । इसके अन्तर्गत अभी तक रु० 50–60 लाख रुपये भी जमा हो । यह सहभागिता की योजना बदायूं, मुरादाबाद, उन्नाव, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इलाहाबाद, कानपुर देहात और बलिया जनपद में हुई । उत्तर प्रदेश में इसे विस्तृत रूप देना होगा । लोगों को गम्भीरता का अहसास कराते हुए इसे जन सहभागिता का रूप देना होगा । जन जागरण करना होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

इन शब्दों के साथ मैं डा० बाजपेयी को धन्यवाद देता हूं कि वह सत्तापक्ष में रहते हुए इस तरह का प्रस्ताव लाये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मा० बाजपेयी जी से उम्मीद करता हूं कि वह इसको वापस लेने का काम नहीं करेंगे बल्कि संकल्प को पास कराने में सहयोग देंगे ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के घनत्व एवं जनसंख्या के अनुपात में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आय-व्ययक में तदनुरूप समुचित धनराशि का प्राविधान किया जाय । जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान आबादी है । 1991 के आधार पर 13 करोड़ 91 लाख । नगरीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 294 हजार वर्ग कि०मी० और ग्रामीण क्षेत्रफल 294 हजार वर्ग कि०मी० नगरीय क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत है जबकि आबादी नगरीय क्षेत्र में .20 प्रतिशत है । इसको देखते हुए नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1900 करोड़ का परिव्यय और शहरी क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इससे स्पष्ट है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी क्षेत्र में अधिक परिव्यय उपलब्ध है । 681 स्थानीय नगर निकायों में जिसमें नगर पालिका परिषद्, नगर निगम और स्थानीय निकाय शामिल हैं उसमें मार्च, 1998 तक 628 नगरों में पाइप लाइन द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध है और 53 नगर आज तक पाइप लाइन द्वारा पानी की सुविधा से वंचित हैं । जहां यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर पाइप लाइन डाली जायेगी ।

आज प्रदेश में हम 2450 एम०एल०डी० पानी दे रहे हैं जबकि वर्तमान में 873 एम०एल०डी० की कमी है । जब कि इसको देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं । इस कमी को दूर करने के लिए हमने हैण्ड पम्प की सुविधा में वृद्धि की है । पानी की आवश्यकता को देखते हुए विधायक निधि के नाम पर 50 लाख रुपये की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने बजट में की है । पानी की आवश्यकता को देखते हुए विधायकों को पहली बार 25-25 हैण्ड पम्प देने की व्यवस्था की गयी है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1998-99 में नगरीय पेयजल कार्यक्रमों के लिए 66 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध है । जो पिछले वर्ष से 07 प्रतिशत अधिक है ।

इस वर्ष नगरों को चिन्हित करके पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य करने जा रहे हैं इसमें हमारा निश्चित मत है कि जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है प्राथमिकता के आधार पर उन स्थानों पर हैण्ड पम्प लगवायेंगे साढ़े छः करोड़ रुपये का प्राविधान कर इस सरकार ने री-बोरिंग का काम शुरू किया है । मान्यवर, इसके अलावा सन् 1998 में पांच हजार तीस हैण्ड पम्पों की री-बोरिंग कराने का लक्ष्य है यह लक्ष्य जून, 1998 तक के लिए निर्धारित किया गया था किन्तु किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाया है । अब इसे 30 जुलाई, 98 तक के लिए बढ़ा दिया गया है । 1929 नये हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, पांच हजार हैण्ड पम्प जुलाई के अन्त तक लगाये जाने का लक्ष्य है ।

छोटी-मोटी कमियों के कारण बहुत सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े होंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि खराब पड़े ट्यूबवेलों और हैण्ड पम्पों को पांच दिन के अन्दर ठीक करा दिया जाय । ट्यूबवेलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जायेगा । माननीय अधिष्ठाता जी, सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए जितने कार्य हो सकते हैं उसके लिए मैं आवश्यक निर्देश करूंगा कि वह कार्य हों । बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं और डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने चर्चा करते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । सरकार इसके लिए चिन्तित है, मेरा निवेदन है कि आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, शुद्ध पेयजल की समस्या आज प्रदेश की प्रमुख समस्या है । माननीय मंत्री जी ने छः करोड़ सत्तावन लाख रुपये का प्राविधान रि-बोरिंग के लिए किया है । बारह हजार रुपये प्रति हैण्ड पम्प रि-बोरिंग का रेट है । इससे चालीस प्रतिशत हैण्ड पम्प ही ठीक हो पायेंगे । जब कि सवा लाख हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं । 5,200 हैण्ड पम्प की रि-बोरिंग का पैसा दिया गया है । मैं समझता हूं कि शासन के कितने भी सीमित संसाधन हों, पेयजल जैसी समस्या के समाधान के लिए जो धनराशि दी गयी है आज की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वह ऊंट के मुंह में जीरा है । मान्यवर, हमने ग्रामीण, शहरी व पर्वतीय क्षेत्रों में कोई भेदभाव नहीं किया है । इन सभी क्षेत्रों में वहां की जनसंख्या, घनत्व को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए । ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा होगा ।

जल की आवश्यकता घनत्व के आधार पर होती है । क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होती है । वर्ष 1972 में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पहली बार प्रारम्भ की गयी थी, इन 26 सालों में 35,506 गांवों के स्थान पर मात्र 07 हजार गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जा सकी है । आज की तारीख में जल निगम पर दबाव बढ़ा है, पाइप लाइनें नहीं हैं । प्रदेश के 40 प्रतिशत भाग में अभी भी पाइप लाइन नहीं है । उनकी बात न कहकर माननीय मंत्री जी ने मात्र 10 शहरों की बात कही है जब कि 40 प्रतिशत भाग में पाइप लाइन नहीं है । दिल्ली की भारत सरकार में भी राष्ट्रीय एजेण्डा में पेयजल की समस्या शामिल है । अभी कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी ने पेयजल का जो गिरता हुआ जल स्तर है, पर चिन्ता व्यक्त की है कि आवश्यकता और उत्पादन के बीच का जो अन्तर है कहीं ऐसा न हो जाय कि इक्कीसवीं शताब्दी में पेयजल की आपूर्ति पेट्रोल की भांति लीटरों में न होने लगे इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि और शासन से मांग करता हूं । मान्यवर, इस समय जो भयावह स्थिति है उसको देखते हुए शासन का यह दायित्व है जो आवश्यकता है उसको देखते

हुए मांग और साधनों में तालमेल बैठाकर बजट में व्यवस्था करें सवा लाख खराब ट्यूबवेलों के लिए जो आपने धन दिया है वह बहुत कम है इसमें और कुछ व्यवस्था करें ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे द्वारा उठाये गये विषय पर संज्ञान लिया है शासन ने चिन्ता व्यक्त की है और आश्वासन भी दिया है । जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं अपने बजट में इस पर कुछ और विचार करेगा । इस संकल्प के माध्यम से इसकी तरह सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया है इसलिए इस संकल्प को मैं वापिस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता– ·

प्रश्न यह है कि डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने संबंधी संकल्प

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प सदन में प्रस्तुत करता हूं कि सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाय । आज इसे एक संकल्प के रूप में हम यहां पर उठा रहे हैं । यह किसी जाति धर्म या क्षेत्र से संबंधित मामला नहीं है । यह सदन "हा" या "ना" लाबी के सभी साथियों से संबंधित मामला है । यह पूरे मानव समाज से संबंधित मामला है । मानवीय सभ्यता का भविष्य इससे प्रभावित होगा । मान्यवर, आज यह संकल्प पारित हो जायेगा तो एक इतिहास बनेगा । इस संकल्प को पारित करके आप मानवीय संवेदनाओं को दूर करने का कार्य करेंगे । मैं इन्हीं भावनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, अरबों साल के ब्रह्माण्ड विकास में और करोड़ों वर्षों के जीव-जन्तुओं के उद्भव और विकास की तुलना में मानव केवल करीब 30 हजार साल पुराना है । जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को बन्दर अथवा चिम्पेजी से मानव विकास की श्रंखला में दो बड़े विकास बिन्दु बताये जाते हैं । दो पैरों पर खड़े होना और कण्ठ में इस प्रकार का परिवर्तन होना कि मानव कई प्रकार के स्वर पैदा करने लगा और उसने भावनाओं की अभिव्यक्ति को विभिन्न स्वर प्रदान किये । मान्यवर, प्रकृति प्रदत्त मानव और जन्तु में फर्क है किन्तु मानव शास्त्री मानते हैं कि संवेदनाओं और मानवीय भावनाओं का विकास भविष्य की चिन्ता और इतिहास से सबक लेने की प्रवृत्ति भी मानव की सबसे बड़ी पहचान है । साथ ही 10 हजार वर्ष पूर्व खेती सीख आदमी ने समाज की रचना की, नियम, कानूनों को निर्मित किया समय की कसौटी पर अधिकारों और कर्तव्यों को कसा और विधि सम्मत समाज, सभ्य समाज की पहचान बन गया । खेती के साथ कलस्टर में रहते हुए मानव समाज इस तरह से निर्मित हुआ । मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं की कद्र करते हुए उसने अपने इस समाज को बढ़ाना चाहा, आगे बढ़ाना सीखा । मानव आगे बढ़ने का संकल्प लिए है । मानव समाज में विधि सम्मत सभ्य समाज के पोषण के लिए समय-समय पर कानूनों का निर्माण और स्वयं की कसौटी पर अधिकार और कर्तव्य की रक्षा सभ्य समाज की पहचान बन गयी है । मानव आज मानव के अधिकारों का हनन असभ्य समाज की बात मानी जाने लगी है ।

मान्यवर, गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि "प्रकृति सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है किन्तु लालच तो कुछ लोगों का भी पूरा नहीं कर सकता ।" परन्तु दूसरे के अधिकारों का दमन कर अपना लालच पूरा करने और अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ ने हमारे समाज को आकण्ठ तृष्णा

और कुण्ठाओं के समुद्र में डुबाने की तैयारी कर ली है । यह हमारे समाज के कुछ लोग काम कर रहे हैं । मानव भविष्य के ऊपर टिप्पणी करते हुए इल्सट्रेटेड वीकली में वरटेन्ड रसेल ने लिखा था "मनुष्य आपस में सद्भावना विकसित कर ही भयानक भविष्य से बच सकता है ।"

मान्यवर, मानव के भविष्य के बारे में चिन्ता और चिन्तन प्रारम्भ हो चुका था । अब तक हुई तीन अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियां रोम (1964), दिल्ली (1978) बनारस (1979) में अनेकों नोबेल पुरस्कार विजेता समाज शक्तियों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया । भारतीय विधि विशेषज्ञ डा० आर० पी० ढोलकिया ने कहा कि विज्ञान और तकनीक अपने स्थान पर है किन्तु मानव सदा से सद्भाव जीवन व्यतीत करता आया है, जहां समाज होगा वहां पर व्यवस्था की आवश्यकता होगी । यह व्यवस्था ही विधि है, कानून है । क्योंकि व्यवस्था के लिए नियत तो आवश्यक है ।

मान्यवर, आज हम यदि न्याय और व्यवस्था को सुचारु नहीं कर पाये तो मानव का भविष्य क्या होगा ? कानून और उसका अनुपालन ही जंगल राज को सुराज में और भीड़ तन्त्र को लोकतन्त्र में बदलने की क्षमता रखता है । कानून "मैं" को "हम" में बदलता है व्यक्ति को समदिष्ट में परिवर्तित करता है । कानून मानव के सामने उपस्थित हर चुनौती, समस्या, महत्वाकांक्षा, प्रदूषण से परमाणु तक की समस्याओं के परख उनमें सामंजस्य स्थापना और हल निकालने की क्षमता रखता है । कानून की सबसे बड़ी उपलब्धता है कि यह राजनेताओं और शासकों के लिए भी आचार संहिता रचता है । उन्हें भी शिक्षा देकर जन साधारण के समकक्ष लाकर खड़ा कर देता है ।

यदि कानून टूटता है, तो समाज टूटता है और कुण्ठित होता है, कुण्ठा अराजकता को जन्म देती है और अराजकता और आतंक मानव मात्र को समाप्त करने का एक सबसे बड़ा अस्त्र है । दुनिया परमाणु अस्त्रों या स्थान पर सीमाओं की लड़ाई से समाप्त नहीं होगी, भूख और साधनों की कमी से भी वैज्ञानिक लड़ सकते हैं किन्तु यदि हमने विधि सम्मत न्याय संगत समाज की स्थापना नहीं की तो मानव का भविष्य निश्चित रूप से अनिश्चित है, अन्धकारमय है और समाप्त है । यह हमें तय करना है कि मानव के भविष्य को किस तरफ ले जाना है मानवाधिकारों की तरफ ? आज से करीब 53 साल पहले जून, 1945 को सानफ्रांसिसको में संयुक्त राष्ट्र की धारा 68 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पारित कर आयोग के गठन की रूपरेखा बनायी गयी । 18 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ और 10 दिसम्बर, 1948 को अमेरिकी महिला सुश्री मैकलिन रूजवेल्ट तथा लेबनान के डा० चार्ल्स मलिक के संयुक्त प्रयासों से एक अति महत्वपूर्ण मसौदा तैयार किया गया जिसे मानवाधिकार घोषणा पत्र कहा गया है । यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था । इसमें 30 धारायें थीं इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि विश्व भर के सभी मनुष्य, चाहे वे किसी भी वर्ण, जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, राष्ट्र के हों, बराबर हैं और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा की जायेगी । इस प्रस्ताव के मसौदे को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् ने दिसम्बर, 1966 में 2 भागों में विभाजित कर इसे सरल बनाया । इस तरह मानवाधिकार आयोग का उद्देश्यपरक गठन होकर इसके कार्य-कलाप शुरू हो गये ।

वर्तमान में मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् का ही एक उप आयोग है । इस मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य अमेरिका के तथा 12 सदस्य अन्य देशों के हैं साथ ही करीब 100 सदस्य गैर सरकारी संगठनों के शामिल हैं प्रतिवर्ष मानवाधिकार आयोग का बड़ा अधिवेशन जेनेवा में होता है, उसमें किस-किस अधिकार की हानि हो रही है इसके बारे में चिन्ता जाहिर की जाती है । संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मुख्य रूप से 24 मानवाधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है । इस

सूची में जीने का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार, स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, कानूनी संरक्षण का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, पारण का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, परिवार का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार चुनाव व प्रशासन में भागीदारी का अधिकार तो शामिल हैं ही इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग में विश्व की समस्त मानव समुदाय के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, अवकाश का आनन्द लेने का अधिकार, जीवन स्तर का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति के कार्यों में हिस्सेदारी का अधिकार, शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार, विचार, विवेक एवं धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने, हिरासत में रखने और निर्वासित करने के विरुद्ध स्वतन्त्रता का अधिकार मुख्य है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले के बाद हिन्दुस्तान में आजादी के बाद 28 सितम्बर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया । इसकी धारा–3 का पालन करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट कमीशन) का गठन किया गया । जिसमें केन्द्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से इस बात का अधिकार है कि राष्ट्रपति केन्द्र सरकार की सलाह से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे जिसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हुआ व्यक्ति होगा, एक जस्टिस रहा हुआ सदस्य होगा, दो सदस्य ऐसे होंगे, जिन्हें मानवाधिकार के बारे में अच्छी जानकारी होगी आदि । इसी की धारा–21 में यह कहा गया है कि प्रदेश स्तर पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे । इसमें राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वह 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे जिससे टूटे हुए समाज के लोगों को संरक्षण मिल सके । आज 1993 के बाद 5 साल बीत जाने के बाद भी राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ जबकि इस संबंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्देश देते रहे हैं कि राज्य सरकार को राज्यपाल के माध्यम से मानवाधिकार आयोग का गठन करना चाहिए । मैं अब कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ के श्री आर० बी० मल्होत्रा तथा श्री वी० पी० गोयल ने हरिकृष्ण माहेश्वरी बनाम राज्य आदि की रिट याचिका नं० 35956/92 का निर्णय 17 मई, सन् 96 को दिया जो इलाहाबाद क्रिमनल केसेज 1997 के पृष्ठ सं० 31 से 52 पर प्रकाशित है । जिसमें जोर देकर यह बात कही गयी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 तथा द० प्र० संहिता की धारा–176 का विस्तार से मानव अधिकारों के संबंध में वर्णित किया गया है ।

इसी याचिका के पृष्ठ 32 व पृष्ठ 50 पर एमनेस्टि इण्टर नेशनल द्वारा प्रकाशित पुस्तक मार्च, 1992 का भी विस्तार से वर्णन किया गया है तथा पृष्ठ संख्या–51 पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 व 52 में मानव अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या दी गयी है । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पृष्ठ 32 पर पैरा 06 में उ० प्र० राज्य को यह निर्देश दिया है कि प्रदेश सरकार मानव अधिकार आयोग का गठन शीघ्र करे । उसने कहा "वी आलसो रिकमण्ड दि स्टेट गवर्नमेंट टु कंस्टीट्यूट ऐ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एण्ड ऐ ह्यूमन राइट कोर्ट एज प्रोवाईडेड इन दि प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट ऐक्ट 1993, एज अर्ली एज पोसीबल" ।

श्री अधिष्ठाता–

हिन्दी में इसका रूपान्तरण कर दें ।

श्री संजय गर्ग–

उत्तर प्रदेश की यह सरकार मानव अधिकार (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत जल्द से जल्द एक "राज्य मानव अधिकार आयोग" का गठन करे ।

भूतपूर्व न्यायमूर्ति एम०एन० वेंकट चैल्लइया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान में आयोजित सम्मेलन में राज्यों में मानव अधिकार आयोग के गठन पर जोर दिया था उनके भाषण का सारांश 02 सितम्बर, 1997 के अमर उजाला में प्रकाशित हुआ । मान्यवर, इतना ही नहीं इसके अलावा भी 18 दिसम्बर, 1996 में माननीय सुर्वोच्च न्यायालय ने डी० के बसु० बनाम पश्चिमी बंगाल के वाद में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जो 1997 (1) एस०सी०सी० 416 के पृष्ट पर अंकित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका अनुपालन न होने पर पुनः जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक जौहरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पुनः मानव अधिकार संबंधी निर्देश जारी किये जो कि जे०आई०सी० 1997 के पृष्ट 967 पर अंकित है सर्वोच्च न्यायालय ने दो बार दिशा निर्देश जारी किये लेकिन स्थिति ज्योंकि त्यों बनी हुई है ;

पूरे भारत में 1996-97 के अन्दर 888 व्यक्ति पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत में मारे गये । जिसमें उ० प्र० का दूसरा स्थान है इस बात का पूरा लेखा जोखा इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 08 अक्टूबर, 1997 में प्रकाशित हुआ । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हिरासत में मारे गये व्यक्तियों के संबंध में राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी करते हुए वी०डी०ओ० टेप बनाने के लिए कहा था और यह भी कहा गया था कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 114 बी को बढ़ाया जाय इस बात पर 1997 में इण्डियन एक्सप्रेस ने अपने सम्पादकीय में टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राज्यों की इस बात पर निन्दा की है कि उ० प्र० सरकार का मानव अधिकार उल्लंघन का मामला सबसे गन्दा है और यह वी०डी०ओ० टेप नहीं बना रहे हैं इसके लिये मानव अधिकार आयोग ने इंगित किया है । मान्यवर, हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत अधिक विकट है । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 21 मार्च, 1997 को केन्द्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री को पत्र लिखा था । जिसमें बताया गया था कि मानव अधिकार आयोग में 33,112 शिकायतें दर्ज हुई और इसमें से 12,000 शिकायतें केवल उ० प्र० की थीं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, अब मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि पुलिस हिरासत में वर्ष 1996-97 में मौतों का सिलसिला बढ़ रहा था जिसे कैसे रोका जाय ? इसकी समस्या हम सभी के सामने है । मान्यवर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन के वर्ष में मिलने वाली शिकायतों की संख्या प्रतिदिन 250 के हिसाब से मिल रही हैं और आयोग के सामने लगभग 38 हजार शिकायतें पेण्डिंग हैं । इस तरह राष्ट्रीय आयोग के ऊपर कार्य का बहुत बोझ बढ़ गया है ।

इसलिए भी सभी प्रदेशों में इसके गठन की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे प्रदेशों में जैसे हिमांचल प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश आदि में जहां मानव अधिकार आयोग का गठन कर लिया गया है, गुजरात में यह प्रस्तावित है इसलिए उत्तर प्रदेश में जहां मानव अधिकारों के उल्लंघन की बहुत बड़ी समस्या है । वहां राज्य मानव अधिकार आयोग की तुरन्त स्थापना करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, राज्यपाल शासन में इस बात के लिए आश्वासन दिया गया था । प्रदेश में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया जायेगा । मायावती जी की सरकार ने गठन नहीं किया । मैं वर्तमान सरकार से उम्मीद करता था कि वह इसका गठन करेगी लेकिन उन्होंने भी नहीं किया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यह विधायिका के लिए विशेषाधिकार हनन का मामला है । यह संकल्प 03 जून को शलाका में स्वीकृत कर ली थी । 18 जून को यह सत्र आहूत किया गया और 23 जून को सदन के बाहर शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया जायेगा क्योंकि प्रदेश में पहले आयोग बहुत हैं जैसे महिला आयोग अल्पसंख्यक आयोग । इसलिए अब किसी भी आयोग का गठन नहीं किया जायेगा । सरकार को यह घोषणा सदन के अन्दर करना था, जिस पर विस्तृत बहस होती यह संवेदनहीनता की बात है । मान्यवर, 28 सितम्बर, 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में यह बात उल्लिखित की गयी है कि संविधान के शैड्यूल–7 की सूची 2 और 3 में जो राज्य सरकार की सूची और संवर्ग की सूची है उसके अन्तर्गत उठाने वाले सभी विषय मानवाधिकार के अन्तर्गत आते हैं और सभी नागरिकों को उन पदों में संरक्षण मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–.

अब आप समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । राज्य मानवाधिकार आयोग की सीमायें असीमित हैं । इस प्रदेश में मानवाधिकार हनन किस सीमा तक जा रहा है । मान्यवर, 309 गांव ऐसे हैं जो नान रेवेन्यू गांव हैं जहां कोई भी सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है । पंचायतों में उन्हें वोट तक का अधिकार नहीं है । मान्यवर, देहरादून से नैनीताल तक वनों को डेवलप करने हेतु इन गांवों को बसाया गया था । वहां के लोगों को हटाया जा रहा है । जिससे वहां के लोग जानवरों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए । इनके अलावा जंगल में रहने वाले आदिवासियों को, गूजरों को, बिना किसी सुविधा दिये जबरन हटाया जा रहा है । डैम आदि बनाने तथा दूसरे प्रयोगों के लिए स्थानीय लोगों को विस्थापित किया जा रहा है विस्थापितों के अधिकारों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, जिला सोनभद्र (शाहूजी महाराज नगर) के मणिपुर ब्लाक (पाठा क्षेत्र) जो म० प्र० की सीमा पर स्थित है में रेवेन्यू रिकार्ड्स में डबल एन्ट्रीज हैं । वहां पर कोल आदिवासी के लोगों के

नाम, जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट के बाद बन्दोबस्त हुआ तो रेवेन्यू रिकार्ड्स में उनके नाम से एन्ट्री थी फिर 1960 में यह फिर वन विभाग के नाम भी चढ़ा दी गयी तो इस प्रकार से डबल ऐंट्रीज की गयी हैं। यह मामला भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास लम्बित पड़ा है। मान्यवर, उ० प्र० में पुरुष और महिलाओं के रेशियो में भी भारी अन्तर है। पहले 1951 में हिन्दुस्तान में 1000 में 948 महिलायें, 1991 में 1000 में 929 हैं। लेकिन यू० पी० में 1991 में 1000 में 879 महिलायें हैं। परिवार नियोजन हेतु जो तरीके इजेक्टेबिल प्रचलित किये जा रहे हैं। उनसे हारमोनल डिस्बैलन्स का खतरा बना हुआ है, जिससे कई गम्भीर बीमारियां भी हो सकती हैं राज्य सरकार द्वारा नार-प्लाण्ट, नेटिन डेपोप्रोवेरा जैसी विधि में प्रचलित की जा रही है। जिनसे कैंसर जैसे भयंकर रोग होने का खतरा बना रहता है। विकसित देशों में इन दवाइयों तथा विधियों पर रोक लगा दी गयी है। नागरिकों को शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल एवं शान्त वातावरण नहीं मिल रहा है, एक व्यक्ति अपने लालच में दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है। प्रभावित नागरिक को अपने अधिकारों का संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री संजय गर्ग–

अन्त में मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि यह सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह मानवता के मुद्दे के लिए संवेदनशील है और वह राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जल्दी से जल्दी करेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब कोई वक्ता अपना भाषण दे रहे हों तो उनके और पीठ के बीच से किसी माननीय सदस्य को नहीं जाना चाहिए परन्तु अगर अपरिहार्य कारणों से जाना ही हो तो कुछ-झुक कर जाया करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा यह देश मुनियों और मनीषियों का देश रहा है, लेकिन आज जब हम कोई बात करते हैं, तो अमेरिका से शुरू करते हैं, इससे मुझे कष्ट होता है। भारत की संस्कृति इतनी महान है और मानवता का सबसे बड़ा अनुयायी है, उसका सम्मान करने वाली संस्कृति है, तो वह देश भारत है। निःसन्देह हम कह सकते हैं कि यह बापू की धरती रही है, महावीर की धरती रही है और गौतमबुद्ध की धरती रही है। गौतम बुद्ध एक राजकुमार के रूप में महल से बाहर जाते हैं और मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो उनकी आत्मा संवेदनशील हो जाती है और वह उसी क्षण राज पाट छोड़ कर निकल जाते हैं जंगल चले जाते हैं कि इस मानव के दुःख को कैसे दूर किया जा सकता है, मानव के कष्ट को कैसे दूर किया जाये और वह सिद्धार्थ से गौतम बन गये।

मोहन दास करम चन्द गांधी दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं, तो उनका हृदय संवेदना से भर जाता है और वह वहीं पर संकल्प लेते हैं कि हम गोरे और काले का भेद मिटायेंगे। उनका कहना था कि दुनिया में समानता है, मानव में समानता है और उनमें जो अन्तर किया जाता है, उससे कष्ट होता है और जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो वह राष्ट्रपिता बन जाते हैं। मान्यवर, प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि :–

व्हाट इज दि मीनिंग आफ लाइफ नेवर शुड ह्यूमन डिगनिटी बी सुप्रेज्ड आर ह्यूमन फ्रीडमन्ड

मैन्स हिस्ट्री हैज बीन ए कान्टीनवस स्ट्रगल फार ह्यूमन राइटस अगेन्स्ट दि पावर आफ द फ्यि मैन्स लाइफ मस्ट बी स्पेन्ट इन प्रस्विट आफ ह्यूमन डैपीनेस।

मान्यवर, इतिहास उपनिषद में भी कहा गया है कि यो-यो मानसं वेद स वेद ब्रह्म। मानव की अन्तरात्मा के अन्दर वेद हैं और उसे तुमने जाना है, तभी ब्रह्म को जाना है। मान्यवर, भारत इसी भावना के वशीभूत होकर जब मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, तो निश्चित रूप से कष्ट होता है।

संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सभी राष्ट्र एकत्र हुए और उन्होंने विचार किया कि राजतन्त्र की पाशविक शक्ति जब मानवाधिकारों का हनन करती है, तो अच्छी बात नहीं है। यू० एन० ओ० ने 16 दिसम्बर, 1966 को एक करार किया, जिसमें भारत भी एक पार्टी है, भारत भी एक पक्ष है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह करार 1966 में हुआ। भारत के संविधान में इसके रचयिताओं ने अपनी संस्कृति और परम्पराओं के अनुरूप संवेदनशीलता का इसमें समावेश किया था और संविधान के प्रिएंबल में ही मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का समावेश किया। हमारे संविधान के प्रिएंबल में लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तो हमारे संविधान में ही उसके प्रिएंबल में ही इसका महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है।

चीफ जस्टिस सीकरी ने केशवानन्द केस में कहा है :-

"इट सीम टू मी दैट प्रिएम्बिल आफ अवर कांस्टीट्यूशन इज आफ इक्सट्रीम इम्पार्टेन्स एण्ड दि कांस्टीट्यूशन शुड वी रीड एण्ड इन्टरप्रेटेड इन दि लाइट आफ दि ग्राण्ड एण्ड नोबल विजन इक्सप्रेस्ड इन दि प्रिएम्बिल।"

जस्टिस ग्रोवर ने कहा है :-

दि कान्स्टीट्यूशन मेकर्स गेव टू दि प्रेएम्बेल दि प्राइम आफ प्लेश इट इम्बोडीड इन सोलेम फार्म आल दि आइडियल्स एण्ड एस्पाटेरेशन फार विच दि कन्ट्री हैड स्टगल इयूरिंग ब्रिटिश रिजिम।

दि प्रिएम्बिल वाज दियर फोर मेन्ट टू एमबडी इन ए वेरी फ्यू एण्ड वेल डिफाइन्ड वर्ड दि की टू दि अण्डरस्टैंडिंग आफ दि कान्स्टीट्यूशन।

1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो चिन्ता व्यक्त की गयी थी, उसका ध्यान म रखत हुए हा उसकी भावना के अनुरूप हमारे यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। राज्य में कौन सी परिस्थितियां थीं जो मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ। इस संबंध में गजेन्द्र गडकर, मख्य न्यायाधीश ने कहा है :-

इन ए डिमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक इण्डिया स्विच इज गवर्न्ड बाई ए रिटेन कांस्टीट्यूशन सुपरमेसी कैन वी नेजिटीमेटली क्लेम्ड ओनली बाई कांस्टीट्यूशन इट इज कांस्टीट्यूशन इज पैरामनी स्विच इज ला आफ लैण्ड।

अगर कहीं कोई विवाद हो तो उसके लिए हमारा संविधान सर्वोच्च है। संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग बनना चाहिए। तो वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यह नहीं बन पा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। यह एक चिन्ता का विषय है। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास 30 हजार केस हैं उसमें से 54 फीसदी

केस उ० प्र० और बिहार के हैं। करीब 08 हजार केस उ० प्र० के और 02 हजार केस बिहार के हैं। हम लोग जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जानते हैं कि पुलिस किस तरह से डण्डों से पीटती है और किस तरह से थर्ड डिग्री मैथड का प्रयोग करते हैं और किस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता चला आ रहा है। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है। वहां किस तरह से एक गरीब लड़के को जो पैसे की मदद के लिए गया था रात में लौटते समय पीटा गया उसको लगातार मारा गया और जब वह मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जा रहा था तो अत्याचार जो यह किये जाते हैं यह हमारे सामने ज्वलन्त प्रश्न है। मान्यवर, इसी तरह से एक युवक विशाल को पकड़ा गया। पुलिस ने 151 में गिरफ्तार किया और जब छूट कर आया तो उसको फिर पकड़ा गया। उसको इतना पीटा गया कि मर गया। 08–10 चोटें उसके शरीर पर आयीं जिसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है। इन्हीं बातों को देखकर न्याय पालिका ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राय दी कि इन्काउन्टर के जितने केसेज होते हैं पुलिस जिनको मारती है और जो कस्ट्रोडियल डेथ होती हैं उसकी सूचना मैजिस्ट्रेट को करें और मैजिस्ट्रेट जांच होने के बाद उसकी एक रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को तब तक भेजी जाय तब तक उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन न हो जाय। कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंड करते हैं, राय देते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हो।

मान्यवर, पश्चिम बंगाल का एक केस है। कोर्ट ने जो आवजरवेशंश किये हैं। उनको मैं पढ़कर सुना रहा हूं। अंग्रेजी में है मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

कस्टोडिल डेथ इज परहैप्स वन आफ दि वर्स्ट क्राइम इन ए सिविलाइस्ड सोसाइटी गर्वन्ड बाई दि रूल्स आफ ला दि राइट इनहरेंट इन आर्टिकल्स 21 एण्ड 22(1) आफ दि कांस्टीट्यूशन रिक्वायर टू बी जोलेस्टी एण्ड स्क्रपलसली प्रोटेक्टेड कोर्ट कैननाट विश अवे दि प्राब्लम एनी फार्म आफ टार्चर आर क्रश इन ह्यूमन आर डिग्रेडिंग ट्रीटमेन्ट वुड फाल विद इन दि इनहैटेवीशन आफ आर्टिकल 21 आफ दि कांस्टीट्यूशन वेदर इट अकर्स डियूरिंग इनवेस्टीगेशन इन्ट्रोग्रेशन आर अदर वाइज इफ दि फंक्शनरीज आफ दि गर्वन्मेंट विकम ला ब्रेकर्स इट इज वाउन्ड टू ब्रीड कन्टेम्ट फार ला एण्ड उड इनकरेज लालेबनेश एण्ड एवरी मैन उड हैव दि टेन्डेंसी टू विकम ला अनटू हिमसेल्फ दियरवाई लीडिंग टू अनआरकेनिज्म।

मान्यवर, कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने यह कहा कि अगर पुलिस कानून को तोड़ने का काम करती रहेगी तो समाज में लान्लेसनेस और अराजकता व्याप्त हो जायेगी और हर व्यक्ति यह सोचेगा कि कानून का राज्य नहीं है और वह स्वयं कानून है इसका क्या परिणाम सोसायटी में हो सकता है इसका अन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आगे चलकर इसमें कहा गया है-नो सिविलाइज्ड नेशन कैन परमिट टू हैपन इज ए सिटीजन सेड आफ हिज फण्डामेन्टल राइट टू लाइफ दि मूमेन्ट ए पोलिसमैन अरेस्ट हिम कैन दि राइट टू लाइफ आफ ए सिटीजन हीं पुट इन एहेन्स आन हिज अरेस्ट दीज क्वेश्चन टच दि स्पिनल कार्ड आफ ह्यूमन राइट जूरिस्पडेन्स दि एन्सर इन्डीड हैज टू बी एन एमफैथिटिक नो दि परसिअस राइट गारेन्टी बाई आर्टिक्ल 21 आफ दि कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया कैननाट बी डिनाइड टू कनविक्ट अण्डर ट्रायलास डिटनस एण्ड अदर प्रिसनर्स इन कस्टडी एक्सेप्ट एकार्डिंग टू दि प्रोसीडर स्टेबिलिस्ड बाइ ला बाई फ्लेसिंग सच रीजनेबिल रेस्ट्रिकसन्स एज आर परमीटेड बाई ला। उन्होंने यह भी कहा कि उस क्षण पुलिस का एक व्यक्ति आपको गिरफ्तार करता है तो क्या आपका वह आर्टिकल 21 में दिया गया प्राण और दैहिक का अधिकार समाप्त हो जाता है उन्होंने उसका जवाब भी दिया बहुत अच्छी तरह से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिन परिस्थितियों में मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय

कितना महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि जो कोर्ट हैं, न्यायपालिका का रवैया है वह जिस तरह से अपराधियों के साथ न्यायपालिका पोलाइट और लिबरल व्यवहार कर रही हैं इससे अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा उसके आगे कहा है–दि पुलिस इन इण्डिया हैव टू परफार्म ए डिफिकल्ट एण्ड डिलीकेट टास्क परटिकुलारली इन स्विच आफ दि डिटेरोटियेरिंग ला एण्ड आर्डर सिचुएशन कम्युनल रायटस पोलिटिकल टरमल स्टूडेण्ट अनरेस्ट टेरोरिस्ट एक्टीविटीज एण्ड एमंग अदर्स दि इनडोजिंग नम्बर आफ अण्डर वर्ल्ड एण्ड आर्म्ड गैंग्स एण्ड क्रिमिनल्स मेनी हार्ड कोर क्रिमिनल्स लाइक एक्टरमिस्टस दि टैरोरिस्ट ड्रग पेडलर्स स्मगलर हू हैव आर्मनाइज्ड गैंग। उन्होंने यह कहा कि हम जानते हैं कि कितनी मदद हम कर रहे हैं। इन दिक्कतों के खिलाफ छात्र आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन हो रहे हैं। इसके साथ-साथ अण्डर ग्राउण्ड वर्ल्ड गैंग काम कर रहा है। इन सबके बाद भी हम यह आधार नहीं खोज सकते हैं कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आगे कहा है–दिस इज आल दि मोर सो इन विव आफ दि एक्सपेक्टेशन आन दि सोसाइटी दैट पोलिश मस्ट डील विद दि क्रिमिनल्स इन एन एफिसिन्ट एण्ड इफेक्टिव मैनर्स एण्ड ब्रिंग टू बुक दोज हू आर इनवाल्वर इन दि क्राइम दि क्योर कैननाट हाउइवर वी वर्स्ट दैन दि डिसीज इटसेल्फ। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि हम नो इसलिए जो प्राविधानित कानून है जो नजरबन्दी के कानून हैं, बिना मुकदमा चलाये बन्द करने के कानून हैं उनको भी विरोधी माना है और इस प्रकार से सरकार की, प्रशासन को मदद करने का काम किया है। आगे कहा है–स्टेट टेरोरिज्म इज नो एनसवर कम्बर्ट ट्रेरिज्म स्टेट ट्रेरिज्म उड ओनली प्रोवाइड लेजीमेंसी टू टेरोरिज्म दैट उड वि वैड फार दि स्टेट दि कम्युनिटी एण्ड एवव आल फार दि रूल आफ ला।

अगर राज्य आतंकवाद फैलाये तो यह इससे भी बड़ा है जो आज आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। अन्त में टौरचर के बारे में कहा है कितना संवेदनशील होकर हमारे जजेज ने कहा है कि जब हम किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करते हैं, थर्ड डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे उसके शरीर का ही नहीं आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है जिससे वह मरने के लिए, स्वयं को मारने के लिए या दूसरे को मारने का काम करने को तैयार हो जाता है, ऐसी भावना उसके अन्दर पैदा होती है। कस्टोडिल ट्रार्चर इज ए नेक्ड सिविलाइजेशन आफ ह्यूमन डिगनिटी एण्ड डिग्रेशन विच डिस्ट्रोआएड टू ए वेरी लार्ज एक्सटेन्ट दि इन्डिविजुवल परसोनाल्टी इट इज ए कलक्लूटेड एसल्ट आन ह्यूमन डिगनिटी।

जब कोई टार्चर होता है तो उससे मानव सभ्यता पर चोट पहुंचती है। जब मानव सभ्यता पर चोट होती है तो हम सभ्यता के एक कदम पीछे होते हैं। ऐसी स्थिति में मानवता का ध्वज आधा झुका देना चाहिए। यह ऐसा मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों की सीमाओं से उठकर विचार करना चाहिए। जो आज विकास के लिए तरस रहे हैं, जो आज अपने सम्मान के लिए तरस रहे हैं, आदर के लिए तरस रहे हैं, दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं इन सभी के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। इस संकल्प को स्वीकार कर लें और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय, इस संकल्प पर एक और माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब पर्याप्त हो चुका है और सदन के आज के कार्य हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

विद्वान सदस्य संजय गर्ग, अम्बरीष कुमार ने बहुत ही विद्वता के साथ अपने विचार रखे और विस्तार से रखे, सभी भाषाओं में रखे। संस्कृत से लेकर अंग्रेजी सभी भाषाओं में विचार रखे। उच्च न्यायालय की नजीरें भी पेश की। जहां तक मानव गरिमा का प्रश्न है, इसमें मतभेद किसी वर्ग के किसी

पक्ष का नहीं है । मानव गरिमा के बारे में हम सभी को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन यह सोचना चाहिए कि क्या आयोग मात्र का गठन करने से हम मानव गरिमा की शुरुआत करने में सफल हो पाये हैं, सफल हो पायेंगे या अपनी मानसिकता, अपनी संस्कृति अपने संस्कार बदलकर ऐसा कर सकेंगे । यदि संस्कारों के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया होता तो सम्भतः आज हमें आयोग के बारे में सेना नहीं पड़ता । यह भी कभी-कभी समीक्षा करनी चाहिए कि कुछ आयोगों का गठन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ऐसे ही हमारे देश और प्रदेश तथा दूसरे प्रदेशों में दर्जनों आयोग हैं, महिला आयोग है, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है । क्या आयोग का गठन होने के उपरान्त किसी वर्ग विशेष का उत्पीड़न खत्म हो गया, कम हो गया या वह आयोग अपने मिशन में सफल हो पाया यह समीक्षा का प्रश्न है ? मैं आयोग का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन चिन्तन का विषय जो आजकल होना चाहिए ।

हम सोचते हैं कि आयोग बनें, समस्याओं के समाधान हेतु मानवाधिकार आयोग गठित हों । लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित है । लेकिन मेरी सूचना के अनुसार 1250 के लगभग शिकायतें उत्तर प्रदेश की हैं । उत्तर प्रदेश के उस भाग की हैं जहां के माननीय सदस्य मैं स्वयं वहां का हूं। मेरे पास रिकार्ड है । मैं आपको आमंत्रित करता हूं कभी आकर उसका परीक्षण करें किन लोगों द्वारा वह शिकायतें की जाती हैं जो या तो अपराध कर चुके हैं या अपराध करने वाले हैं । वह पुलिस फोर्स का मनोबल गिराने के लिए पहले शिकायत कर देते हैं, बाद में शिकायत कर देते हैं । आज शिकायतें यह होती हैं कि घटना हो गयी पुलिस सक्रिय नहीं हुई । आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई । तीन दिन पहले हमारे सदन में देखें इसमें हमारे सम्मानित विधायक को जाकर धरना देने पड़े कि पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की थी और अगर पुलिस गिरफ्तारी कर ले तो मानवाधिकार आयोग है, गिरफ्तारी न करें तो रास्ता जाम है । ऐसी स्थिति में कौन सा बीच का रास्ता होगा बजाय इस मानसिकता के प्रयास यह कर दिया गया होता कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी एजेन्सी उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है, उसको क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या संस्कार डाल पा रहे हैं तो आज शिकायतें नहीं मिलती । आज तो धरोहर हमें पिछले हुकुमरानों से मिली, जिन्होंने सैकड़ों साल तक हमें गुलाम बनाकर रखा । उन्होंने यह सिखाया कि किसी पर विश्वास न करो और हर स्तर पर सुपरवाइजरी कण्ट्रोल की व्यवस्था की ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं गांव में किसान के खसरा-खतौनी का होता है । खसरा-खतौनी लेखपाल के पास होता है, उस अभिलेख में किसी चीज को दर्ज करने का काम लेखपाल का है, लेकिन लेखपाल बेईमानी न करे इसके लिए सुपरवाइजर के रूप में कानूनगो है, कानूनगो कोई बेईमानी न करे, उसके लिए नायब-तहसीलदार है, नायब-तहसीलदर कोई बेईमानी न करे इसके लिए तहसीलदार है, तहसीलदार कोई बेईमानी न करे उसके लिए एस०डी०एम० है और एस०डी०एम० के बाद जिलाधिकारी है । इस स्तर तक खसरा-खतौनी का सुपरविजन चलता है ।

(श्री राम नक्षत्र द्वारा खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम नक्षत्र जी आप बैठ जायं, जब कोई गम्भीर बात चल रही हो, उस समय टोका-टोकी करना ठीक नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

तो मान्यवर, आपकी नींव ऐसी रही कि आपका किसी पर विश्वास नहीं है । आज जब मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो शिकायतें सबसे ज्यादा किसकी हैं, शिकायतें इस बात की हैं

कि पुलिस कस्टडी में मौत हो गयी या किसी को गलत तरीके से पुलिस ने 10-15 दिनों तक थाने पर बिठाये रखा, बिना मुकदमा चलाये अदालत में पेश किये। आज 90 प्रतिशत शिकायतें इसी बात की हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं पुलिस की कार्य-प्रणाली में दोष है, अगर एक नियंत्रण कक्ष बनाकर पुलिस की कमियों को दूर कर देंगे अगर यह दूर हो गयी होती तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना हुआ है अब तक शिकायतें कम हो गयी होती। चिन्तन का विषय यह होना चहिए कि जो मूल एजेन्सी है उसको प्रशिक्षित करें और संस्कारों को जगायें और इस लायक बनायें कि अपराध न कर सकें और मानव की गरिमा के अनुरूप संवेदनशीलता पैदा हो सके।

आज संवेदनहीनता पैदा हो गयी है, कुछ तो दबाव हमारा पड़ गया, उस एजेन्सी को कभी भी खुले मन से काम करने का अवसर नहीं मिला। उससे उनका जीवन स्तर ऐसा हो गया या उनके पास में अस्त्र-शस्त्र ऐसे होंगे, सुख-सुविधा दे रखी हैं, उनके मन पर दबाव ऐसा हो गया, 08 घण्टे के बजाय 18 घण्टे काम लेंगे तो इस तरह से कोई सरकारी एजेन्सी काम करेगी तो हम उनसे अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर मानवाधिकार के बारे में चिन्ता करनी है तो सबसे पहले उस एजेन्सी को चुस्त और दुरूस्त करना होगा जिससे ऐसी स्थिति न आये। कस्टेडियल डेथ की चिन्ता होनी चाहिए लेकिन उसका क्या होगा जिसका बच्चा सुबह उठकर स्कूल गया और वापस नहीं आता है, उसके मां-बाप की क्या हालत होगी, उनके मानवाधिकार की चिन्ता होनी चाहिए। क्या उनके मानवाधिकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिए जो रात को सो नहीं पाते हैं और गांव के लोगों को पहरा देना पड़ता है। उन बदमाशों में से 2 आदमी को पुलिस पकड़ लेती है तो हमारा समाज सभ्य कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि उसने 2 बदमाश पकड़कर रोक लिया। यही चिन्ता घातक सिद्ध हो रही है। हमें चिन्ता उनकी नहीं है जिनके बच्चों को बदमाश उठाकर ले जाते हैं, लूट होती है बैंक डकैती कल आपके सामने हुई लेकिन अगर 4 बदमाश पूछतांछ के लिए पकड़ लाये गये तो दिल्ली तक चले जायेंगे वहां से टेलीफोन आ जायेगा। उनके लिए एस०पी० का ट्रान्सफर कर देंगे, 2 दरोगा सस्पेण्ड होंगे 2 सिपाही जेल में जायेंगे तो फिर वह पीछे भी हटेंगे वह सोचेंगे कि नौकरी खतरे में नहीं डालेंगे। केवल पाश्चात्य देशों की सभ्यता से प्रेरित होकर हम कुछ करें यह अच्छा नहीं होगा। यू०एन०ओ० से फरमान आ गया मेरा सौभाग्य रहा कि वहां जाने का मौका मिला है।

मान्यवर, यहां पर हर चौराहे पर एक पुलिस कांस्टेबिल खड़ा हुआ है, सिपाही घूम रहा है, एस०एल०आर० लिए घूम रहा है और थैला छिन रहा है। ट्रैफिक का सिपाही हाथ देता है तो इधर का आदमी उधर जाता है पैदल को कोई रास्ता नहीं देता है, साइकिल को कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है, आदमी को आदमी की चिन्ता नहीं रही, उसको भ्रष्टाचार की चिन्ता नहीं रही। चिन्ता जब नहीं रही तो मैंने सोच लिया कि राज्य सरकार का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है, पुलिस ठीक नहीं कर पाती है तो पुलिस को ठीक कर दो एक आयोग बनाकर तो इससे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। यह ठीक होता तो न जाने कितने आयोग आये उसका नतीजा मेरे सामने है। मान्यवर, आदमी मारे जायेंगे, अपहरण होगा तो आयोग का क्या करेंगे इससे समाधान नहीं होगा। सारी शक्ति इस बात पर लगा दें कि जो कानून व्यवस्था को बनाने वाली जो फोर्स है उसका सुदृढ़ीकरण करें उसको प्रशिक्षित करें, मानव के बारे में चिन्तन भी करें और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा भी करें। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में इस समय मानवाधिकार के गठन की आवश्यकता नहीं है।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तक तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को एक कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल राजनीतिक के रूप में जानता था । मान्यवर, आज एक नये रूप में पता चला कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक ऐसे समाज शास्त्री हैं जो दुनिया की आज सारी मान्यताओं को भुला देना चाहते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ की अवधारणा का भी खण्डन कर रहे हैं । मैं स्वागत करता हूं उनके इस रुख का । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि यह कानून अपर्याप्त हैं, तो केन्द्र और प्रदेश में इनकी सरकारें हैं, कानून बदलने और दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी एलान करते हैं कि कानून का राज है । अगर कोई समाज विरोधी तत्व वे कानून का उल्लंघन करते हैं, तो अपराध और अगर हमारी स्टेट के लोग मंत्री लोग, वे प्रेरणा देते हों पुलिस प्रशासन को वे भी एक्जीस्टिंग लॉ हैं, कानून जो लिखा हुआ है, उसे अपनी इच्छा के अनुरूप तोड़ सकें, दुरुपयोग कर सकें तो दानों में अन्तर क्या है ? केन्द्र में इनकी मान्यवर, सरकार है । अगर यह कानून अपर्याप्त हैं, तो साहस के साथ खड़े होकर बता दें । कि हम आज न्यायालय के अधिकार छीन कर हम पुलिस को देना चाहते हैं । वह थर्ड डिग्री यूज कर हत्या करें यह अधिकार पुलिस का हो । हम तो इसका विरोध करेंगे, मंत्री जी बहुमत के आधार पर इसको पास कराना चाहते हैं, तो करायें । लेकिन मैं यह सदन के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर रूल आफ ला को तोड़ना चाहते हैं कानून के शासन को प्रिवेल नहीं करना चाहते हैं तो फिर स्थिति क्या होगी ? बिल्कुल अनकांस्टीट्यूशनल बयान मा० मंत्री जी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

जगह-जगह मुख्य मंत्री जी का बयान हुआ है । कानून के राज में यह नहीं है कि पुलिस किसी को भी ऊपर भेज दे । एक एस०पी० सहारनपुर हरीश चन्द्र सिंह जी हैं, जिसने 3 निर्दोष लोगों का कत्ल किया था, केस इसके खिलाफ दायर हुआ । आज तक उस एस०पी० को गिरफ्तार नहीं किया गया, कार्यवाही नहीं हुई । गरीब आदमी की स्थिति भिन्न हो जाती है । जिसके हाथ में सत्ता है, चाहे तो वह हत्या भी कर दे ? मानव अधिकार कानून के बाहर नहीं है । मान्यवर, सरकार का दृष्टिकोण है यह मानवता की गरिमा के विपरीत है, मानव अधिकारों के विरुद्ध यह सरकार है । जिन चीजों को रखा गया है, जस्टिस कुलदीप सिंह जी के जजमेंट को पढ़ लेंगे तो जो शंकायें रखी हैं उनका समाधान मिलेगा सोचने के लिए रास्ता मिलेगा । जो मानव की गरिमा है, राष्ट्रीय कानून हैं, अगर वे अपर्याप्त हैं, उनको आप अपर्याप्त बताना चाहते हैं, संविधान निर्माताओं को गाली देना चाहते हैं जिन्होंने मानव की गरिमा का स्थान सर्वोच्च रखा, सत्ता का नशा मान्यवर, रहने वाला नहीं है, अगर यही कार्य प्रणाली रही तो इस सरकार को जाने में ज्यादा दिन अब लगने वाले नहीं है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कहा है, जो जवाब आया, प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाय, उसके विपरीत मानवीय संवेदनाओं के परे रखते हुए विधि के केवल मात्र एक हिस्से को दर्पण दिखाने का काम किया है । मान्यवर, आज खुद यह सरकार अकर्मण्य है जो कानून बने हुए

है आई०पी०सी०, सी०आर०पी०सी० क्या स्थिति है ? इन अपराधियों को किस तरह से सबक सिखाने का काम किया जा सके । इस निकम्मी पुलिस प्रशासन को कार्य प्रणाली का जिम्मेदार मानते हुए यह कहना कि मानव अधिकार आयोग का गठन करना उचित नहीं है, बहुत ही गलत बात है । आई०पी०सी० व सी०आर०पी०सी० की बात यहां पर कही गयी मैं कहना चाहता हूं कि आज मानव की जो तमाम समस्यायें है जैसे शिक्षा की समस्या है, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या है, उनको कैसे संरक्षित किया जाये । इसे तो संरक्षित करने का अधिकार केवल मानव अधिकार आयोग में संरक्षित है और इस अधिनियम में संरक्षित हैं । मैंने उन सभी अधिकारों का पहले ही जिक्र कर दिया है । संविधान के शेड्यूल 7 सूची 2/3 में उन सभी का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को राज्य मानवाधिकार आयोग के अन्तर्गत संरक्षण मिल सकता है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पाश्चात्य नीति से अभिभूत होकर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं करना चाहिए, मान्यवर, हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गौरव करना चाहिये जिसने कहा कि "अयम निजः परोवेत गणना लघु चेतसाम उदारि चिरतानामत वसुधैव कुटुम्बकम् ।" हमने तो सारे संसार को एक परिवार माना है । आज एक आदमी को 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए और हिन्दुस्तान में उसके लिए नाम से 40 से 55 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए परन्तु आज हमारे खेतिहर मजदूरों को व महिलाओं को क्या वह मजदूरी मिल पा रही है, नहीं मिल रही है । लेबर कोर्ट उन्हें निपटाने में सक्षम नहीं है ? वे संगठित क्षेत्र के मजदूरों के विवादों की अधिकता से ओवर लोडेड हैं अतः वह इसे निपटाने में सक्षम नहीं हैं । राज्य मानवाधिकार आयोग के माध्यम से ही हम उनके अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं, इसलिए मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह तुरन्त आज ही इस सदन में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा करें । इसी के साथ ही मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जब माननीय सदस्य अपनी बात यहां पर रख रहे थे तो मुझे लग रहा था कि माननीय मंत्री जी के मुंह से गड़बड़ी में बात निकल गयी, इसलिए उन्हें अपने विचार वापस ले लेना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपनी बात पर पुनर्विचार कर रहे हैं । अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महराज नगर को शीघ्र चलाने संबंधी संकल्प

श्री ददुद प्रसाद जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें । चूंकि हम आपकी व्यापक तैयारी को देख चुके हैं इसलिए आप जैसे विद्वान साथी को सुनने के लिए समय चाहिए होगा । इसे हम स्थगित करते हैं ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को शीघ्र चालू कराया जाय।"

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं। आपका संकल्प प्रस्तुत हो गया है। एजेण्डा बहुत बड़ा है, इसलिए इसे अब स्थगित किया जाता है।

श्री दद्दू प्रसाद–

अब कब यह लिया जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

इसके संबंध में कार्य-मंत्रणा समिति तय करेगी।

(मद संख्या 9 में उल्लिखित मा० सदस्यों के न उपस्थित होने पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998

पंचायतीराज राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में जो अविश्वास प्रस्ताव आते थे। उनमें अब संशोधन कर दिया है और इसलिए अब जो पहले 50 प्रतिशत सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे उसे अब 2/3 सदस्य ला सकेंगे। इसी तरह इसके पहले एक वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव आता था जो अब 2 वर्ष में आयेगा और पहले अविश्वास प्रस्ताव गणपूर्ति के अभाव में एक वर्ष में आता था। वह अब 2 वर्ष में आयेगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विधेयक को प्रस्तुत किया और यह कहा कि हमने अविश्वास के प्रस्ताव को 1/2 से 2/3 कर दिया है और समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह धारा 28 में जो संक्रमणकाल उपबन्ध लागू किया है, मूल अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे किसी मामले में, जहां मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) या धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दी गयी हो और उसके

अनुसरण में कोई बैठक ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी दिनांक को बुलायी गयी हे, भी प्रभावी होंगे और सदैव से प्रभावी समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे । तो मान्यवर, इनकी मंशा क्या है ?

कोई भी विधेयक अगर रूटीन में लाया जाय यह अच्छी बात है, परन्तु अध्यादेश के जरिये प्रख्यापित किया गया है । यह अध्यादेश 05 मई, 1998 को लाया गया था, तो कौन सी ऐसी बात थी जो यह लाया गया और उसके बाद यह विधेयक लाया गया है । ऐसा लगता है कि इनके कोई अध्यक्ष या ब्लाक प्रमुख जो आधे से अधिक सदस्यों पर इन्टरेस्टेड हों और उसके रिट्रासपेक्टिव इफेक्टस के लिए यह विधेयक लाया गया है । इससे अच्छा तो यह था कि सीधे विधेयक ले आते और आज प्रस्तुत करते। पहले आप अध्यादेश लायें और उसके बाद यह विधेयक लाये हैं । तो मान्यवर, यह जो विधेयक लाये हैं इसमें नियम साफ नहीं है । अगर कोई जिला पंचायत और विपक्ष का होगा तो आप बदल देंगे तो इसमें आपकी नियत ठीक नहीं है और जल्दबाजी में यह किया गया है और इसमें कई खामियां हैं । मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आदरणीय शाक्य जी ने जो बातें रखी हैं लगता है यहां पर सत्ता पक्ष में बैठे हुए किसी की समझ में नहीं आयी है । मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जो उद्देश्य उन्होंने बताये हैं और जो कारण आपने गिनाये हैं, एक वर्ष की बजाय दो वर्ष कर दिया, गणपूर्ति के संबंध में कहा कि आधे की बजाय दो तिहाई कर दिया, हम मूलतः इसके विरोधी हैं लेकिन जो विधेयक ला रहे हैं । आप उनके शब्दों को देखें जिस तरह से उसके प्राविधानों को रखा गया है यह हड़बड़ी में या फिर दूसरे कारण से रखा गया है । इस विधेयक में आपने समुचित रूप से विचार नहीं किया । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दें । मान्यवर, इसी के साथ माननीय शाक्य जी ने जो विधेयक पर अपना संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री धर्मपाल–

मान्यवर, मैं माननीय शाक्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संशोधन वापसे ले लें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 5 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा ।

(2) यह दिनांक 5 मई, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 15 में,–

(क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "कम से कम दो तिहाई" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (12) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे,

धारा 28 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 28 में,–

(क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "कम से कम दो तिहाई" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (12) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे,

संक्रमणकालीन उपबन्ध

(ग) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

4–मूल अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे किसी मामले में, जहां मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) या धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दी गई हो और उसके अनुसरण में कोई बैठक ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी दिनांक को बुलायी गई हो, भी प्रभावी होंगे और सदैव से प्रभावी समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 5 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)–

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या -12 पुकारे जाने पर माननीय सदस्यगण उपस्थित नहीं थे)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998

पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 विचार किया जाय।

मान्यवर, नियमों और उपनियमों में संशोधन करने के लिए मंत्रि-परिषद् की एक समिति का गठन हुआ है। माननीय लाल जी टण्डन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। मान्यवर, प्रधानों के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, उसके संबंध में यह संशोधन आया है। प्रधानों के विरुद्ध ज्यादा अविश्वास के प्रस्ताव आ रहे थे, दलित और पिछड़े वर्ग के जो प्रधान होते थे, उनके विरुद्ध अधिक अविश्वास के प्रस्ताव आ रहे थे। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन लाया गया है। प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव का समय एक वर्ष था उसके स्थान पर दो वर्ष कर दिया गया है और पहले यह व्यवस्था थी कि जो सदस्य उपस्थित होते थे, उन्हीं में अविश्वास के लिए गिनती होती थी, लेकिन अब यह कर दिया गया कि कुल सदस्यों का 2/3 होना आवश्यक है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको पारित किया जाये।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रधान जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। पहले यह प्राविधान था कि जो जनता से चुना होता है, तो उसको जनता द्वारा अविश्वास से हटाया जाना चाहिए। आपको यह करना चाहिए था कि उसे जनता द्वारा हटाया जाता। दूसरी बात यह है कि प्रधान की गरदन पर तलवार लटकती रहती है, तो वह काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो इसमें करप्सन की ज्यादा गुंजाइश थी। यह जो संशोधन लाया गया है, यह जल्दबाजी में लाया गया है, इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

वित्त, राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मुझे आशा थी कि इस संशोधन विधेयक का सभी लोग स्वागत करेंगे। जिला पंचायत में जो संविधान संशोधन विधेयक के अनुरूप जो एक्ट बना था, इस सदन में चर्चा नहीं हुई थी और वह हो-हल्ला में पास हो गया था, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा था, उसमें जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि यह एक लोकतान्त्रिक संशोधन है, उसका स्वागत होना चाहिए। प्रधान जनता द्वारा चुना जाता है, तो उसके हटाने की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जनता से हटाने का अर्थ है हटाने के अधिकार को नकार देना। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदाता के रूप में प्रधान को भी वोट डालने का पूरा अधिकार है। इसमें प्राविधान है कि जो उपस्थित सदस्य होंगे उसके 2/3 सदस्यों के मत के निर्णय से प्रधान को हटाया जा सकता है। यही व्यवस्था क्षेत्र समिति, जिला पंचायत समिति पर भी लागू होगी। इसका स्वागत हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों को करना चाहिए था, लेकिन वह प्रवर समिति को भेजने की बात कर रहे हैं, यह तो केवल सरकार के किसी कार्य का विरोध करना है की भावना से रखा है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में बातें न करें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथी लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन करें और इसका समर्थन और स्वागत करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री और पंचायतीराज मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां आप लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं वहां यह कौन सा लोकतन्त्र प्रतिष्ठित कर रहे हैं जहां एक अधिकारी आधे से ज्यादा पर चुना जाय और 2/3 पर हटाया जाय। यह लोकतन्त्र है ही नहीं। यह अलोकतन्त्र है। इसके पीछे आपकी भावना गलत है और यह संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। आप जानते हैं कि आपका जनाधार खिसक रहा है इसलिए 2/3 आपने कर दिया है आधे से एक ज्यादा पर चुना जाय और 2/3 से हटाया जाय। यह सर्वथा अनुचित है। हटाने के लिए जो पहले कानून था वही रहना चाहिए। यह व्यवस्था चुनने के लिए हो यही हटाने के लिए होनी चाहिए। आपकी नियत साफ नहीं है क्योंकि आपका जनाधार खिसक रहा है [illegible] दिन आप टिक जायेंगे लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पायेंगे। यह लोकतान्त्रिक नहीं अलोकतान्त्रिक व्यवस्था है इसका हम विरोध करते हैं, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय त्यागी जी ने एक बात कही कि जब पंचायतराज कानून बना था। वह इस सदन में प्रस्तुत हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस पर यहां पर चर्चा नहीं हो पायी थी। तब भी शायद आदरणीय त्यागी जी यहां पर सदस्य थे, मैं भी सौभाग्य से यहां पर था किन्हीं कारणों से चर्चा नहीं हो पायी थी और जब किसी ऐसा मामले पर जब सरकार की ओर से एक क्रान्तिकारी कदम उठाया जा रहा था, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में जब पंचायत कानून बनाया जा रहा था, तो उस समय हल्ला और शोरगुल मचाया गया था। उस दिन चर्चा नहीं हुई थी और इसको दूसरे दिन ले लिया गया था। आपको स्मरण होगा कि माननीय बेनी प्रसाद वर्मा वहां बैठा करते थे, जहां पर आज माननीय हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं। इसको दूसरे दिन की कार्यसूची पर लिया गया था, यह मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं इसलिए यह कहना कि इस पर चर्चा नहीं हुई थी सही नहीं है।

हमारा विश्वास लोकतन्त्र में है। जैसा कि मा० बाबूराम यादव जी ने कहा जो एप्वाइंटिंग अथारिटी है, वही डिसमिसिंग अथारिटी हो तो ठीक है। जैसा कि मा० शाक्य जी ने कहा और बाबूराम जी ने कहा तो दोनों ने एक ही बात कही है। अगर आपको सचमुच में इस कानून में खामी नजर आ रही है और संशोधन कर रहे हैं तो करें लेकिन जिन्होंने चुनकर भेजा है उन्हीं को यह अधिकार दें। बार्ड के मेम्बरों को यह अधिकार देना उचित नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजने का कष्ट करें तो हम इसका स्वागत करेंगे।

---

* उक्त भाषण का अनुवाद नहीं किया।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, जहां पर यह प्रश्न उठाया गया तो मैं इस संबंध में अनुरोध करना चाहता हूं कि जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में वर्ष 1995-96 में, तो एक परिसीमन किया गया ग्राम पंचायतों का और क्षेत्र पंचायतों का । उसमें इतनी अव्यवस्था हुई कि एक गांव इधर और एक गांव उधर है और बीच में नदी है, किसी भौगोलिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया और वोटों की राजनीति करने के लिए परिसीमन गलत ढंग से किया । वह परिसीमन ठीक नहीं हुआ । चुनाव हुए और चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत राज पूरी तरह लागू हो गया । आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 10 हजार के ऊपर आबादी है । दस हजार के ऊपर आबादी में पहले अंगूठा लगाकर या दस्तखत करके प्रधानों को हटाने की व्यवस्था थी । इससे बहुत दिक्कतें आती थीं और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती थी इस नाते इसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा जिनकी गांव के प्रति जिम्मेदारी होती है उनके द्वारा हटाने की व्यवस्था की गयी । सरल बनाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है । 2/3 की तादाद से हटाया जाय इससे हमारी मंशा बहुत साफ है । हम चाहते हैं कि जहां पर चुनाव हुए उनको काम करने का मौका मिले इसीलिए मैं अम्बिका जी से अनुरोध करता हूं कि जो संशोधन दिया है रखा हैं मैं चाहता हूं कि उसको वापस लेकर इस विधेयक को पारित करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

राम औतार शाक्य जी आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आप ले रहे हैं । मैं इनसे सहमत हूं कि आप इसे वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

इनका मतलब आपके संशोधन के प्रस्ताव से था ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट से और परिसीमन से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है । परिसीमन की बात मंत्री जी कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन को वापस नहीं ले रहा हूं इसलिए कि आप यह मान रहे है कि कुछ कमियां हैं । एक कलेक्टर के पास पावर है कि वह प्रधान के वित्तीय अधिकार छीन लेते हैं । इसलिए बेहतर है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 5 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा ।

(2) यह दिनांक 5 मई, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 5–क का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5-क में,–खण्ड (ग) में, शब्द ''ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न, किसी स्थानीय प्राधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न, किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 14 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 14 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों'' के स्थान पर शब्द ''तत्कालीन समस्त सदस्यों'' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (3) में, शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 95 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 95 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छ) में, उपखण्ड (3) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

(3–क) ''उसने किसी ऐसे मिथ्या घोषणा-पत्र, जिसे उसके द्वारा यह अभिव्यक्त करते हुए कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, हस्ताक्षरित किया गया हो, के आधार पर यथास्थिति, धारा–11–क की उपधारा (2) या धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो ;''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1998

5–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज(संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,45,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण

एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,52,96,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,00,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,20,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, यह समाज कल्याण विभाग का बजट है जिसके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ा वर्ग विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित योजनायें संचालित होती हैं उसमें पूरे प्रदेश का कल्याण निहित है इस विभाग के साथ मैं इस बजट को प्रस्तुत करता हूं । यह इस देश के लिए दुखद आश्चर्य है कि जिस देश में ब्रह्माण्ड की सारी भिन्नताओं को भेद के रूप में नहीं अपितु परस्पर पूरक के रूप में देखा जाता हो वहां गैर बराबरी कैसे आ गयी है । नर और नारी, मानव और वनस्पति रूप, रंग और प्रकृति से एक दूसरे से भिन्न हैं फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं । नर-नारी की इसी भिन्नता में से सृष्टि का सृजन होता है । मनुष्य के अंग से निकली प्रदूषित वायु वनस्पतियों का भोजन है और उनके द्वारा निकली प्राण वायु जीवनदायिनी है । अंगुलियां परस्पर बराबर नहीं हैं फिर भी जब एक होकर बन्द हो जाती हैं, तो मुट्ठी बन जाती है । कोई जन्म, जाति, कर्म से छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच-नीच नहीं फिर यह गैर बराबरी कहां से आयी । एक सज्जन ने मुझसे कहा कि सफाई करने वाला और मन्दिर में बैठकर पूजा करने वाले के कर्म समान हैं । मैंने कहा कि जी हां । अगर सफाई करने वाला सफाई न करे तो पुजारी बीमार पड़ जायेगा और अस्पताल चला जायेगा और अगर पुजारी जिसका तात्पर्य नैतिक आचरण धारी व्यक्ति से है, का अस्तित्व नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करता है । इसलिए दोनों के कर्म परस्पर पूरक और समान हैं । जिस दिन लोग प्रकृति के इस वरदान को समझ जायेंगे गैर बराबरी समाप्त हो जायेगी । यह विभाग उन लोगों के लिए है जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं । पिछड़ा वर्ग कहते हैं, विकलांग कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हीं लोगों के लिए यह विभाग काम करता है । भारत के संविधान में भी विधिक व्यवस्था करके केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि इन वर्गों के हितों और कल्याण के लिए कार्य किया जाय ।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग इनके लिए काम कर रहा है । जिस दिन मैंने मंत्री पद की शपथ ली मैंने अपने को बड़ा भाग्यवान समझा कि मुझे उन वर्गों के हित में काम करने का अवसर मिला है जिनके विकास, जिनकी उन्नति के बिना देश के विकास और उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है, इस नाते इस काम को लेकर मुझे अच्छा लगा । मान्यवर, मैं सदन में इस बात को कहना चाहता हूं

कि जब हमारे अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में भेजे जाते हैं तो कई बार उनकी कल्पना होती है कि उन्हें सजा दे दिया गया है। मैं उनको बार-बार समझाता हूं कि आप भाग्यवान हो कि इस काम में आये हो। 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, 27 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग असमर्थ रह जायेंगे, गरीब रह जायेंगे, अक्षम रह जायेंगे, तो देश कैसे सक्षम हो पायेगा ? इस नाते इनको सक्षम बनाना, देश को सक्षम बनाना है। मान्यवर, इसमें उनके बेहतरी के लिए काम किया जाता है। मैं डा० राम मनोहर लोहिया को पढ़ रहा था. उन्होंने कहा कि तीन चीजें उन्नति के लिए आवश्यक हैं–श्रम, शिक्षा और पूंजी। मैंने इसका अध्ययन किया, तीनों जिसके पास है, वह भाग्यवान है, दो जिसके पास हैं, वह किसी प्रकार जीवन बिता लेता है, लेकिन जो मात्र श्रम के सहारे है वह गरीब और अक्षम बनकर रहता है। इस विभाग के द्वारा मैं चाहता हूं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पीछे हैं, वह आगे बढ़ें, यही इस विभाग का उद्देश्य है। इसमें यह काम होता है कि गरीब बच्चे धन के अभाव में पढ़ने से वंचित न रह जायें, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, विकलांग बच्चों को दी जाती है। इस छात्रवृत्ति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ोत्तरी की है। अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति में 13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। 1997-98 में 316.92 करोड़ रुपये की धनराशि थी उसे बढ़ाकर 359.34 करोड़ कर दी गयी है। जनजाति में भी इसी तरह से बढ़ोत्तरी की गयी है। 1997-98 में 198.59 लाख रुपये थी उसे बढ़ाकर 207.47 लाख कर दिया गया है। विकलांगों के पेंशन को 93 लाख से बढ़ाकर 98 लाख कर दिया गया है।

मान्यवर, पिछड़ा वर्ग ने तो इतिहास बना दिया है। पिछड़े वर्ग में होता क्या था ? पहले 3-4-5 में एक-एक बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है। 6 में बच्चों को मिलनी है। 7-8 में तीन-तीन बच्चों को मिलेगी। इस प्रकार कक्षा–3 से लेकर आठवीं कक्षा तक केवल 11 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। जब मैंने चार्ज लिया, उसके बाद में एक विद्यालय में गया तो बच्चों ने कहा कि हमने क्या बिगाड़ा है कि हममें से केवल 11 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। मैंने तय किया कि पिछले दर्जे के अंकों को देख लें जो सर्वाधिक अंक पाये उसे चयनित कर लें। कक्षा–9 व 10 और 10 से ऊपर छात्रवृत्ति देने की नीति थी कि धन की उपलब्धता नहीं है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में बैठकर चर्चा की। मुझे उनकी सहमति से बल मिला। हमने यह निश्चित किया कि 10वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दीजियेगा और दसवीं कक्षा तक के छात्रों की छात्रवृत्ति पर भी सुधारात्मक विचार किया जायेगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दसवीं कक्षा के ऊपर उच्चतम कक्षाओं तक के छात्रों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए 211 करोड़ का इन्तजाम करना होगा तब जाकर इन पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी। प्रश्न दिल्ली तक गया, वहां से खबर दी गयी।

भारत सरकार की एक योजना है यदि 50 प्रतिशत धन उत्तर प्रदेश सरकार देगी, तो इतना ही भारत सरकार दे देगी। अन्त में माननीय कल्याण सिंह जी ने सारे अधिकारियों को बुलाकर बात किया और निर्णय हुआ कि भारत सरकार की योजनानुसार कहा उत्तर प्रदेश सरकार। अरब 6 करोड़ रुपये हाईस्कूल से ऊपर हायर एजूकेशन तक के उन बच्चों को छात्रवृत्ति देगी जिनके बच्चों की पारिवारिक आय 44,500 होगी। यह दिल्ली सरकार को सूचना दे दी गयी। मैं सदन में इस खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारों की सहमति प्राप्त हो गयी है। जिससे हाईस्कूल से ऊपर के बच्चों को एक अच्छी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में मिलने लगेगी। यह एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कठिन वित्तीय परिस्थितियों में लिया है। मैं

आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति और उन अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह कार्य किया है।

बड़ी धांधली थी इतनी बड़ी धनराशि बांट देते हैं, वह सही जगह पहुंच जानी चाहिए यह विभाग का काम है। चयन समिति द्वारा जो सूची विद्यालयों से बनती थी वह जिला स्तर पर विभाग को चली जाती थी। इसमें यह व्यवस्था की गयी कि चयन समिति में प्रधान के साथ उनसे हारा हुआ निकटतम प्रतिद्वन्दी भी समिति में जायेगा [illegible], बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिग्री कालेज के प्रिंसिपल और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित सभी प्रमाणित होकर आयेगी तभी इन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। छात्रवृत्ति की सूची सही बन पाये, इसका प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये हैं, वितरण में धांधली की शंका में तभी सत्यापन हुआ। 24 जिलों की रिपोर्ट आ गयी है 335 विद्यालय ऐसे हैं, जो धांधली में लिप्त पाये गये 78,47,579 रुपये की धांधली है। 69 विद्यालय ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, परन्तु मौके पर गायब हैं। 18 ऐसे हैं, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है परन्तु छात्रवृत्ति लेते आये हैं, जिनकी सूचियां फर्जी हैं।

186 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने पैसा रख लिया है वितरण नहीं किया, कहते हैं कि पास होकर लड़के चले गये। तो कहा गया कि लौटा दिया होता। 12 ऐसे हैं जो कटौती कर लेते हैं बच्चों को कम छात्रवृत्ति देते हैं। जो खिलाफ कार्यवाही की गयी, उसमें 6 विद्यालयों से धन की वसूली 33 एफ०आई०आर० दर्ज हुई हैं, विद्यालयों के खिलाफ 37 की मान्यता रद्द हो गयी, 27 ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। 233 विद्यालयों के मामले आवश्यक कार्यवाही के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिये गये। इसी तरह से छात्रवृत्ति बांटने के लिए एक और व्यवस्था जोड़ दी गयी है। वर्ष में एक बार अभिभावक दिवस मनाया जायेगा, विद्यालयों में बकायदा घोषणा होगी अभिभावक, छात्र, छात्रों की सूची चयनित करने वाली समिति भी रहेगी। इन लोगों की उपस्थिति में छात्रवृत्ति बांट दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति अभी तक नकद में बांटी जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

आपको सुनने की सभी की इच्छा है, लेकिन समय का ध्यान हमें रखना है।

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, कुल 539 करोड़, 62 लाख, 49 हजार का बजट आज रखा है, हम एक समिति बनाने जा रहे हैं। अध्ययन के लिए यह इतना रुपया दिया जा रहा है, इसका प्रतिफल क्या समाज में मिला है ? मान्यवर, यह पेंशन दी जाती हैं, जो बूढ़े हैं, विकलांग हैं, एक कष्ट साध्य व्यवस्था थी। 8 लोगों से टकराये और चोर इयोढ़ी पार करें तो 125 रुपया मिलेगा स्वीकृति लेखपाल, ग्राम प्रधान, बी०डी०ओ०, डाक्टर, तहसीलदार, एस०डी०एम०, समाज कल्याण का बड़ा बाबू, समाज कल्याण अधिकारी इन सभी अधिकारियों से होकर जाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार आ गयी है। जनता के द्वारा पेंशन वितरण का कार्य न्याय पंचायत केन्द्र (किसान सेवा केन्द्र) पर घोषित तिथि को होगा। यह वितरण त्रैमासिक कर दिया है, सितम्बर, दिसम्बर, मार्च, जून में वितरण का काम होगा। शहरी क्षेत्र में विधान सभा को केन्द्र बनाया है। आवेदन-पत्रों की स्वीकृति का कार्य एक घोषित तिथि को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड स्तर पर और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के स्तर पर शिविर में होगा जहां सभी संबंधित अधिकारी अपने काउन्टर के साथ उपस्थित रहेंगे। स्वीकृत और वितरण की

पद्धति में व्याप्त देरी, देरी और दलाली को निष्प्रभावी करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है । 1 लाख 40 हजार विकलांग हैं तथा 3 लाख वृद्धों को पेंशन दी जाती है । जिस प्रकार पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का दुरुह कार्य को किया गया है कि वह उसी प्रकार से हमने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि साठ और पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों और विकलांगों का सर्वे करायेंगे । यह सर्वे हो रहा है । विधवाओं की स्थित यह है कि प्रदेश में वृद्धा विकलांगों और विधवाओं की संख्या पेंशन के लिये निर्धारित लक्ष्य से अधिक है ऐसी स्थित में जब तक किसी पेंशन प्राप्त व्यक्ति स्थान रिक्त नहीं होता है विभाग कह देता है कि नये लोगों को नहीं लिया जायेगा । इसलिये इसका सर्वे कराया जा रहा है ताकि वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों का सही पता लग सके और हम उसकी टोटल बजटिंग करें। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार देगी, और कुछ भारत सरकार से लाने का प्रयास किया जायेगा । पेंशन वितरण में भी हाथ गन्दा करने वालों की कमी नहीं है । हमने इसकी जांच करायी है । 112 लोग गिरफ्त में आये है, को निलम्बित किया गया है । 7 को सेवा से पृथक किया गया और 7 को आरोपित किया गया है ।

मान्यवर, शादी और बीमारी की एक बहुत बड़ी शिकायत आती थी । शादी होकर बच्चे हो गये, पैसा नहीं मिला, बीमारी से आदमी घाट चला गया पैसा नहीं मिला । मैंने मालूम किया पता चला कि शादी होगी इटावा–वाराणसी स्वीकृति था पैसा मिलेगा लखनऊ से, यहां भी देरी, दूरी और दलाली को निष्प्रभावी करने की बात कही है । अब शादी और बीमारी पर मिलने वाले पैसे से संबंधित फार्म की स्वीकृति जिलाधिकारी करेंगे और वहीं से इसका फण्ड निर्गत होगा ताकि जो विलम्ब होता था, वह न हो । मान्यवर, मा० विधायक श्री रामजग जी ने विधान सभा में प्रश्न किया था क्या अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है ? उनकी जिज्ञासा इसलिए बलवती हो गयी क्योंकि 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली । इसी बीच कई सरकारें आयी जो अनुसूचित जाति की अलमबरदार बनाती है । परन्तु 1994 से लेकर 1997 तक किसी ने इनकी सुधि नहीं लिया । लेकिन 1997-98 में एक करोड़ 52 लाख छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया । इसमें 5 सरकारी और 5 स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाओं को धन देकर छात्रावास बनाये जा रहे हैं । इसलिए मान्यवर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह छात्रावास हैं । मैं आरोपित नहीं करना चाहता हूं किन्तु भ्रमों का निवारण होना चाहिए अन्यथा गलत बात करना छोड़ दें कि भाजपा अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों के खिलाफ है । मान्यवर, ऐसा नहीं है । मान्यवर, छात्रावास निर्माण के कार्य बन्द पड़े थे, लेकिन मा० श्री कल्याण सिंह की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इनकी ओर कदम उठाये गये हैं और इस बार इस कार्य के लिए बजट में 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार की एक योजना के अनुसार भारत सरकार से 50% अंशदान के रूप में मिलेगा । इस प्रकार 2 करोड़ के बजट से छात्रावासों को बनाने का काम किया जायेगा ।

मान्यवर, प्रदेश में अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय चलते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इन अनुसूचित जाति विद्यालयों को अनुदान हेतु इनकी तरफ पिछले चार वर्षों से क्यों नहीं ध्यान दिया गया । पिछले चार सालों से उनकी दरख्वास्तें कार्यालय में पड़ी हैं । वर्तमान सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के प्रसार के लिए सेवारत इन विद्यालयों को देने के मामले में विचार किया । मान्यवर, 4 सालों से उनके प्रार्थना-पत्र कार्यालय में पड़े थे जिन्हें हमने निकलवाया है । दो महीने लगाकर संबंधित पत्रावली की जांच करवाई गयी है तथा स्थल निरीक्षण की मानक में कौन-कौन आता है । कराया गया

क्योंकि कागज पर मानक सही पाया गया और मौके पर यदि उनका वितरण नहीं है, तो वह मानक में नहीं आयेंगे । अभी तक 586 विद्यालय अनुदानित हैं । आशा है कि 250 विद्यालय को इस वित्तीय वर्ष में अनुदान प्रदान कर दिया जायेगा । अनुदान देने के मानक हैं, उन मानकों के अनुसार जो आयेगा, उसको अनुदान दिया जायेगा ।

पिछड़े वर्गों के बारे में कहना चाहूंगा । मुझे इस बात की खुशी है कि 1997-98 की तुलना में इस वर्ष इस मद में पिछड़े वर्ग का बजट दुगुना हो गया है । पिछले वर्ष 2997.93 लाख का बजट था और इस साल 5716.00 लाख का बजट हो गया है, लगभग दुगुना हो गया है । विकलांग लोगों को बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान वर्तमान सरकार ने कर दी है । सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको एक सहयात्री भी दिया जायेगा, जो उसके साथ यात्रा कर सकेगा । इसके लिए पास की सरल व्यवस्था कर दी गयी है । मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त विकलांगता का प्रमाण-पत्र उसी को पास मान लिया जायेगा । मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा है कि जिला मुख्यालय पर प्रमाण-पत्र देने की यह सुविधा है, लेकिन यह सुविधा ग्रामीण अंचलों में नहीं है, मैंने कहा है कि रेंटेशन बना दें, जिससे विकलांग लोग विकास खण्ड पर भी अपना प्रमाण-पत्र बनवा सकें ।

मान्यवर, विकलांग लड़के अथवा लड़की से विवाह करने पर पहले 11 हजार रुपये मिलते थे, मैंने लिस्ट निकलवाई कि कितने लड़कों ने विकलांग लड़कियों से शादी की है । स्वस्थ लड़कों ने विकलांग लड़कियों से शादी की हो ऐसी संख्या नहीं के बराबर है । मैंने प्रोत्साहन तय किया है कि जो स्वस्थ लड़का विकलांग लड़की से शादी करेगा उसे 14 हजार रुपये दिये जायेंगे । रानीपुर में एक मामला आया कि दोनों लड़का और लड़की विकलांग थे, उनको प्रोत्साहन धनराशि नहीं मिल रहा था, तो निर्णय हो गया कि अगर दोनों विकलांग होंगे तो भी 14 हजार रुपये मिलेंगे । इसी प्रकार से विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए लखनऊ में टाकिंग बुक्स स्टूडियो खोला जायेगा । यह महसूस किया गया कि इनके हितों की चिन्ता करने के लिए प्रदेश स्तर पर समन्वय समिति होनी चाहिए, क्योंकि विकलांगता कल्याण से संबंधित 11 विभाग हैं, समिति बन गयी है । इनकी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया गया है । रोस्टर तय करने का काम विचाराधीन है । विकलांगता से संबंधित संस्थाओं को पंजीकृत करने के कार्य के लिए निदेशक विकलांग कल्याण के समक्ष प्राधिकारी बना दिया गया है । विकलांगों को उनके न्याय देने के लिए सचिव विकलांग कल्याण को जाना पड़ता था, अब आयुक्त, विकलांग कल्याण बना दिया गया है । विकलांग जन को समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी मिले इसके लिए अधिनियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति बना दी गयी है । मैंने प्रयास किया है जो कुछ उनको दिया जाता है, वह उन तक पहुंचे उसका लाभ विचौलियों को न मिले और जो उन तक पहुंचने में देरी और दूरी होती है वह न रहे । उसके लिए अवश्य प्रबन्ध किये गये हैं । उसके लिए पूरा विभाग मनोयोग से लगा हुआ है ।

अन्त में मैं तीन महापुरुषों के वाक्यों का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं । हमारा प्रयास उन पिछड़े, अक्षम दबे लोगों को बराबरी में लाने का है, यह प्रयास चलता रहेगा । सैकड़ों वर्षों से यह प्रथा संचालित है । महात्मा गांधी जी ने कहा है "स्वराज में जाति या धर्म के भेदों का कोई स्थान नहीं हो सकता । उस पर शिक्षितों या धनवालों का एकाधिकार नहीं हो सकता । वह स्वराज्य सबके लिए, सबके कल्याण के लिए होगा । सबकी गिनती में किसान तो आते ही हैं, किन्तु लूले-लंगड़े, अन्धे और भूख से मरने वाले लाखों-करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं ।" इसी प्रकार पंडित दीन दयाल

उपाध्याय जी ने कहा है "हमारी भावना और सिद्धान्त है कि मैले-कुचैले, अनपढ़, सीधेसाधे लोग हमारे नारायण हैं हमें इनकी पूजा करनी है । जिस दिन इनको पक्के, सुन्दर घर बनाकर देंगे, जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांव की बेवाइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योगों और धन्धों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे उस दिन हमारा भ्रातृत्व भाव व्यक्त होगा ।" डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा [illegible] से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, बराबरी से एक सीढ़ी और नीचे उतरो, आर्थिक बरावरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी । उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो तब उसके बाद आयेगी समता, सम्पूर्ण समता, सम्भव समता । सम्पूर्ण समता का सपना देखो । इन शब्दों के साथ मैं सामाजिक सेक्टर के कल्याण का बजट प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन सर्वसम्मति से इसे पास करेंगे । यह राजनीतिक विषय नहीं है यह उन लोगों के कल्याण का विषय है जिनका हित हो जाने से देश का हित होगा ।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–सामाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–सामाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–सामाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, समाज कल्याण का बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने अपने शब्दजाल द्वारा विशिष्ट शैली द्वारा प्रदेश की जनता को सारी बातों में लुभाने का प्रयास किया है । जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग जनों का है और यह 70-80 फीसदी लोग जो अक्षम हैं, आशक्त हैं, गरीब हैं, असहाय हैं । ऐसे लोगों को पर्याप्त संरक्षण पर्याप्त सरकारी सहयोग अभी नहीं मिल सका है । उनके जीवन यापन और सुखद जिन्दगी और समाज में जो एक गैर बराबरी बहुत पहले से चली आ रही है । जिसके कारण उनका उत्थान नहीं हो पाया तो जब तक उनका शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान नहीं होगा वह बराबरी पर नहीं आ पायेंगे । जो बजट मंत्री जी ने अभी पढ़कर सुनाया है । यह ऊंट के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुंह में जीरा की तरह है और उन्होंने जो अपनी पीठ थपथपाई कि इतना बजट दे दिया, वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। मान्यवर, पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग कल्याण के बारे में आपने बड़ी तारीफ की कि हमने बहुत बजट दिया है लेकिन धन चाहे जितना दे दिया जाय अगर कुशल प्रशासन उचित प्रबन्धन सुपरविजन और मानीटरिंग जब तक सही रूप से नहीं होगी तब तक उस धन का सदुपयोग करना मात्र एक कल्पना है।

मान्यवर, पिछड़ा वर्ग कल्याण की बात कहना चाहता हूं, 83 जिले हैं और आपके केवल 5 उप निदेशक हैं। बरेली, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ इन मण्डलों में उप निदेशक हैं बाकी इतना बड़ा प्रदेश है, जहां पर उप निदेशक नहीं हैं। कितने ही जिलों में आज पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नहीं हैं। यह देखने वाला कोई नहीं है कि आपका जो पैसा मण्डल में जाता है, वह पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है या नहीं या बिचौलिये खा रहे हैं। जब तक आपके पास पूरा स्ट्रक्चर, तन्त्र नहीं होगा तब तक चाहे जितनी धनराशि आप दे दें वह लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकती है। पिछड़े वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए आपने छात्रवृत्ति की बात कही है। मान्यवर, इस प्रदेश में पिछड़ी जातियों की संख्या 52 फीसदी है। 52 फीसदी जनसंख्या के लिए धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं तो चाह रहा था कि मंत्री जी जो बहुत वरिष्ठ हैं और वयोवृद्ध हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, वह सम्माननीय हैं, लेकिन 52 फीसदी जिन जातियों की आबादी है, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था हो या और जो तमाम स्कीम आपकी टर्म लोन और जो दूसरी स्कीम चल रही हैं जिले में उनमें क्या हो रहा है। आज प्रदेश के किसी जिले में कोई रुपया नहीं पहुंच रहा है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थिति स्वयं जर्जर है इसलिए कि जब आप जो धनराशि भारत सरकार से मिल रही है और आप जब उसका यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट समय से भारत सरकार को नहीं देंगे।

भारत सरकार कहती है कि आप अपना राज्यांश पहले दीजिये तब हम केन्द्रांश देंगे। इस तरह से आपकी स्थिति है कि केन्द्र वाले कह रहे हैं, आप अपना दें और आप कह रहे हैं कि केन्द्र से अंश मिल जाय। पूरी की पूरी स्कीम मनी मार्जिन और टर्म लोन की पिछड़ी जातियों के लिए जो हैं। वह पूरे के पूरे प्रदेशों में ठप्प हो गयी हैं। जो भी ऋण पहले दिये हैं उन ऋणों की कारगर वसूली के लिए कोई मशीनरी नहीं है। आपने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में प्रोन्नति पर कुछ अधिकारियों को लिया जिलों में नियुक्त कर दिया लेकिन उनके पास एक दफ्तर नहीं, कोई बाबू नहीं, कोई चपरासी नहीं है वह समाज कल्याण विभाग के दफ्तर के कोने में बैठकर समाज कल्याण के अधिकारियों से कह रहे हैं कि यह आपके विभाग की स्कीम है इसको करवा दीजिये लेकिन समाज कल्याण विभाग का अधिकारी सोचता है कि जब तक आपका विभाग अलग बन गया है, तो हम आपका काम क्यों करें। आपकी जो भी स्कीम हैं, उसे आप फाइलों में, कागजों में, अधिकारियों की मीटिंग में बैठकर बड़ी बुद्धिमानी से बना लें लेकिन उनका कार्यान्वयन जनपदों में किस रूप में हो रहा है यह पिछड़ी जातियों के साथ सरासर अन्याय और नाइन्साफी हो रही है। इसी प्रकार से सरकार जो धनराशि आवंटित करती है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकलांग कल्याण के अन्तर्गत वही स्थति वहां भी है। आपने विकलांग कल्याण अलग बना दिया है, लेकिन कितने जनपदों में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी हैं, इसको आपने बताना मुनासिब नहीं समझा और इस तथ्य को आपने गौड़ रखा है क्योंकि कहने के लिए कुछ है ही नहीं। यह बात आपने कहने की आवश्यकता नहीं समझी लेकिन मेरी स्वयं की जानकारी है कि ज्यादा से ज्यादा 30 एक अधिकारी प्रदेश में हैं उनकी भी स्थिति यह है कि वे पैदल सड़क पर घूम रहे हैं,

उनके दफ्तर नहीं हैं, उनके पास बाबू, चपरासी नहीं है ।

मान्यवर, जिन स्कीम के माध्यम से आप धनराशि ऐसे लोगों को जिनके प्रति सम्वेदनशीलता है, जिनकी सहायता, सहयोग, स्नेह प्यार की जरूरत है ऐसे लोगों के पास आपकी योजनायें नहीं पहुंच पा रही हैं । यह योजनायें कहां जा रही हैं ? तमाम ऐसे लोग जो अपनी संस्थायें खोले बैठे हैं । ऐसे लोगों के पास मान्यवर, यह धनराशि जा रही है । इसलिए जो बजट माननीय मंत्री जी ने विकलांग और पिछड़ा वर्ग हेतु प्रस्तुत किया है । इसमें बजट चाहे जितना दे दिया हो लेकिन उचित प्रबन्धन और सही तरीके से देख-रेख नहीं होगी, तो इन लोगों का भला नहीं हो सकता है । आपने अपने भाषण के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है । आपकी कितनी अच्छी सोच है । आपने स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय बनाकर उसमें स्वच्छकार भाइयों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गयी । आपने उसके लिए बजट दिया है और जो अधीक्षक नियुक्त किया है, वह सड़क पर रो-रो कर चिल्ला कर कहता है कि मुझे गोरखपुर से लाकर नियुक्त किया है । वहां पर बच्चों के पास खाना नहीं है, गार्जियन लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ रहे हैं । 4 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है । आपकी भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, शोषित समाज के प्रति आपके मन में जरा भी सहानुभूति होती तो समाज के सबसे निचले दर्जे पर खड़े हुए स्वच्छकार भाइयों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था के लिए उनके खाने के लिए ठेका था, उसका रुपया पड़ा हुआ है । अगर यह अभिजात्य वर्ग के लोगों के बच्चों के भोजन का भुगतान होता तुरन्त कर दिया जाता ।

एक ऐसे महापुरुष जिनके नाम से महाराष्ट्र की संस्था ने हमारी पूर्व मुख्य मंत्री बहन मायावती जी को छत्रपति शाहू जी महराज पुरस्कार से पिछली 25 तारीख को अलंकृत किया है । उसमें छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन बना जिसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े वर्ग के छात्र पढ़ते हैं आई०ए०एस०, पी०सी०एस० की तैयारी कर रहे हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था वहां की सुविधाओं को हमारी सरकार के जाते ही वहां की सुविधायें हटा दी गयीं । पूरा स्टाफ हटा लिया । आपकी मानसिकता इन्हीं से पता चल जाती है । आप दिल से कितने पवित्र और साफ हैं और जो मुंह से कहते हैं, वही अन्दर से हैं । आपने इस संस्थान की बिजली पानी भी कटवा दी । मोहान रोड पर आश्रम पद्धति से एक से बारह तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए विद्यालय चल रहा है । उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा उस विद्यालय को मान्यता दी जायेगी तभी वहां के लड़के परीक्षा में बैठ सकेंगे । वहां पर आपने एक भी शिक्षक को और जिन विषयों पर शिक्षकों की जरूरत हैं उनके पद स्वीकृत नहीं हुए । जब वहां पर पद स्वीकृत नहीं हैं तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् कैसे मान्यता दे देगा ? उन छात्रों का भविष्य क्या होगा ? आप मुंह से मीठी-मीठी बातें कह कर प्रदेश के लोगों के बीच यह सन्देश पहुंचाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं । अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्थिति आज क्या हो गयी है । आज पिछला भारत सरकार से जो धन मिला था उसका उपभोग प्रमाण-पत्र नहीं मिला । वह प्रमाण-पत्र न मिलने से केन्द्र का अंश नहीं मिल रहा है । आपकी ओर से यह प्रयास हो रहा है कि पहले वहां से मिल जाय फिर आप अपना हिस्सा दें । यह निगम दीवालियेपन के कगार पर है । जब से इस निगम की स्थापना हुई है । आपने जितने ऋण दिये हैं, उन ऋणों की वसूली 4 प्रतिशत है । आपको चाहिए कि इस निगम की स्थिति मजबूत बने । जब आपके पास पैसा आता तो भारत सरकार भी पैसा देती । दूसरा एक निगम है, अनुसूचित जाति तराई विकास निगम, जिसको तो हमें लगता है कि आपके अधिकारी खा गये, जो भी बजट मिला अधिकारियों ने अपनी तनख्वाहों में खर्च किया, योजनाओं में कुछ नहीं खर्च किया । आपने बजट में कहा है, आप छात्रावासों

के बनवाने की बात कर रहे थे । 164 छात्रावास उत्तर प्रदेश में बने हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए, जिसमें 106 छात्रावास चालू हैं, 58 छात्रावासों में घोड़े, गधे कुत्ते रह रहे हैं । जब तक आप रसोइयां, चौकीदार, सहायक अधीक्षक, इनकी नियुक्तियां नहीं करेंगे उनमें लड़के कहां से रहेंगे ? आप तो जानते हैं कि इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को रहना है कौन सा अभिजात्य वर्ग के लोगों का रहना है, इसलिए उन छात्रावासों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं और वह छात्रावास उसी हालत में बने खड़े हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं । मान्यवर, मैं समालोचना कर रहा हूं जिस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है, जो अधूरे कार्य हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं जिससे लाखों-लाख लोगों का भला होगा । दूसरी चीज जो यहां पर कही गयी कि वह पिंच कर रही है कि बी०जे०पी० पर मिथ्या आरोप हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो आवासीय विद्यालय चल रहे हैं उन आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 550 रुपया भोजन आदि के लिए सरकार दे रही है । जो भिखारियों के लिए बनाये गये हैं उनमें प्रति भिक्षुक 240 रुपया की व्यवस्था की गयी है लेकिन जो आश्रम पद्धति के विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के चल रहे हैं उसमें मात्र 200 रुपया प्रति छात्र प्रतिमाह भोजन पर खर्च कर रहे हैं, स्थिति यह है कि बच्चों को एक टाइम चावल का लैय्या और एक टाइम दाल-रोटी नसीब हो पाती है । महिला एंवं बाल कल्याण विभाग द्वारा जो सदन बने हैं उनमें 550 रुपया दिया जाता है, भारत सरकार के छात्रावासों में भी 550 रुपया दिये जाते हैं लेकिन आश्रम पद्धति के विद्यालय जो अनुसूचित जातियों के लिए हैं, मात्र 200 रुपया प्रतिमाह भोजन पर व्यय हो रहा है । 200 रुपया में एक बच्चे का दोनों टाइम का भोजन किस तरह से दे सकते हैं ।

मान्यवर, आगरा, अलीगढ़ और बनारस इन तीनों शहरों में आई०ए०एस० और पी०सी०एस० के कोचिंग सेन्टर हैं उनमें बहिन मायावती जी की सरकार में जो बजट एलाट किया गया था । जितना पैसा निर्माण में शुरुआत में दिया गया, उतना ही उनको दिया गया उसके बाद बी०जे०पी० की 10 महीने की सरकार में आज तक एक नया पैसा इन तीनों शहरों में जो कोचिंग सेन्टर की बिल्डिंग्स बन रही हैं, सिर्फ शासनादेश जारी कर दिया है । मान्यवर, यह तो दिखवायें कि इनको धन आवंटित हुआ है या नहीं। चूंकि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हैं इसलिए इस पर आपका ध्यान भी नहीं जा रहा है । इसके अलावा मान्यवर, जहां तक आपने शिक्षण संस्थाओं के बारे में बात कही है तो जो विद्यालय जिनमें पचास फीसदी अनुसूचित जाति के बालक पढ़ते हैं । ऐसे विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग अनुदान पर लेता है । वर्ष 93-94 के बाद से लेकर अब तक कोई भी विद्यालय अनुदान पर नहीं लिया गया है । जिन विद्यालयों के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतने विद्यालयों की जांच करवायी तो इनकी जांच तो पूर्व में हो चुकी है और ऐसे विद्यालय जिनको मान्यता मिले हुए 10 वर्ष हो चके हैं उनको लेने के लिए सूची बनायी गयी पूर्व मुख्य मंत्री ने अपने कार्यकाल में अनुमोदित किया ।

वित्त विभाग में वह फाइल धन के अभाव में 178 विद्यालयों की फाइलें अब भी पड़ी हुई हैं । मान्यवर, मुझे तो इस सरकार की नीयत पर शक हो रहा है । हमने अच्छा कार्य किया है लेकिन आपकी नीयत ऐसी है कि आप मुझे बेईमान ही समझते रहे हो यह अच्छी बात नहीं है । जांच में 1,100

विद्यालयों में 500 ही सही पाये गये उनमें से 178 विद्यालयों की सूची बनायी गयी । 93-94 का केबिनेट डिसीजन है तो प्रतिवर्ष 100 विद्यालय ले सकते हैं आप तो और ज्यादा ले सकते हैं । मान्यवर, तमाम माफिया विद्यालय थे जो 10-10, 15-15 साल से अनुदानित थे उनकी जांच करवायी और एफ०आई०आर० करवायी कहीं राम आगे तो सिंह पीछे, कहीं सिंह आगे तो राम पीछे, एक-एक व्यक्ति के 10 आवेदन-पत्र आये थे उसकी जांच हुई और जांच में वह फर्जी पाये गये तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्वैच्छिक योजनायें लेने जा रहे हैं, आप 500 ले सकते हैं, 600 ले सकते हैं, लेकिन आप सघन जांच कराने के बाद लें ।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान जिसके बारे में आपने कहीं मौन नहीं तोड़ा है न चर्चा की है, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो बच्चे हैं 21 फीसदी के अनुसार कुल बजट से 21 फीसदी धनराशि है तो आप स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की धनराशि को क्या करने जा रहे हैं ? क्या उसको मात्राकरण आप नहीं करेंगे ? अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए योजनाओं में खर्च करेंगे या नहीं । फाइल में है, लिखत-पढ़त में हैं, आप देख लें । अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का तमाम पैसा स्कीम में बहुत सी धनराशि इस प्रदेश में है, तमाम विभागों में है, उसका समुचित उपयोग नहीं है । अलग से मान्यवर, एक नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के अधीन बनाने का प्रस्ताव है वह किस स्थिति में है । स्टेट लेबिल पर मात्राकरण की व्यवस्था हुई है । अनुसूचित जाति, जनजाति के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था कि स्कीम जो लागू हुई हैं उसमें धनराशि कहां कितनी-कितनी खर्च हुई है। हर विभागों को जो-जो बजट जाता था उसमें अपेक्षा की जाती है कि 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के कार्यों में खर्च करेंगे बहुत से विभागों में अपने जमा खातों में इस मद की धनराशि छोड़ रखी है । अध्यक्ष महोदय ने आयोग के हर विभाग के प्रमुख को निदेश दिया उनको बुलवाया गया, अरबों रुपया विभागों के पास पड़ा हुआ है न तो उसको खर्च किया और न उस पर तैयार हैं कि दूसरी स्कीम में इसको परिवर्तित करा लें । कभी एस० डी० बागला साहब को बुलाकर पूछियेगा । छात्रावासों के निर्माण की बात है, पिछली सरकार ने 12 करोड़ रुपया देकर 40 के निर्माण की व्यवस्था की थी ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं वह बातें कह रहा हूं, हो सकता है, जिनका संज्ञान न लिया हो । अनुसूचित जाति के जो हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा वगैरह देते हैं, पूर्व परीक्षा के लिए उनको जो कोचिंग की व्यवस्था की गयी 1997-98 में इसमें 3,49 लाख रु० की व्यवस्था थी, अब 1998-99 में मात्र 2 लाख रु० की व्यवस्था की गयी, इसमें तो अधिक धन की आवश्यकता है । मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के ही छात्र डाक्टर की परीक्षाओं में पी०एम०टी० वगैरह में सम्मिलित होना चाहते हैं । उनके लिए भी परीक्षा से पूर्व तैयारी करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था थी, जिस पर 1997-98 में 10.50 लाख रुपया दिया गया था परन्तु 1998-99 में आपने कोई धन नहीं दिया । अब आप कहते हैं कि हम पर मिथ्या आरोप लगाये जाते हैं । उन्नयन बस्तियों में 1997-98 में 29.57 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी परन्तु 1998-99 में आपने 28.51 लाख की व्यवस्था की है । यह भी आपने कम कर दिया । वृद्धावस्था पेंशन में पहले 12.95 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी परन्तु आपने इसमें यह नहीं बताया कि इसमें कितनी वृद्धि करने जा रहे हैं । मान्यवर, जहां तक छात्रवृत्ति का सवाल

है पूरे प्रदेश में चाहे छात्रवृत्ति हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या किसान पेंशन हो, एक बहुत बड़ा माफियातन्त्र फर्जी फार्म भराकर पैसा खा ले रहा है । समाज कल्याण अधिकारी के समान दफ्तर चला रहे हैं । रायबरेली में हमने एक को निलम्बित भी किया था, क्योंकि उसने गबन किया था, आपने उसे बहाल कर दिया । विधान परिषद् में एक सवाल उठा ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना तथा स्वच्छ पुनर्वास योजना के अन्तर्गत हमने इस प्रदेश के एक पूर्व समाज कल्याण मंत्री तथा पूर्व राज्यपाल की लड़की को सस्पेण्ड किया था, परन्तु आपने बिना समुचित जांच के उसे बहाल कर दिया । ऐसे तो विभाग चलने वाला नहीं है । समाज कल्याण के साथ-साथ सैनिक कल्याण भी जुड़ा हुआ है । इस पर आपने कोई दृष्टिपात नहीं किया । इसके लिए हम भी दोषी हैं और वर्तमान भी दोषी हैं । हमारे ऐसे सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गये, उनकी विधवाओं को पेंशन देने तथा तमाम ऐसी योजनायें हैं जो भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में की जा रही हैं वह ठेके पर चल रहे हैं । जहां ठेके पर कार्य हो रहा है, वहां पर कैसे कार्य होगा ? 1993-94 और 1994-95 में टेलीफोन का बिल आया 1,37,902 रुपये । पूरा का पूरा धन आहरित कर दिया गया । लेकिन जमा किये गये टेलीफोन के बिल 27,331 रुपये तथा 50,565 रुपये कहां चले गये, उनका समायोजन नहीं किया गया । एक निदेशक थे श्री सत्यजीत ठाकुर । उन्होंने शासन को लिखा कि 50,565 रुपये का गबन हुआ है । यह आहरित पैसा कहां चला गया ? आज तक शासन में वह फाइल दबी है, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन दोषी है ?

मान्यवर, लेटेस्ट बात मैं बताना चाहता हूं कि एक जीप दिसम्बर, 1997 से मई, 1998 तक चली है, पेट्रोल की मद में कोई धन नहीं था लेकिन सैनिक कल्याण निधि से 85 हजार रुपये पेट्रोल में खर्च कर लिया गया । मान्यवर, मैं भी समाज कल्याण मंत्री रह चुका हूं इसलिए बताना चाहता हूं कि तमाम ऐसे मामले हैं जिनके संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो या वृद्धावस्था पेंशन का मामला है, सभी में भ्रष्टाचार हो रहा है । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि धन के अभाव में मोहान रोड स्थित विद्यालय बन्द पड़ा है । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि गरीबों से संबंधित जो कार्य अवरुद्ध पड़े हैं उन्हें चालू कराया जाय और धन की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, इनके पहले इस प्रदेश की जो मुख्य मंत्री रहीं जिन्होंने कमजोर तबके के लोगों के जो कार्य किये थे उनकी आज सराहना हो रही है । उन्होंने अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया था । इसी प्रकार वृद्धा- पेंशन की राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया था । इसी प्रकार 1994 से 1997 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत संतृप्त किया गया ।

मान्यवर, वर्ष 1996-97 में उत्पीड़न से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को 11.92 करोड़ रुपये की राहत एवं पुनर्वास संबंधी सहायता वितरित की गयी थी । वर्ष 1997-98 में पीड़ित परिवारों को 1192.86 लाख की धनराशि प्राविधानित है वर्ष 1997-98 में 3.33 करोड़ रुपये की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है । मान्यवर, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना जनपद लखनऊ में 8.66 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है तथा प्रशिक्षण सत्र 26 जुलाई, 1997 से प्रारम्भ कर दिया गया है । लेकिन एक शेसन को वह संस्था चली किन्तु उसके बाद सरकार ने उसकी सहायता को बन्द कर दिया । मान्यवर, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत

विगत वर्ष के भौतिक स्तर 1027500 में 267500 लाभार्थियों के लक्ष्य की वृद्धि कर भौतिक लक्ष्य 129500 कर दिया गया है । उक्त योजना में वर्ष 1996-97 में 13732 लाख रुपये व्यय हुआ था । वर्ष 1997-98 में कुल मिलाकर 23975 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

मान्यवर, अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बीमारी के इलाज हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गयी है । मान्यवर, पूर्व दशम् कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों के अभिभावकों की मासिक आय सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गयी है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, अब समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं ।

* श्री राम नक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा जो कपटपूर्ण तर्क के आधार पर बजट पेश किया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं । मान्यवर, दोष माननीय मंत्री जी का नहीं है उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और वह पद पाने के लालच में निर्धन, लाचार और गरीब लोगों के बीच में उनको लगता है जाने का मौका नहीं मिला है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें । दो मिनट में कहें ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, आपने दो मिनट में अपनी बात कहने के लिए कहा । मैं दो मिनट में कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता हूं । यह विभाग नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशनखोरी पर आधारित है । आपने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन तो जो निर्धन लोग हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है । वह बुखार में तपता है, उसको एक टेबलेट नहीं मिल पा रही है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है । मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि यह कमीशनखोर उसको पास करते हैं, सब फारमेलिटीज है । यह कहा गया कि तीन महीने में किसान दिवस में देंगे तो वहां पर बिना कमीशन के नहीं प्राप्त हो पायेगा ।

छात्रावास जो पुराने जर्जर हो गये हैं उसकी तरफ आपने कुछ नहीं कहा है और पुरानों के ही हाल ठीक करा दें । जब केन्द्र की सरकार में माननीय देवगौड़ा जी विराजमान थे तो अनुसूचित जाति के नौजवान की यदि हत्या होती थी तो उसे 2 लाख रूपया मिलता था लेकिन जब से आपकी सरकार आयी है यह राशि घटाकर एक लाख रुपया कर दी है । वह भी चेक आते-आते 40 हजार रुपये तक रह जाती है । एम०जी०ओ० के माध्यम से इतना भारी रकम उपलब्ध की जा रही है । नारी उत्थान जागृति के नाम पर कैम्प लगाकर 25 हजार रुपये कमीशन लेकर काम किया जा रहा है । इससे तो यह अच्छा होता कि जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, डाक्टर हैं उनके रोजगार की व्यवस्था करते तो अच्छी बात होती । यह बनिया टाइप का बजट है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, हमें तो उम्मीद थी कि अच्छा बजट लायेंगे। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। हम उनसे ज्यादा मतों से जीतकर यहां पर आये हैं। हम आम आदमी के बीच में रहे हैं उनके दुःख-दर्द को हमने करीब से देखा है। वे अच्छा बजट लाकर उसमें सुधार करते। आपने मेरी बातों को संक्षेप में सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारी भावनाओं को यहां पर प्रकट करने दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि समाज कल्याण के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आयी है, वह भारतीय संस्कृति और समाज व्यवस्था के आधार पर आयी है। इसकी संस्कृति जाति भेद पर आधारित है और उसको एक कुशल ट्रस्टी के रूप में बनाये रखना चाहती है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी इनको नारायण कहा करते थे और उनकी पूजा करनी चाहिए। यह कमजोर और भिखारी को भिखारी बनाकर रखना चाहते हैं, जिससे भिक्षा दे सकें। मान्यवर, इस बजट में नया प्राविधान कुछ नहीं किया गया है, जो चला आ रहा है, वही रखा गया है। इस बजट में कोई कल्याणकारी योजना नहीं प्रस्तुत की गयी है, जिससे अनुसूचित जातियों, पिछड़ों और दलितों का भला हो सके और उनको आगे उठने का मौका मिल सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को 13 प्रतिशत अधिक छात्रवृत्ति देने की बात कही गयी है। लेकिन मान्यवर, छात्रों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। 13 प्रतिशत से अधिक छात्रों की संख्या बढ़ी है। मान्यवर, 16 अक्तूबर, 1995 को मायावती सरकार ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है, जिसमें तमाम विभाग सम्मिलित होते हैं और वह रुपये को खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक शासनादेश जारी किया कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अलग से रुपया रखा गया और उसको इस सरकार ने 12 जनवरी, 1998 को समाप्त कर दिया। हम इसकी आलोचना करते हैं। उसको नहीं समाप्त करना चाहिए। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मऊ में एक छात्रावास निर्माणाधीन है। मैंने अतारांकित प्रश्न किया था उसका उत्तर आपने दिया कि भूमि नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा कहना है कि उस छात्रावास का निर्माण नहीं हो रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रोक दिया गया है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जिन व्यक्तियों की हत्या हो जाती है उनके लिए पैसा देने का प्राविधान है लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत सुस्त है। मेरे यहां 8 जून को कर्वी तहसील छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में रवि प्रकाश नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गयी अभी तक डेढ़ लाख रुपये नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाने के तुरन्त बाद पैसा मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसी तरह से 23 नवम्बर को ग्राम टकटई थाना शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद में राम जतन कोल की हत्या कर दी गयी लेकिन डेढ़ लाख रुपया नहीं दिया

गया है । अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को कोई सहायता नहीं देना चाहती है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार उपकार करते रहना चाहती है, अनुसूचित जाति को तथा पिछड़े वर्ग को शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं देना चाहती, उ० प्र० मंत्रि-मण्डल में ही देखें इन वर्गों की समुचित भागीदारी नहीं है ।

समाज कल्याण, राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

आप इधर छोड़कर उधर चले गये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी प्रथम पंक्ति में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनका आचरण ऐसा होना चाहिए यदि आप नहीं सीख पाये हैं तो 20–25 वर्ष के जो लोग अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं उनके सानिध्य में रहकर कुछ सीखने की कोशिश कीजिये, खासकर जब माननीय नेता सदन उपस्थित हों तो और जागरूक होने की बात है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की आबादी हमारे प्रदेश में 2 प्रतिशत है सरकार उनके उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला रही है । तराई अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम चल रहा था । 1991 में भाजपा की सरकार ने उसको बन्द कर दिया । बहिन मायावती की सरकार में उसको फिर से कायम किया गया लेकिन इस सरकार ने उसको फिर बन्द कर दिया है । इस निगम के जो कर्मचारी हैं वह भुखमरी के कगार पर हैं । मैं आपका आभारी हूं आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया । मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं ज्यादा न कहकर संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । इत्तफाक से मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हुए हैं । मैं उनको लिखकर भी दे चुका हूं । हमारे यहां 25-10-95 को एक शिविर लगा था उसमें 38 आदमियों की पेंशन को दूसरे लोगों ने निकाल लिया । यह समरियावां विकास खण्ड का मामला है । वहां पर पोस्ट आफिस हैं बैंक हैं लेकिन दूसरी जगह खाता खोलकर पैसा निकाला गया है । इसकी जांच वहां के पोस्ट आफिस वालों ने करके दी है । यह पूरी नकल मैंने प्रस्तुत की है उन्होने कहा इसमें टोटल गलती हुयी है जिन व्यक्तियों का नाम है उनको न देकर दूसरे व्यक्तियों को पैसा दे दिया गया है इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर पैसा खा गये हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है 38 लोगों के नाम दर्शाये गये हैं लेकिन वास्तविक आदमियों को वह पैसा नहीं मिला है उसका सबूत पेश किया जा चुका है वहां की जनता बार-बार कह रही है यह पूरा पैसा वापस होना चाहिए माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पूरा प्राविधान किया है कोई गलती नहीं होने पायेगी माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं मैं विनम्र निवेदन करूंगा यह गरीबों का मामला है जिस तरह की योजनाएं चला रहे हैं वह बहुत ठीक है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन ऐसा करें वह पैसा गरीबों, विधवाओं और विकलांगों को ही मिले। मैं मांग करता हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही करें और जो फर्जीक बने हुये हैं उनको दंडित किया जाय और उससे हमको भी अवगत कराया जाय जो 38 लोगों का पैसा खा गये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ताकि हम भी जनता को अवगत करा सकें कि इसमें कार्यवाही हो गई है।

मेजर जगतपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय इसके पूर्व कि बजट पर कुछ बोलूं मेरी प्रार्थना है कि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग का बजट रखना माननीय मंत्री जी शायद भूल गये हैं मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते इस विषय पर बोलना चाहता था यह विभाग ही समाज कल्याण के साथ है।

श्री हरीश चन्द्र हरीश जी–

बजट रख दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे ख्याल से आप किसी ख्याल में व्यस्त होंगे इसलिए सुन नहीं पाये आप किस भाव में व्यस्त थे।

मेजर जगतपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय समाज कल्याण मंत्री के बजट पर बोलने का अवसर दिया मान्यवर, समाज कल्याण का बजट जनता के कल्याण के लिए है गरीब जनता के कल्याण के लिए है माननीय सदस्य शायद पूरा बजट पढ़ नहीं पायेंगे यदि अध्ययन कर लेते तो उनको मालूम हो जाता कि कितना यह कल्याणकारी बजट है यह अनुसूचित जाति जनजाति और विमुक्त जाति के कल्याण के लिए है उनके कल्याण की विभिन्न योजनाएं इसमें रखी गई हैं अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 210 करोड़ रुपये का इसमें प्राविधान किया गया है जो कि गत वर्ष के बजट से सात प्रतिशत अधिक है इसी तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को दुगुना कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति को दुगना कर दिया गया है इसी तरह विकलांगों के लिए व्यवस्था की गई है। उनको भी छात्रवृत्ति दुगुनी कर दी गई है। अनुसूचित जाति के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी में गत वर्ष तक 5 हजार रुपये की सहायता मिलती थी उसको माननीय मंत्री जी ने बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के बीमार व्यक्ति को पहले एक हजार रुपये की सहायता मिलती थी उसको अब दो हजार कर दिया है। स्वच्छता एवं पुनर्वास के लिये 15500 परिवारों को स्वेच्छा रोजगार योजना का लाभ मिला है जिससे सिर पर मैला उठाने के काम से उन्हें मुक्ति मिली है। यह सब समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। मान्यवर, मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। भूतपूर्व सैनिकों के विषय में भी अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग 30 लाख सैनिक बार्डर पर रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं।

हमारे प्रदेश में 15-20 हजार भूतपूर्व सैनिक रिटायर होकर आये हैं और 1 लाख से अधिक अभी सत्ता में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश में संगठन है सेना में भी संगठन है। उनके यहां आर्डिनेंस फैक्टरी है हमारे यहां उद्योग मंत्री हैं, उनके यहां ए०एम०सी० है हमारे वहां स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब वे उस संगठन से रिटायर होकर आते हैं तो हमारे समाज में मिलते हैं उनके लिये भी समाज कल्याण मंत्री ने योजना बनाई है। भूतपूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को सुरक्षा देने का

कार्य हमारी सरकार ने किया है इसके अलावा जो उनकी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिये सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र बनाये हैं जहां पर उनकी समस्याओं का समाधान होता है। पुनर्वास के लिये दो स्कीम चलाई है जिसमें इंदिरा आवास भी मुहैया कराये हैं। इसके साथ-साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके आश्रितों के लिये पुलिस और सेना में भर्ती के लिये योजना है उसमें भर्ती के लिये कुछ छूट भी दी गई है। अगर कोई भी भूतपूर्व सैनिक ऋण लेता है, गाड़ी के लिये, स्वतः रोजगार के लिये तो उसमें भी उसको छूट प्रदान की गई है। पुत्रियों की शादी हेतु ऋण का प्रबन्ध है। अपंग लोगों के लिये कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिये भी हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी ने स्कीम बनाई है। प्रदेश में 76 जिले हैं उनमें सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय बनाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो नये जिले बने हैं उनमें भी सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाय। ताकि सैनिकों की समस्याओं का समाधान हो सके। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा एक सुझाव था कि विधवाओं को 250 रुपये पेंशन मिलती है जो कि किराये या आने जाने में ही खत्म हो जाती है।

मेरी प्रार्थना है कि इसको 250 से बढ़ाकर और अधिक कर दिया जाय। 129 पूर्व सैनिकों को 6.78 लाख रुपये ऋण दिया है। इंदिरा आवास में 35 सैनिकों को 5.80 लाख ऋण दिया है। प्राथमिकता पूरी तरह से दी गई है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पुनर्वास केन्द्र में कोई गाड़ी नहीं है गेस्ट हाउस टूटे हैं। जहां पर 1.50 पैसे में कमरा मिल जाता है बेल फर्नीचर वाला, इनलप के विस्तर लगे हैं। इतना सस्ता कहीं भी नहीं मिलता है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं सदन में मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूतपूर्व सैनिक वृद्ध हो गये हैं उनके लिये बस के पास बनवाने की कृपा करें ताकि जब वे पेंशन लेने के लिये शहरों से आयें। उन्हें वाहन पर व्यय न करना पड़े। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए समर्थन करता हूं। पेंशन लेने पेंशनर जाता है तो उसे परेशानी होती है इसलिए बस का पास उसे फ्री देना चाहिए। जो ब्रिटिश जमाने के कैम्पिंग ग्राउण्ड पड़े हैं उस भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उन पर भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित किया जाए, अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम शंकर पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इस विभाग की जो मूल मंशा थी कि इस देश में दलित, शोषित, पिछड़े, विकलांग वर्गों के लिए विभाग का निर्माण हुआ था। जिस प्रकार सत्ता पक्ष के लोग टोका-टाकी कर रहे हैं उससे पता चलता है कि इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर इनकी नीयत साफ नहीं है। इस बजट को रखते हुए हमारे बुजुर्ग प्रकाण्ड विद्वान मंत्री ने शानदार शब्दों का प्रयोग किया। उससे मालूम पड़ा कि इस प्रदेश के दलित, विकलांग, पिछड़ों को सभी सुविधायें मिल जायेंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिन शब्दों के माध्यम से दलित, पिछड़े पिछाड़े गये हैं, गिराये गये हैं बराबरी करने से इनको रोका गया है। इन्हीं का प्रयोग किया गया। मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कहते हुए कहा था कि इस सरकार ने यह योजनाएं पिछड़ों के कल्याण के लिए लागू की हैं। इनके कन्धों पर बैठकर सरकार बनी है। इस सरकार की नीति दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है। जो मुख्य मंत्री जी आज सदन में बैठे हैं। यह जो कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। पिछली सरकार में

मुख्य मंत्री जी ने एक हलफनामा दिया था उसका उल्टा किया । इसीलिए मुझे सन्देह होता है । इस बजट में जो पिछड़े वर्गों की बात है वह भी उल्टी होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम शंकर पाल–

अनुसूचित जातियों, विकलांगों के लिए घोषणाएं की गयी हैं उनको पूरा करना सम्भव नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं श्री श्रीराम पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समाज कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, यह अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक जाति के लिए हितकर नहीं है । मान्यवर, समाज कल्याण विभाग 1955 में इसलिए गठित किया गया था कि समाज के दबे-कुचले लोगों का विकास हो सके उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर समाज का दबा कुचला वर्ग शिक्षा में आगे आयेगा तो वह अपने आप रोजगार ढूढ़ लेगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल 66 प्रकार के अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 21.04 प्रतिशत है । इसमें से 88.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 11.8 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में रहते हैं । मान्यवर, अगर आप देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास नहीं हो सका है। आज यह कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 41 राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं ।

मान्यवर, आज 200 रुपया प्रतिमाह प्रति छात्र को भोजन के लिए देते हैं 100 रुपया ऊनी कपड़े के लिये देते हैं और 300 रुपया प्रतिवर्ष सूती कपड़े के लिये देते हैं और 100-150 रुपया लेखन सामग्री के लिए देते हैं । मान्यवर, क्या जितना पैसा इन गरीबों को दिया जाता है क्या उतने पैसे में यह अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं ? आज लालबत्ती की चकाचौंध में समाज के उन वर्गों को भूल गये हैं, कभी कहते थे कि हमारी सरकार आयेगी तो समाज के दबे-कुचले लोगों का विकास करेंगे, लेकिन कुर्सी पर आने के बाद यह भूल गये । आज यह वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं । पेंशन के लिये विधवायें लेखपाल से लेकर जिले के अधिकारियों तक दौड़ती हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल पाती है । मान्यवर, भिक्षावृत्ति की बात आयी, समाज के दबे-कुचले लोभी भिक्षावृत्ति करते हैं । आज मात्र 240 रुपया प्रत्येक भिक्षुक को देते हैं । अगर आप भिक्षावृत्ति को दूर करना चाहते हैं, उनको समाज में आगे लाने के लिए उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए कुछ ऐसी योजनायें दी जायं जिससे वह स्वावलम्बी हो सके और समाज में सीना तानकर कह सकें कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है । मान्यवर, निराश्रित विधवाओं की बात कही गयी आज उनको लड़कियों की शादी के लिए दौड़ना पड़ता है । यह कहते हैं कि हम 10

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हजार रुपया देंगे । जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जो शादी के लिए आवेदन-पत्र दिये जाते हैं मैं अपने जनपद गोण्डा की बात बता रहा हूं कि वहां समाज कल्याण विभाग में लाखों रुपये का घोटाला है लेकिन आज तक दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है आज आप अखबार उठाकर देख लें तो पूरे प्रदेश में आपको कही न कहीं समाज कल्याण विभाग में घोटाला की खबर मिल जायेगी । पूरा विभाग भ्रष्टाचार में सराबोर है । जनपद गोण्डा में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाय । विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर लाखों रुपये खाये जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा में है । मैंने इस सदन में मांग किया था कि इसको हाई स्कूल इण्टरमीडिएट तक कर दिया जाय ताकि उसमें बच्चे ऊंची शिक्षा पा सकें लेकिन आज तक यह नहीं किया गया ।

मान्यवर, मद्य निषेध की बात करना चाहता हूं । मान्यवर, 26 जून को मद्य निषेध मनाया जाता है आज समाज में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलायी गयी न गरीबों में बतायी गयी कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और अपराध है ।

मान्यवर, अपराधशील जातियों के बारे में कहना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा में बरवार जाति है उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है लेकिन उनके लिए कोई योजना नहीं रखी गयी है आज यह लोग छोटे-मोटे अपराध करते हैं उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए, पढ़ाई के लिए कोई योजना नहीं रखी गयी है । यह गोण्डा, सुल्तानपुर और हरदोई में हैं । इनका शोषण होता है । इनके लिए विकास की कोई योजना चलायी जाय । राष्ट्रीय रोजगार योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिला है जो प्रभावशाली दबंग लोग हैं उनको इसका लाभ मिलता है । मान्यवर, मातृत्व योजना में उसका पैसा ब्लाक में दे दिया जाता है और एक लिस्ट आ जाती है उसी को मिलता है दलाल वह लिस्ट दे देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपने सारे तथ्य कह दिये हैं अब समाप्त करें आपको अस्पताल भी जाना है । अब आप समाप्त करके अस्पताल जायें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, शहरी क्षेत्र में दुकानें बनाने की बात की जाती है, मैदानी क्षेत्र में 14.000, पर्वतीय क्षेत्र में 22.500 रुपये देते हैं काली मिट्टी वाले क्षेत्र में 16.500 रुपये देते हैं । गांव में जो भी शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए दुकान बनवाकर योजना दें । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

मान्यवर, बजट का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वृद्धों, विधवाओं या अनुसूचित जाति के छात्रों के संबंध में जो नीति और नीयत माननीय मंत्री जी ने दिखायी है वह वास्तव में सराहनीय है । एक साथी अभी नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे जो सरकार पहले आयीं उन्होंने जैसे कृत्य किये वे चीजें उनको याद आ रही थीं इसलिए वैसी बात बोल रहे थे । हम पं० दीन दयाल उपाध्याय जी के अनुयायी हैं इससे संबंधित एक सत्य घटना आपको सुनाना चाहता हूं वे एक बार गांव में गये वहां पर एक विद्यार्थी कार्यकर्ता था उसके यहां पर पहुंचे शाम हो रही थी गांव के आसपास

एक कच्चा कुआं था वह कुआं बिल्कुल जमीन से मिला हुआ था गांव में उसे ढेपुरी कहते हैं, कुआं खत्म हो गया था, गड्ढा बाकी था गहरा था, पंडित जी उधर से आये गड्ढे में गिर गये जो कार्यकर्ता था वह बड़ा दुःखी होने लगा ।

पंडित जी ने कहा घबराने की क्या बात है मैं उचक रहा हूं ऊपर के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं तुम अपने हाथ से मेरे हाथ को ऊंचा उठा लो और बाहर कर दो । ऐसा ही किया गया पंडित जी बाहर आ गये । उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखो हर चीज से शिक्षा लेनी चाहिए, आज वह समय है हमारे यहां निर्बल लोग हैं, कमजोर हैं दलित जिसे कहते हैं आज उनकी स्थिति बड़ी खराब है यह करना है कि उनका विकास करने के लिए थोड़ा ऊपर उठाने की चेष्टा करें जो विकसित लोग हैं वे उन्हें ऊपर उठायें उन्हें गले लगायें तो निश्चित रूप से उनका विकास होगा । यही है उनके अनुयायियों की नीति और नीयत । मैं बताना चाहता हूं कि वह कार्यकर्ता कौन था, वह कार्यकर्ता था, वर्तमान मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी । मित्रों, मैं आरोप के रूप में नहीं कहना चाहता, परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यहां जो मन में है, वही वाणी में है और वही कर्म में है । हां, यह ठीक है कि हमने पिछले जमाने में देखा है वहां पर यही हुआ । करते थे मन में कुछ और वाणी में था कुछ और कर्म में कुछ और । मान्यवर, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, एक श्लोक कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् । इसके आगे नहीं कहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसका हिन्दी रूपान्तर कर दें ।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

जो मन में है, वही वाणी में है और वही कर्म में है, ऐसा जो व्यवहार करते हैं, वह श्रेष्ठ लोग होते हैं परन्तु जिनके मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है और करते कुछ और हैं, ऐसे लोग श्रेष्ठ नहीं होते हैं । चूंकि बहुत समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मौर्य जी आप तो नेता हैं । आप स्व नियंत्रित हैं, स्वचालित हैं । क्या आप भी बोलेंगे । आप अपने वाल्यूम को कम करके बोलें तो वह हमें सुनाई भी देगा और अच्छा भी लगेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं श्री श्रीराम पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय कल्याण मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बड़ी उदारता से, सहिष्णुता से अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति, विकलांग लोगों की दयनीयता को दर्शाया और कहा कि कमजोर तबके के लोगों की यह दयनीय स्थिति क्यों हुई । मान्यवर, मैं तो इस पीढ़ी का भुक्तभोगी हूं । आज ऐसी ही मधुर बात करने वालों के कारण ही यह स्थिति आयी । यदि आपकी नीयत अन्दर और बाहर से एक होती तो हम उसे सराहते । हम उस पीढ़ी से मुक्ति पाने के लिए कल्याणकारी सोच रखते हैं । यह सरकार जो रामराज्य की बात करती है, उसी काल में हमें शिक्षा से दूर रखा गया । शम्बूक का सिर काट दिया गया और एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया । मान्यवर, मनुस्मृति हमने नहीं लिखा था शूद्रंतु कारयेदास्यम् क्रीतयक्रीम वा । दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणतु स्वयं

मुवा ।। इसे मनु ने लिखा था और उसी व्यवस्था के आप पोषक हैं । इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि आप उस वर्ग को क्या सम्मान देते थे पता चलता है । आपकी क्या सोच है 'उच्छिष्टम् अन्नं दातव्यम् जीर्णानि वासनानि च' खाने के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन और रहने के लिए पुआल जमीन । मान्यवर, हमने राम चरित मानस नहीं लिखा है उसमें लिखा है–

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी ।

मान्यवर, यह हमने नहीं लिखा था कि पूजहि विप्र सकल गुण हीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना । मान्यवर, हम तो उस संस्कृति के भुक्त भोगी हैं जिसमें गैर बराबरी का समाज बनाया गया । (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे (व्यवधान)

मान्यवर, मेरे भाषण को माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक सुनें । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े लोगों के हिमायती थे तो सत्ता में बैठते ही अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को निष्प्रभावी करने के लिए अलग से अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी ?

मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में इसके पक्षधर थे तो पिछली सरकारों, माननीया मुख्य मंत्री मायावती के शासनकाल में इसे सम्मान दिलाने के लिए एक व्यवस्था दिलायी गयी थी कि प्रदेश के पच्चीस प्रतिशत पिछड़ी जाति थानों में थानाध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के 20 प्रतिशत और 8 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के थानेदार तैनात करना था लेकिन उसका पालन क्यों नहीं किया गया और आपने उस व्यवस्था को क्यों समाप्त कर दिया ?

(व्यवधान)

मान्यवर, हम धन्यवाद देंगे सत्ता पक्ष में बैठे हुए सम्मानित साथियों को यदि उनको वाकई हमदर्दी है तो कहिये नहीं करके दिखाइये । जो 25, 20 और 8 फीसदी आरक्षण थानेदारों के लिए है उसे सुनिश्चित करें । मान्यवर, जब हमारी बहन मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने मेडिकल में एम० डी०, एम०एस०, एम० डी० इन्टल में यह व्यवस्था की थी कि न्यूनतम 20 प्रतिशत मार्क्स वालों को मेडिकल में प्रवेश मिलेगा । आप इसे क्रियान्वित करें यह हम चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया समाज कल्याण तक ही सीमित रहें ।

श्री ददू प्रसाद–

मान्यवर, समाज कल्याण एक वृहद् विभाग है ।

श्री राम आसरे पासवान–

मान्यवर, जितनी पीड़ा दलितों के प्रति हमारे मन में है उतनी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नहीं होगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, गुलाम की कभी पीड़ा नहीं होती है वह गुलाम ही रहता है ।

श्री राम आसरे पासवान–

मान्यवर, एक सुविधा भोगी और मैं दुःख भोगी तो यह क्या जानेंगे कि दलित की क्या पीड़ा होती है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बैठे दलाल हैं.....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया टीका टिप्पणी न करें।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मौर्य जी ने अभी कहा कि जहां दलालों को (सत्तापक्ष की ओर इशारा करके) तो यह कार्यवाही से शब्द निकाल दिया जाय।

(कई सदस्यों के साथ बोलने से सदन में शोर होता रहा और वक्ता का भाषण नहीं सुनायी पड़ा)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस तरह की टीका टिप्पणी मत करें इससे अनावश्यक रूप से व्यवधान हो रहा है। आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पूरे प्रदेश में 16 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक जिलाधिकारी, एस०पी०, सचिव, प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इस सरकार के समय में कोई भी अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति का अधिकारी उच्च पदों पर नहीं है, लेकिन यह सरकार उनकी दुहाई देती है। सारे महत्वपूर्ण पदों पर से उनको हटा दिया गया है। यही है इनकी भावना। मैं चाहता हूं कि...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य व्यवधान न डालें। समय अधिक हो रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

(बजट भाषण की दोनों प्रतियों को दिखाते हुए) इनमें समाज कल्याण के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। जो इनमें समाज कल्याण विभाग के प्रति लगाव को दर्शाता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें। आप केवल पीठ को सम्बोधित करें।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मौर्य जी ने जो बात कही है, बजट भाषण के दो भाग हैं, लेकिन इनमें किसी में भी समाज कल्याण की एक भी हेडिंग नहीं है। इसीलिए उन्होंने उनको दिखाया है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

बजट भाषण हिन्दी में है । उसमें हर विभाग की जानकारी दी गयी है । उसमें हर विभाग का नाम देना सम्भव नहीं है, यह तो निराशाजनक बात है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपसे बहुत लगाव है...इसी परिपेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाइये । इन वर्गों के लिए आई०ए०एस० और पी०सी०एस० की परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है और उस अवधि में उनके रहने के लिए जो छात्रावास भागीदारी भवन बनाया गया है उसको भी ये सरकार बन्द करने जा रही है । वहां मिलने वाली सुविधा को खत्म कर दिया गया और छात्रावास भी बन्द होने जा रहा है । मैं चाहता हूं कि इसे यथावत जारी रखा जाय । यहां पर जो स्वच्छकारों के लिए ज्योतिबा फूले आश्रम पद्धति विद्यालय हैं उसे यथावत जारी रखा जाय जैसे पिछली सरकार ने चलाया है उसी तरह से चलें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको लालबत्ती नहीं दिखाना चाहता हूं आपका आदर करता हूं । इसलिए आप हमारे साथ सहयोग करें । अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जगह-जगह पर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का हड़प करने के लिए गैंग बना हुआ है, फर्जी नाम दिखाकर लूटा जा रहा है इस पर अंकुश लगायें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे वास्तव में इन्हीं वर्गों के छात्रों को यह पैसा मिल सके । अधिकारी लोग समय-समय पर कागजों में हेरा-फेरी करके सरकार द्वारा प्रेषित धन को खा जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें । प्रदेश का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है उन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं । वह इस देश और प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी हैं, उनकी भी भागीदारी है इसलिए जो उनका हिस्सा है वह उन्हें मिलना चाहिए ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1995 के पहले भारत सरकार ने एक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और यह कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए उनकी आबादी के हिसाब से योजना बनायी जाय उसमें जो भी धन आवंटित हुआ था वह खर्च नहीं किया गया था यह सब 1995 की अवधि के पहले स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पूरा बजट जो 21 प्रतिशत था उनकी बेहतरी के लिए दिया जाता था वह खर्च नहीं हुआ लेकिन पिछले वर्ष 1996-97, 1997-98 में 22.4 प्रतिशत यानि उसका 100 प्रतिशत उपयोग हुआ । यह सरकार संवेदनहीन सरकार है । अभी 12 जनवरी को एक छोटे से दो लाइन के आदेश से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए चलायी जा रही थी उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया है । अगर यह सरकार संवेदनशील है तो उस आदेश को पुनः लागू करे । हमारे सम्मानित शाही जी उधर बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी उधर बैठे हुए हैं मनुस्मृति में लिखा है :–

पंचवर्षम् तु ब्राह्मणं, शतवर्षम् तु क्षत्रियाः पिता पित्रो विजानियाद ब्राह्मणस्य तयोपिता ।

तो शाही जी आप ध्यान दें। उसमें कहा गया है कि 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का बाप होता है। अगर आप अहसास कर जायं तो वहां से उठकर इधर आ जायं। इसके साथ ही मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण पढ़ा नहीं है बजट भाषण के भाग–1 उसके पृष्ठ 47 पर स्पष्ट है। यह बजट उत्तर प्रदेश के दलित शोषित समाज के हित में हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए जो 50 प्रतिशत की घोषणा की गयी है वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पारस्परिक कार्यों से लगे व्यक्तियों के लिए विकास परिषद् गठन में पहले कभी नहीं की गयी है। इसी तरह से महिला उत्थान के लिए जिस निधि की स्थापना की गयी है वह भी आज तक कभी नहीं की गयी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दलितों की दुहाई देने वाली तत्कालीन मुख्य मंत्री मायावती जी ने अनुसूचित जाति के लिए जिन सुविधाओं को बन्द कर दिया था और जो अधिकारों पर कटौती की गयी थी उसको हमारी सरकार ने पुनः बहाल किया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री अजय कुमार पोइया–

कृपया अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को दण्डात्मक कार्यवाही करने के अधिकार को बहाल करें। समाज कल्याण हास्टल को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कब्जे से लेकर छात्रों को देने का कष्ट करें। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

समाज कल्याण, राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो पहले बोल रहे थे उन्होंने "राम चरित मानस" की कुछ चौपाइयों के लिए विवादित भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए उन चौपाइयों का जवाब इन्हें देना अनिवार्य हो गया है। उन्हें इसका अर्थ सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्रीराम पाल जी आप उत्तर भाषण कहें। यह समय आपका है। इसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे और वह अन्तिम उत्तर होगा। फिर इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो आरक्षित पद इनके विभागों में पड़े हैं, एक अभियान चलाकर उनको भर लें। नियक्ति में जो रोस्टर प्रणाली शुरू से लागू थी उसके अनुसार नियुक्ति कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस सदन में कुछ नियम, निर्देश और परम्परायें रही हैं। जब उत्तर भाषण होता है तो माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है उसके बारे में कुछ कहना हो तो कहना होता है अगर मामला फ्री रहेगा तो इस सदन में और बाहर में क्या अन्तर रह जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने उचित ध्यान आकृष्ट किया है जब कटौती का प्रस्ताव रखते हैं और कुछ माननीय सदस्य उसमें अपने सुझाव देते हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए और एक आध बात जो रह गयी हों, उनको कहना चाहिए। आपने तो लगता है कि फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया है।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, पिछड़ी जाति के छात्रों को कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य छात्रवृत्ति करें तो इस देश का बहुत भला होगा। दूसरा एक सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग और समाज कल्याण के बीच में छात्रवृत्ति के बारे में को-आरडिनेशन नहीं है। अध्यापक गलत प्रमाणित करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। छात्रों की संख्या 50 होती है तो 100 फर्जी प्रमाणित करके छात्रवृत्ति 150 की जाती है। समाज कल्याण और शिक्षा विभाग के बीच में को-आरडीनेशन करने के लिए व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता–

बस सदस्यगण के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर दें। जो बातें जरूरी हों उनको कहें।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो बहुत जरूरी है सेना से सेवानिवृत्त होकर अल्पायु में जो सैनिक आते हैं उनकी रोजी-रोटी के लिए व्यवस्था की जाय। आज फैक्ट्री और इण्डस्ट्री में रक्षकों की जगह निकलती हैं अगर वे सेवानिवृत्त सैनिक चाहें तो उन्हें शस्त्र लाइसेन्स जारी करने के लिए शासनादेश जारी कर दें। अधिकांश अध्यापक सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनकी जगह शीघ्र नये शिक्षक नियुक्त किये जायं। अनुसूचित जाति के जो विद्यालय अनुदानित हैं उनके जो अध्यापक सेवानिवृत्त होते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी अपना उत्तर भाषण प्रस्तुत करें।

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

माननीय सदस्यों ने इस बजट पर जो अपने विचार प्रस्तुत किये उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं मैं उनमें से नहीं हूं कि जो कह कर न करें। मैं जो कहता हूं वही करता हूं। जो कक्षा एक से आठ तक पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति का मामला है इस संबंध में यह व्यवस्था की जा रही है कि जितने बच्चे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के बीच सामन्जस्य के संबंध में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जा चुकी है। मा० श्रीराम पाल जी ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं उन पर विचार किया

जायेगा जहां तक शस्त्र लाइसेंस देने की बात है वह भी हमारे संज्ञान में है । सेवा में लोगों को लेने की बात है जुलाई मास में विज्ञापन प्रकाशित होंगे भू० पू० सैनिकों जैसा कि जे० पी० सिंह जी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की पेंशन बढ़ायी जाय, तो 250 रुपये पेंशन की जगह 500 रुपये पेंशन करने का विषय विचाराधीन है । पूर्व सैनिक गाड़ी की संख्या जो 6,544 थी उसको 7,000 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया है । भू० पू० सैनिकों के बीमे के अन्तर्गत आर्मी ग्रुप इन्श्योरेन्स के अलावा निगम कर्मचारियों की राशि बढ़ा दी गयी है । समाज कल्याण विभाग में वर्तमान में चार विभाग तथा पांच निगम हैं । इन सब के बीच के लिए प्रदेश तथा जिला स्तर पर समन्वय समिति बनाने की योजना है जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी संयुक्त रूप से समस्याओं पर विचार करेंगे । जीपों की कमी की बात कही गयी । सभी विभागों में जीपों का घोर अभाव पूर्व से चला आ रहा है इनकी उपलब्धता के लिए प्रयत्नशील हूं । किसी जिले में आडीटर नहीं हैं, बड़ी संख्या में जिला स्तर पर स्थान खाली थे लेकिन लोक सेवा आयोग की राह देखने की जगह हमने निर्णय लिया कि सेवा स्थानान्तरण से प्रतिनियुक्ति पर लायेंगे । इस व्यवस्था पर काम हो रहा है अब जो पद शेष रिक्त पड़े हैं उन पर भी शीघ्र ही प्रतिनियुक्तियों द्वारा नियुक्ति हो जायेगी । समाज कल्याण निर्माण विभाग ने विगत वर्ष 97-98 में 55.45 करोड़ रुपया का कार्य कराया जबकि वर्ष 98-99 में 80 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों को कराने का लक्ष्य रखा गया है । इसी तरह से पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की बात कही है, यह सही है कि निगम की रिकवरी 2 प्रतिशत थी, सेन्टर कहता था कि जब तक 50 प्रतिशत की रिकवरी नहीं होगी एक पाई भी नहीं दूंगा । निगम तथा समाज कल्याण के विभाग के अनेक अधिकारियों के संयुक्त प्रयत्न से पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की वसूली जब 35 प्रतिशत तक पहुंचा दी गयी तो मैं दिल्ली गया वहां समाज कल्याण केन्द्रीय राज्य मंत्री से बात किया तो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय कल्याण निगम में 8 करोड़ रुपया दिया है । अभी श्री अम्बिका चौधरी जी ने बलिया की बात उठायी । मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इससे हमें अवगत कराया । हमने काफी दिन पहले ही सारी शिकायतों की जांच उनके खिलाफ बैठा दी और समाज कल्याण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह जांच करके ट्रान्सफर कर देने का मामला नहीं है । कम से कम 5 करोड़ रुपये से अधिक का गोलमाल का मामला है, जितने संबंधित लोग हैं जिन्होंने उस पैसे को मिल बांटकर खाया है ऐसे लोगों की विशेष जांच भेज दें ताकि उन पर कार्यवाही की जा सके ताकि एक सबक हो ।

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं जो भी इस परिधि में आयेंगे उसमें कोई नहीं बचेगा। इसी तरह से सैनिक कल्याण में जीपों की बात आयी । 250 रुपये पेंशन को 500 रुपया करने की बात आयी । आश्रम पद्धति में जितने विद्यालय हैं उसमें 240 रुपये से 320 रुपये महीने मिलता था उसको हमने बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया है और आश्रम पद्धति विद्यालय में जहां 200 रुपया मिलता था उसको हमने 500 रुपया कर दिया है । इन विद्यालयों के रसोइयों को मात्र 750 रुपया प्रतिमाह मिलता था हमने निर्णय लिया है कि इन रसोइयों को 47 रुपया प्रतिदिन वाला जो वेतनमान है उस तक लायेंगे । एक सूची आपके समय में विद्यालयों को अनुदान देने के लिए गयी थी वह सूची निरस्त हो गयी थी । कारण यह था कि उसमें संचालन वर्ष 10 वर्ष रखा गया है । इसमें होता यह था कि हेराफेरी करके 10 वर्ष दिखा दिया करते थे, जब इसकी जांच पड़ताल करायी गयी तो बहुत कमियां आयीं । अब हमने यह कर दिया है कि 10 वर्ष का मान्यता प्राप्त अर्थात् 31 मार्च, 1988 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय होंगे ।

एक दूसंरी बात आयी शाहू जी महाराज जिले के प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे में । इस बजट में उसको बन्द करने की कोई बात नहीं है, 33.33 लाख रुपये इस बार भी इसको चलाने के लिए स्वीकार किया गया है । इसमें प्रशिक्षण हेतु 15-7-98 तक प्रार्थना-पत्र मांग लिए गये हैं और अगस्त, 98 से प्रशिक्षण कार्य वहां चालू कर दिया जायेगा । इसी तरह से एक बात और कही गयी आगरा और अलीगढ़ में आई०ए०एस० और पी०सी०एस० ट्रेनिंग सेन्टर के बारे में तो इसमें 4 करोड़ 30 लाख रुपये की धनराशि 31-3-98 को स्वीकृत हुई है अतः यह कहना ठीक नहीं है कि पैसा स्वीकृत नहीं किया गया है । इसी तरह से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की बात कही गयी मैंने स्वयं इस बात को गहराई से देखा समझा है जहां तक 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति का और प्वाइन्ट आधा प्रतिशत जनजाति को लेने का विषय है इसकी मात्राकरण करने का काम नियोजन विभाग द्वारा उसी प्रकार हो रहा है जैसा कि पहले होता था । इसके अलावा जो माननीय विधायक मेंहदावल ने उठाया था ।

मुख्यालय के एक उप निदेशक के माध्यम से इसकी जांच हो रही है और इसमें जो भी कार्यवाही होगी वह की जायेगी । जो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है इसमें वसूली का प्रश्न आया तो इसके लिए विचार हुआ, इसके लिए सीजनल संग्रह अमीन रख दिये जायं क्योंकि वसूली नहीं हो पा रही थी लेकिन अब एक ऐतिहासिक काम हुआ है कि 18 करोड़ की वसूली हो चुकी है इसी तरह से सभी निगम ठीक चल रहे हैं । एक तराई निगम को इन लोगों ने बैठा दिया था लेकिन उसके कर्मचारियों को हम घर नहीं लौटने दे रहे हैं उनको समाज कल्याण निदेशालय और निगम में हम पूरी तौर से समायोजित करने में लगे हुए हैं । मान्यवर, यह जनसेवी निगम है । इन कमजोर वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी जीवन प्रदान करने की दिशा में काम भी हो रहा है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव रखने वाले मा० विधायकों से कहना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर इस समय शासन ने मुझे बैठाया है उसी पर यह सुशोभित रह चुके हैं, मैं उनके सुझावों और विचारों को ध्यान में रखकर जो कुछ करना आवश्यक होगा, वह पूरा करेंगे और आगे आशा रखेंगे कि आप अपने अनुभवों का लाभ देते रहेंगे । कटौती का प्रस्ताव रखने वाले मा० श्रीराम पाल जी ने बजट की आलोचना और निन्दा नहीं की है उनकी ओर से सुझाव ही रहा है । मैं चाहूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर इस बजट को सर्वसम्मति से पास कराने में मदद करें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं एक शंका का निवारण करना चाह रहा हूं । विद्यालय को अनुदान सूची पर लेने की बात थी । मान्यवर, ऐसे विद्यालय भी जानकारी में थे जिनका संचालन वर्ष 1955 था लेकिन उस संस्था का पंजीयन सन् 1975 था । उसमें यह था कि रजिस्ट्रेशन पर कर लें तो जब संस्था ही पंजीकृत नहीं थी तो संचालन वर्ष तो रजिस्टर बनाकर उसको 20 साल पूर्व भी दिखा सकते हैं तो पंजीयन वर्ष को ही संचालन वर्ष मानकर चलें । मान्यवर, आपके करने और कहने में भिन्नता है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनके कटौती के प्रस्ताव को बल देने के लिए आप विपक्ष के माननीय सदस्यों की संख्या को देख लीजिये । अनुसूचित जाति, जनजाति,

समाज कल्याण विभाग तथा आगे महिला कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक विभाग का बजट है । विपक्ष की संख्या को देखते हुए कटौती के प्रस्तावक माननीय सदस्य को हतोत्साहित होकर अपने प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले माननीय सदस्य के साथियों ने उनके प्रस्ताव के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–सामाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,45,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–सामाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,52,96,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–सामाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,00,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,20,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आज शुक्रवार है । माननीय सदस्यगण को जाना भी है । 9.00 बज गये हैं । कई लोगों की ट्रेनें अभी जानी हैं । माननीय विपक्ष के नेता भी सहमत हैं और भार-साधक मंत्री भी सहमत हैं इसलिए मद संख्या 15(5) और 15(6) पर बिना विवाद के मतदान करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, यदि सदन सहमत है तो करा लें ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,84,98,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,84,98,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा, उसको मैं स्वीकार करता हूं । उन्होंने जो बात कही उसका आशय मैंने यह समझा कि आपकी सहमति से जो मदें बची हैं उनको किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित करने की बात होगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बिल्कुल उचित बात कही, मेरे समझने में कुछ फर्क हुआ । महिला एवं बाल कल्याण विभाग पर तो विवाद की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मान्यवर, जो अगली मद है मुस्लिम वक्फ विभाग से संबंधित, इस पर चर्चा करा लें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने 9.00 बजे रात्रि में एक महिला को अग्नि परीक्षा से बचा लिया । इस समय बजट का प्रस्तुतिकरण अग्नि परीक्षा से कम नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान

अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,56,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । मान्यवर, आज जितने अनुदान प्रस्तुत किये गये थे वह समाज के उस वर्ग से संबंधित थे जो किसी न किसी रूप में कमजोर हैं चाहे वह महिला के बारे में ही प्रस्तुत किया गया हो । उनकी भी समाज में विशेष परिस्थिति है, विभिन्न सरकारों ने उन्हें समझा इसलिए कि इन्हें सुविधायें मिलनी चाहिए तो ऐसे अनुदान समाज के उसी वर्ग के बारे में थे जो कमजोर थे ।

मान्यवर, सौभाग्य की बात है कि अल्पसंख्यक के बारे में धारणा बनी, जो उनकी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसी स्थिति बन गयी कि उनके लिए भी विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी । उस संबंध में जो इस सरकार ने किया है उसके बारे में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं । मान्यवर, अभी तक अल्पसंख्यकों के अपने मदरसे चलते हैं जिनमें मजहबी शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी । लेकिन मजहबी शिक्षा के साथ ही साथ कम्प्यूटर और विज्ञान को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अरबी, फारसी मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है । और इन मदरसों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अनुदान की योजना का उल्लेख और प्राविधान किया गया है । बजट में पेंशन अनुदान, छात्रवृत्ति अनुदान, बोर्ड परीक्षा हेतु अनुदान, वक्फ बोर्ड की सहायता के लिए अनुदान तथा इसी प्रकार अल्पसंख्यकों से जुड़े जितने कर्मचारी हैं उनके लिए प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, इसी प्रकार हज समिति का गठन किया गया है और इसके अधिष्ठान के लिए अनुदान की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे बहादुर सैनिक चाहे वह बहुसंख्यक के रूप में हों अथवा अल्पसंख्यक के हों वे हमारे लिए उतने ही सम्मानजनक हैं जितना सम्मानजनक वर्ग बहुसंख्यक अपने को मानता है । अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इस देश की धरती पर जन्म लिये हैं, कुर्बानियां दिये हैं और उन्हें संस्थानों में काम करते हुए देखा है जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की कोई बात नहीं है और वे सैनिक हैं जो देश की रक्षा के लिए अपना योगदान देते हैं । हां, कुछ ऐसे समाज में तत्व आये जिन्होंने हमें बांटने का प्रयास किया । अल्पसंख्यकों को उन्होंने वोट में परिवर्तित करने का प्रयास किया और फलस्वरूप अल्पसंख्यकों के लिए भी चिन्तन शुरू हो गया कि वह अलग हैं । किसी ने कहा अल्पसंख्यकों की अलग फोर्स बना दें, किसी ने कहा अलग पुलिस बना दें लेकिन हमारा मानना है कि क्यों अलग बना दें ? क्यों न हम मिलकर एकता का परिचय दें । हमने भारत में जन्म लिया है तो हम सब भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे और हम सभी भारत माता के सपूत हैं ।

मान्यवर, अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी दी । मुझे तो सौभाग्य मिला है, मेजर बाबा जो केरल के रहने वाले थे उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी सहादत दी थी । उन्होंने कभी भी यह

अहसास नहीं होने दिया कि वे अलग हैं। यह तो सिर्फ राजनीति में प्रयास किये जाते रहे हैं। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो आज इस बात की आवश्यकता न होती। हम तो सन्तुष्ट करने में लगे हैं। हमने राष्ट्रप्रति मुसलमान को बना दिया तो हमने यह समझ लिया कि हमने मुसलमान का सम्मान कर दिया, सेना का सेनापति मुसलमान हो गया तो उसका सम्मान हो गया। मान्यवर, हमने कभी यह नहीं सोचा कि शैक्षणिक क्षेत्र में मुसलमान पीछे हैं, उसको रोजी रोटी चाहिए, शिक्षा का होना उसके लिए अनिवार्यता है। अगर यह व्यवस्था की होती तो आज शायद इस अनुदान को लाने की आवश्यकता न पड़ती, वक्फ बोर्ड बनाने की आवश्यकता न पड़ती।

हम तो सिर्फ सन्तुष्ट करने में लगे रहे और उनको एक वोट बैंक के रूप में कैश करते रहे। मान्यवर, आज गलियों में रहने वाला मुसलमान, अल्पसंख्यक यह कहता है कि हमें आरक्षण दीजिये तो यही लोग जो पहले धक्का देकर मुसलमानों को पिछाड़ने का काम कराते थे वह आज यह कहते हैं कि इन्हें आरक्षण दिया जाय और उसे वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मान्यवर, इनकी शिक्षा की व्यवस्था हो और यह शिक्षित होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके इसके लिए हमने प्रयास किया है। मान्यवर, कुछ सामाजिक कुरीतियां भी थीं उनका भी योगदान इसमें रहा। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो हमें यह कहते हुये गर्व हो रहा है, आज इनकी बेटियां आगे बढ़ गयी हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, डाक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। हमारा आपका यह प्रयास होना चाहिए कि बजाय इसके कि अलग होकर चलें हम इकट्ठे होकर चलें और यह सिद्ध कर दें कि हम अलग नहीं हैं एक हैं। मान्यवर, आज एटोमिक विस्फोट होता है तो कौन उसका इंचार्ज है, वह अल्पसंख्यक वर्ग से आता है और हमें इस बात का गर्व भी महसूस होता है। मान्यवर, इस भावना को लेकर हम आगे बढ़ें कि वह दिन दूर नहीं जब आने वाले दिनों में यह दिखा दें कि हमें इस अनुदान की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़े लुभावने और बड़े ही अच्छे भाव के साथ मुस्लिम भाइयों के प्रति चिन्ता व्यक्त की। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो हमारे कातिल थे वहीं मसीहा बनकर बात कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य उठकर एक साथ बोलने लगे)

युवा कल्याण, राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, यह आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अगर कोई गलत आक्षेप होगा तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले, सुप्रीम कोर्ट में गलत शपथ-पत्र देने वाले और इस

संबंध में एक दिन सजा काटने वाले आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर कोई नयी बात कही जाये या कोई नया आरोप लगाया जाये तो आक्षेप की श्रेणी में आयेगा, अगर गुजरी हुई सिद्ध चीज को अगर संसदीय भाषा में कहा जाये, तो शोर में मुसलमानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, शोर में उनकी आवाज को नहीं उठाने देना चाहते हैं, तो यही उनकी अपील है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेजर साहब आप शान्ति बनाये रखें । अपने स्थान पर आप बैठें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर माननीय वकार अहमद शाह बोल रहे हैं. उनको कटौती का प्रस्ताव रखने दिया जाये और अगर कोई आक्षेपात्मक बात होती है, तो आपका विवेक है, उसको निकलवा सकते हैं, लेकिन शोर में आवाज दबाई नहीं जा सकती है, यह समाजवादी पार्टी के रहते नहीं हो सकता है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मुझे इस बात की आशा नहीं थी । दिक्कत यह रही है कि यहां देश को बनाने का काम किया जाता है । मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए हैं और जिन्ना हुए हैं । एक ही व्यक्ति के कारण देश का खण्डन हुआ, अगर कातिल कहकर इस देश को तोड़ने की कोशिश की जायेगी, तो यह नहीं हो सकता है, दूसरा जिन्ना बरदाश्त नहीं होगा ।

डा० वकार अहमद शाह–

आप हमारी बात को गलत भावना से ले रहे हैं, मेरा कोई भड़काऊ भाषण नहीं था । बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद मुसलमानों के मन में शंका पैदा हो गयी है । उनको लिए चाहे जो योजनायें बनी हों, उनका विश्वास कम हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बजट पर बोलें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

वह कटौती रख रहे हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो वह रुकने वाला नहीं है, आप बोलने से नहीं रोकेंगे ।

डा० वकार अहमद शाह–

1995 में डेढ़ लाख मुस्लिम वक्फ की जायदाद चिन्हित की गयी है । असलियत यह है कि 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम वक्फ उ० प्र० में मौजूद हैं लेकिन विडम्बना यह है कि उस लाखों-करोड़ों, अरबों रुपयों की जायदाद जो मुस्लिम वक्फ की है इस पर नाजायज तरीके से लोग काबिज हैं । लेकिन दुःख के

साथ कहना पड़ता है कि सुन्नी वक्फ की इस सम्पत्ति पर कुछ सफेदपोशों ने कब्जा कर रखा है और खरबों की सम्पत्ति नाजायज तरीके से खत्म कर दी गयी है, उसकी चोरी कर ली गयी है। आप विश्वास करिये अगर इन सम्पत्तियों का ठीक से इन्तजाम हो जाय तो मुसलमानों को सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। इनसे बच्चों के लिए आज सैकड़ों स्कूल चल रहे होते।

मान्यवर, कर्नाटक में केवल 17 हजार वक्फ की जायदाद हैं वहां इन मुस्लिम वक्फ की आमदनी से डिग्री कालेज, इजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, डेण्टल कालेज चल रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है इतनी बड़ी सम्पत्ति के होते हुए एक भी मेडिकल कालेज यहां वक्फ वाले स्थापित नहीं कर पाये हैं, एक भी इंजीनियरिंग कालेज स्थापित नहीं कर पाये हैं। अगर इन सम्पत्तियों का ठीक से इन्तजाम किया जाय तो हमें सरकार का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अच्छी बात कही है मैं विश्वास दिलाता हूं अपने प्रदेश में अगर वक्फ की जायदाद को नाजायज कब्जे से छुड़ा कर दे दी जाय और वक्फ के सुपुर्द कर जाय तो इससे ही यहां डिग्री कालेज, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज चल सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां 20 परसेंट मुसलमानों की आबादी है वहां पर एक डिग्री कालेज हो और लड़के-लड़कियों के लिए मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज खोले जायं। 1995 में जब यहां पर मा० मुलायम सिंह की हुकूमत थी उस समय 15 हजार लोगों को नौकरी में लगाया था वह चाहे उर्दू अनुवादक के रूप में हो या उर्दू टीचर के रूप में हो और पुलिस तथा पी०ए०सी० में भी मुसलमान लिए गये थे। आप जिस टर्म लोन योजना की बात कर रहे हैं वह योजना डेढ़ साल से बन्द पड़ी है। जो बैंकों से ऋण दिलाने की बात है उसमें भी मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यवसाय के लिए लोन एप्लाई करता है तो उसमें से उसे 15–20 हजार घूस देनी पड़ती है नतीजा यह होता है कि बाकी बचा हुआ पैसा भी वह खर्च कर डालता है। जब बाद में रेवेन्यू विभाग से वसूली के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले उसे बन्द कर दें तब उसे मालूम होता है।

आप अपने रेवेन्यू विभाग और पुलिस विभाग को निर्देशित कर दें कि वक्फ की जितनी जायदाद हैं उन पर जो नाजायज कब्जे हैं। उनको हटाकर मुसलमानों को वापस कर दी जायं कलियर शरीफ में एक बहुत बड़ा घपला हुआ है जिसमें वक्फ और मंत्री के आदमियों द्वारा प्रापर्टी की चोरी का मामला पकड़ा गया है वहां कई लाख रुपयों को निकाल कर खा गये हैं उसकी शिकायत भारत के प्रधान मंत्री को की लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि उसमें कोई कार्यवाही होगी इसी तरह फतेहपुर में सूफी चिश्ती की दरगाह में जब लोक सभा के इलेक्शन हो रहे थे तो कुछ राष्ट्रीय स्वयं सेवक के धार्मिकता के जूता लेकर चिश्ती की दरगाह में घुस आये यह बात भी प्रधान मंत्री के संज्ञान में है अभी मैंने प्रश्न भी किया था हर जाति के गरीब लड़कियों की शादी में मदद के लिए पैसा दिया जाता है लेकिन मुसलमान की लड़कियों की शादी में कोई मदद नहीं मिलती है मैं कहना चाहता हूं क्या मुसलमान गरीब नहीं होते हैं। क्या मुसलमान औरतें गरीब नहीं होती हैं। क्या उनकी शादी के लिए कुछ पैसा दे सकते हैं तो उसका जवाब मिला प्रश्न नहीं उठता। आप वक्फ की जायदाद का इन्तजाम सही कर दीजिये मुसलमान आपसे कोई पैसा नहीं मांगता है। हम 10–15 हजार बच्चों की शादी करवा सकते हैं लेकिन इन जायदादों को नाजायज कब्जों से छुड़ा दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वक्फ आफिस जाकर देखें वह भटियारखाना जैसा लगता है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी तबाही में हमारी मौजूदा मंत्री जी का बड़ा हाथ है। मान्यवर, बहराइच में जनाब सैय्यद सालार मसऊद गाजी की मजार है वहां पर बहुत बड़ा मेला अधिक दिनों तक चलता है और इस बार आमदनी 3 लाख कम हो गयी। आपने वहां अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भेजा लेकिन उसके बाद दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर भेजा, हाई कोर्ट में रिट भी हुई 3 मेम्बरों का पैनल बना दिया आदेश हुआ कि हर एक महीने बाद मीटिंग करिये। यदि मीटिंग

वहीं होती तो इसका नतीजा यह हुआ कि टेलीफोन और टी०ए० डी०ए० के खर्च का बिल 2 लाख रुपये आया ।

वहां पर मसूदिया गर्ल्स कालेज है । 1995 में मा० मुलायम सिंह ने हाई स्कूल तक करने की घोषणा की गयी थी लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली है । दूसरे स्कूल वजीरगंज में है उसकी छत गिर गयी है। इसी तरह से दरगाह शरीफ के पास मौलाना आजाद इण्टर कालेज हैं उसको पहले 5 हजार रुपया मिलता था उसको बन्द कर दिया गया है । हाई कोर्ट और बहराइच के मुशायरे में 5 हजार रुपया दिया जाता है लेकिन स्कूल की छत बनवाने के लिए पैसा नहीं है इससे ज्यादा खराब स्थिति क्या होगी ? मान्यवर, माइनारिटीज डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 1989 में कुछ दुकानें बनवायीं थीं लेकिन वह प्रोग्राम ठप्प हो गया है । दुकानें किसको दी गयीं यह पता नहीं है । बजट देने की लम्बी-चौड़ी बात का कोई मतलब नहीं है । मुसलमानों का विश्वास आपसे खत्म हो गया है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे । आज हालत यह हो गयी है कि सारे जिलों से मुसलमान अधिकारियों को हटा दिया गया है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मुझे एक मिनट का समय दे दें । मान्यवर, माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कुछ इस तरह का सुझाव दे रहे हैं कि हम लोग यदि मुसलमानों का विश्वास चाहते हैं तो ऐसा-ऐसा कर दें । इससे ऐसा लगता है कि मा० सदस्य अपने दल से सम्बद्ध मुसलमानों को हमारे दल में भेजकर हमारे दल की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठिये । इसमें कुछ आपत्तिजनक बात भी नहीं है ।

(व्यवधान)

डा० वकार अहमद शाह–

मैंने इसमें कोई एक भी लब्ज गलत नहीं कहा है । भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुसलमानों का जो विश्वास हट गया है उसको बदलने के लिए समय लगेगा । जब तक आप अपने कार्य कलापों से, नीयत से इस बात को साफ नहीं कर देंगे तब तक कोई मुसलमान आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है ।

(व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

अल्पसंख्यकों का इस सरकार पर पूरा विश्वास है । अल्पसंख्यक समझ रहे हैं कि मा० कल्याण सिंह सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० वकार साहब अब समाप्त करें ।

डा० वकार अहमद शाह–

मैं बहुत संक्षिप्त करते हुये अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और एक शेर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय कल्याण सिंह जी को सुनाना चाहता हूं ।

गुल फेंकें हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी,

ऐ खानाबरअंदाज शमन कुछ तो उधर भी ।

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (श्री राजा गजनफर अली खां)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि कलियर शरीफ के बारे में कहा गया कि हमने यहां पर गुल्लक तुड़वाये। यह आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। मैं वहां देखने गया था वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि गुल्लक में पैसे बहुत खाये जा रहे हैं आप इसमें ताला डलवा दें। मान्यवर, मैंने उसमें ताला डलवा दिया और बाद में मैं चला आया। बहुत दिनों तक मैंने उसकी खबर नहीं ली। इसके बाद मेरे पास तार आये कि गुल्लक खुलवा दीजिये कुछ काम करवाना है उसके लिये पैसों की आवश्यकता है। मान्यवर, मैंने कुछ लोगों को भेजा और यहां से फैक्स भी किया कि एस०डी०एम० और डी०एम० कोई वहां पर मौजूद हो जायं और वहां के लोगों को इक्ट्ठा करके ताला खोल दिया जाय। मान्यवर, यहां से मैंने अपने पी०आर०ओ० को भी भेजा और कुछ आदमी भेजे जब एस०डी०एम० नहीं मिले तो उन्होंने वहां के ही लोगों को इक्ट्ठा करके गुल्लक खुलवाई और पैसों की गिनती करवाई। तब तक लकड़ी वाले, पानी वाले जो भी लोग थे उनकी मौजूदगी में गुल्लक खुलवाई गई। कुछ गुल्लक खुली और कुछ नहीं खुली। एस०डी०एम० साहब को खबर पहुंच गयी और उसको सील कर दिया गया। मान्यवर, इतनी बात हुई थी जिसकी वह फर्जी खबर अखबार को दिखा रहे हैं और मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने पैसे लिये। जिनके सामने मैंने ताला लगवाया था यह आज भी वहीं पर हैं। वहां पर पूरी तरह से माफिया लोगों का कब्जा है।

बी०जे०पी० का वहां कोई वास्ता नहीं है स०पा० और ब०स०पा० के लोग हैं। वहां पर एक कमेटी बना दी है जिसके अध्यक्ष डी०एम० हैं और डी०एम० को अख्तियार दिया गया है कि अपने यहां कलियर शरीफ का मेला लगवायें। इस बी०जे०पी० सरकार ने इस जगह मुसलमानों के हकूकों को दिलाने का काम किया है। यहां पर मुसलमानों की पूरी सहूलियत दी जा रही है। वहां पर कलियर शरीफ में डी०एम० के अन्डर में कमेटी बनाई गई है। जिससे वहां का सही इन्तजाम हो सके और कोई शिकायत का मौका न रहे। आप खुद जाकर देख लें। वहां पर किस तरह से बैंक में रुपया रख दिया गया है। हमने 112 करोड़ रुपये का इन्तजाम किया है। जो मुसलमान आते हैं कोई भी असंतुष्ट नहीं जा रहा है। हमारे यहां नगीने से सपा से हमने सीट छीन ली है और भाजपा को वहां के मुसलमानों ने वोट दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान भाजपा में नहीं आ रहे हैं।

मेजर जगत पाल सिंह–

मान्यवर, इस बजट पर मुझे भी बोलने का अवसर प्रदान किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले के बजट पर बोल चुके हैं इसलिए मैं नये माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा।

* श्री बाबू खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने कोई भी मस्जिद कोई भी मजार का उल्लेख नहीं किया। वाद-विवाद में वक्फ बोर्ड की बात उठी। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई आज की बात नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से और विभागों के जब बजट प्रस्तुत हुए और उन पर चर्चा हुई व सुझाव आये उसी तरह से यह विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मुसलमानों के लिए यह विभाग बनाया गया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बड़ी ही सद्भावना और मेल जोल की भाषा में यह कहा है कि मुसलमानों के हितों के लिए वोट की जरूरत नहीं है। 1936 में इसकी प्रतिस्थापना हुई और 1942 में एक्ट लागू हुआ है, इसमें क्या-क्या उल्लेख होना चाहिए, क्या-क्या सुविधायें मुस्लिमों को दी गयी हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बोर्ड के अन्दर तमाम ऐसी मदें हैं जिनसे बहुत सी आमदनी होने का जरिया है, बहुत सी प्रापर्टी इस बोर्ड में पड़ी है जिनका रजिस्ट्रेशन होने को पड़ा है और जो रजिस्टर्ड प्रापर्टी है उनके मुतवल्लियान मालिक बने बैठे हैं, तमाम मुतवल्लियों की मृत्यु हो गयी है, उनके पोते-परपोते उसके मालिक बन गये हैं और जायदाद को खाते चले आ रहे हैं। इस बोर्ड की तरफ से माननीय मंत्री जी द्वारा कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया है।

मुस्लिम वक्फ बोर्ड इतनी पुरानी संस्था होते हुए भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने केवल मदरसों का हल्का-फुल्का उल्लेख कर दिया है लेकिन उसका पूरा विवरण पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, इस बात का मुझे खेद है। बहुत सी ईदगाह और मस्जिदें पुरातत्व विभाग से वंचित रह गयी हैं और इस विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास तमाम प्रापर्टी हैं, तमाम जमीनें हैं उसकी उपज मुतवल्ली खा रहे हैं, विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे खेद है कि जैसे हज समिति का उल्लेख किया गया है, उसमें कहा गया है कि हज यात्रा की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। हज यात्रा की व्यवस्था से केवल काम नहीं चलता है।

हज करने तो हाजी लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश से पिछले वर्ष जो हाजी गये थे वहां टेण्ट में आग लग गयी और कई हाजी जलकर मर गये उनका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हज की यात्रा की व्यवस्था तो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाती है। हाजी पैसा जमा करता है और पैसा जमा करने के बाद हवाई जहाज से चला जाता है, हज कमेटी ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। जो समिति जांच के लिए अरब गयी थी वह जद्दा बन्दरगाह से वापस आ गयी। हाजियों की खैरियत व सुरक्षा नहीं की गयी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर तमाम मेले लगते हैं कलियर शरीफ, देवा शरीफ, गगनपुर आदि। यहां पर बहुत दुर्व्यवस्था रहती है। तमाम मुस्लिम महिलायें जियारत करने के लिए जाती है; न लैट्रिन की सुविधा है न परदे की व्यवस्था है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बहुत ही प्रेम भाव से, सद्भावना के भाव से जोड़ने और भारत माता के लाल और भारत माता के एक पुत्र होने की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को वक्फ बोर्ड के रूप में अलग क्यों कर दिया गया, यह भी प्रश्न उठता है ? हमारी जगह को, हमारी मस्जिदों को और जो भी हमारी संरक्षित इमारतें हैं, जागीरें हैं, जो लोग विदेश चले गये हैं, पाकिस्तान चले गये हैं, कस्टोडियन में जमीनें आ गयी हैं, उनका भी संरक्षण कायदे से करें, उनकी आमदनी वसूली जाय और उसे वक्फ बोर्ड पर खर्च किया जाय। मान्यवर, वक्फ बोर्ड का विकास का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आज पुरानी जायदादें 10-10, 20-20 रुपये में उठी हुई हैं ये सारी जायदादें ले ली जायं और उनका किराया बढ़ा दिया जाय तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। अन्त में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई भी वक्फ बोर्ड के विकास का, जायदाद, इमारत, मकान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमारे वकार साहब ने वक्फ बोर्ड की जो हमारी प्रापर्टी है उस पर काफी रोशनी डाली है और मैं तो कहता हूं कि आज अभी-अभी हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने मीठे लफ्जों में कहा कि अकलियत के लिए बहुत कुछ करने का इरादा बनायें हैं, हम अकलियत को जोड़ना चाहते हैं जिस तरह से आजादी में एक साथ मिलकर काम किया उसी तरीके से हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं तो मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो हमारी वक्फ प्रापर्टी है जो कलियर शरीफ है, बहराइच शरीफ है, आप हर जगह देख लें अगर वक्फ की प्रापर्टी को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एक बोर्ड बना लेना चाहिए था उसके माध्यम से हिफाजत हो सकती थी। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूं वहां वक्फ की प्रापर्टी पड़ी हुई है उसमें मनमाने ढंग से जो चाह रहा है खा रहा है अभी हमारे नेता जी ने कहा कि जिस तरह से शादियों में इमदाद करते हैं अगर वक्फ बोर्ड का पैसा आये तो उससे लड़कियों की शादी और गरीबों की मदद कर सकते हैं। खलीलाबाद में वक्फ बोर्ड की मस्जिद है वहां जुमें की नमाज होती है, वह ध्वस्त हो गयी है दीवाल खड़ी है। मान्यवर, आज पैसा भी है लेकिन आपका आदेश होना चाहिए। एक माइनोरिटी निगम भी इससे जुड़ा हुआ है। आपने जो यह पुस्तक हमको दी है उसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ऐसे 21 जिले हैं जिसमें अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 20 प्रतिशत या अधिक है, अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद घोषित किया गया है। लेकिन आपने इसमें यह नहीं दर्शाया है कि वे कौन से जिले हैं, तहसील हैं और विकास खण्ड हैं जिसको अंल्पसंख्यक बाहुल्य घोषित किया गया है। हम उस क्षेत्र का प्रस्ताव आपके माध्यम से करवाते। आपने यह भी कहा है कि माइनोरिटी की लड़कियों के उत्थान तथा उनकी पढ़ाई के लिए हम कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा बस्ती जिला माइनोरिटी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर एक जी०आई०सी० कालेज है, बाकी हमारे यहां कोई डिग्री कालेज नहीं है। यदि आप अल्पसंख्यकों के इतने ही शुभचिन्तक हैं तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में आप एक माइनोरिटी इण्टर कालेज खोल दीजिये।

माइनोरिटी की जो छात्रवृत्ति बांटी जाती है, हमारे तमाम स्कूल जो एडेड में आने वाले हैं, जिनकी संख्या 365 है, उन्हें आपने इसमें नहीं दर्शाया है। आपने कहा कि हम अध्यापकों का वेतन 2,200 रुपये कर दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन 6,000 रुपये आपने कर दिया है, उसी प्रकार इन स्कूल के अध्यापकों का वेतन 6000/- रुपये कर दिया जाना चाहिये। आखिर उनके भी बाल बच्चे हैं। आज जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उन पर जिले में कोई कन्ट्रोल नहीं है। बस्ती जिले के बारे में खूब जानता हूं। एक अल्पसंख्यक अधिकारी प्रभाकर दुबे जी हैं जब तक वह 20 प्रतिशत एडवांस में नहीं ले लेते तब तक वह छात्रवृत्ति नहीं देते हैं। उनकी गणेश परिक्रमा करनी पड़ती है तब जाकर कहीं वेतन मिल पाता है। जिस प्रकार आज प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन सीधे बैंक में जाता है उसी प्रकार छात्रवृत्ति व वेतन सीधे बैंक में इन लोगों की भी जाये।

मान्यवर, आज बुनकर सबसे गरीब हैं। जिस यूपिका से उन्हें लोन आदि मिलता है वह बन्द हो गयी है। खलीलाबाद में एक प्रोसेसिंग हाऊस चल रहा था, जहां से चुनकर अपना कच्चा माल तैयार कर धुलाई करवाते थे, वह बन्द पड़ा है। इसलिए उसे चालू करवायें। यूपिका को चालू करवायें। माइनोरिटी को जो जीपें व बसें देने की योजना आपने चला रखी थी, उसे बन्द कर दिया गया है। मैं

पुनः कहना चाहता हूं कि बुनकर तबके के लिए आप योजनायें चलायें। आज बुनकर रोजी-रोटी के लिए मोहताज हैं। बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में जो योजनायें बन्द पड़ी हैं, उन्हें पुनः चालू करवायें। बुनकरों को सस्ते दाम पर सूत मुहैया करवायें, उन्हें कम से कम 18 घण्टे बिजली दें। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, श्री शाही जी से प्रेरणा पाकर एक-दो बात कहना चाहता हूं। कलियर शरीफ के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने विचार रखें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बजट पर मैं विचार रख सकता हूं प्रश्न पूछ सकता हूं। नियम और परम्पराओं का ज्ञान हमें भी है मैं एक मान्यीय सदस्य हूं। इसमें सचिव से विशेषज्ञ राय लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पीठ की ओर मुखातिब होते हुए आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आक्षेप नहीं होना चाहिए। सचिव पर भी आक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

कोई आक्षेप नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि स्वथ्य परम्परा यह रही है कि विधान सभा सचिवालय के बारे में, आपके सचिव के बारे में बात आपके और उनके बीच में होती है तथा कोई सदस्य संज्ञान में उसे नहीं लेता है।

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह का यदि कोई उल्लेख आया है तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस संबंध में जो कहा है उन समस्त बातों को मैं वापस लेता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, जो चर्चा में बात इस सदन में आ गयी है, उस सन्दर्भ में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके पूर्व के वर्षों में इस निधि से कितना रुपया निकाला जाता था ? यदि पहले औसतन 10-12 लाख रुपया निकलता था लेकिन इस बार केवल 2 लाख रुपया ही निकाला गया तो जैसा कहा गया, कलियर शरीफ में कम पैसा क्यों जमा किया ?

मान्यवर, दूसरी बात वक्फ की सम्पत्ति जो सरकारी कब्जे में है उसको कितने समय में सरकार खाली करा देगी ?

मान्यवर, वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोलर बिठा दिया गया है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का गठन कब तक कर देंगे ?

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मैंने पूरी बात संसदीय कार्य मंत्री जी को बता दिया है। मान्यवर, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। इनकी नीयत साफ नहीं है मुझे इनकी नीयत पर शक-शुबहा है, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि इसमें माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण पूछें जवाब सुने बिना अटैची लेकर भागने लगे तो यह ठीक नहीं है। कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। मान्यवर, हाजियों के टेन्ट में आग लगी। उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के हाजी भी थे जिन्होंने जान गवांया। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरन्त हाजियों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपया का भुगतान किया। इन्श्योरेंश कम्पनी की ओर से पांच-पांच लाख रुपया इसके अलावा हर परिवार को भुगतान किया गया। वक्फ बोर्ड के गठन की बात कही गयी। धारा–4 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। तालाक शुदा महिलाओं के बारे में जैसा कर्नाटक में किया गया है ऐसे ही फाउन्डेशन की स्थापना की गयी है जिसमें उनको सहायता दी जायेगी। यह कौन कर रहा है ? यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह की सरकार कर रही है, मदरसों के अध्यापकों को नियमित करने की बात कही गई है, उन्हें नियमित भुगतान ग्रेच्युटी दी जाती है। उनके पुनरीक्षण का मामला बजाज कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यक बच्चों के छात्रवृत्ति को दो गुना कर दिया है। एक लाख 12 हजार 180 वक्फ यहां पर हैं। एक लाख आठ हजार आठ सौ तैंतीस सुन्नी के और तीन हजार तीन सौ तैंतालीस शिया के हैं।

डा० वकार अहमद–

यह सर्वे कब के हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

यह लेटेस्ट सर्वे हैं। 551 वक्फ सम्पत्तियों का अतिक्रमण हटाया जा चुका है। हर व्यक्ति को चिन्ता होनी चाहिए कि गठन का उद्देश्य जिस लिए होता है उस उद्देश्य को वह पूरा करे। लेकिन उसके ऊपर अतिक्रमण हो जाता है। आप सर्वे करा लीजिये वह कौन लोग हैं ? वह किसी वर्ग के अगवा होते हैं, ज्यादातर संख्या उनकी है। तो अगर किसी सरकार ने प्रयास किया है तो इन्होंने कभी दंगा करा दिया कभी कुछ करा दिया और कुछ लोग शिक्षा के अभाव में इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। पीरान-ए-कलियर की बात कही गयी। वहां पर लाखों व्यक्ति इक्ट्ठा होते हैं और इतना ज्यादा पैसा आता है कि कुछ कहने को नहीं। लेकिन आज हालत क्या हैं जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं आप उनकी यूनीफार्म को देख लें उसमें पचास टल्लियां आपको दिखायी देंगी। आखिर वह पैसा कहा जाता है, मैं इस सदन में नाम नहीं लेना चाहता हूं। मंत्री भी रहे हैं, सेन्ट्रल में एम० पी० रहे हैं और यहां पर मंत्री रहे हैं सारे के सारे प्लान कलियर को अपने अन्दर हजम कर गये और उन्होंने वक्फ की सम्पत्ति पर कब्जा किया हुआ है। हमारे ऊपर आपको यकीन होगा, हमारी करनी से होगा, मौका दीजिये, आप लोगों में से हम बड़ी संख्या में चुनकर आयेंगे। मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 1947 को नहीं देखा है, उनमें चेतना पैदा हो गयी है। कोई उर्दू का नाम लेकर अलग होने की बात करता है और कोई किसी चीज को लेकर अलग होने की बात करता है मास्टर बना दिया, क्यों नहीं मिलजुल कर

स्कूलों में जाते हैं, क्यों नहीं वी०सी० बनते हैं, क्यों नहीं हिन्दी के हेड बनते हैं ? हम तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का वी० सी० देखना चाहते हैं । वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकार की चीजें कही जा रही हैं । इन्हीं शब्दों के साथ में सम्मानित भाई से आग्रह करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा० वकार अहमद शाह–

बहुत सी बातें आपने कही हैं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन में जितने मुस्लिम अधिकारी हैं, उन सबको एक साथ हटा दिया गया है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,56,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ)

नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, स०वि०स०, द्वारा उ० प्र० विधान परिषद् में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व सही न होने तथा श्री अजय कुमार पोद्दार, स०वि०स० द्वारा मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाली आवागमन असुविधा संबंधी चर्चाओं का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

यह आपके अधिकार क्षेत्र में है क्या इसको आप स्थगित करा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है कि इसे स्थगित कर दिया जाय और किसी अन्य दिन के लिए रख दिया जाय । यह तीनों मदें जो स्थगित की जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

अधिकांश सदस्यों को बाहर जाना है यदि सभी सहमत हों तो मद संख्या 16, 17, 18 को स्थगित किया जाय।

(तीनों मदें स्थगित की गयीं)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 3.7.98 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्ति हुई जिनमें से डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मध्य गंगा नहर में दिनांक 29 जून, 1998 को बिना पूर्व सूचना के चार हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जनपद मेरठ व गाजियाबाद के गांवों में हुयी भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। को वक्तब्य हेतु स्वीकार किया गया। दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधीन स्थापित डिपोज में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के निगम की गलत नीति के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई।

तीसरी सूचना श्री राकेश अग्रवाल एवं श्री गोरखनाथ पाण्डेय की श्री केदारनाथ जी के मंदिर से चोरी गये स्वर्ण कलश तथा त्रिकोण की बरामदगी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है।

चौथी सूचना श्री अम्बरीष कुमार की प्रदेश के चिकित्सा विभाग में शासनादेश संख्या 4752/चि-4-40 सा०/93 चिकित्सा अनुभाग–4 दिनांक 20-8-94 द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन में असमानता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में शासन को ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया।

पांचवीं सूचना श्री अकबर हुसैन की जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत मुरादाबाद चन्दौसी मार्ग पर स्थित रामचन्द्र एवं शाकुम्भरी स्ट्रापोडक्ट्स लि० पेपर मिलों द्वारा प्रदूषित जल की निकासी किये जाने से जन-सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है।

छठीं सूचना श्री उदयराज यादव की पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुलरिहा विकास खण्ड हिलौली, जनपद उन्नाव की भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकार किया गया है।

सातवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश में प्रशिक्षित अप्रैन्टिस बेरोजगारों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का समादर कर लिखित परीक्षा में छूट देकर सेवायोजित किये जाने के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु स्वीकार किया गया है।

आठवीं सूचना श्री बाबूलाल की प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा किसानों से आलू भण्डारण का मनमाना किराया वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु स्वीकार किया गया है।

नौवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की प्रदेश के शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा संबंधी शर्तों को गरिमा अनुकूल सुधारे जाने तथा उनकी नियुक्ति राजपत्रित अधिकारी के रूप में किये जाने के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु स्वीकार किया गया है।

दशवीं सूचना श्री अजय भट्ट की जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड ताड़ीखेत में हुयी अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत दिलाये जाने के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु स्वीकार किया गया है।

ग्यारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया की जनपद गाजियाबाद के धौलाना विकास खण्ड अन्तर्गत धौलाना तथा बराल नालों की मशीन द्वारा सफाई न कराये जाने से वर्षा के जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है पर शासन का ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकार किया गया है ।

शेष सूचनायें जो श्री तेजभान सिंह, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री दद्दू प्रसाद, श्री कैलाश यादव एवं श्री हरवंश कपूर, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, डा०धर्मज्ञ मिश्र, श्री जोखू लाल यादव एवं श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, डा० कौशल किशोर, श्री अफजाल अहमद, श्री राम वीर उपाध्याय तथा श्री राम नक्षत्र की हैं को अस्वीकार किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–20, 21, 22 पर जो वक्तव्य हैं । (पढ़े हुए माने गये ।)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़े हुए माने गये ।)

पेन्ट एवं पालिश के काम में प्रयुक्त होने वाली एन०सी० थिनर को आबकारी विभाग द्वारा जब्त व प्रतिबन्धित किये जाने से वाराणसी में तत्संबंधित उद्योगों की बन्दी के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश प्वाइजन (रगुलेशन आफ पेजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994, जो गृह विभाग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या–2472/छः–पु०–9–4(5)–89, दिनांक 27-7-95 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, के अनुसार मिथाइल अल्कोल्हल या उससे बनाये गये तरल रसायन, चाहे वे किसी नाम से पुकारे जायं, जिनमें मिथाइल अल्कोहल हो, को उक्त नियमावली में मिथाइल अल्कोहल परिभाषित किया गया है । इस नियमावली के अनुसार मिथाइल अल्कोहल का उपोत्पाद (बाई प्राडक्ट) के रूप में निर्माण करने वाले उद्योगों को मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने और उसके थोक बिक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र एम०ए०–1, पर, मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने और उसके थोक बिक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र एम०ए०–2 तथा मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने और फुटकर में बेचने के लिए लाइसेंस प्रपत्र एम०ए०–3, लेना अनिवार्य है, जो लाइसेंसधारी मिथाइल अल्कोहल को थिनर, पेन्ट और वार्निश के रूप में क्रय और विक्रय करना चाहता है, उसे प्रपत्र एम०ए०–4 में लाइसेंस लेनाअनिवार्य है तथा प्राविधान यह भी है कि और कोई भी व्यक्ति प्रपत्र एम०ए०–4 में लाइसेंस के बिना मिथाइल अल्कोहल को दो लीटर से अधिक मात्रा में विरलक (थिनर) पेन्ट और वार्निश के रूप में न क्रय करेगा, न कब्जे में रखेगा और न प्रयोग या विक्रय करेगा । इन लाइसेंसों को निर्गत करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी, जिलाधिकारी हैं तथा जिलाधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी तथा जिला उद्योग अधिकारी की संस्तुति प्राप्त किये जाने के प्राविधान हैं ।

2–दिनांक 26-4-98 को वाराणसी में जहरीली शराब पीने से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिनके विसरा रिपोर्ट में इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल भी पाये जाने की पुष्टि हुई है । वाराणसी नगर में कलाबत्तू (जरी) उद्योग, नेल पालिश, आलता, पेन्ट, आटो पेन्ट तथा लकड़ी के पालिश

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के काम में मिथाइल अल्कोहल से बने स्प्रिट पालिश/थिनर जिसे इण्डस्ट्रीयल वेस्ट के नाम से जाना जाता है, का उपयोग किया जाता रहा है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल से बने थिनर की तुलना में मिथाइल अल्कोहल से बने स्प्रिट पालिश/थिनर का मूल्य तिहाई या चौथाई कम होता है । जिलाधिकारी, वाराणसी को बगैर लाइसेंस के मिथाइल अल्कोहल से बने स्प्रिट मालिश/थिनर को कानपुर से वाराणसी में लाये जाने एवं उसकी बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई थी और उनके निर्देशन में आबकारी स्टाफ, वाराणसी द्वारा दिनांक 18-5-98 व 19-5-98 को 2 ट्रान्सपोर्टर्स के गोदामों और 2 केमिकल डीलर्स के दुकानों से 7,190 लीटर मिथाइल अल्कोहल से बने संदिग्ध स्प्रिट पालिश/थिनर की बरामदगी की गयी थी, जिसकी जांच आबकारी विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गोरखपुर से कराये जाने पर 5,530 लीटर थिनर मिथाइल अल्कोहल से निर्मित पायी गयी । बगैर लाइसेंस के इसका संचय और विक्रय तथा उपयोग दण्डनीय अपराध है, अतः निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा प्वाइजन्स एक्ट, 1919 के अन्तर्गत अभियोग कायम किया गया है :–

क्रमांक	नाम अभियुक्त	माल बरामद होने की तिथि	मिथाइल अल्कोहल से बनी अपहृत थिनर की मात्रा
1.	श्री रंजीत कुमार भसानी पुत्र स्व० सुन्दर दास, नि०–डी-59/235ए, शिवपुरवा, निरालानगर, थाना–सिगरा, वाराणसी ।	18-5-98	400 लीटर
2.	श्री रमेश कुमार शितलानी पुत्र स्व० भगवान दास एवं श्री ज्ञान चन्द पुत्र स्व० जागरण दास सिन्धी, नि०–गण एन–11/111,डी रानीपुर, थाना वेलूपुर, वाराणसी ।	18-5-98	230 लीटर
3.	श्री जगन्नाथ प्रसाद वर्मा पुत्र स्व० मोहन लाल नि०–जे०–28/104 ए जैतपुरा चौमुहानी, थाना जैतपुरा, वाराणसी ।	18-5-98	600 लीटर
4.	श्री अजय कुमार पुत्र उमेद लाल, नि०–संजय पेन्ट कम्पनी, नई सड़क, थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी ।	18-5-98	1,800 लीटर
5.	श्री जय प्रकाश पुत्र स्व० राम चन्दर, नि०–जे 24/50.ख्वाजापुर, थाना जैतपुरा, वाराणसी ।	18-5-98	1,000 लीटर
6.	श्री बी० एन० सिंह पुत्र राम सिंह, नि०–ज्ञानपुर धनौर्ती, बलिया, हाले मुकाम, वनारस फ्रेट कैरियर, जगतगंज, वाराणसी ।	19-5-98	1,500 लीटर
		योग :	5,530 लीटर

उपरोक्त में से प्रथम 5 वाराणसी के स्प्रिट पालिश/थिनर एवं केमिकल डीलर्स हैं और अन्तिम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के प्रतिनिधि हैं ।

3—यहां यह उल्लेखनीय है कि वाराणसी के जरी उद्योग में या पेन्ट और स्प्रिट पालिस/थिनर आदि के उपयोग में पहले इथाइल अल्कोहल से बने स्प्रिट पालिस/थिनर का उपयोग होता था परन्तु शीरा पर से मूल्य नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण इथाइल अल्कोहल से निर्मित थिनर महंगा हो जाने से मिथाइल से बने थिनर का उपयोग होने लगा है। दिनांक 24-5-98 को मा० श्री शंकर प्रसाद जायसवाल, सांसद की अध्यक्षता में मिले एक प्रतिनिधि मण्डल को परामर्श दिया गया कि मिथाइल अल्कोहल से बने स्प्रिट पालिस/थिनर का थोक व्यापार करने वाले एम०ए०–2 लाइसेंस और फुटकर व्यापार करने वाले एम०ए०–3 लाइसेंस तथा जरी की रंगाई करने वाले उद्यमी एम०ए०–4 लाइसेंस प्राप्त करके अपना कारोबार करें। इस निमित्त आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया था कि उक्त लाइसेंस लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन्हें नियमानुसार लाइसेंस दे दिये जायं। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक वाराणसी में किसी भी व्यक्ति ने एम०ए०–2, एम०ए०–3 एवं एम०ए०–4 लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जन प्रतिनिधियों को यह भी अवगत कराया गया था कि यदि कोई व्यक्ति इथाइल अल्कोहल से निर्मित विशेष विकृत सुरा से थिनर बनाना चहता हो तो इसके लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र एफ०एल०–41 पर लाइसेंस आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक एक श्री रमा शंकर शर्मा, प्रोपराइटर, मेसर्स शर्मा इण्टरप्राइजेज, के०–29/21 ए, गणेश दीक्षित लेन वाराणसी ने थिनर बनाने के लिए एफ०एल०–41 लाइसेंस हेतु सीधे आबकारी आयुक्त को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिनका प्रार्थना-पत्र अपूर्ण है क्योंकि औपचारिकताओं की पूर्ति उनके द्वारा नहीं की गयी है। औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आवेदक को दिनांक 22-6-98 को पत्र जारी किया गया है। औपचारिकातायें पूर्ण होने पर उनको या भविष्य में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले अन्य व्यक्तियों को यथा प्रक्रिया लाइसेंस एफ०एल०–41 जारी कर दिया जायेगा। दिनांक 22-6-98 को वाराणसी के जरी उद्योग के व्यवसाय में लगे 134 व्यक्तियों ने 200 लीटर से लेकर 600 लीटर तक की विशेष विकृत सुरा की मात्रा के लिए (कुल 29,600 लीटर मात्रा हेतु) प्रार्थना-पत्र जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर आवेदकों की यथार्थता एवं उपयोगिता के संबंध में जांच कराये जाने के बाद जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा आबकारी आयुक्त को परमिट जारी करने के लिए संस्तुति की जायेगी।

4–आबकारी विभाग द्वारा संबंधित उद्यमियों और व्यवसायियों को मिथाइल अल्कोहल तथा उससे निर्मित थिनर, पेन्ट और वार्निश संबंधी अपना कारोबार चलाने के लिए पूरी जानकारी दे दी गयी है और उनके द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करके प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उन्हें मिथाइल अल्कोहल से बने स्प्रिट पालिस/थिनर के लिए आवश्यक एम०ए०–2/एम०ए०–3 और एम०ए०–4 लाइसेंस, जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा स्वीकृत कर दिये जायेंगे। इथाइल अल्कोहल से थिनर निर्माण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यक एफ०एल०–41 लाइसेंस जारी करके भी वाराणसी के प्रश्नगत उद्योगों को नियमानुसार चलाये जाने के लिए पूरा सहयोग दिया जायेगा।]

जिला बेसिक शिक्षा समिति, मैनपुरी की बैठक दिनांक 13 मई, 1998 में लिए गये निर्णय के बावजूद असेवित क्षेत्रों में ही जूनियर हाई स्कूल की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री राम औतार शाक्य, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 19-6-98 के माध्यम से जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानगंज के ग्राम शाहआलमपुर एवं विकास खण्ड वेवर के अन्तर्गत ग्राम नगला टाकन में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की मांग की गयी है ।

शिक्षा निदेशक (बे०) से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम गनेशपुर असेवित क्षेत्र है तथा इसमें जूनियर हाई स्कूल की अत्यन्त आवश्यकता है किन्तु विकास खण्ड वेवर के अन्तर्गत ग्राम नैकामऊ में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना का कोई प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 13-5-98 में पारित नहीं किया गया और न ही विद्यालय स्थापना में कोई कार्यवाही की जा रही है । जहां तक विकास खण्ड सुल्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम शाहआलमपुर तथा विकास वेवर के अन्तर्गत ग्राम नगला टांकन में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हेतु निर्धारित मानक (800 की आबादी तथा 3 कि०मी० की दूरी मैदानी हेतु) के अनुसार ग्राम नगला टांकन असेवित है । अतएव नगला टांकन में नियमानुसार जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं । निर्धारित मानक के अनुसार विकास खण्ड सुल्तानगंज के अन्तर्गत शाहआलमपुर सेवित है । अतः वहां पर अभी विद्यालय की स्थापना का कोई प्रश्न नहीं है ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इल्तिफातगंज एवं केदारनगर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना न कराये जाने से किसानों, बुनकरों तथा अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

विधान सभा क्षेत्र टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में विद्युत उपकेन्द्र, महरीपुर से नगर पंचायत इल्तिफातगंज थर्मल प्रोजेक्ट टाण्डा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है । उक्त विद्युत लाइन विस्तृत क्षेत्र में फैला है जिसके कारण वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी रहती है, साथ ही साथ विद्युत लाइन में खराबी के कारण पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप्प रहती है । इल्तिफातगंज में एवं केदारनगर में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत होने के उपरान्त भी निर्माण न किये जाने से विद्युत उपभोक्ताओं विशेष रूप से किसानों एवं बुनकरों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वक्तव्य

[जनपद अम्बेडकरनगर की विद्युत आपूर्ति (20x40) एम०वी०ए० 132 के०वी० उपकेन्द्र टाण्डा से की जाती है, जो कि 220 के०वी० उपकेन्द्र, सुल्तानपुर से पोषित है । विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र महरीपुर से न्याय पंचायत इल्तिफातगंज एवं केदारनगर के कुछ भाग तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जाती है । महरीपुर विद्युत उपकेन्द्र से निकलने वाली 11 के०वी० लाइन लम्बी पुरानी तथा जर्जर होने के कारण इल्तिफातगंज एवं केदारनगर क्षेत्र में विद्युत बाधित होती है एवं लो-वोल्टेज की समस्या रहती है ।

परिषद् की सीमित वित्तीय संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए धन की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता के आधार पर उपरोक्त समस्या के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं 6 जुलाई, 1998 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 18 मिनट पर 6 जुलाई, 1998 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

03 जुलाई, 1998 ई०

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नोट : – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'क' ता० प्र० सं०–41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

दिनांक 21-9-97 से अब तक समय-समय पर विद्युत की सम्पूर्ण आपात कटौती से मुक्त किये शहरों/जनपदों की सूची

1–जनपदों के नाम

इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र, कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, महामायानगर, भदोही, गोरखपुर, फैजाबाद-अयोध्या, बाराबंकी, बुलन्दशहर, हरदोई, मिर्जापुर, पड़रौना, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर, देहरादून, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशम्बी, बस्ती, गोण्डा, सन्त कबीर नगर, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, बरेली, नैनीताल, बागपत, हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र ।

2–नगरों के नाम

शामली, मुबारकपुर, रसड़ा, जहांगीराबाद, जौनपुर, नीमसार, मिश्रिख, सिद्धार्थनगर, चांदपुर, फर्रुखाबाद, लालगंज, संग्रामगढ़, फतेहपुर, हरदोई, रुदौली, मैनपुरी, इटावा, देवरिया, गाजीपुर, कानपुर, सण्डीला, पट्टी, लखीमपुर, बरेली, डिबाई, देवां, अलीगढ़, लहरपुर, खुर्जा, इगलास, गौडा, बेसंवा, बस्ती, उन्नाव, भदोही, प्रतापगढ़, मेरठ, झांसी, मिर्जापुर, दलपतपुर, वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, डलमऊ, सरधना, लावड, दौराला, बांदा, अमावटा, देवबन्द, करनैलगंज, महराजगंज, पीलीभीत, धामपुर, ऋषीकेश कुम्भ क्षेत्र, देहरादून, गोरखपुर, औराई, अतरौली, शाहगंज, इब्राहिम पट्टी, पलिया, मऊ, महामायानगर, बलिया, मवाना, फलावदा, हस्तिनापुर, बाहसूमा, परिक्षतगढ़, खीखाजलालपुर, सकौती, हसनपुर, बाराबंकी, बरहज, खेखड़ा, नजीबाबाद, गाजियाबाद, गोला, नोयडा, नहटौर, टाण्डा, रामरतन कुटीर, बहसोडीशरीफ, दादरी, आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, सम्भल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, विशालनगर, मसौली, एटा, जसराना, जलेसर, फताहाबाद, कीरतपुर, हाथरस, मथुरा, खैर, बड़ौत, हरिद्वार, छुटमलपुर, कैराना, ललितपुर, फर्रुखाबाद, महमूदाबाद, करछना, फूलपुर, सिसौली, चन्दौली, सियाना, मसूरी, शाहजहांपुर, हापुड़, रुड़की, बिन्दकी, अकबरपुर, हलदौर, खेतासराय, सफीपुर, गोण्डा, सिकन्दाबाद, नवाबगंज, अम्बेडकरनगर, औरय्या, रुद्रपुर, नैनीताल, सुल्तानपुर, कन्नौज, बागपत, कीरतपुर, करारी, पतल, शाहाबाद, तिलहर, पट्टी, विधान सभा क्षेत्र, बैरिया विधान सभा क्षेत्र, हरौड़ा विधान सभा क्षेत्र, मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र, सरसावां विधान सभा क्षेत्र, मिलक तहसील, सगड़ी तहसील ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया द्वारा पूछा गया अता० प्र० सं० 28 के संबंध में उत्तरालेख का संलग्नक "क"

क्रमांक	कालोनी का नाम	कुल आवास	कुल रिक्त आवास	रिक्त आवास कब से खाली हैं
ए	अधिकारी आवास			
1.	विवेकानन्दपुरी कालोनी	42	1	नं०सी०एच०पी०–05 दि० 29-10-97
2.	चन्द्रलोक कालोनी	84	4	नं०सी०एच०पी०–40 दि० 27-04-98 नं०सी०एच०पी०–58 दि० 03-05-98 नं०सी०एच०पी०–62 दि० 16-04-98 नं०सी०एच०पी०–76 दि० 19-05-98
3.	निरालानगर कालोनी	04	–	— — — —
4.	पी०एन० रोड	32	03	नं०पी०एन०आर० 8 दि० 12-05-98 नं०पी०एन०आर०–16 दि० 31-01-98 नं०पी०एन०आर०–23 दि० 17-04-98
5.	इन्दिरा नगर एम०आई०जी० कालोनी	20	—	— — — —
6.	गोखले मार्ग कालोनी	29	01	नं०जी०के०एल०–1 दि० 15-04-98
7.	17, क्लोईड रोड कालोनी	12	—	— — — —
8.	इन्द्रलोक कालोनी	108	01	टाईप–4/38–दि० 4-6-98 से
	योग :	331	10	
बी	कर्मचारी आवास			
1.	मोतीझील कालोनी	60	—	— — — —
2.	इन्दिरानगर एल०आई०जी० कालोनी	32	03	टाईप II नं० 155/2 दि० 10-1-98 टाईप II नं० 155/5 दि० 29-10-97 टाईप II नं० 159/3 दि० 20-2-98
3.	इन्द्रलोक कालोनी	318	04	टाईप III /29 दि० 2-2-98 टाईप III /36 दि० 2-4-98 टाईप II /4 दि० 1-6-98 टाईप II /153 दि० 1-8-97
4.	डालीगंज कालोनी	22	—	—
5.	एच०एल०एल० कालोनी	27	—	— —
6.	जवाहर भवन कालोनी	04	—	— —
7.	पी०एन० रोड कालोनी	103	04	I टाईप II 2/49 दि० 14-5-97 II टाईप II 2/4 दि० 1-4-98 III टाईप II 2/12 दि० 1-5-98 टाईप III नं० 3/5 दि० 28-5-98
	योग :	566	11	

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या–28

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	आवासों की श्रेणी	आवासों की संख्या	खाली आवासों की संख्या	खाली रहने की अवधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	132 के०वी उपकेन्द्र नवीकोट नन्दना, लखनऊ	टाइप–एक	12	3	एक वर्ष	आवासों की मरम्मत होने पर उन्हें आवंटित कर दिया जायेगा ।
		टाइप–दो	6	1	तदैव तदैव	
		टाइप–तीन	2	0	.. ..	
2.	132 के०वी० उपकेन्द्र गोम्दीनगर लखनऊ	टाइप–दो	6	0	.. ..	
3.	220 के०वी०, उपकेन्द्र, चिनहट लखनऊ	टाइप–एक	20	2	तीन वर्ष	निर्माण अपूर्ण होने के कारण जनपद स्कन्ध को आवासों की मरम्मत/कमियों को दूर करने हेतु लगातार लिखा जा रहा है ।
		टाइप–दो	18	2	तदैव तदैव	
		टाइप–तीन	10	9	तदैव तदैव	
		टाइप–चार	3	3	तदैव तदैव	
4.	400के०वी० उपकेन्द्र खण्ड सरोजनी नगर	टाइप–एक	30	0	— —	
		टाइप–दो	25	1	(17-6-98)	आवंटन प्रक्रिया जारी है ।
		टाइप–तीन	27	1	(17-6-98) तदैव	
		टाइप–चार	11	2	एक वर्ष	अधिकृत अधिकारियों की तैनाती कर आवास आवंटित हो जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
5.	132 के०वी० उपकेन्द्र टिकैतराय का तालाब, लखनऊ	डी–टाइप	20	0	— —	
		सी–टाइप	15	0	— —	
		अवर अभियन्ता (चयन स्तर)	1	0	— —	
		वी–टाइप	6	0	— —	
		तृतीय श्रेणी के आवास	6	0	— —	
		ए०ई०–टाइप	1	1	एक वर्ष	अभियन्ता अधिकारी की तैनाती होने पर आवंटित हो जायेंगे ।
			219	25		

उ.प्र. केरा विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

शीतगृहों से संबंधित सूचना

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम	क्षमता (बोरे में)	स्वीकृत भार	भुगतान की स्थिति 6/97 में
1	2	3	4	5
विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, बुलन्दशहर				
1.	मे० लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, सिकन्दराबाद	60,000	188 के०वी०ए०	2.07
2.	मे० जय दुर्गे कोल्ड स्टोरेज, सिकन्दराबाद	20,000	140 के०वी०ए०	0.99
3.	मे० दामोदर कोल्ड स्टोरेज, सिकन्दराबाद	55,000	175 के०वी०ए०	1.37
4.	मे० चौधरी हरी सिंह कोल्ड स्टोरेज, सिकन्दराबाद	30,000	095 के०वी०ए०	0.66
विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, बुलन्दशहर				
5.	मे० जवाहर कोल्ड स्टोरेज	34,000	140 के०वी०ए०	0.99
6.	मे० आनन्द कोल्ड स्टोरेज	60,000	171 के०वी०ए०	1.96
7.	मे० डी०सी०एफ० कोल्ड स्टोरेज	30,000	102 के०वी०ए०	1.51
8.	मे० मोहन डेरी एवं कोल्ड स्टोरेज	60,000	256 के०वी०ए०	2.34
9.	मे० जनता कोल्ड स्टोरेज	30,000	90 के०वी०ए०	1.69
10.	मे० चन्द्रा कोल्ड स्टोरेज	21,000	988 के०वी०ए०	0.49
11.	मे० ओमरिया कोल्ड स्टोरेज	20,000	97 के०वी०ए०	0.58
12.	मे० बुलन्दशहर कोल्ड स्टोरेज	37,000	99 के०वी०ए०	0.93
13.	मे० हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज	20,000	90 के०वी०ए०	0.16
14.	मे० हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज	20,000	88 के०वी०ए०	0.93
15.	मे० हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज	30,000	96 के०वी०ए०	0.39
16.	मे० हिन्दुस्तान कोल्ड स्टोरेज	08,000	90 के०वी०ए०	0.54
विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय बुलन्दशहर				
17.	मे० खजानी देवी कोल्ड स्टोरेज, जहांगीराबाद	50,000	132 के०वी०ए०	1.07
18.	मे० अग्रवाल एण्ड जनरल मिल्स	30,000	98 के०वी०ए०	1.01
19.	मे० कोआपेटिव कोल्ड स्टोरेज, जहांगीराबाद	40,000	107के०वी०ए०	2.27
20.	मे० जय बजरंगवली कोल्ड स्टोरेज, जहांगीराबाद	28,000	99 के०वी०ए०	0.55
21.	मे० जनता कोल्ड स्टोरेज, जहांगीराबाद	28,000	99 के०वी०ए०	0.68
22.	मे० जनता कोल्ड स्टोरेज, अनूपशहर	20,000	73 के०वी०ए०	0.37
23.	मे० दुर्गा कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री	20,000	71 के०वी०ए०	0.35
24.	मे० किसान कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स	25,000	95 के०वी०ए०	0.19
25.	मे० शक्ति कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री	26,000	98 के०वी०ए०	0.34

SATYAMEV JAYATE विधान सभा

1	2	3	4	5
विद्युत वितरण खण्ड–खुर्जा				
26.	मे० शिमला कोल्ड स्टोरेज, खुर्जा	40,000	100 अ० श०	0.70
27.	मे० सचदेवा कोल्ड स्टोरेज, खुर्जा	28,000	98 अ० श०	0.81
28.	मे० पंहासु कोल्ड स्टोरेज, पहासु	24,000	100 अ० श०	0.29
29.	मे० पीर फ्रैन्ड्स कोल्ड स्टोरेज, डिबाई	14,000	100 अ० श०	0. 18
30.	मे० गुलजार कोल्ड स्टोरेज, खुर्जा	80,000	132 के०वी०ए०	1.37
विद्युत वितरण खण्ड–हापुड़				
31.	मे० भगत जमना दास कोल्ड स्टोरेज, गढ़ रोड हापुड़	75,000	178 के०वी०ए०	1,49,479.00
32.	मे० श्रवण कोल्ड स्टोरेज, दिल्ली रोड, हापुड़	1,25,,000	289 के०वी०ए०	3,01,479.00
33.	मे० संजय कोल्ड स्टोरेज, रेलवे रोड, हापुड़	42.000	185 के०वी०ए०	1,86,892.00
34.	मे० फ्रेण्डस कोल्ड स्टोरेज, दिल्ली रोड, हापुड़	28.000	98 के०वी०ए०	87,261.00
35.	मे० कस्तुरीवाई कोल्ड स्टोरेज, बुलन्दशहर रोड, हापुड़	1,50.000	325 के०वी०ए०	3,70,771.00
36.	मे० जैन कोल्ड स्टोरेज, स्वर्गआश्रम रोड, हापुड़	28.000	163 के०वी०ए०	49,670.00
37.	मे० गोपी कोल्ड स्टोरेज, बुलन्दशहर रोड, हापुड़	300.000	501 के०वी०ए०	4,01,140.00
38.	मे० रघुनाथ कोल्ड स्टोर–बुलन्दशहर रोड, हापुड़	450,000	470 के०वी०ए०	4,59,860.00
39.	मे० पी०पी०आर० कोल्डस्टोर, मेरठ रोड, हापुड़	20,0000	299 के०वी०ए०	1,21,438.00
40.	मे० राजाराम पटवारी कोल्डस्टोर, मोदीनगर, रोड़ हापुड़	8,0000	182 के०वी०ए०	2,45,958.00
41.	मे० हापुड़ कोल्ड स्टोरेज, गढ़, रोड, हापुड़	38,000	98एच०पी०	72,930.00
42.	मे० तुलाराम कोल्ड स्टोरेज, गढ़, रोड, हापुड़	28,000	99एच०पी०	65,067.00
43.	मे० किसान कोल्ड स्टोरेज, गढ़, रोड, हापुड़	75,000	98एच०पी०	35,732.00
44.	मे० चौकडायत कोल्ड स्टोरेज, मोदी नगर रोड, हापुड़	1,00000	200के०वी०ए०	नया संयोजन
45.	मे० यादव कोल्ड स्टोरेज, गढ़, रोड, हापुड़	1,00000	250के०वी०ए०	नया संयोजन
46.	मे० शिवम् कोल्ड स्टोरेज, दियाला रोड, हापुड़	1,00000	200के०वी०ए०	नया संयोजन
विद्युत वितरण खण्ड–II गाजियाबाद				
47.	मे० पंकज कोल्ड स्टोरेज, पिलखुवा	70,000	173 के०वी०ए०	1,06,624.00
48.	मे० प्रकाश कोल्ड स्टोरेज, पिलखुआ, गाजियाबाद	70,000	136 के०वी०ए०	1,86,744.00
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–I गाजियाबाद				
49.	मे० हंस वीहव प्रा० (लि०) प्लाट नं० 8 साउथ आफ जी० टी० रोड, गाजियाबाद	25,000	120 के०वी०ए०	1,13,446.00

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–115 के संलग्नक

तत्कालीन तैनात दोषी अधिकारियों के नाम/पदनाम का विवरण निम्नवत् है :–

तत्कालीन तैनाती स्थान का नाम	दोषी अधिकारियों के नाम	पदनाम
1	2	3
	सर्वश्री	
1–वि०वि०ख०–प्रथम, लखीमपुर खीरी	1–एस०के० पाण्डेय,	अधि० अभि०
	2–एम०डी० शर्मा,	अधि० अभि०
	3–ए० के० जौहरी,	सहा० अभि०
	4–यू० पी० श्रीवास्तव,	सहा० अभि०
	5–आर०पी० सब्बरवाल,	सहा० अभि०
	6–एम०जेड०ए० बेग,	सहा० अभि० (राजस्व)
2–वि०वि०ख०–प्रथम रायबरेली	1–आर० बी० सिंह,	अधि० अभि०
	2–आर०पी० गुप्ता,	सहा० अभि० (राजस्व)
3–वि०वि०ख०–हरादोई	1–बी०के० शुक्ला,	अधि० अभि०
	2–ध्रुव	सहा० अभि०
	3–एस०के० मिश्रा,	सहा० अभि०
	4–वीरेन्द्र लाल,	सहा० अभि०
	5–जेड०ए० सिद्दीकी,	सहा० अभि०
	6–आर०एन० त्रिपाठी,	सहा० अभि०
4–वि०वि०खं०– बाराबंकी	1–एस०डी०सिंह,	अधि०अभि०
	2–एस०के०अग्रवाल,	अधि०अभि०
	3–सी०एम०पुहानी,	अधि०अभि०
	4–राम निवास,	सहा० अभि०
	5–एस०पी० श्रीवास्तव,	सहा० अभि० (राजस्व)
	6–एन०पी० सिंह,	सहा० अभि०
	7–आर०ए० त्रिपाठी,	सहा० अभि०
	8–डी०आर० तिवारी,	सहा० अभि०
	9–के०एन० श्रीवास्वास्तव,	सहा० अभि०
	10–जे०एन० गुप्ता,	सहा० अभि०
	11–जी०पी० तिवारी.	सहा० अभि०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
	12–जे०एन० श्रीवास्तव,	सहा० अभि०
	13–एम०के० सक्सेना,	सहा० अभि०
	14–पी०सी० चौधरी,	सहा० अभि०
5–लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू)	1–एस०पी० सिंह,	अधि० अभि०
	2–के०एल० पाण्डेय,	अधि० अभि०
	3–एस०एस० राय,	सहा० अभि०
	4–यू०सी० पन्त,	सहा० अभि०
	5–आलोक अग्रवाल,	सहा० अभि०
	6–अजय मिश्रा,	सहा० अभि०
	7–के०के० दीक्षित,	सहा० अभि०
	8–आर०एम० चित्रंशी,	सहा० अभि०
	9–वी०के० दीक्षित,	सहा० अभि०
	10–आर०के० श्रीवास्तव,	सहा० अभि०
6–नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, इन्दिरानगर (लेसू) लखनऊ	1–आर०एन० पाण्डेय,	अधि० अभि०
	2–डी०सी० अग्रवाल,	अधि० अभि०
	3–के०आर० भाटिया,	अधि० अभि०
	4–मनोहर,	अधि० अभि०
	5–मदन लाल,	अधि० अभि०
	6–आर०डी० तिवारी,	अधि० अभि०
	7–हरीचन्द्र,	अधि० अभि०
	8–योगेश चन्द्र,	अधि० अभि०
	9–के०एल० पाण्डे,	अधि० अभि०
	10–के०के० दीक्षित,	सहा० अभि०
	11–आर०पी० प्रजापति,	सहा० अभि०
	12–ए०के० निगम,	सहा० अभि०
	13–आर०सी० सब्बरवाल,	सहा० अभि०
	14–लाल किशन,	सहा० अभि०
	15–वी०पी० तिवारी,	सहा० अभि०
	16–एस०के० बोरा,	सहा० अभि०
	17–वी०के० चौधरी,	सहा० अभि०
	18–सुखेन्द्र जोशी,	सहा० अभि०
	19–ओ०डी० शर्मा,	सहा० अभि०

परिशिष्ट 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं०–189 का उत्तर पीछे पृष्ठ 101 पर)

संलग्नक

प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा के पत्र के दि० 27-5-97 में उठाये गये विन्दु	इन बिन्दुओं पर अब तक की गयी निराकरणात्मक कार्यवाही
1–राजकीय उ० मा० विद्यालय बहेड़ाखाल का उच्चीकरण ।	मानक पूर्ण न हाने के कारण प्रस्ताव का औचित्य नहीं पाया गया ।
2–अम्बेदकर ग्राम खाण्डा के लिए स्वीकृत सम्पर्क मार्ग का निर्माण ।	9 कि०मी० मार्ग निर्मित और 2 कि०मी० जिला योजना में प्रस्तावित है ।
3–अम्बेदकर ग्राम खाण्डा के लिए मार्ग निर्माण के मलवे हुई क्षतिपूर्ति ।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी है ।
4–प्राथमिक विद्यालय खाण्डा के लिए धन की उपलब्धता ।	रु० 90.000 की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ।
5–ग्राम खाण्डा में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र का वर्षों से बन्द होना ।	रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है ।
6–ग्राम खाण्डा में आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण ।	भवन निर्माण का औचित्य नहीं पाया गया ।
7–बहेड़ाखाल-मूलगढ़ चौपड़ा पैदल मार्ग की मरम्मत ।	जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल को निर्देश दिये जा चुके हैं ।
8–धनगढ़-चौपड़ा-खाण्डासैण नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध न कराया जाना ।	सिंचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर को निर्देश दिये जा चुके हैं ।
9–ग्राम खाण्डा के लिए सी० सी० मार्ग का निर्माण ।	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र को निर्देश दिये जा चुके हैं ।
10–ग्राम खाण्डा में कुटीर ज्योति विद्युत कनेक्शन दिया जाना ।	कनेक्शन दे दिये गये ।
11–ग्राम खाण्डा में प्रसूनि ग्रह का निर्माण ।	महानिदेशक, चिकित्सा, उत्तरांचल को निर्देश दे दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं०–193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 103 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री राम अचल राजभर, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 193 का उत्तर

संलग्नक "क"

वर्ष 1995-96

क्र०सं०	मदरसे का नाम	योजना का नाम	धनराशि
1.	मदरसा मदनी दारूल उलूम, मेंहाहरंगपुर	मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्म० को वेतन हेतु अनुदान	10,78,384.55
1.	मदरसा इस्लामियां महुआरी पथरदेवा	छात्रवृत्ति योजना	7,200
2.	अरविया मिस्वाहुल उलूम अहमदनगर	,, ,,	7,200
3.	मदरसा अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	,, ,,	21,552
4.	मदरसा जामिया अरबिया मेराजुल उलूम देवरिया वुद्धखां	,, ,,	50,328
5.	गौसिया अनावरूल उलूम मलसीखास	,, ,,	24,778

वर्ष 1996-97

क्र०सं०	मदरसे का नाम	योजना का नाम	धनराशि
1.	मदरसा इस्लामिया महुआरी पथरदेवा	मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्म० को वेतन हेतु अनुदान	4,35,561.00
2.	मदरसा अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	,, ,,	4,39,854.00
3.	मदरसा दारूल उलूम गौसिया, सलेमपुर	,, ,,	4,00,587.00
4.	मदरसा जामिया अरविया मेराजुल उलूम देवरिया वुद्धखां	,, ,,	3,94,726.00
5.	अरविया मिस्वाहुल उलूम, अहमदनगर रामनगर महुआरी	,, ,,	4,78,091.00
6.	मदरसा दारूल उलूम, मेंहाहरंहगपुर	,, ,,	12,10,448.00
1.	मदरसा जामिया अरविया मेराजुल उलूम देवरिया वुद्धखां	छात्रवृत्ति योजना	91,680
2.	मदरसा दारूल उलूम गौसिया, सलेमपुर	,, ,,	1,21,536.00
3.	मदरसा अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	,, ,,	1,99,344
4.	मदरसा अरविया मिस्वाहुल उलूम महुआवारी	,, ,,	82,704.00
5.	मदरसा इस्लामियां महुआरी पथरदेवा	,, ,,	1,50,744.00
6.	मदरसा गौसिया अनवारूल उलूम मलसीखास	,, ,,	58,632.00
7.	मदरसा मदनी दारूल उलूम मेंहाहरंहगपुर	,, ,,	1,14,624.00
8.	मदरसा मदनी दारूल उलूम निस्वा मेंहाहरंगपुर	,, ,,	40,704.00
1.	मदरसा इस्लामिया महुआरी पथरदेवा	मदरसों को पोषण/अनुरक्षण अनुदान	25,00.00
2.	मदरसा अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	,, ,,	25,00.00
3.	मदरसा दारूल उलूम गौसिया, सलेमपुर	,, ,,	25,00.00
4.	मदरसा जामिया अरविया मेराजुल उलूम देवरिया वुद्धखां	,, ,,	25,00.00

क्र०सं०	मदरसे का नाम	योजना का नाम	धनराशि
5.	मदरसा अरबिया मिस्वाहुल उलूम, अहमदनगर रामनगर महुआरी	,, ,,	25,00.00
6.	मदरसा दारूल उलूम, मेंहाहरंहगपुर	,, ,,	25,00.00

वर्ष 1997-98

1.	मदरसा इस्लामिया महुआरी पथरदेवा	मदरसों को वेतनादि हेतु अनुदान	3,25,016.00
2.	मदरसा अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	,, ,,	6,34,399.00
3.	मदरसा दारूल उलूम गौसिया, सलेमपुर	,, ,,	4,82,348.00
4.	मदरसा जामिया अरविया मेराजुल उलूम देवरिया बुद्धूखां	,, ,,	4,90,808.00
5.	अरविया मिस्वाहुल उलूम, अहमदनगर रामनगर महुआरी	,, ,,	3,86.052.00
6.	मदरसा दारूल उलूम, मेंहाहरंहगपुर	,, ,,	14,89,614.00

वर्ष 1997-98

1.	मदरसा जामिया अरबिया मेराजुल उलूम देवरिया बुद्धूखां	छात्रवृत्ति योजना	1,77,240.00
2.	मदरसा दारूल उलूम गौसिया, सलेमपुर	,, ,,	2,69,760.00
3.	मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	,, ,,	4,62,120.00
4.	मदरसा अरबिया मिस्वाहुल उलूम महुआरी	,, ,,	4,20,060.00
5.	अरबिया इस्लामिया महुआरी पथरदेवा	,, ,,	2,86,500.00
6.	मदनी दारूल उलूम, मेंहाहरंहगपुर	,, ,,	4,79,280.00
7.	मदरसा अरबिया अनवारूल उलूम मलसीखास	,, ,,	2,63,100.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 302 विधान सभा (443)–1998–813 (डी० टी० पी०) ।

खण्ड-425, अंक-2
सोमवार, 15 आषाढ़, शक संवत् 1920
(6 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |